खण्ड-312, अंक-6
बुधवार, 11 पौष, शक संवत् 1896
(1 जनवरी, 1975 ई0)

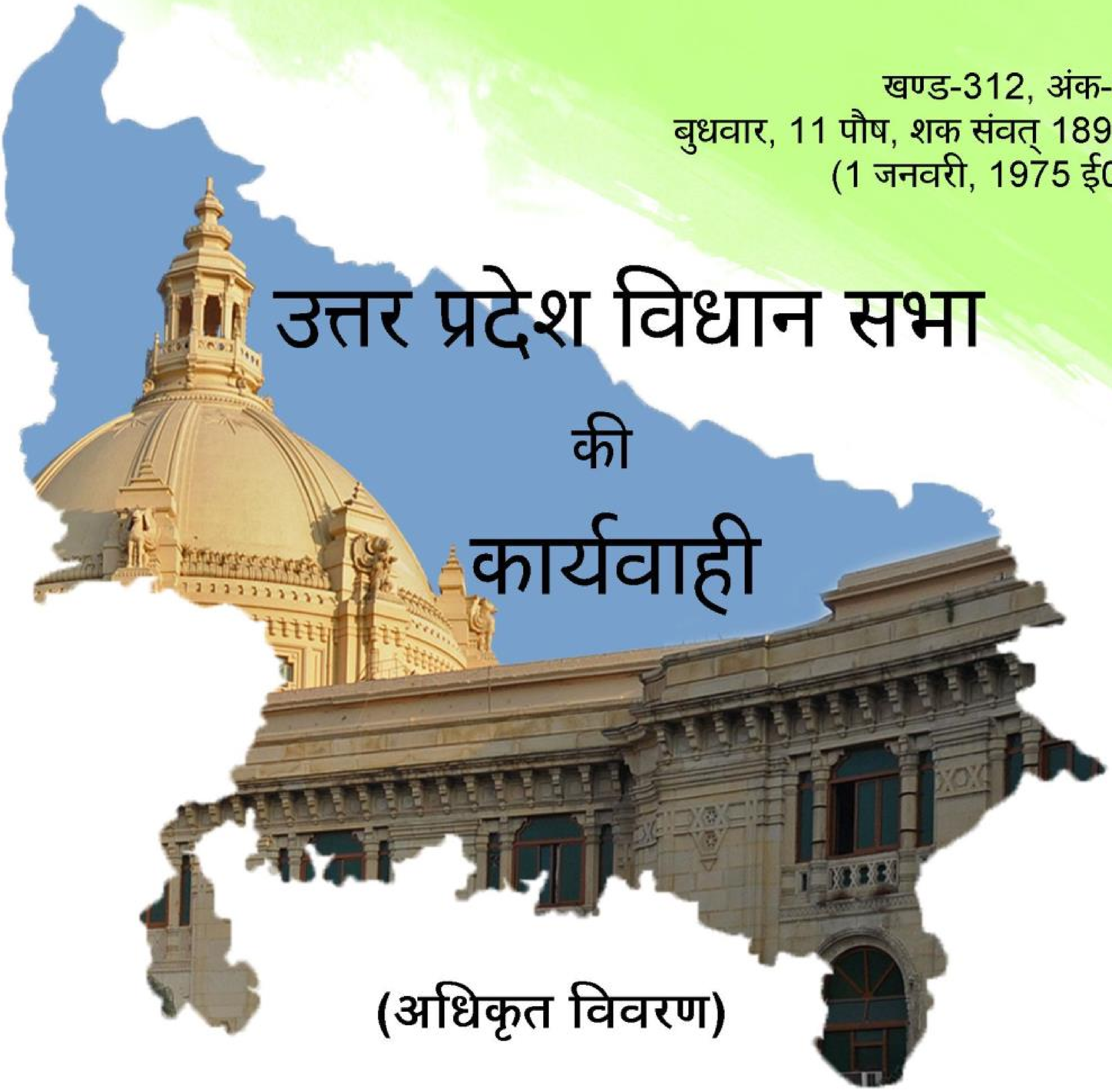

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 312 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1975

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा की दिनांक 1 जनवरी, 1975 की कार्यवाही का शुद्धि-पत्र

क्रम-सं0	पृष्ठ-सं0	विवरण
1	2	3
1	676	उपस्थिति सूची के दूसरे कालम की 14वीं पंक्ति में सदस्य का नाम "ज्ञानन्द्र स्वरूप, श्री" के स्थान पर "ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री" पढ़ा जाय।
2	700	दूसरे पैरा की तीसरी पंक्ति में शब्द "वह 10 रुपया" के स्थान पर "वह रुपया" पढ़ा जाय।
3	713	तारांकित प्रश्न 9 के शीर्षक में शब्द "बहराइज जिले" के स्थान पर "बहराइच जिले" पढ़ा जाय।
4	715	अतारांकित प्रश्न संख्या 1 के शीर्षक में शब्द "वेतनमानों तें" के स्थान पर "वेतनमानों में" पढ़ा जाय।
5	717	अतारांकित प्रश्न संख्या 11 में सदस्य का नाम "श्री प्यारे लाज वर्मा" के स्थान पर "श्री प्यारे लाल वर्मा" पढ़ा जाय।
6	723	नीचे से पांचवीं पंक्ति में शब्द "अहेलवना" के स्थान पर "अवहेलना" पढ़ा जाय।
7	767	पृष्ठ शीर्षक की प्रथम पंक्ति में शब्द "उत्तर देश म-विकास-कर" के स्थान पर "उत्तर प्रदेश भूमि विकास-कर" पढ़ा जाय। इसी शीर्षक की दूसरी पंक्ति में शब्द "अनुन का कल्प" के स्थान पर "अननुमोदन का संकल्प" पढ़ा जाय।
8	792	पृष्ठ के प्रारम्भ में दाहिनी ओर कोष्ठक में "श्री शध्यक्ष" के स्थान पर "श्री अध्यक्ष" पढ़ा जाय।
9	806	छठी पंक्ति में अंक "3 1/0" के स्थान पर "3 1/8" पढ़ा जाय।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तरांचल पत्रिका

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, 1 जनवरी, 1975

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, अध्यक्ष श्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—393

अंगने लाल, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार जमील, श्री उर्फ जिमी मियां (एडवोकेट)
अनवार मोहम्मद, श्री
अनिरुद्ध राय, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल रहमान खां नशतर, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
अवधेश कुमार, श्री
आगा जैदी, श्री
आनन्द स्वरूप, श्री
आबिद अली, श्री
आशा राम यादव, श्री
इन्द्र लाल, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उमानाथ, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री (जिला जौनपुर)
ओम प्रकाश सिंह, श्री (जिला मिर्जापुर)
ओम प्रकाश, श्री (जिला मुरादाबाद)
ओम प्रकाश, श्री (जिला शाहजहांपुर)
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काली चरण यादव, श्री
काशी नाथ मेहरोत्रा, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशी प्रसाद, श्री
किशन लाल, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्ण राय, श्री
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाशपति, श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
क्रान्ति कुमार, श्री
खूब चन्द, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती

गंगा प्रसाद, श्री
गंगा स्वरूप, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद आर्य, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गया सिंह, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गिरिजा शंकर पाठक, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेंहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वर पुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री (जिला अल्मोड़ा)
गोविन्द सिंह नेगी, श्री (जिला टिहरी-गढ़वाल)
गौरी शंकर, श्री (एडवोकेट)
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्दन सिंह, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, चौधरी
चरण सिंह, डाक्टर
चितरंजन स्वरूप, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर, श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर, श्री (मेहनगर, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर वर्मा, श्री (जिला बाराबंकी)
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश मिश्र, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश नरायन त्रिपाठी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जटाधर बाजपेयी, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जफर आजमी, श्री
जमुना प्रसाद बोस, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डा0
जुगल किशोर यादव, श्री
ज्ञानद्र स्वरूप, श्री
झाम लाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तीरथ राम कौहली, श्री
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दलसिंह यादव, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीपनारायन बन महन्थ, श्री
दीपनारायण पाण्डेय, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धरम राम, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
धर्मपाल सिंह, डाक्टर (जिला फर्रुखाबाद)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

धर्मवीर, श्री
धमवीर सिह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिह, श्री
धीरेन्द्र सहाय, श्री
ध्रुव नारायण सिह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नजु राम, श्री
नत्थू सिह यादव, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हे लाल, श्री
नरेन्द्र सिह भन्डारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिह, श्री
नारायण हरी शर्मा, श्री
निर्भय नरायन सिह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसार अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री (जिला देवरिया)
पुरुषोत्तम दास, चौ० (जिला मिर्जापुर)
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल वर्मा, श्री (जिला एटा)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिह, बाबू
प्रभु नारायण, श्री
प्रभु दयाल, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम दत्त, श्री
प्रेम सुन्दर नरायण सिह, श्री
फरजन्द अली बेग, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिह आर्य, श्री
बलवीर सिह यादव, श्री
बलवान सिह, श्री
बल्देव, श्री
बांके लाल, श्री
बादाम सिह, श्री
बाबू लाल तिवारी, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू सिह यादव, श्री
बालकृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिह यादव, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ यादव, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिह, श्री
भारत सिह चौहान, श्री
भीखा लाल, श्री
भीषम, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भूप सिह केन, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मनीराम, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मलखान सिह, डाक्टर (जिला जालौन)
मलखान सिह सैनी, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)

मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री
महेश सिंह, श्री
माता प्रसाद,श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मानबहादुर सिंह, श्री
मुन्शी लाल, श्री
मुन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मुलतान सिंह यादव, चौधरी
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद मसूद, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मुहम्मद हयात, श्री
मूलचन्द राजपूत, श्री
मेघ नाथ सिंह शिशौदिया, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, श्री
मोहम्मद असलम, श्री
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद रफी खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री
रघुबीर , श्री
रघुबीर सिंह, श्री
राघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणजीत सिंह, "जूदेव", श्री
रणधीर सिंह, श्री
रफीउल्ला, श्री
रमा पन्त, कुमारी
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राघवेन्द्र सिंह, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राज बहादुर, श्री
राज बहादुर चन्द, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गर्ग, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधा चरण सिंह ठाकुर, श्री
राम अधार, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
राम गरीब, कैप्टेन
राम जनम राय, श्री
रामजी, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी लाल सेन, श्री
राम दयाल सिंह, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नाथ, बाबा
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
राम पति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम पाल सिंह, श्री
राम पाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री

राम प्यारे तिवारी, श्री
राम प्रकाश यादव, श्री
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री
राम बचन, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति बिन्द एडवोकेट, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पाण्डेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय श्री,
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मी नारायण पांडेय, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव,श्री
लटूरी सिंह, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजय कुमार, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद तिवारी, श्री
विश्राम, श्री
वीर बहादुर, श्री
वीर सिंह सेंगर, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती,
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शान्ति देवी यादव, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिव कुमारी दुबे, श्रीमती
शिव कैलाश, श्री
शिवचरन लाल, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद गुप्त, श्री (जिला आगरा)
शिव प्रसाद, श्री (जिला आजमगढ़)
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति राम, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्री नारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीश चन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल मलिक, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री
सन्त सिंह यूसुफ, श्री
सन्तोष कुमारी पाठक, श्रीमती
सरस्वती टम्टा, श्रीमती

अवर सदन

सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुखदराज सिंह, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल कुरील, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सुल्तान सिंह यादव, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सैय्यद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल, श्री (जिला बदायूं)
सोहन लाल लाठ, श्री (जिला रामपुर)
सोहन लाल धुसिया, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिराम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम सिंह, श्री
हुब राज, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा

नोट—लघु उद्योग मन्त्री, श्री इस्तफा हुसैन भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, 1 जनवरी, 1975

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

देवरिया जिले की पडरौना तथा कठकुइयां चीनी मिलों द्वारा बिहार राज्य से गन्ने की खरीद पर परचेज टैक्स

**1—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद में कानपुर शुगर वर्क्स, पडरौना तथा कठकुइंयां चीनी मिलें समीपवर्ती बिहार क्षेत्र का गन्ना अत्यधिक मात्रा में खरीद करती है और लाखों रुपये परचेज टैक्स को बचा लेती है जिससे उस क्षेत्र के स्थानीय गन्ना किसानों को भारी क्षति उठानी पड़ती है ? यदि हां, तो सरकार ने उक्त चीनी मिलों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

जनपद देवरिया की पडरौना तथा कठकुइयां चीनी मिलें अपने सम्बन्धित सुरक्षित क्षेत्रों में उपलब्ध समस्त गन्ने को पेरने के साथ-साथ अपनी अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति समीपवर्ती बिहार राज्य के क्षेत्र में उपलब्ध गन्ने से करती है। उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार बिहार राज्य के क्षेत्र से क्रय किये जाने वाला गन्ना अन्तर राज्य व्यापार के अन्तर्गत आता है। अत: इस गन्ने पर क्रय-कर उ0 प्र0 सरकार को देय नहीं परन्तु इस उच्च न्यायालय के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय से निराकरण प्राप्त करने की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा की जा रही है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक---

मान्यवर, मैं सम्बन्धित उत्तर से प्रश्न करूं इससे पूर्व मैं समस्त प्रदेश की मंगल कामना करता हूं। एक माननीय सदस्य ने कहा कि छींक हो गई तो पीछे की छींक शुभ होती है। मन्त्री जी ने जो उत्तर दिया है कि देवरिया जनपद की पडरौना तथा कठकुइयां की चीनी मिलें अपने सम्बन्धित सुरक्षित क्षेत्र में उपलब्ध समस्त गन्ने को पेरने के बाद अपनी अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति समीपवर्ती बिहार राज्य से करती है तो मैं जानना चाहता हूं कि 1973-74 में कानपुर शुगर वर्क्स पडरौना तथा कठकुइयां चीनी मिलों ने कितना गन्ना पेरा ?

श्री नारायण द तिवारी---

श्रीमन्, जो सूचना है उसके अन्तर्गत कठकुइयां चीनी मिल ने 1 लाख 30 हजार क्विन्टल गन्ना पेरा तथा पडरौना चीनी मिल ने 3 लाख 35 हजार क्विन्टल गन्ना पेरा, बिहार की सूचना मेरे पास नहीं है। 1973-74 में कठकुइयां की चीनी मिल ने 1 लाख 51 हजार और पडरौना की चीनी मिल ने 3 लाख 70 हजार क्विन्टल गन्ना पेरा।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक---

श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि पडरौना की चीनी मिल ने और कठकुइयां की चीनी मिल ने कितना गन्ना पेरा ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

श्रीमन्, मैंने क्षमा याचना की कि बिहार की सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक---

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि पडरौना चीनी मिल ने कितना परचेज टैक्स दिया और कठकुइयां चीनी मिल ने कितना दिया ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

श्रीमन्, दोनों फैक्टरियों ने 70 लाख रुपया परचेज टैक्स का दिया और 11 लाख रुपया बकाया है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक---

मैं पूछ रहा हूं कि परचेज टैक्स कितना दिया है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

वही मैंने आपको बताया है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक---

कितना परचेज टैक्स दिया है ? फिर से कृपया देखकर बतायें।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

दोनों फैक्टरियों ने 70 लाख रुपया परचेज टैक्स दिया है। बिहार की सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक---

श्रीमन्, यह चीनी मिलें उत्तर प्रदेश क्षेत्र से जो गन्ना लेती हैं उसके अतिरिक्त कितने गन्ने की आवश्यकता है और बिहार से कितना गन्ना लेती हैं ? आउटर सेंटर पर कितना और मिल गेट पर कितना लेती है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, पडरौना मिल को 3 लाख 70 हजार तथा कठकुइयां को 1 लाख 11 हजार क्विन्टल गन्ना मिला । 1973-74 में पडरौना को 3 लाख 35 हजार और कठकुइयां मिल को 1 लाख 30 हजार क्विन्टल गन्ना मिला ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

माननीय मन्त्री जी ने जैसा कि अपने मूल उत्तर में बताया है कि अन्तर्राज्यीय व्यापार के अन्तर्गत प्रदेशीय सरकार प्रतिनिधि है। निराकरण के लिये तो शासन इसके लिए कब से सन्नद्ध हुई है। मेरा साफ प्रश्न है कि अन्तर्राज्यीय व्यापार के अन्तर्गत बिहार और उत्तर प्रदेश के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट इसके निराकरण के लिए प्रयत्नशील है। इसके निराकरण के लिए यह सरकार, इस विषय में कब से सन्नद्ध है, प्रयत्नशील है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, उच्च न्यायालय ने जब इसको नामंजूर किया तब उच्च न्यायालय में तत्काल अनुमति दाखिल की गई, परन्तु उच्च न्यायालय ने अनुमति रद्द कर दिया। हाई कोर्ट ने दो बार यह अनुमति नामंजर किया, तब सुप्रीम कोर्ट से इस विषय पर अनुमति मांगी गई ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

मान्यवर, इसमें एक बात और है कि यह जो आउट सेंटर पर जो फैक्टरीज हैं, गन्ना खरीदती हैं, तो वह जो भाड़ा है, किसान जो ले आता है, तो उसका कितना पैसा भाड़ा के रूप में कटौती करते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो तफशील का सवाल हुआ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

मान्यवर यह परचेज टैक्स के सम्बन्ध में है ।

श्री अध्यक्ष—

यह आप लिखकर सूचना मांग लें ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

मान्यवर, वहां की जो केन यूनियन है, उसको कितना कमीशन फैक्टरी ने दिया है, पिछला ही बता दें कि कितना कमीशन पडरौना के लिये दिया है ?

श्री अध्यक्ष—

सवाल आपका ठीक है, लेकिन उत्तर इससे नहीं निकलता है। आप लिखकर सूचना मंगा लें।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

मान्यवर, जहां तक मेरी जानकारी है वहां कि स्थिति यह है कि जो बड़े-बड़े काश्तकार हैं वह बिहार के नाम पर वहां गन्ना गिराता है, गन्ना गिरा कर खेत उनका खाली हो जाता है और उसमें रबी की फसल बो देते हैं और परचेज टैक्स की लखों रुपये की चोरी की जाती है। वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में गन्ना पेरा ाता है, जिसका कोई रिकार्ड नहीं है। मान्यवर, और वह उससे अतिरिक्त चीनी पैदा करते हैं और उसमें जो इक्साइज आफिसर हैं

वह और जो बड़े-बड़े अधिकारी हैं बी0 आई0 पी0 ग्रुप के, उनकी मिली भगत से यह कार्य हो रहे हैं। जहां तक मेरी जानकारी है उसके अनुसार उच्च अधिकारी द्वारा माननीय मन्त्री जी जांच करवाने की कृपा करेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

अवश्य करवाऊंगा। माननीय सदस्य इसको जरा सा लिखकर दे दें तो बहुत ही उत्तम होगा।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)---

मान्यवर, इस प्रश्न के तहत यह मालूम होता है कि बहुत बड़ी रकम का गड़बड़ घोटाला है,और जो ऐक्ट है, प्राविधान है कि जो मिलों पर गन्ना आयेगा, उत्तर प्रदेश की मिलों पर, उस पर टैक्स लेंगे। क्या अन्तर्राज्यीय व्यापार के अन्तर्गत ऐसा कोई प्राविधान आपके ऐक्ट में है, जिसका हवाला आप देने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

वह निर्णय हाई कोर्ट के विचाराधीन है।

श्री त्रिवेणी सहाय---

मान्यवर, अन्तर्राज्यीय व्यापार में ऐसा कोई प्राविधान आपके ऐक्ट में है ? उसका हवाला आप देंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

यह आपका सुझाव है। इस पर विचार होना चाहिए, यह मुझे मंजूर है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

माननीय त्रिवेणी सहाय का सवाल बिलकुल किलियर है, उसको तिवारी जी भ्रम में डाल रहे हैं। मैं यह साफ जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश और बिहार कोई हिन्दुस्तान पाकिस्तान नहीं है। दोनों एक ही देश के राज्य हैं। तो मैं माननीय मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार ने कौनसा कदम उठाया है जिससे परचेज टैक्स की चोरी मिल मालिक न कर सकें। चाहे वे उत्तर प्रदेश के हों या बिहार के हों, आपकी सरकार ने कोई तरीका निकाला है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

श्रीमन्, यह दो प्रश्न अलग हैं। एक प्रश्न इन दो मिलों का है, जिनका मसला हाई कोर्ट में निर्णीत होकर अब अपील सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इन दो फैक्टरियों का मामला कोर्ट के विचाराधीन है। जहां तक समान्य नीति का प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के चारों ओर के राज्य चाहे वह पंजाब हो, हरियाणा हो, या बिहार हो, अगर वहां से गन्ना आता है या खांड-सारी आती है तो उस पर परचेज टैक्स लागू हो इस सम्बन्ध में क्या कानून बनाया जाये। इस पर हम विचार करगे। यह केन्द्रीय ऐक्ट नहीं है जो सारे देश में लागू हो।

चिकित्सा विभाग के फार्मिस्टों की पदोन्नति का कथित आदेश

**2---श्री फिरंगी प्रसाद विशारद---

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि चिकित्सा विभाग में कार्यरत फार्मिस्टों को 1 अप्रैल, 1965 से प्रवरण श्रेणी (सेलेक्शन ग्रेड) देने के राजकीय

[फिरंगी प्रसाद विशारद]

आदेश जारी किये जा चुके हैं ? यदि हां, तो अब तक उक्त आदेश को कार्यान्वित न होने का क्या कारण है ? इसके लिये कौन अधिकारी दोषी हैं ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री लक्ष्मी शंकर यादव)—

जी नहीं। 1 अप्रैल, 1965 से ऐसे कोई आदेश जारी नहीं किये गये ? प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि चिकित्सा विभाग में कार्यरत फार्मिस्टों को 1 अप्रैल, 1965 से सेलेक्शन ग्रेड देने के राजकीय आदेश जारी किये जा चुके हैं, तो क्या यह 1971 में लागू हुए हैं ? उनको 1965 से आपको मानने में क्या कठिनाई है।

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

यह सही है कि आदेश 22 जुलाई, 1971 को जारी हुए और आदेश में भी ऐसा है कि यह उसी तिथि 22 जुलाई, 1971 से लागू होंगे।

श्री काशीनाथ मिश्र—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि यह मामला सरकार के विचाराधीन बहुत पहले से है। पहले यह तय किया जाये कि जो लोग फार्मेसिस्ट की डिग्री नहीं रखते हैं और उनका सेलेक्शन हायर ग्रेड के लिए कर लिया गया है तो क्या उनको हटाकर उन लोगों का सेलेक्शन किया जायेगा जिनके पास फार्मेसिस्ट की डिग्री है।

(मन्त्री जी के उत्तर न देने पर)

श्री काशीनाथ मिश्र—

मान्यवर, जवाब दिलवाइये। बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग हैं जिनके पास डिग्री नहीं है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

यह गोपनीय है।

श्री अध्यक्ष—

वह कहते हैं कि 1 अप्रैल, 1965 से क्या आदेश जारी हो चुके हैं। अब वह कहते हैं कि जी नहीं, 1971 से किया गया है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मान्यवर, यह सप्लीमेन्टरी सवाल है। बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसका जवाब दिलवाइये।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]।

*1—श्री सत्य प्रकाश, श्री वेद प्रकाश अग्रवाल तथा डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल—

(गोपनीयता के आधार पर निरस्त)।

बेसिक शिक्षा परिषद् के लिपिक वर्ग एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों के वेतनमानों में अन्तर

*2—श्री वेद प्रकाश अग्रवाल (जिला फैजाबाद)—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद् में कार्यरत लिपिक वर्ग एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों के वेतनमानों में अन्तर है ? यदि हां, तो क्या तथा क्यों ?

माध्यमिक शिक्षा मन्त्री (श्री रामजी लाल सहायक)—

बेसिक शिक्षा परिषद् के लिपिक वर्ग एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों के वेतन-मानों में जो अन्तर है वह संलग्न तालिका में अंकित है। इन वेतन-मानों को वेतन-आयोग की संस्तुतियों के आधार पर लागू किया गया है।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ 819 पर)

फैजाबाद जिला परिषद् द्वारा खोले गये स्कूल एवं अध्यापकों की नियुक्ति

*3—श्री वेद प्रकाश अग्रवाल—

क्या मन्त्री जी यह भी कृपया बतायेंगे कि फैजाबाद जिला परिषद् ने 1972-73 व 1973-74 में कितने स्कूल खोले, कितने अध्यापक नियुक्त किये गये ? क्या उसी अनुपात से लिपिकों की भी नियुक्ति की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामजी लाल सहायक—

वर्ष 1972-73 में 7 तथा 1973-74 में 2 स्कूल खोले गये तथा क्रमशः 219 तथा 218 अध्यापकों की नियुक्तियां की गईं।

लिपिकों की नियुक्तियां उस अनुपात से नहीं की गई हैं। यदि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अतिरिक्त पदों की मांग की जायेगी तो उस पर बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा विचार किया जायेगा।

श्री वेद प्रकाश अग्रवाल—

क्या माननीय मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि नगरपालिकाओं में कार्यरत लिपिक वर्ग का वेतन सरकारी लिपिक वर्ग तथा नगर-पालिकाओं के समान योग्यता वाले शिक्षणेतर कर्मचारियों के समान करा दें तो क्या सरकार उनके वेतन वृद्धि पर विचार कर रही है ?

श्री रामजी लाल सहायक—

संसाधनों का प्रश्न है। आज्ञा देंगे तो विचार हो सकता है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

क्या सिद्धान्तत : स्वीकार कर लिया गया है कि इन दोनों के वेतन-क्रमों में जो अन्तर हैं, वह नहीं होना चाहिए ?

श्री रामजी लाल सहायक—

अन्तर तो होना चाहिए। दोनों के काम अलग-अलग हैं, योग्यतायें अलग-अलग हैं, और कार्य भार अलग-अलग हैं।

श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या माननीय मन्त्री जी इस बात की जानकारी देंगे कि 1972-73 व 1973-74 में फैजाबाद जिले में कितने स्कूल खोले जाने के आदेश प्रसारित किये हैं ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न तो 3 से सम्बन्धित है।

श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ऐसी कौन-कौनसी नगर-पालिकायें हैं, जहां पर नये वेतन मान लागू नहीं किये गये हैं ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो तफसील का प्रश्न हुआ। प्रश्न सीमित था, उसका उत्तर पूरा दे दिया गया।

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

मेरा तो इतना ही प्रश्न है कि जो स्थानीय निकाय हैं, नगरपालिकायें हैं, उनमें से कहां-कहां पर नये वेतन मान लागू नहीं किये गये हैं ?

श्री अध्यक्ष—

इससे सम्बन्धित विषय पर सवाल पूछें, यह प्रश्न तो आपका सारे सूबे से सम्बन्धित है।

श्री आशाराम यादव (जिला मिर्जापुर)—

क्या माननीय शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थानीय निकायों में जो चपरासी कार्यरत हैं उनके वेतन में अन्य चपरासियों से जो अन्तर है, उसको समाप्त करने के लिये आप विचार करेंगे ?

श्री रामजी लाल सहायक—

यदि माननीय सदस्य लिख कर दे देंगे तो विचार करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन यदि हमारे संसाधन इजाजत देंगे तो विचार करेंगे।

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या समाजवाद में समान कार्य के लिये विभिन्न वेतन दिये जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो अटकल है। प्रश्न करने में व्यंगोक्ति नहीं होनी चाहिए।

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)—

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि दोनों में वे सिद्धान्तन अन्तर होना स्वीकार करते हैं। कहते हैं कि अन्तर होना चाहिए। दूसरी ओर कहते हैं कि संसाधन होने पर विचार करेंगे। तो दोनों बातों में कौनसी बात सही है ?

श्री अध्यक्ष—

दोनों सही हैं।

श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)—

जितने प्रदेशीय सरकार के स्कूल्स हैं उनमें जो चपरासी काम करते हैं उनका वेतन कितना है और यदि वह इतना कम है कि उनका जीवन निर्वाह नहीं हो पाता है तो जीवन निर्वाह के मुताबिक मंहगाई भत्ता देने की कृपा करेंगे ? जो शिक्षा विभाग में पढ़ाते हैं उनसे जो निचले कर्मचारी हैं, उनमें वहां के चपरासी आते हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि चपरासियों का वेतन कितना है ?

श्री अध्यक्ष—

वह दिया हुआ है।

श्री बाबू लाल वर्मा—

इस समय चपरासियों को कितना वेतन दे रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

सूची में लिखा हुआ है।

श्री बाबू लाल वर्मा—

सूची में लिखा हुआ है लेकिन मुझे मालूम नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

अग्रवाल जी से ले लीजिये, उनके पास है। समय नष्ट न कीजिये।

प्राथमिक पाठशालाओं के अध्यापकों का नवीन वेतन-मान

*4—श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अगस्त, 1972 में वेतन आयोग द्वारा संस्तुत वेतनमानों के अधीन प्राथमिक पाठशालाओं के अध्यापकों को 21 से 33 रुपये प्रतिमाह की दर से हानि रहेगी ? यदि हां, तो सरकार अध्यापकों को उपरोक्त आर्थिक क्षति से बचाने के लिये क्या उपाय कर रही है ?

श्री रामजी लाल सहायक—

जी नहीं। वेतन आयोग (1971-73) की संस्तुतियों के आधार पर स्वीकृत नवीन वेतन-मानों में वेतन निर्धारण की जो प्रक्रिया है, उससे किसी अध्यापक को कोई हानि नहीं होगी।

गोरखपुर जिले के कतिपय राजकीय जूनियर विद्यालयों में नया वेतन-मान

*5—श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय जूनियर विद्यालय चोबे टोला, गहिरा, बेलघाट, पिपराइच और बृजमनगंज, जिला गोरखपुर में नया वेतन-मान लागू कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रामजी लाल सहायक—

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मधुकर दिघे—

क्या नये वेतन-मान इस प्रश्न को पूंछने के बाद लागू किये गये या उसके पहले ?

(उत्तर के लिये मन्त्री को पुकारा नहीं गया।)

श्री मधुकर दिघे—

क्या मेरी इस सूचना पर कि वाबजूद आदेश के यह वेतन-मान लागू नहीं किये जा रहे हैं और इस सम्बन्ध में जो शिकायतें आयी हैं क्या उन पर माननीय मन्त्री जी कार्यवाही करेंगे ?

श्री रामजी लाल सहायक—

यह वेतन-मान लागू कर दिये गये हैं और उसकी कोई शिकायत नहीं है। केवल एक मसला है कि कुछ विशेष वेतन-मानों के लिये जो छोटे ग्रेड की अध्यापिकायें हैं उन्होंने लिखा है कि उन्हें बढ़ा हुआ वेतन-मान मिलना चाहिये।

श्री मधुकर दिघे—

यह तो स्वीकार कर लिया है कि इसमें कुछ गड़बड़ी है। तो क्या इस बारे में स्पष्ट आदेश देंगे ?

श्री रामजी लाल सहायक—

यह विचाराधीन है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—

इन अध्यापकों को नये वेतन-मान न देने वाले अधिकारियों को क्या माननीय मन्त्री जी सजा देंगे ?

श्री रामजी लाल सहायक—

मैंने निवेदन किया कि नये वेतन-मान दिये जा रहे हैं।

श्री मधुकर दिघे—

एक तरफ कहते हैं कि विचार भी नहीं हुआ और दूसरी तरफ कहते हैं कि दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष—

दो बातें हैं न।

बहराइच जिले की प्राइमरी पाठशालाओं के अप्रशिक्षित अध्यापक

*6—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जिले की प्राइमरी पाठशालाओं में वर्ष 1969-70 में दीक्षित एवं अदीक्षित पुरुष एवं महिला अध्यापकों की संख्या क्या थी और उन अदीक्षित अध्यापकों में से अब तक कितने अध्यापक प्रशिक्षित किये गये और जो अभी शेष हैं उनको शासन द्वारा प्रशिक्षित कराने में क्या कठिनाई है ?

श्री रामजी लाल सहायक—

प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या क्रमशः 2752 तथा 1039 थी।
उनमें से अब तक 814 को प्रशिक्षित किया गया।
शेष 225 अप्रशिक्षित को प्रशिक्षित करने का प्रयास जारी है।

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो 225 अध्यापक इस समय अप्रशिक्षित हैं ये विद्यालयों में कब से पढ़ा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

225 एक दिन थोड़े ही नियुक्त हुये थे ? इसके बताने में तो दो दिन लगेंगे।

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

इसमें ऐसा है कि जो 225 अध्यापक अनट्रेन्ड हैं वे 4-6 साल और 8-8, 10-10 वर्षों से पढ़ा रहे हैं। तो मैं जानना यह चाहता हूं कि जो चार साल से ऊपर के अध्यापक पढ़ा रहे हैं क्या उनको सचल ट्रेनिंग दे कर प्रशिक्षित मान लेंगे ?

श्री रामजी लाल सहायक—

जी नहीं। यह कठिन है। 17 साल जो सर्विस कर चुके हैं उनके लिये विचारा जा रहा है कि उन्हें छूट दे दी जाय।

श्री ऊदल—

छूट का सवाल नहीं है। नियम पहले यह था कि 5-10 साल अनट्रेन्ड पढ़ाते रहे फिर तीन महीने की सचल ट्रेनिंग दे दी। तो जो इस तरह से पढ़ा रहे हैं उनको पुराने नियम के मुताबिक तीन महीने की सचल ट्रेनिंग करा कर ट्रेन्ड बना दिया जाय ?

श्री रामजी लाल सहायक—

यह कठिन है।

श्री बाबू लाल वर्मा—

बहराइच में सन् 1971 से अब तक कितने अध्यापक ऐसे हैं जो ट्रेनिंग लेने के बाद भी बेकार हैं ?

श्री अध्यक्ष—

यह विस्तार का सवाल है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

सचल ट्रेनिंग देने की जो पहले व्यवस्था थी उसको चालू करने में सरकार को क्या दिक्कत है ?

श्री रामजी लाल सहायक—

मान्यवर, हमारे यहां सेवारत ट्रेनिंग की भी सुविधा है, ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट्स भी काफी हैं, इसलिये और कोई व्यवस्था करने की बात नहीं आती है।

बहराइच जिले में घाघरा नदी के कटाव तथा ग्रामों को ऊंचा करने की योजना

*7—श्री बाबू लाल वर्मा—

क्या सरकार को पता है कि बहराइच जिले में घाघरा की बाढ़ से बचाने के लिये जो गांव पटाई करके वर्ष 1960 से 1970 के बीच ऊंचे किये गये थे और एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने के जो बांध बने थे वे बाढ़ में कट गये थे ? यदि हां, तो पुन : बांध ठीक कराने के लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की ?

सिंचाई मन्त्री (श्री मोहम्मद महमूद अली खां) —

बहराइच जनपद में घाघरा नदी की बाढ़ से बचाने के लिये लगभग 175 ग्रामों को ऊंचे करने का कार्य किया गया था तथा एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने के लिये रास्तों को ऊंचा किया गया था । यह कार्य ग्रामीण जनशक्ति अथवा टेस्ट वर्क कार्य-क्रम में कराया गया था। इस प्रकार के कार्यों का रख-रखाव सिंचाई विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा है सिंचाई विभाग द्वारा इन रास्तों को ठीक कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*8—श्री बाबू लाल वर्मा—

क्या सरकार को पता है कि बहराइच जिले में घाघरा नदी के कटाव से आदमपुर, खासेपुर, नियामतपुर, बहराइचपुर, गोड़हिया आदि ग्राम नदी में समा गये हैं और हजारों एकड़ कृषि भूमि जलमग्न हो गई है ? यदि हां, तो सरकार ने नदी के कटाव को रोकने और निराश्रित परिवारों को बसाने और कृषि भूमि उपलब्ध कराने की क्या व्यवस्था की ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

जी हां, इन ग्रामों के कुछ पुरवे तथा कुछ कृषि योग्य भूमि नदी के कटाव में आ गई है।

कृषि भूमि को घाघरा जैसी बड़ी नदियों के कटान से रोकने के लिये मजबूत स्पर पर व बांध बनाने आवश्यक हैं, जिन पर व्यय अधिक होगा। वर्तमान धनाभाव की स्थिति में इन कार्यों को करना सम्भव नहीं है।

बाढ़ के समय निराश्रित परिवारों को नजदीक ऊंचाई पर बसा दिया गया।

श्री बाबू लाल वर्मा—

मैं यह जानना चाहता हूं कि जब यह प्रश्न आपके विभाग का नहीं है तो आपने इसे सम्बन्धित विभाग को क्यों नहीं भेजा ताकि प्रश्न का सही उत्तर आ सकता ? मन्त्री जी ने उत्तर में बताया कि यह सिंचाई विभाग का काम नहीं है, तो किस विभाग का यह काम है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

यह काम हमारे विभाग को करने के लिये दे दिया गया था कि आप रास्तों को ऊंचा कर दीजिये, वैसे यह काम हमारे विभाग का है नहीं।

श्री बाबू लाल वर्मा—

शिवपुर में घाघरा तक कितने गांव कटे हैं ? कितनी भूमि जलमग्न हो गयीं ?

श्री अध्यक्ष—

यह तफसील का सवाल है ? मैं इजाजत नहीं देता हूं।

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, जहां तक बांधों की मरम्मत का सवाल है, पहले भी यह जवाब मिलता रहा है कि हमारे विभाग का यह काम नहीं है। जो बांध कट गये हैं या जिनकी वजह से हजारों गांवों को क्षति पहुंची है आखिर उनकी मरम्मत का काम कौन करेगा ? यह किस विभाग का काम है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

यह काम ग्राम समाज या वहां के डी0 एम0 वगैरह करा सकते हैं। हमारे डिपार्टमेंट की इसके लिये कोई जिम्मेदारी नहीं है।

श्री मधुकर दिघे—

यह कार्य सिंचाई विभाग को ट्रान्सफर हो गया है और सिंचाई मन्त्री जी कहते हैं कि केवल वे मरम्मत करा सकते हैं, उसकी रख-रखाव नहीं कर सकते, तो आखिर इसको कौन करवायेगा ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न विचार करने लायक है।

श्री शिवकुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)—

सिंचाई विभाग द्वारा जो निर्माण कार्य कराया गया है, गांवों को ऊंचा करने या बन्धे वगैरह लगाने का, इस बात को देखते हुए कि उनका बना रहना जरूरी है, उसके रख-रखाव के लिये मन्त्री जी कोई व्यवस्था सोच रहे हैं ?

श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, जब माननीय सदस्य बोलने लगते हैं तो माननीय सिंचाई मन्त्री सुनने से इन्कार करते हैं और नीचे सर करके दूसरी तरफ बात करने लगते हैं। वे जवाब तो दें।

श्री शिवकुमार पांडेय—

सिंचाई विभाग द्वारा यह कार्य कराया गया, यह सही है और यह भी सही है कि उस कार्य को बनाये रखना जरूरी है। लेकिन उनके रख-रखाव के लिये गांव समाज के पास किसी तरह का फंड नहीं है तो क्या सरकार इस पर विचार कर रही है कि लाखों रुपये खर्च करके जो इस प्रकार के निर्माण कार्य कराये गये हैं उनके बचाव या रख-रखाव के लिये कोई तरीका सोचा जाय ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

हमारे पास ऐसा कोई फन्ड नहीं है, इसलिये हम इसको नहीं करा सकते हैं।

(शोर होने पर)

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्यगण शान्त रहें। श्री दशरथ सिंह का सवाल मुझे सुनाई नहीं दिया। वे सवाल पुन: दोहरा दें।

श्री काशीनाथ मिश्र—

जवाब देने के सम्बन्ध में कोई विवाद हो तो उसे आपही तय करेंगे।

श्री अध्यक्ष—

यह ठीक है, लेकिन उसमें आप सब का सहयोग भी चाहिये।

श्री दशरथ सिंह (जिला गोंडा)—

हमारे सिंचाई मन्त्री ने उत्तर दिया था कि उस कार्य को डी0 एम0 वगैरह करा सकते हैं, यह एक अपूर्ण और अनिश्चित उत्तर रहा। इससे आवागमन बन्द हो सकता है, बाढ़ आने की सम्भावना है। तो सिंचाई मन्त्री जी निश्चित रूप से बतलावें कि इस काम को कौन करावेगा ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

इसके बारे में अर्ज यह करना है कि जो बाढ़ से कटाव होता है और जो बाढ़ के कार्य सिंचाई विभाग के होते हैं तो उन कामों को सिंचाई विभाग करता है। और जब कोई काम हमको दे दिया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी हमारे विभाग की नहीं होती है, इसकी जिम्मेदारी हमारा विभाग कैसे ले सकता है।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, जब कोई सवाल किया जाता है तो गवर्नमेन्ट से किया जाता है और गवर्नमेंट की सहूलियत के लिये डिपार्टमेंट के मिनिस्टर से पूंछा जाता है कि क्या शिक्षा मंत्री बतलायेंगे या सिंचाई मंत्री बतलायेंगे, लेकिन अंत में जिम्मेदारी गवर्नमेंट की ही होती है। यह जवाब दे देना कि हम नहीं जानते यह काम दूसरे डिपाटमेंट का था, उचित नहीं है। अध्यक्ष महोदय, बेहतर होगा कि गवर्नमेंट ही इसका जवाब दे। लेकिन यह कहना कि दूसरा डिपार्टमेंट जाने, जवाब ठीक नहीं है। चीफ मिनिस्टर साहब बहुगुणा जी सुन रहे हैं और कोई जवाब नहीं दे रहा है। 5 मिनट खराब हो चुके हैं।

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

अध्यक्ष जी यह बात सच है। पर जो इसका रिजल्ट निकला वह यह है कि वाकई मेरा दिभाग इतना कम्यूटराइज्ड नहीं है कि हर वक्त हर सवाल का जवाब दे सकूं। यह जरूर है कि मंत्री महोदय को यह नहीं कहना चाहिये था कि यह काम दूसरे डिपार्टमेंट का है, कहना यह चाहिये था कि इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी और बाद में जवाब दे देंगे।

चौधरी चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है। यह जवाब उन्होंने इतनी देर बाद दिया, पहले क्यों नहीं दे दिया।

श्री अध्यक्ष—

नेता विरोधी दल ने उचित कहा है, अब आगे चलते हैं।

श्री बाबू लाल वर्मा—

मान्यवर, मेरा एक बहुत ही आवश्यक प्रश्न है। क्या सरकार जो आगामी वित्त वर्ष आ रहा है उसमें इस काम को प्राथमिकता देगी। जो कट गयें हैं, वहां पटाई करायेगी और जिनकी जमीन और घर बह गये हैं, जो निराश्रित हैं उनके बसाने के लिये जमीन देने की व्यवस्था करेगी, इन कामों में प्राथमिकता देगी।

श्री मोहम्मद अली खां—

मान्यवर, 79 परिवारों को जिलाधीश ने बसा दिया है। इनको ऐसी जगह पर बसाया गया है कि फिर वहां कटाव न हो सके। जो बाकी बच गये हैं उनके लिये जिलाधीश विचार कर रहे हैं।

श्री बाबूलाल वर्मा—

मान्यवर, यह तो बसा दिये गये हैं पर जो बाकी बचे हैं उनके लिये क्या व्यवस्था की गयी है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

मैंने अर्ज तो किया कि उनको बसाने के लिये जिलाधीश व्यवस्था कर रहे हैं।

श्री बाबू लाल वर्मा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आश्वासन चाहता हूं।

(उत्तर नहीं दिया गया।)

बुलन्दशहर की बादशाहपुर गढ़िया प्राइमरी पाठशाला का भवन निर्माण

*9—श्री के0 एस0 मोहरिया (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के ग्राम बादशाहपुर गढ़िया, पोस्ट खाद मोहन नगर में प्राइमरी पाठशाला की इमारत के निर्माण संबंधी ग्राम प्रधान एवं बलजीत सिंह आदि के द्वारा की गई शिकायत एवं आरोप की जांच असिस्टेन्ट इन्जीनियर ने दिनांक 11-6-74, 24-6-74 व 28-6-74 को की थी ? यदि हां, तो दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामजी लाल सहायक—

जी हां। केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की के स्कूल बिल्डिग प्रोजेक्ट, बुलन्दशहर के असिस्टेन्ट साइंटिस्ट ने 21 जून, 1974 को जांच की थी।

जी हां। दोषी पाये गये व्यक्तियों को दण्डित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जौनपुर जिले में कसिया जूनियर हाई स्कूल के अध्यापक स्वर्गीय श्री राम सूरत मिश्र के बीमा एवं ग्रेच्युटी का भुगतान

श्री भाभी (जिला आजमगढ़)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले में जू0 हाई स्कूल, कसिया में राम सूरत मिश्र, संस्कृत अध्यापक के पद पर 15 वर्ष से कार्य कर रहे थे ? मई 1973 में उनका स्वर्गवास हो गया ? यदि हां, तो क्या उनकी विभागीय सामूहिक जीवन बीमा

[श्री भाभी, जिला आजमगढ़]

की धनराशि एवं ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि नहीं, तो उनके परिवार के लोगों को कब भुगतान कर दिया जायगा?

श्री राम जी लाल सहायक—

जी हां ।

जी हां ।

सामूहिक जीवन बीमा की धनराशि का भुगतान अभी नहीं किया गया है । ग्रेच्युइटी उन्हें देय नहीं है ।

पत्रादि मांगे गये हैं, प्राप्त होने पर शीघ्र भुगतान कर दिया जायगा ।

श्री भाभी—

अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है ? मैंने जो सवाल दिया था इसका उत्तर मुझको प्राप्त नहीं हुआ है । इसकी वजह क्या है, क्या मेरा पता नहीं जानते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

आपको उत्तर दिलवाया जायगा,शिक्षा मंत्री . . . . . .

(शिक्षा मंत्री के खड़े होने पर)

अभी जो आपने आपत्ति उठायी है, आपके कमरे में कोई ललिता देवी के हस्ताक्षर इस पर हैं । आपके प्रश्न का जवाब मिल चुका है ।

(हंसी)

श्री भाभी—

मान्यवर, क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह भुगतान कब तक हो जायेगा ?

श्री रामजी लाल सहायक—

ज्योंही कार्यवाही पूरी हो जायेगी भुगतान हो जायेगा ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है परन्तु वर्षों तक उनके एकाउन्ट सेटिल नहीं होते हैं । तो मंत्री जी बतायेंगे कि क्या कोई ऐसा नियम है कि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाने के बाद कितने दिनों के बाद भुगतान किया जाना चाहिये ?

श्री रामजी लाल सहायक—

मान्यवर, इसमें प्राप्त करने वाले को अपनी कार्यवाही पूरी करनी पड़ती है, शिनाख्त देनी पड़ती है कि यह ही उसका उत्तराधिकारी है तब पेमेन्ट होता है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, कितने दिनों के अन्दर भुगतान हो जाना चाहिये इसका नियम बता दें ।

श्री रामजी लाल सहायक—

मान्यवर, सूचना चाहिये ।

श्री मधुकर दिघे---

इसके लिये क्या सूचना चाहिये ?

श्री अध्यक्ष---

नियम के बारे में यह है उसकी स्थिति आप बता दें।

श्री मधुकर दिघे---

मान्यवर, इसी सदन में श्री बहुगुणा जी ने पिछली दफा, दूसरे विभाग का प्राविडेन्ट फंड का मामला आया था और निश्चित आश्वासन दिया था कि 6 महीने के अन्दर प्राविडेन्ट फंड और ग्रेच्युटी की धनराशि का भुगतान कर देने का नियम है। परन्तु मंत्री जी को जानकारी नहीं है। श्री नेगी जी ने प्रश्न किया और इसी प्रकार के प्रश्न हम लोगों की तरफ से होते हैं और उसका जवाब आता है कि कागज तैयार हो रहे हैं और 2-3 साल तक कागज तैयार नहीं होते हैं यह मंत्री जी कह देते हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कोई नियम इस संबंध में बनायेगी यदि नियम नहीं है तो। एक की मृत्यु के बाद उसके बच्चों की परिवरिश के लिये प्राविडेन्ट फंड और ग्रेच्युटी का पैसा 6 महीने के अन्दर मिल जाने की क्या सरकार कोई व्यवस्था करेगी ?

श्री रामजी लाल सहायक---

मान्यवर, इसमें दो पक्ष आते हैं---एक मांगने वाला और दूसरा सरकार पक्ष। तो सरकारी पक्ष को देखना होता है कि जिसे पेमेन्ट करना है उसका उत्तराधिकारी ठीक है कि नही उसकी शिनाख्त करनी होती है। वह खुद न मांगे तो हम क्या करें। इसमें यही हुआ है कि किसी ने पैसा मांगा ही नहीं है। विभाग की तरफ से उसके पत्रादि मांगे गये हैं।

श्री मधुकर दिघे---

मान्यवर, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष---

जवाब दे दिया है।

श्री मधुकर दिघे---

मान्यवर, निश्चित आश्वासन दें कि इतनी अवधि में भुगतान कर दिया जायेगा इस प्रकार का आश्वासन दें।

श्री अध्यक्ष---

जो आप प्रकार बताते हैं वह नहीं है जिसका उत्तर दिया जा सकता हो। जवाब दिया कि दो पक्ष होते हैं एक शासन का और दूसरा जो पक्ष है वह जब तक कार्यवाही पूरा नहीं करेगा तब तक पैसा कैसे दे दिया जाय।

श्री दिनेश चन्द्र रस्तोगी (जिला मुरादाबाद)---

मान्यवर, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिसका रुपया है तो उसकी तरफ से क्या कागजी कार्यवाही पूरी नहीं हुयी है ? दूसरा प्रश्न यह है कि प्रार्थना पत्र मिलने के 6 महीने के अन्दर यदि पेमेन्ट न हो तो जिस प्रकार सरकारी ड्यूज जो होते हैं उनका पेमेन्ट न करने पर इन्टेरेस्ट सरकार ले लेती है। उसी प्रकार यदि सरकार 6 महीने में पेमेन्ट नहीं करती है तो एक निश्चित दर से क्या इन्टेरेस्ट देगी ?

श्री रामजी लाल सहायक—

मान्यवर, मैंने पहले निवेदन किया कि दोनों पक्ष आते हैं। यह सूचना आने पर, पत्र आदि आने पर यदि किसी अधिकारी की ढिलाई है तो उसको दंड दिया जा सकता है।

श्री दिनेश चन्द्र रस्तोगी—

मान्यवर, उत्तर नहीं मिला कि कागज मिल जाने के बाद 6 महीने के बाद इन्टेरेस्ट मिलना चाहिये कि नहीं।

श्री जंग बहादुर वर्मा—

उनके परिवार वालों ने कब प्रार्थना पत्र दिया था और उसमें क्या कमी रह गयी है कि रुपया नहीं दिया गया ?

श्री अध्यक्ष—

क्या कमी है बतला दिया जाय।

श्री दिनेश चन्द्र रस्तोगी—

क्या सरकार देर होने पर व्याज देगी ?

श्री अध्यक्ष—

देर तो हो जाती है लेकिन व्याज देने की बात ठीक नहीं है।

श्री जंग बहादुर वर्मा—

उनके परिवार वालों ने रुपया प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र कब दिया और कौन सी कमी रह गई कि रुपया नहीं प्राप्त हुआ ?

श्री रामजी लाल सहायक—

तारीख तो मेरे पास नहीं है। अभी तक यह है कि पत्र मांगे गये हैं, उत्तर आने पर रुपया मिल जायगा।

श्री जंग बहादुर वर्मा—

यह उत्तर पूरा नहीं हुआ है। कर्मचारीगण इस तरह से झूठा बहाना लगाकर देर करते हैं तो क्या कमी है कि रुपया अब तक नहीं मिला है ?

श्री अध्यक्ष—

मई 1973 से उसके परिवार को कुछ नहीं मिला, ग्रैच्युटी भी नहीं मिली, तो प्रश्न यह है कि कैसे दिया जाय। श्री जंगबहादुर वर्मा का प्रश्न यह है कि उनके आवेदन पत्र में प्रक्रिया सम्बन्धी क्या दोष रह गया है।

श्री रामजी लाल सहायक—

अभी तो पत्र आदि की मांग की गई है, किसी गलती का सवाल नहीं आता है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुये कि ग्रेच्युटी आदि मिलने में 5, 10 वर्ष लग जाते हैं, तो क्या एक वर्ष के अन्दर यह मिल जावेगा ?

श्री रामजी लाल सहायक—

इसकी व्यवस्था तो है।

उन्नाव जिले में सिंचाई विभाग के कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान

*11—श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिले में सिंचाई विभाग में संशोधित वेतन की दरें लागू होने के परिणाम स्वरूप वाजिब बकाया वेतन का भुगतान अमीन, पतरौल, हरकारा, बेलदार, मेट आदि कर्मचारियों को कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

संशोधित वेतन की दरें लागू होने के फलस्वरूप केवल 6 पतरौल तथा एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को छोड़कर अन्य सबको वाजिब वेतन का भुगतान कर दिया गया है। उक्त 6 पतरौलों को संशोधित वेतन की दर से अभी तक भुगतान न किये जाने का कारण यह है उनकी सेवा पुस्तिकायें उनके पूर्व खंड (लखनऊ खंड से) जहां वे पहले कार्यरत थे, प्राप्त नहीं हो सकी थीं जो अब (दिनांक 13-12-74) प्राप्त कर ली गयी है। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी का वेतन नये वेतनमान में निर्धारित कर दिया गया है तथा वाजिब बकाया भुगतान हेतु कार्यवाही की जा रही है।

श्री भीखा लाल—

मंत्रीजी ने बतलाया कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन नये वेतनमान में निर्धारित कर दिये गये हैं और बकाया के भुगतान की कार्यवाही हो रही है, तो यह कब तक भुगतान कर दिया जायगा ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

जल्द से जल्द कर दिया जायगा।

*12—कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

(3रे मंगलवार के प्रश्न अंख्या 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।)

फर्रुखाबाद जिले में बेसिक अध्यापकों के बी० ए० तथा एम० ए० के अग्रसारित फार्म

*13—श्री बिमल प्रसाद तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद के बेसिक शिक्षा अध्यापकों के बी0 ए0 व एम0 ए0 परीक्षाओं के 1974 के फार्म किस-किस शिक्षा अधिकारी ने अग्रसारित किये ? क्या यह सही है है कि किसी एस0 डी0 आई0 ने अपने क्षेत्र के अतिरिक्त दूसरे क्षेत्रों के अध्यापकों के फार्म अवैध शुल्क लेकर अग्रसारित किये ?

श्री रामजी लाल सहायक—

बी0 ए0 तथा एम0 ए0 परीक्षाओं के 1974 के फार्म प्रति उप विद्यालय निरीक्षिकों/निरीक्षिकाओं तथा उप विद्यालय निरीक्षकों/निरीक्षिकाओं द्वारा अग्रसारित किये गये थे।

जी हां, एक एस0 डी0 आई0 के विरूद्ध ऐसी शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

श्री बिमल प्रसाद तिवारी—

इस एक एस0 डी0 आई0 ने कितने फार्म अग्रसारित किये थे और कब शिकायत प्राप्त हुई ?

श्री अध्यक्ष—

सुनाई नहीं पड़ा ।

श्री बिमल प्रसाद तिवारी—

क्या मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस एस0 डी0 आई0 ने दूसरे क्षेत्र के कितने फार्म्स अग्रसारित किये और कब शिकायत प्राप्त हुई ?

श्री रामजी लाल सहायक—

मान्यवर, फार्मों की सूचना नहीं है । इसके लिये सूचना चाहिये ।

श्री बिमल प्रसाद तिवारी—

क्या माननीय मंत्रजी बताने की कृपा करेंगे यह शिकायत बहुत पहले ही प्राप्त हो चुकी थी और इसका क्या कारण है कि यह सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी ?

श्री रामजी लाल सहायक—

मान्यवर, इस पर जांच की गयी 29–4–74 को और फिर स्पष्टीकरण मांगा गया जिसका उत्तर 1974 में मिला और उन्होंने इस बात से इनकार किया कि मैंने कोई बाहर का नहीं लिया । अभी जांच जारी है ।

श्री दशरथ सिंह—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह एस0 डी0 आई0 महोदय कौन थे और उनके खिलाफ कौन–कौन सी शिकायतें थीं ?

श्री रामजी लाल सहायक—

काशीनाथ गुप्त, उप–विद्यालय निरीक्षक, बड़पुर ।

श्री रामप्रकाश त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी उस शिकायत का विषय बताने की कृपा करेंगे ? मान्यवर, मैं शिक्षा मंत्री जी से बताना चाहता हूं कि उसमें स्पेसिफिक नाम दिये गये थे कि अमुक-अमुक शिक्षकों के फार्म अमुक–अमुक परीक्षा के लिये अग्रसारित किये । लेकिन उस एस0 डी0 आई0 ने उत्तर दिया कि मैंने ऐसा नहीं किया । लेकिन मान्यवर, जब स्वयं आफिस–रिकार्ड में यह बात मौजूद है कि अमुक परीक्षा का फार्म अमुक एस0 डी0 आई0 ने किया, तो गलत उत्तरदेही के लिये माननीय शिक्षा मंत्री जी उसके लिये क्या दण्ड देने को सोच रहे हैं ?

श्री रामजीलाल सहायक—

इसमें गलत–उत्तरदेही कहां हुयी ? एस0 डी0 आई0 ने कहा कि ऐसा नहीं किया। ब्लाक आफिस में है कि अमुक–अमुक शिक्षकों के फार्म अमुक–अमुक परीक्षा के लिये भरे गये। उसमें शिकायत है कि एक ब्लाक के टीचर का फार्म कुछ रुपये लेकर उन्होंने फारवर्ड किये।

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी—

एक विकास खंड के शिक्षा अधिकारी को दूसरे विकास खंड के फार्म फारवर्ड करने का अधिकार नहीं है। तो क्या यह नियमों की अवहेलना नहीं ?

श्री रामजी लाल सहायक—

ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं कि दूसरे विकास खंड का फार्म अग्रसारित न करे। ऐसी कोई अवहेलना नहीं हुयी।

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी—

तो जांच किस बात की कर रहे है ?

श्री रामजी लाल सहायक—

जांच इस बात की कर रहे है कि उसने रुपया लिया कि नहीं।

बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों के नया वेतनमान का निर्धारण

*14—श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

तारांकित प्रश्न सं0 50 नत्थी 'ग', दिनांक 10 जुलाई, 1974 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1973–74 या वर्ष 1974–75 में (अब तक) निदेशक, शिक्षा परिषद् (बेसिक) ने प्रदेश के समस्त बेसिक शिक्षा अधिकारियों को एक रूप–पत्र भेज कर परिषद् के समस्त अध्यापकों को वेतन आयोग द्वारा निर्धारित नये वेतन मान प्रदान किये जाने के आदेश प्रदान किये थे और कुछ समय पश्चात् उक्त परिपत्र को अन्य आदेश प्रसारित करने तक के लिये निरस्त कर दिया गया था और तब से अब तक इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है ? यदि हां, तो ऐसा करने क क्या कारण है और अब अध्यापकों को कब तक नये वेतन मान से वेतन प्राप्त होने लगेगा ?

श्री रामजी लाल सहायक—

जी हां। शिक्षा निदेशक (बेसिक) द्वारा वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार अध्यापकों को नवीन, वेतनमान में वेतन निर्धारण हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को 5 फरवरी, 1974 को आदेश दिये गये थे, परन्तु उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ की मांग पर विचार करने के लिये 11–4–74 को अग्रिम आदेश तक कार्यवाही रोक दी गई। विचार करन के उपरान्त संशोधित आदेश पुनः 6–5–74 को प्रसारित कर दिये गये। बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों को नवीन वेतनमानों में अगस्त, 1974 (सितम्बर, 1974 में दय) से वेतन वितरित किया जा रहा है।

श्री भगवती सिंह विशारद--

क्या शिक्षा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिस दिन से वेतन आयोग का वेतन क्रम निर्धारित कर लागू किया गया है, उस समय से, और जब तक भुगतान किया है, इस बीच अवशेष के धन के भुगतान करने की क्या व्यवस्था की गयी है और क्या उस व्यवस्था के अन्तर्गत प्रत्येक जिले को वांछित धनराशि भेज दी गयी है ?

श्री रामजी लाल सहायक--

मान्यवर, पहले प्रत्येक जिले को 10 लाख रुपये देने के लिये कहा गया था। जिलों ने फिर मांग की और रूपयों के लिये। तब जिनकी जायज मांग थी, उनको वह 10 रुपया भेजा गया है। माननीय सदस्य के जिले उन्नाव का जहां तक मसला है, वहां पहले 10 लाख रुपये खर्च किया। इसके बाद फिर मांग की। तब 30 लाख रुपये फिर भेज दिये और वहां पर वह वितरित किया जा रहा है। जो हड़ताल थी वह वहां पर टूट गयी है।

देवरिया जिले में राजकीय आदर्श विद्यालय के भूतपूर्व प्रधानाध्यापक एवं उप विद्यालय निरीक्षक के वेतन का भुगतान

*15--श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि भूतपूर्व प्रधानाध्यापक, श्री ललिता प्रसाद दुबे, राजकीय आदर्श विद्यालय, पडरौना, देवरिया एवं वर्तमान प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, सलेमपुर, देवरिया को 150 से 350 वेतन-क्रम का भुगतान दिनांक 20 जून, 1972 एवं शिक्षा निदेशक का 23-10-72 के आदेशानुसार अब तक न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री रामजी लाल सहायक--

सूचना एकत्रित की जा रही हैं।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

इसका उत्तर नहीं भिजवाया गया।

श्री अध्यक्ष--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री पुरूषोत्तम कौशिक--

उत्तर प्राप्त ही नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न एक बार पहले भी स्थगित किया जा चुका है और अभी तक इसका उत्तर नहीं आया है। माननीय शिक्षा मंत्री इस पर ध्यान दें। अगली दफा यह फिर से लिया जायगा।

गंजडुंडवारा रोड जिला एटा का निर्माण

*16—श्री गंगा प्रसाद (जिला एटा)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एटा जिला में एटा से गंजडुंडवारा रोड पर कई वर्षों से गिट्टी सड़क बनाने के लिये पड़ी हुई है फिर भी सड़क अभी तक नहीं बनाई गयी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

इस मार्ग पर गिट्टी का एकत्रीकरण जनवरी 1973 से आरम्भ हुआ था और अक्टूबर, 74 तक 22 किलोमीटर में मध्य व 20 किलोमीटर में ऊपरी सतह की गिट्टी का एकत्रीकरण पूर्ण हो चुका है। उसमें से 9.00 किलोटर में मध्य सतह तक गिट्टी कुट चुकी है और आगे कार्य प्रगति पर है।

श्री गंगा प्रसाद—

जुलाई में मैंने यह प्रश्न किया था लेकिन अभी तक इस पर गिट्टी पड़ रही है। इतनी महत्व की यह सड़क है लेकिन 15, 16 साल से काम हो रहा है। किस ठेकेदार को यह ठेका आपने दिया है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

यह सही है कि काम में देर हुई। वहां पर कई बार टेंडर काल किये गये लेकिन ठेकेदार नहीं मिला। मिलता इसलिये नहीं था कि वहां ईट की कमी थी। एक आध टेंडर दिया भी गया तो वह ज्यादा था लिहाजा कैंसिल हो गया। फिर बदल कर कंकड़ किया और कंकड़ की वजह से कुछ कुटाई ही सकी है और दूसरी तरह से जल्दी से जल्दी पूरा करने का प्रयास किया जायगा बशर्ते कि धन उपलब्ध हुआ।

श्री गंगा प्रसाद—

मेरी जानकारी है कि वहां तो तीन मील पर भट्ठा है और पिछली बार काफी कोयला था लेकिन उस भट्ठा मालिक को जितना कोयला देना था वह उसने नहीं दिया तो भट्ठे वाले ने जो अनियमितता की है क्या उसके खिलाफ कार्यवाही सरकार करने जा रही है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

इसकी जानकारी नहीं है कौन सा ठेकेदार था लेकिन जहां तक भट्ठे का सवाल है अगर ऐसा उसने किया है तो जरूर उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

श्री गंगा प्रसाद—

माननीय मंत्री जी ने बताया कि बहुत जल्दी कार्य शुरू हो जायगा तो 22 किलोमीटर सड़क में 20 किलोमीटर पर गिट्टी पड़ चुकी है तो कितनी जल्दी सरकार इसको पूर्ण करवा देगी ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

मैंने पहले ही निवेदन कर दिया कि जिस हिसाब से धन उपलब्ध होगा उसी हिसाब से हम कार्य करते चलेंगे।

नोट—[नियम 38(2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 16 के पश्चात् प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।]

ललितपुर जिले में प्राइमरी पाठशालायें खोलने की व्यवस्था

*17—श्री रघुनाथ सिंह (जिला झांसी)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ललितपुर जिले के अन्तर्गत कितनी और किन-किन ग्राम सभाओं में अभी तक प्राइमरी पाठशालाये नहीं हैं ? जिन ग्राम सभाओं में पाठशालायें नहीं हैं वहां अगस्त, 1974 के अन्त तक क्या सरकार प्राइमरी पाठशालायें प्रारम्भ कराने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामजी लाल सहायक—

68 ग्राम सभाओं में प्राइमरी पाठशालायें नहीं हैं जिनकी सूची संलग्न है। कुछ ग्राम सभाओं में नियमानुसार प्राइमरी पाठशालायें खोलने की व्यवस्था की जा रही है। अगस्त, 1974 के अन्त तक यह योजना स्वीकृत नहीं हुई थी।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 821 पर)

इलाहाबाद जिले के विकास खण्ड सैदाबाद में विद्यालयों के भवन निर्माणार्थ कथित धन की स्वीकृति

*18—श्री हर प्रताप सिंह (जिला इलाहाबाद)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खंड सैदाबाद, जनपद इलाहाबाद में सरकार ने दस-दस हजार रुपया सन 1972-73 में विद्यालय के भवनों के निर्माण हेतु स्वीकृत किया था ? यदि हां, तो वह किस-किस ग्राम के लिये था और क्या उक्त विद्यालयों के भवनों का निर्माण कार्य आरम्भ हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामजी लाल सहायक—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

गोंडा जिले के तुलसीपुर प्राइमरी पाठशाला के अध्यापक का अवशेष वेतन

*19—श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी (जिला गोंडा)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जिले की प्राइमरी उत्तरी अनिवार्य पाठशाला, तुलसीपुर में कार्यरत ऐसे अध्यापक कौन-कौन हैं जिन्हें कि शिक्षा सत्र 1972-73 तथा 1973-74 का पूरा अथवा उसके एक भाग का वेतन नहीं दिया गया है ? वेतन न देने का कारण क्या है तथा वेतन कब तक दे दिया जायगा?

श्री रामजी लाल सहायक—

केवल एक सहायक अध्यापक श्री सुरेश दत्त पाण्डेय को दिसम्बर 1972 से मई, 1974 तक के वेतन का भुगतान नहीं किया गया था।

श्री पाण्डेय 27-12-72 से अनुपस्थित रहे जिसके कारण दिनांक 6 जनवरी, 1973 को उप-विद्यालय निरीक्षक ने श्री पाण्डेय का वेतन रोके जाने के आदेश जारी किए। श्री पाण्डेय 10 जनवरी, 1973 को स्कूल आने लगे, किन्तु उक्त तिथि से मई, 1974 तक के वेतन का भुगतान नहीं किया जा सका।

अनुपस्थित अवधि को छोड़कर शेष अवधि के वेतन का भुगतान किए जाने हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोण्डा, द्वारा आदेश जारी किए जा चुके हैं।

बरेली जिले में बहेड़ी मुड़िया नबी बक्स सड़क पर बिहारीपुर के पास पुल का निर्माण

*20—श्री राम मूर्ति (जिला बरेली)—

क्या सरकार को जानकारी है कि सन् 1968 की वर्षा ऋतु में जिला नैनीताल स्थित ढोरा जलाशय खोलने के फलस्वरूप तहसील बहेड़ी, जनपद बरेली में बाढ़ आ गई थी और बहेड़ी मुड़िया नबी बक्श सड़क पर ग्राम बिहारीपुर के पास का पुल बह गया था ? यदि हां, तो उक्त पुल का पुनर्निर्माण अब तक न किये जाने के क्या कारण हैं और वह कब तक बन जायेगा ? इस सड़क का रख-रखाव सार्वजनिक निर्माण विभाग करता है ? उस पुल को अभी तक क्यों नहीं बनाया गया और आगे कब तक बनेगा ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जी हां ।

वर्ष 1969 की बाढ़ से बहेड़ी मुड़िया-नबीबक्स सड़क पर बिहारीपुर के पास पुल बह गया था । शासन ने बिहारीपुर के पास एक नये पुल का निर्माण जनवरी, 1973 में स्वीकृत कर दिया था लेकिन धनाभाव के कारण इस पुल का निर्माण कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं हो सका है । पुल कब तक बन जायेगा यह बताना संभव नहीं है ।

आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील में घाघरा नदी के कटाव

*21—श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सगड़ी तहसील, जिला आजमगढ़ के अन्तर्गत घाघरा नदी के कटाव से किन-किन ग्रामों की कितनी-कितनी भूमि इधर दो वर्ष के अन्दर कट कर नदी में विलीन हो गई है ? उक्त क्षेत्र के ही ग्राम कुरकिहा करता राम दूबे आदि के कटाव को रोकने के लिये सरकार की ओर से कौन से उपाय किये गये ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

आजमगढ़ जनपद की सगड़ी तहसील में घाघरा नदी से कटाव की समस्या मुख्यतः निम्न 6 ग्रामों में है ।

1—श्रीनगर,

2—देवारा करता राम दूबे,

3—देवारा करीमगंज,

4—अराजी तिवारीपुरा,

5—अराजी मच्छरिहवां रुस्तम खां,

6—बैरिया ।

इन ग्रामों में लगभग 1540 एकड़ भूमि में कटाव की समस्या है,

इस क्षेत्र के ग्राम कुरकिहा एवं करता राम दूबे के कटाव को रोकने के लिये कोई उपाय नहीं किया गया है ।

वाराणसी जिले की बोरी तथा नियमताबाद माइनर से सिंचाई

*22—श्री राज किशोर तिवारी (जिला जौनपुर)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला वाराणसी के मुगलसराय रजवहा से सम्बन्धित कुमावार माइनर का निर्माण बन्द कर दिया गया है ? क्या यह सही है कि बोरी माइनर का कार्य पूर्ण हो गया है लेकिन उसमें पानी नहीं दिया जा रहा है तथा उससे सम्बन्धित दूसरी माइनर जो रामपुर ग्राम के दक्षिणी हिस्से के लिये उपयोगी थी उसका भी कार्य बन्द हो गया है ? यदि हां, तो उक्त क्षेत्र की सिंचाई की क्या व्यवस्था है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

जिला वाराणसी के मुगलसराय रजबहा से संबंधित कोई कुमावार माइनर नहीं है। अतः उसके बन्द करने का प्रश्न नहीं उठता।

बोरी माइनर की प्रस्तावित लम्बाई 4 मील 4 फर्लांग है, जिसमें से हेड से लेकर 3 मील तक इसका निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

बोरी माइनर से सम्बन्धित दूसरी माइनर नियमताबाद माइनर है। इसकी प्रस्तावित लम्बाई 3 मील 1 फर्लांग है, जिसमें से हेड से लेकर 2 मील 7 फर्लांग तक इसका निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

बोरी तथा नियमताबाद माइनरों का जो भाग पूरा हो गया है, उनमें पानी दिया जा रहा है। उनके शेष अपूर्ण भाग से सम्बन्धित क्षेत्र में सिंचाई पहले की तरह बंधियों एवं नहरों से होती है।

हरदोई नगर में रिटायरमेन्ट के बाद कथित कार्यरत हाईस्कूल के प्रधानाचार्य

*23—श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई नगर में गैर-सरकारी मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों (हाई स्कूल) के ऐसे प्रधानाचार्य कौन-कौन हैं जो रिटायर हो चुके हैं और आगे सेवा करने का एक्सटेन्शन नहीं मिला है फिर भी वह 8 जुलाई, 1974 को प्रधानाचार्य की हैसियत से कार्यरत है तथा क्यों ?

श्री रामजी लाल सहायक—

ऐसा कोई मामला नहीं है.।

राल-राधाकुण्ड मार्ग का निर्माण

*24—ठाकुर राधा चरण सिंह (जिला मथुरा), श्री ज्ञानेंद्र स्वरूप (जिला मथुरा)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सड़क राल-राधाकुन्ड जो 1965 से बनना शुरू हुई अभी तक अधूरी पड़ी है ? यदि हां, तो सरकार कब तक इसको पूरा करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

इस मार्ग की स्वीकृति वर्ष 1965 मेंदी गई थी लेकिन कार्य वर्ष 1967-68 में प्रारम्भ किया गया। मार्ग अभी पूरा नहीं बन पाया है। मार्ग का पुनरीक्षित आगणन भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजा गया है। स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्य पुनः प्रारम्भ किया जायगा। अतः मार्ग पूरा होने की कोई निश्चित तिथि नहीं बताई जा सकती।

मिर्जापुर जिले में सदर तहसील में भवन विहीन प्राइमरी पाठशाला

*25—श्री आशाराम यादव (जिला मिर्जापुर)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मिर्जापुर जिले की सदर तहसील में कौन-कौन प्राइमरी विद्यालयों के लिये भवन नहीं है अथवा अर्ध निर्मित हैं ? क्या इन भवनों के निर्माण हेतु सरकार कोई कार्यवाही करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामजी लाल सहायक—

मिर्जापुर जनपद के सदर तहसील के 91 प्राइमरी विद्यालयों के भवन नहीं हैं तथा 79 प्राइमरी विद्यालयों के भवन अर्ध-निर्मित हैं। इनकी सूची संलग्न है।

मामला विचाराधीन है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 822 पर ।)

बलिया जिले के कतिपय ग्रामों में घाघरा नदी से कटाव

*26—श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि बलिया जिला अन्तर्गत ग्राम कथौड़ा, चांदपुर, लिलकर तथा डुहा बिहरा घाघरा नदी के कटान से खतरे में पड़े हुये हैं ? यदि हां, तो सरकार कटान से सुरक्षा के लिये इस समय कौन सी कार्यवाही कर रही है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

बलिया जिले में ग्राम चांदपुर कथौड़ा, लिलकर तथा डुहा बिहार को घाघरा नदी क कटान के सम्बन्ध में सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 827 पर ।)

सार्वजनिक निर्माण विभाग के अस्थाई एवं स्थाई कर्मचारी

*27—श्री सन्त सिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है ? इनमें कितने कर्मचारी नियमित, अस्थायी और स्थायी हैं और कितने वर्क चार्ज और मस्टर रोल कर्मचारी हैं ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

सार्वजनिक निर्माण विभाग में दिनांक 31 मार्च, 1974 को कर्मचारियों की कुल संख्या .. 67,352

नियमित स्थायी कर्मचारियों की संख्या ..	5,078
अस्थायी कर्मचारियों की संख्या ..	8,655
कार्यप्रभारित अधिष्ठान से नियमित अस्थायी अधिष्ठान के कर्मचारी ..	18,622
वर्कचार्ज कर्मचारियों की संख्या ..	13,729
मस्टर रोल (वर्क चार्ज स्थायी गैंग) ..	21,268

फर्रुखाबाद जिले में स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित बी० टी० सी० ट्रेन्ड अध्यापकों की नियुक्ति

*28—श्री अनवार जमील (जिला फर्रूखाबाद)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित बी0 टी0 सी0 ट्रेन्ड कितने उम्मीदवारों को अभी तक पिछले दो वर्षों में फर्रूखाबाद जनपद में सर्विस दी जा चुकी है ? यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है ?

श्री रामजी लाल सहायक—

वर्ष 1972–73 में 6 तथा 1973–74 में 6 स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षण प्राप्त आश्रितों को अध्यापकों के पद पर नियुक्त किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बाराबंकी जिले में शारदा सहायक परियोजना में अध्याप्त भूमि का मुआवजा

*29—श्री जंगबहादुर वर्मा तथा श्री नन्हें लाल (जिला बाराबंकी)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बाराबंकी के अन्तर्गत सरकार शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत नई नहरें बनाने जा रही है तथा शारदा नहर की पुरानी नहरें चौड़ी की जा रही हैं ? यदि हां, तो क्या जिन किसानों की जमीन ले ली गई है उन्हें मुआवजा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

प्रथम भाग—

जी हां ।

द्वितीय भाग—

ली गयी भूमि में से करीब 1000 एकड़ भूमि का मुआवजा दे दिया गया है तथा शेष भूमि के प्रतिकर के कागजात तैयार कराये जा रहे हैं ।

जौनपुर तथा प्रतापगढ़ के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों का नया वेतन-मान

*30—श्रीमती शिवकुमारी दुबे (जिला प्रतापगढ़) —

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतालायेंगे कि जौनपुर तथा प्रतापगढ़ जनपदों के कितने और कौन ऐसे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं जिनके अध्यापकों एवं प्राध्यापकों का पुनरीक्षित वेतनमान 1969 तथा नवीन वेतनमान, 1974, अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है और सम्बन्धित कितने और किन-अध्यापक-प्राध्यापकों को अभी तक पुराना वेतन-मान ही दिया जा रहा है और क्यों ? क्या मंत्री जी और अनावश्यक विलम्ब करने वाले कर्मचारियों को दन्डित करेंगे ?

श्री राम जी लाल सहायक—

वांछित सूचना† संलग्न तालिका 'क' तथा 'ख' में दी गयी है। इन अध्यापकों का वेतन निर्धारण न होने का मूल कारण सम्बन्धित विद्यालयों के प्रबंधाधिकरण द्वारा मांगे गए पत्रादि समय से प्रस्तुत न करना है। अतः कर्मचारियों को दंडित करने का प्रश्न नहीं उठता।

इटावा जिले में चम्बल-जमुना व चम्बल-कावेरी क्षेत्र में नलकूप की मांग

*31—श्री राम लखन (जिला इटावा)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या यह सच है कि जनपद इटावा, विधान सभा क्षेत्र, लखना के चम्बल, जमुना और कावेरी नदियों के दोआब की समतल भूमि में नलकूप लगाने की योजना शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त नदियों की दोआब की समतल भूमि को सरसब्ज करने हेतु नलकूप लगाने का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

चम्बल जमुना दोआब में पहिले नलकूप लगाये जा चुके हैं। चम्बल कावेरी क्षेत्र में यातायात के साधन उपलब्ध न होने के कारण इस क्षेत्र में नलकूप लगाने की इस समय कोई योजना नहीं है।

वाराणसी जिले में बाढ़ नियन्त्रण तथा जलोत्सारण हेतु स्वीकृत धनराशि

*32—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले में तृतीय एवं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में बाढ़ (फ्लड कन्ट्रोल) रोकने हेतु जिसमें ड्रेनेज आदि सभी स्कीमें आती हैं कितना-कितना धन दिया गया। क्या उसमें से द्वितीय योजना में 10 लाख एवं तृतीय योजना में 12 लाख रुपया बिला खर्च हुये ही रह गया? यदि हां, तो कौन योजनायें बनी थीं और उसमें से कौन पूरी हुई और कौन रह गई?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

वाराणसी जिले में बाढ़ नियंत्रण तथा जलोत्सारण कार्यों हेतु तृतीय एवं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सिंचाई विभाग को निम्नलिखित धनराशि प्राप्ति हुई थी, जिसकी सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 828 पर।)

इलाहाबाद जिले के सोरांव-नवाबगंज व सोरांव होलागढ़ मार्ग के निर्माण की मांग

*33—श्री राम पूजन पटेल (जिला इलाहाबाद)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद की तहसील सोरांव की सड़क सोरांव से नवाबगंज तक पक्की करवाने की कृपा करेंगे? यदि हां, तो कब तक?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

प्रस्तावित मार्ग विभाग की किसी भी योजना के अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है। अतः इसके निर्माण किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

---

†छापी नहीं गई।

*34—श्री राम पूजन पटेल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी बतायेंगे कि जनपद इलाहाबाद के सोरांव की सड़क सोरांव–होलागढ़ को बढ़ाकर आनापुर तक करने की व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

ऐसी कोई योजना स्वीकृत नहीं है। प्रश्न नहीं उठता।

शिक्षा विभाग की बी० टी० सी० प्रशिक्षित अध्यापिका के परीक्षाफल को घोषणा

*35—श्री जगदीश नारायण त्रिपाठी (जिला मैनपुरी)—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि 1973 में शिक्षा विभाग के अन्तर्गत पत्र–व्यवहार प्रणाली द्वारा बी0 टी0सी0 ट्रेनिंग करने वाली कुछ अध्यापिकाओं का परीक्षाफल आज तक घोषित क्यों नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस विलम्ब का कारण क्या है तथा यह परीक्षा फल कब तक घोषित किया जा रहा है ?

श्री रामजी लाल सहायक—

दिनांक 23 जुलाई, 1974 तक केवल एक अध्यापिका का परीक्षाफल निर्धारित आयु सीमा की पूर्ति न होने के कारण घोषित नहीं किया गया था।

विलम्ब का कारण यह है कि आयु के सम्बन्ध में जांच की जा रही थी।

परीक्षाफल 11 अक्टूबर, 1974 को घोषित किया जा चुका है।

जौनपुर नगर के ऐतिहासिक पुल को तोड़ने की कथित योजना

*36—कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला सुल्तानपुर)—

क्या सरकार कृपया बतवेगी कि क्या वह जौनपुर नगर में स्थित ऐतिहासिक शाही पुल को तुरन्त तोड़ने जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

जी नहीं।

बांदा जिले की बेसिक पाठशालाओं का भवन

*37—श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा तथा श्री देव कुमार यादव (जिला बांदा)—

क्या शिक्षा मंत्री (बेसिक) बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा की तहसील नरैनी के अन्तर्गत कितनी बेसिक प्राइमरी पाठशालायें चल रही हैं इनमें कितनी पाठशालाओं के पास अभी तक उनके निजी भवन नहीं हैं ? इनके भवनों के निर्माण की व्यवस्था सरकार कब तक करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामजी लाल सहायक—

184 बेसिक प्राइमरी पाठशालायें चल रहीं हैं। 72 पाठशालाओं के पास अपने निजी भवन नहीं हैं।

नरैनी तहसील में 16 पाठशाला भवनों के निर्माण की व्यवस्था की जा रही है। शेष 56 स्कूलों के भवन निर्माण की व्यवस्था धन उपलब्ध होने पर की जायेगी।

अधिशासी अभियन्ता राष्ट्रीय मार्ग खंड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, फैजाबाद द्वारा खरीदे गये ट्रक व रोलर के पार्ट्स

*38—श्री मधुकर दिघे—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि राष्ट्रीय मार्ग खंड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, फैजाबाद में दिसम्बर, 1973 में 90 हजार रुपये के ट्रक व रोलर के पार्ट्स सुप्रीम आटोमोबाइल, लखनऊ से खरीदे गये थे ? यदि हां, तो किसके द्वारा, किसके आदेश से और क्या उक्त पार्ट न तो मशीनों में ही लगाये गये और न स्टोर में ही रक्खे गये ? क्या अधीक्षण अभियन्ता ने उक्त फर्म के आर्डर को कैन्सिल कर दिया था ? यदि हां, तो उक्त फर्म से पार्ट्स कैसे खरीदे गये ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जी नहीं, अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग खंड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, फैजाबाद द्वारा दिसम्बर, 1973 में मेसर्स सुप्रीम आटोमोबाइल, लालबाग, लखनऊ से केवल रु0 22,450.87 (बाइस हजार चार सौ पचास रुपये और सत्तासी पैसे) के ट्रक व रोड रोलर के पार्ट्स खरीदे गये थे ।

ये स्पेयर पार्ट्स स्वयं अधिशासी अभियन्ता राष्ट्रीय मार्ग खंड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, फैजाबाद द्वारा उन्हीं के आदेश से खरीदे गये थे। इन स्पेयर पार्ट्स में से लगभग 14 प्रतिशत पार्ट्स मशीनों में लगा दिये गये हैं तथा शेष स्टोर में रखे हुये हैं।

अधीक्षण अभियन्ता ने उक्त फर्म के आर्डर को कैंसिल नहीं किया था। प्रश्न के शेष भाग का उत्तर देने का प्रश्न नहीं उठता ।

इलाहबाद जिलें में नलकूप चालकों की नियुक्ति

*39—श्री राम रतिबिन्द (जिला वाराणसी), श्री कैलाश सिंह (जिला बलिया), तथा श्री गिरिजा शंकर पाठक (जिला वाराणसी)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद में बिना सेवा-योजना कार्यालय से नाम मांगे सन् 1970 से अब तक कितने नलकूप चालकों की भर्ती हुई है और क्यों ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

इलाहाबाद जिले के नलकूप प्रखण्ड, इलाहाबाद में वर्ष 1970 से अब तक बिना सेवायोजन कार्यालय से नाम मांगे केवल दो नलकूप चालकों की नियुक्ति की गई है ।

बी० टी० सी० प्रशिक्षण हेतु चुने गये अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी

*40—श्री दयाराम भास्कर (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 1974–75 में प्रदेश भर में किन–किन ट्रेनिंग सेन्टर के लिये कितने–कितने अभ्यर्थियों को बी0 टी0 सी0 के लिये चुना गया और उनमें से अनुसूचित जाति का कोटा कितने प्रतिशत दिया गया तथा क्या हरिजनों के कोटे को पूरा करने के लिये 25 से 45 प्रतिशत के सरकारी जी0 ओ0 का उक्त चुनाव में पालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामजी लाल सहायक—

सूचना संलग्न † सूची में है ।

अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये 18 प्रतिशत स्थान सुरक्षित किया गया है ।

25 से 45 प्रतिशत कोटा पूरा करने के शासनादेश सेवाओं से सम्बन्धित है बी0 टी0 सी0 चुनाव से सम्बन्धित नहीं है ।

प्रश्न उनहीं उठता ।

राजकीय इन्टर कालेज, बस्ती में अनुत्तीर्ण छात्र को उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र

*41—श्री भगवती सिंह विशारद, श्री शिवचरन लाल (जिला आगरा) तथा श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या सरकार को जानकारी है कि राजकीय इन्टर कालेज, बस्ती में वर्ष 1972-73 में अनेकों अनुत्तीर्ण छात्र एवं छात्राओं को उत्तीर्ण अंकित करके प्रमाण पत्र दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार कृपया 1972–73 के कक्षा 9 के छात्र (सार्वभौम वर्मा) एवं वर्ष 1972–73 की बी0 टी0 सी0 की छात्रा की मार्कशीट की जांच करा कर अनियमित कार्यवाही करने वाले दोषित व्यक्तियों के प्रति तुरन्त कार्यवाही करेगी ?

श्री रामजी लाल सहायक—

जी नहीं, केवल एक छात्र सार्वभौम वर्मा कक्षा 9 के विषय में ऐसा हुआ है । भूलवश प्रधानाचार्य, राजकीय इन्टर कालेज, बस्ती द्वारा इस अनुत्तीर्ण छात्र को टी0 सी0 (स्थानान्तरण प्रमाणपत्र) में "उत्तीर्ण" घोषित कर प्रमाण–पत्र दिया गया है । इसकी जांच कराई गई है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ।

रामपुर जिले में शाहाबाद-टांडा सिरौली मार्ग का निर्माण

*42—श्री बंशीधर (जिला रामपुर) तथा श्री मुंशी लाल (जिला मैनपुरी)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1970–71 में साहाबाद टांडा वाया सिरौली, जिला रामपुर सड़क की स्वीकृति हुई थी और जो आज तक नहीं पक्की हुई, उसे कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जिला रामपुर में शाहाबाद टांडा-सिरौली मार्ग पर निर्माण कार्य प्रगति में है और उसके दिसम्बर, 1976 तक पूर्ण होने की सम्भावना है ।

पर्वतीय क्षेत्र में अनुदान सूची में रखने के लिये हाई स्कूलों में एवं जूनियर हाई स्कूलों के चयन की अर्हताओं का आधार

*43—श्री गोपाल दत्त ओझा (जिला पिथौरागढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पर्वतीय क्षेत्र में वर्ष 1973–74 में मान्यता प्राप्त हुये स्कूलों एवं जूनियर हाई स्कूलों को अनुदान सूची में रखने का क्या आधार है ?

---

† छापी नहीं गई ।

श्री रामजी लाल सहायक—

अनुदान सूची पर रखने के लिये हाई स्कूलों एवं जूनियर हाईस्कूलों का चयन क्रमशः संलग्न तालिका 'क' तथा 'ख' में अंकित अर्हताओं के आधार पर किया गया।

(देखिये नत्थी 'च' आगें पृष्ठ 829 पर।)

*44—श्री गोपाल दत्त ओझा—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वर्ष 1973–74 में पर्वतीय क्षेत्र के आठ जिलों के मान्यता प्राप्त हाई स्कूलों एवं जूनियर हाई स्कूलों को अनुदान सूची में रखने हेतु कितने आवेदन-पत्र शासन को प्राप्त हुये हैं ?

श्री रामजी लाल सहायक—

हाई स्कूलों के 56 आवेदन-पत्र तथा जूनियर हाई स्कूलों के 83 आवेदन-पत्र प्राप्त हुये थे।

जवाहरलाल नेहरू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, संचालक का हटाया जाना हरखपुरा, जिला गोरखपुर के प्रबन्ध

*45—श्री मधुकर दिघे—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जवाहरलाल नेहरू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, हरखपुरा, महराजगंज, जिला गोरखपुर में एक विवाद के सम्बन्ध में उप शिक्षा निदेशक, सप्तम मन्डल, गोरखपुर ने अपने आदेश दिनांक 18 अगस्त, 1973 द्वारा श्री उमा शंकर, प्रबन्धक, डी0 ए0 वी0 इन्टर कालेज, गोरखपुर को विद्यालय के प्रबन्ध संचालन हेतु नियुक्त किया था और क्या नियमानुसार अपने कार्य का सम्पादन करके उन्होंने नये चुनाव समय के अन्दर कराये ? यदि नहीं, तो उनको प्रबन्ध संचालन से हटाने का क्या कारण है ?

श्री रामजी लाल सहायक—

जी हां, समय के अन्दर नियमानुसार चुनाव न करा सकने के कारण 18–8–73 के आदेश द्वारा नियुक्त प्रबन्ध संचालक को हटा दिया गया है।

बुधवार, 1 जनवरी, 1975 के लिये निर्धारित

तारांकित प्रश्न

*1—श्री कल्याणसिंह तथा श्री त्रिवेणी सहाय—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नेवढ़िया, जौनपुर का स्पेशल आडिट

*2—श्री बाबू लाल वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नेवढिया, जि0 जौनपुर के एकाउन्ट्स में व्याप्त भारी गबन तथा भ्रष्टाचार के कारण अगस्त, 1974 के अन्तिम सप्ताह में स्पेशल आडिट किया गया ? यदि हां, तो आडिट रिपोर्ट के अनुसार क्या अनियमिततायें पायी गयीं तथा उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री रामजी लाल सहायक—

जी हां, स्पेशल आडिट रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायगी।

यू० सी० एन० आई० बालक इन्टर कालेज, देहरादून में भ्रष्टाचार की शिकायत

*3—श्री कल्याण सिंह तथा श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू० सी० एन० आई० बालक इन्टर कालेज, देहरादून के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा झूठे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने सम्बन्धी कोई शिकायती पत्र अगस्त, 1974 के दूसरे पखवारे में श्री आर० डी० कपूर, निवासी देहरादून द्वारा प्रेषित प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो मुख्य शिकायतें क्या हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री रामजी लाल सहायक—

जी हां। श्री कपूर के पत्र में श्री जकराया के विरुद्ध अनैतिकता तथा भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए यह अनुरोध किया गया था कि उन्हें चतुर्थ सेवा विस्तरण न अनुमोदित किया जाय। शासन ने उनके सेवा विस्तरण संबंधी प्रार्थना-पत्र को पहले ही अस्वीकृत कर दिया था। अतः उस पत्र पर किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी गयी।

*4—श्री मधुकर दिघे—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

उ० मा० विद्यालय मुहम्मदपुर, आजमगढ़ के अध्यापक का निलम्बन

*5—श्री राम सुन्दर पान्डेय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विक्रम उ० मा० विद्यालय, मुहम्मदपुर, तहसील सगड़ी, जिला आजमगढ़ का कोई सहायक अध्यापक दिनांक 21 अक्टूबर, 1970 को निलम्बित किया गया था और अब तक निलम्बन आदेश समाप्त नहीं हुआ है और कोई भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री रामजी लाल सहायक—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*6—श्री बृजपाल सिंह यादव—

[4थे मंगलवार में प्रश्न संख्या 37 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

लखनऊ स्थित सार्वजनिक निर्माण विभाग के नेशनल हाई वेज सर्वे डिवीजन कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण

*7—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनके द्वारा दिनांक 8-8-74 को लखनऊ में निशातगंज स्थित सार्वजनिक निर्माण विभाग के नेशनल हाईवेज सर्वे डिवीजन नं० 2 के कार्यालय पर अकस्मात छापा मारा गया ? यदि हां, तो वहां कर्मचारियों द्वारा बरती जा रही किन अनियमितताओं की जानकारी मिली तथा उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

प्रश्न मेंउल्लिखित दिनांक 8–8–74 के बजाय दिनांक 9–8–74 को निशातगंज, लखनऊ स्थित सार्वजनिक निर्माण विभाग के नेशनल हाई बेज सर्वे डिवीजन नं0 2 के कार्यालय का अकस्मात निरीक्षण किया गया। निम्नांकित अनियमितताओं की जानकारी हुई :—

(1) कार्यालय के एक कक्ष में ताशों की गड्डी बरामद हुई।

(2) एक मेकेनिकल सुपरवाइजर की आलमारी से दो रबड़ की मोहरें बरामद हुईं।

(3) दो सम्बन्धित सहायक अभियन्ता कार्यालय में उपस्थित नहीं थे : इन अनियमितताओं की एक उच्च अधिकारी द्वारा जांच करवाई गई। प्रथम और तीसरी अनियमितता के लिये कोई दोषी नहीं पाया गया। दूसरी अनियमितता के लिये सम्बन्धित मेकेनिकल सुपरवाजर दोषी पाया गया और उसे सेवाओं से पृथक करने की कार्यवाही हो रही है।

*8—श्री राम सेवक यादव—

[निधन हो जाने के कारण निरस्त।]

बहराइज जिले में प्रयागपुर स्थित बधेल ताल के नाले का निर्माण

*9—श्री बाबू लाल वर्मा—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1974 के चौथे बुध के तारांकित प्रश्न सं0 4 के उत्तर के संदर्भ में क्या सिचाई मंत्री प्रश्नकर्ता की सूचना को सही मानकर कि संबंधित बांध टूटा है तथा पानी बह रहा है की पुनः जांच करायेंगे तथा वर्षा प्रारम्भ होने के पूर्व ही ताल की मरम्मत करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

मौके पर फिर से जांच कराई गई। प्रश्नगत क्षेत्र में नाले के निर्माण के समय जो मिट्टी किनारे पर डाली गई थी, वह बह गई। कोई बांध नहीं टूटा। इसलिये मरम्मत का प्रश्न पैदा नहीं होता।

*10—श्री मधुकर दिघे—

[7 वें गुरुवार में प्रश्न संख्या 18 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ तथा देवरिया का स्थानान्तरण

*11—श्री राम सुन्दर पान्डेय—

दिनांक 7–8–74 के नत्थी 'घ' के तारांकित प्रश्न संख्या 37 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रशासकीय कारण कौन–कौन थे और दोनों जिला विद्यालय निरीक्षकों के स्थानान्तरण पर सरकार का कुल कितना रुपया यात्रा व्यय आदि पर खर्च हुआ है ?

श्री रामजी लाल सहायक—

दोनों जिला विद्यालय निरीक्षक का प्रथम बार स्थानान्तरण शिकायतों के आधार पर किया गया था। बाद में पुनः उनकी तैनातियों में परिवर्तन प्रशासनिक व्यवस्था के कारण करना आवश्यक समझा गया।

दोनों अधिकारियों के मात्रा व्यय पर 871.50 रु0 व्यय हुआ।

बस्ती जिले में सेमरा सागर से जल मग्न भूमि

*12—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या बस्ती जिल की बानगंगा नदी से सेमरा सागर में नहर पानी के अधिक भर जाने से बहुधा डोहरिया बुजुर्ग, इटावा मांठ आदि गांव के सीवान जलमग्न हो जाते हैं? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में पीड़ित गांव के लोगों द्वारा कितनी लिखित शिकायतें सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियन्ता को वर्ष 1 जनवरी, 1973 से अब तक प्राप्त हुई तथा उन पर क्या क्या कार्यवाही की गई?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

सेमरा सागर के पूरा भरने पर डोहरिया बुजुर्ग व मूठ इत्यादि ग्रामों की लगभग 70 एकड़ जमीन जलमग्न हो जाती है।

जनवरी, 1973 से अब तक पीड़ित गांव के लोगों द्वारा दो लिखित शिकायतें अधिशासी अभियन्ता को प्राप्त हुई हैं जिसमें से एक प्रार्थना-पत्र में की गई प्रार्थना के अनुसार सागर की गेज कम करवा कर 2 फीट करा दी गई है तथा दूसरे प्रार्थना-पत्र पर आवश्यक जांच कराई जा रही है।

पुनर्व्यवस्था योजना कृषि फार्म जिला परिषदीय हायर सेकेन्डरी स्कूल, जिला खीरी में भ्रष्टाचार

*13—श्री मन्ना लाल (जिला लखीमपुर खीरी)—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पुनर्व्यस्था योजना कृषि फार्म, जिला परिषदीय हाई सेकेन्डरी स्कूल, कस्बा, जिला खीरी में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं सम्बन्धी कितने शिकायती-पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक, खीरी को 1 मई, 1974 से 8 अगस्त, 1974 के बीच मिले? मुख्य शिकायतें क्या हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री रामजी लाल सहायक—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*1 —श्री मन्ना लाल—

[3रे गुरूवार में प्रश्न संख्या 77 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*15—डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त।]

अतारांकित प्रश्न

राज्य कर्मचारियों एवं बेसिक शिक्षा परिषद के कर्मचारियों के वेतनमानों तें अन्तर

1—श्री राम समझावन (जिला जानपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत कर्मचारी (जो जिला परिषद् के अन्तर्गत शिक्षा विभाग में कार्यरत थे) को राज्य कर्मचारियों के बराबर वेतन व सुविधायें दी जा रही हैं ?

श्री रामजी लाल सहायक—

राज्य कर्मचारियों एवं बेसिक शिक्षा परिषद् के कर्मचारियों के सेवा नियम भिन्न हैं। अतः उनके वेतन एवं अन्य सुविधायें भी भिन्न हैं। केवल चतुर्थवर्ग के कर्मचारियों के वेतन-मान समान हैं।

इलाहाबाद जिले के सोरांव-कल्याण पुर-आनापुर मार्ग के निर्माण की मांग

2—श्री राम पूजन पटेल—

क्या सार्वजनिक निमाण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद की तहसील सोरांव की सड़क सोरांव से कल्याणपुर इन्टर मीडिएट कालेज तक तथा कल्याणपुर से आनापुर इन्टर मीडिएट कालेज तक पक्की बनने के लिये सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो सड़क कब तक बन जायेगी ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

ऐसे कोई मार्ग की योजना स्वीकृत नहीं है।

3–4—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी तथा श्री राम चरन शाह—

[2रे बुधवार में प्रश्न संख्या 21–22 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

बहराइच जिले के विकास खंड जमुनहा में पुलवरिया ताल ड्रेन एवं श्रीनगर तालड्रेन का निर्माण

5—श्री गजाधर प्रसाद आर्य (जिला बहराइच)

विधान सभा के दितीय सत्र 1974 के दूसरे गुरुवार के तारांकित प्रश्न संख्या 38 के उत्तर के संदर्भ में मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खंड नवाबगंज जमुनहा तथा नवाबगंज में जलमग्न भूमि उद्धार हेतु किन-किन स्थानों पर ड्रेने बनवाने का कार्य सरकार के विचाराधीन है और यह कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायेगा।

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

विकास खंड जमुनहा में फुलवरिया ताल ट्रेन निर्माणाधीन है तथा श्रीनगर ताल ड्रेन को जनपद की मास्टर योजना में प्रस्तावित किया गया है। धन उपलब्ध होने पर इस पर कार्य हो सकेगा।

फर्रुखाबाद जिला परिषदीय अध्यापकों की प्रोन्नति

6—श्री अनवार जमील—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद म शिक्षा परिषदीय विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों के प्रमोशन गत तीन वर्षों से क्यों नहीं किये जा रहे हैं और क्या सरकार उनके प्रमोशन में बाधक कारणों को दूर करने के लिए शीघ्र ध्यान देगी ?

श्री रामजी लाल सहायक--

उच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में स्थगन आदेश दे दिये जाने के कारण प्रोन्नतियां नहीं की जा रही हैं। न्यायालय के निर्णय के पश्चात् आवश्यक कार्यवाही सम्भव हो सकेगी ?

जौनपुर जिले के डाक बंगलों का रख-रखाव

7--कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा (जिला कानपुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला जौनपुर के अन्तर्गत कौन से और कहां-कहां डाक बंगले हैं और उनका निर्माण कब हुआ था तथा बदलापुर, जिला जौनपर के डाक बंगले तथा अन्य बंगलों के साज-सज्जा, रख-रखाव तथा शीतल करने की व्यवस्था म कितना व्यय हुआ।

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

जिला जौनपुर में स्थित डाक बंगलों से सम्बन्धित अभीष्ट सूचना संलग्न तालिका में प्रस्तुत है।

देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 830 पर)

नलकूप खंड फर्रुखाबाद के कार्यालय के लिपिकों का स्थानान्तरिण एवं उक्त खंड के केन्द्रीय कार्यालय में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार

8--श्री राम प्रकाश त्रिपाठी--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप खंड, फर्रुखाबाद के कार्यालय में ऐसे कितने लिपिक हैं जो गत दस वर्षों से कार्य कर रहे हैं और ऐसे कितने लिपिक हैं जिनका स्थानान्तरण दो वर्षों में ही कर दिया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? सिंचाई मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप खंड, फर्रुखाबाद के केन्द्रीय कार्यालय में व्याप्त रिश्वत एवं भ्रष्टाचार की कितनी शिकायतें अप्रैल, 72 से अप्रैल, 74 तक प्राप्त हुयीं और उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

उक्त खंड में ऐसा कोई लिपिक नहीं है जो गत दस वर्षों से कार्यरत हो, और सात ऐसे लिपिक हैं जिनका स्थानान्तरण दो वर्षों म ही उनकी प्रोन्नति विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने अथवा स्वयं की प्रार्थना पर कर दिया गया है, उक्त खंड के केन्द्रीय कार्यालय में व्याप्त रिश्वत एवं भ्रष्टाचार की सात शिकायतें फर्जी नामों से उक्त अवधि में प्राप्त हुईं जो जांच करने पर निराधार पाई गईं।

विकास खंड, छिबरामऊ, जिला फर्रुखाबाद में निर्मित कूप

9--श्री राम प्रकाश त्रिपाठी--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि विकासखंड, छिबरामऊ, जिला फर्रुखाबाद के अन्तर्गत इस वर्ष 1974-75 में कितने सरकारी नलकूप लगाने की योजना है और कब तक यह कार्य होगा।

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

जिला सिंचाई परामर्शदात्री समिति एवं स्थल चयन समिति, फर्रुखाबाद द्वारा वर्ष 1974-75 में विकासखंड, छिबरामऊ को 3 नलकूप आवंटित थे जो लगाये जा चुके हैं।

आजमगढ़ जिले के ग्राम बीबीपुर व ताहिरपुर पर रखे गये बोल्डरों की जांच

10—श्री राम सुन्दर पान्डेय—

क्या सिंचाई मंत्री दिनांक 7-8-74 के तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि बोल्डरों की कमी की जांच जिलाधीश, आजमगढ़ और जिला परिषद् के अधिशासी अभियन्ता ने भी किया है ? यदि हां, तो उनकी रिपोर्ट क्या है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

जिलाधिकारी, आजमगढ़ ने ग्राम बीबीपुर, ताहिरपुर पर रखे बोल्डर की जांच जिला परिषद् के सहायक अभियन्ता से करवाई थी। जाच की रिपोर्ट अभी शासन को प्राप्त नहीं हुई है।

11—श्री कल्याण सिंह तथा श्री प्यारे लाज वर्मा—

[7वें गुरुवार में प्रश्न संख्या 4 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

सुल्तानपुर जिले में बेसिक परिषदीय अध्यापिकाओं का ग्रामीण भत्ता

12—डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवल (जिला सुल्तानपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि सुल्तानपुर जनपद के बेसिक शिक्षा परिषद् के विद्यालय की अध्यापिकाओं को ग्रामीण भत्ता विगत कई वर्षों से नहीं मिला है ? यदि हां, तो कब से और क्यों और क्या सरकार इसे शीघ्र दिलाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री रामजी लाल सहायक—

1 अगस्त, 1972 से वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापक/अध्यापिकाओं का वेतनमान पुनरीक्षित कर दिया गया है। नवीन वेतन-मानों में अध्यापिकाओं के लिये ग्रामीण भत्ता दिये जाने का कोई प्राविधान नहीं है इसके पूर्व की अवधि के ग्रामीण भत्तों के भुगतान का दायित्व जिला परिषदों का था।

सुल्तानपुर जिले के भवन विहीन प्राथमिक विद्यालय एवं टाट-पट्टी मेज कुर्सी की आपूर्ति

13—डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि सुल्तानपुर जिले के दूबेपर, कुड़वार, भटैया तथा मुसाफिरखाना विकास खंडों में अलग-अलग कितते प्राथमिक विद्यालय हैं ? इन विद्यालयों में से कितने ऐसे हैं जहां भवन नहीं हैं तथा कितने के भवन जीर्ण अवस्था में हैं ?

श्री रामजी लाल सहायक—

दूबेपुर में 78, कुडवार में 74, भटैया में 78 तथा मुसाफिरखाना में 65 अर्थात कुछ 295 प्राथमिक विद्यालय हैं।

उपर्युक्त में से 70 विद्यालयो में भवन नहीं हैं तथा 86 में जीर्ण अवस्था में हैं।

14—डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल—

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि सुल्तानपुर जिले में बेसिक शिक्षा परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को दो वर्षों से टाट, कुर्सी, में जों का दिया जाना बन्द है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रामजी लाल सहायक—

वर्ष 1973–74 में टाट-पट्टी, मेज–कुर्सी आदि क्रय करने की व्यवस्था जिला परिषद ने नहीं की थी। वर्ष 1974–75 में टाट पट्टियों को क्रय करके जनपद के 12 क्षेत्रों में वितरित कर दिया गया है। शेष 9 क्षेत्रों के लिए टाट–पट्टी क्रय करने की व्यवस्था की जा रही है। मेज–कुर्सी की भी व्यवस्था की जा रही है।

राजकीय सीनियर बेसिक स्कूल एवं जिला परिषदीय सीनियर बेसिक स्कूलों के वेतन-मान में अन्तर

15—श्री राम प्रकाश त्रिपाठी तथा श्री राम चरन शाह (जिला लखीमपुर-खीरी)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा निदेशालय के अन्तर्गत चलने वाले रा0 सी0 बे0 स्कूल तथा जिला परिषदीय सी0 बे0 स्कूलों में क्रमशः वेतन-क्रम क्या हैं और दोनों के वेतन में यह अन्तर क्यों हैं ?

श्री रामजी लाल सहायक—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

सिंचाई विभाग की जिलेदारी परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवार

16—श्री दधीच सिंह (जिला हरदोई)—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि दिसम्बर, 1969 में हुई जिलेदारी की परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारान में से कितने व्यक्ति की नियुक्ति अब तक कर दी गई है और कितने शेष हैं ? कृपया यह भी बताया जाये कि जिलेदारी के रिक्त स्थानों पर कितने ऐसे व्यक्ति अनियमित रूप से लगे हैं जो बिना चीफ आफिस की नियुक्ति के हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

प्रश्न से सम्बन्धित सूचना सिंचाई विभाग के विभिन्न जिलों से एकत्रित की जा रही है।

17—श्री रघुनाथ सिंह—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

एटा जिले के पटियाली घुमरी मार्ग तथा अमापुर-सिद्धपुरा मार्ग का निर्माण

18—श्री प्यारे लाल वर्मा (जिला एटा)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एटा जिले के पटियाली से घुमरी जाने वाले मार्ग के निर्माण पर अब तक कितना धन व्यय हो चुका है ? इसका निर्माण कार्य कब तक पूर्ण होना था तथा कब तक पूर्ण हो जायगा और क्या उपरोक्त मार्ग का निर्माण कार्य आज कल स्थगित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

प्रश्नगत मार्ग पर 70,000 रु0 व्यय हो चुका है। इस मार्ग का निर्माण सूखा ग्रस्त योजना (टेस्ट वर्क) के अन्तर्गत कराया गया था। 1974–75 वर्ष में टेस्टवर्क के लिये कोई अनुदान विभाग को नहीं मिला। अतएव इस वर्ष कोई कार्य नहीं किया जा सका।

19—श्री प्यारे लाल वर्मा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एटा जिले में अमापुर-सिद्धपुरा मार्ग पर 5 मील तक जो मिट्टी पड़ चुकी है तथा सोलिंग हो चुकी है इसे कब तक पक्का करा दिया जायगा। तथा शेष 5 मील के टुकड़े का निर्माण कार्य का प्रारम्भ कब से कराया जायगा ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जिला एटा में अमापुर–सिद्धपुरा मार्ग के केवल 8 किलोमीटर भाग का निर्माण शासन द्वारा अक्तूबर, 1971 में स्वीकृत किया गया था किन्तु बाद में विस्तृत सर्वेक्षण करने के उपरान्त ज्ञात हुआ कि शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि से केवल 5 किलोमीटर भाग का निर्माण हो सकता है। उक्त लम्बाई में मिट्टी एवं सोलिंग का कार्य पूरा हो चुका है। अगर आवश्यक धन उपलब्ध होता रहा तो आशा है कि यह भाग मार्च, 1976 तक पक्का किया जा सकेगा। शेष भाग के निर्माण का प्रश्न तभी उठेगा जब कि उसके लिये शासन की स्वीकृति दे दी जाय।

राजकीय इन्टर कालेज, बदायूं के अध्यापकों के वेतन में कटौती

20—श्री बृजपाल सिंह यादव (जिला बदायूं)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कि राजकीय इन्टर कालेज, बदायूं में किन-किन सहायक अध्यापकों का कुछ दिनों का वेतन शिक्षा सत्र 1972–73 में काट लिया गया ? यदि हां, तो वेतन काटने का कारण क्या है तथा उसका भुगतान कब तक कर दिया जायगा ?

श्री राम जी लाल सहायक—

जी हां। निम्नलिखित दो सहायक अध्यापकों का वेतन काटा गया :—

1—श्री यमुना प्रसाद सिंह राठौर, एल0 टी0 वेतन-क्रम तथा

2—श्री लक्ष्मी नारायण मिश्र, सी0 टी0 वेतन-क्रम।

वेतन काटने का कारण राजकीय धन की क्षति है। अतः उसे वापस करने का प्रश्न नहीं उठता।

नव वर्ष की शुभकामनायें एवं कलकत्ते में भारतीय टीम द्वारा टेस्ट मैच जीत लेने की सूचना

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

अध्यक्ष जी, नये साल की बधाई आपको, आपके द्वारा सचिवालय को, सारे सदन को और उत्तर प्रदेश की जनता को देना चहता हूं। इसी के साथ एक शुभ–सूचना यह भी देना चाहता हूं कि कलकत्ते में हिन्दुस्तान की टीम ने टेस्ट मैच जीत लिया है।

(मेजें थपथपाई गईं)

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने नये साल की मुबारकबाद दी है लेकिन जहां मैं उनके इस जेस्चर के लिये उन्हें धन्यवाद देता हूं वहीं दूसरी ओर मैं आपके जारिये उनसे यह दरख्वास्त कर उम्मीद करता हूं कि इस वर्ष वे जनता की अधिक सेवा करेंगे, अधिक ईमानदारी और कुशलता से करेंगे बमुकाबले जो वे 25 साल से करत आये हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो शुभकामनायें प्रकट की हैं मैं भी अपनी ओर से और अपने दल की ओर से उनके लिये तथा सारे सदन के लिये शुभकामनायें प्रकट करता हूं।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

मान्यवर, नेता सदन ने जो बधाई सारे सदन को दी है और नये साल की शुभकामनायें प्रकट की हैं उसमें एक निवेदन मेरा भी है कि इस सरकार ने नये साल की शुरुआत जो चतुर्थ श्रेणी के 20 हजार कर्मचारियों की सेवाओं को लेकर किया है और उनकी छंटनी की है, उसे वह न करें। यदि उनकी छंटनी सरकार करती भी है तो सरकार को छंटनी का भत्ता उन्हें देना चाहिये। इसकी घोषणा नये साल से हो जानी चाहिये ताकि नये साल से वे मारे न जायं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं भूल गया। आपके लिये भी शुभकामनायें नव-वर्ष की प्रकट करता हूं कि आपका जीवन लम्बा एवं मंगलमय हो।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदन ने जो मंगल शुभकामनायें व्यक्त की हैं और जो हर्षोद्गार व्यक्त किये हैं उससे मैं अपने को हृदय से और प्रेम से सम्बद्ध करता हूं।

व्यवस्था के प्रश्न

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि हमारा जो इन्फारमेशन डिपार्टमेन्ट है उसके पुनर्गठन के लिये मुख्य मंत्री जी ने 16 दिसम्बर को एक कमेटी गठित की है। इसके बारे में मैंने एक प्रस्ताव भेजा है।

श्री अध्यक्ष—

विशेषाधिकार के प्रश्न के बाद यह होगा.....

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

अध्यक्ष महोदय मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है.....

श्री अध्यक्ष—

आप जो यह सवाल उठा रहे हैं यह उसके बाद

(व्यवधान)

यह जो सवाल उठाया गया उसका जबाब माननीय मुख्य मंत्री जी ने दे दिया माननीय मुख्य मंत्री जी के मकान के बारे में उसका जबाब दे दिया।

(व्यवधान)

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

अध्यक्ष महोदय, 30 तारीख को जो कार्य-स्थगन प्रस्ताव पेश किया गया था उसमें इलाहाबाद के जिस मकान में वह किराये पर रहते हैं उसमें पहले 4 कमरे थे और बाद में 11 कमरे जोड़ दिये गये जिस पर करीब एक लाख की लागत. . . . . .

श्री अध्यक्ष—

इस तरह से नहीं होगा। आप इस तरह से सवाल उठाते हैं और उसका जबाब भी माननीय मुख्य मंत्री दे देते हैं और फिर आप चाहते हैं कि इस तरह से सवाल उठाते जायं। यह कहां तक उचित है (व्यवधान) ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। आप बैठ जायं।

श्री त्रिवेणी सहाय—

मेरा अध्यक्ष महोदय विधान सभा की नियमावली से. . . . . .

श्री अध्यक्ष—

अभी इस मामले में व्यवस्था नहीं उठा सकते हैं।

नेशनल हेराल्ड तथा इन्डियन एक्सप्रेस में श्री रामरति बिन्द का नाम गलत छापने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक माननीय सदस्य ने विशेषाधिकार का सवाल उठाया है कि दिनांक 30-12-74 को भारतीय लोक दल के सदस्य श्री रामरति बिन्द (जिला वाराणसी) ने अन्य सदस्यों सहित नियम 56 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचर संबंधी बाटी गई एक छपी नोटिस के आधार पर एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जिसके संबंध में नेशनल हेराल्ड (लखनऊ) तथा इंडियन एक्सप्रेस (नई दिल्ली) के दिनांक 31-12-74 के अंक में समाचार प्रकाशित हुआ है जो संलग्न है वह इस प्रकार है—Mrs. Ram Rati Devi a BLD member through a notice of an adjourment sought a debate on the allegations,

खेद का विषय है कि इस समाचार में श्री राम रति विन्द विधायक का नाम गलत तौर से छापा गया और उनको मिसेज रामरती देवी बना कर पुरुष से स्त्री कर दिया जब कि लिंग परिवर्तन का अधिकार संवाददाता अथवा समाचार-पत्रों को नहीं है। यह लिंग भेद गलत कर दिया है। यह आजकल का जमाना है, बड़ा आम हो गया है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

अखबार ने रामरती देवी लिख दिया।

श्री अध्यक्ष—

अखबार ने गलत लिख दिया वैसे लिखना चाहिये था श्री रामरति बिंद।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

उसमें श्रीमती लिखा है।

श्री अध्यक्ष—

वह नहीं होना चाहिये था।

आगे इस प्रकार हैं "इससे सदन के सदस्यों में बड़ा भय व्याप्त है। आज नव वर्ष का प्रथम दिन हैं। अतएव नेशनल हेराल्ड (लखनऊ) के प्रकाशक श्री एस0 डी0 पिल्लई तथा संपादक श्री राव व श्री सी0 एन0 चितरंजन तथा इंडियन एक्सप्रेस (नई दिल्ली) के प्रकाशक श्री एम0 एम0 दुगार तथा संपादक मुख्य श्री एस0 मुलगाओकर तथा दिल्ली के संपादक श्री आर0 डी0 क्वाटर के विरुद्ध सदन का विशेषाधिकार भंग करने व अपमान की नीटिस मैं दे रहा हूं।

यह अग्राह्य है।

श्री अध्यक्ष--

वह नहीं होना चाहिये था।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

इसके जो एडीटर हैं नेशनल हेराल्ड के, उनके विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न हैं।

श्री काशी नाथ मिश्र (जिला बलिया)--

अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है आज अविश्वास प्रस्ताव विरोध पक्ष की ओर से आया है इसलिये कोई कार्य-स्थगन प्रस्ताव पेश नहीं हो सकता है विरोधी पक्ष की ओर से।

श्री अध्यक्ष--

विशेषाधिकार का सवाल तो आता है। (व्यवधान) बात यह है कि आज कल के जमाने में, इस वैज्ञानिक जमाने में वास्तविकता परिवर्तित हो सकती है तो नकली से आप क्यों डरते हैं। औरत और मर्द का समान अधिकार है। इस युग में जो वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं तो उसमें क्या फर्क रह गया है।

श्री कृष्ण राय (जिला देवरिया) --

यह प्रतापगढ़ से शुरू हुआ।

श्री अध्यक्ष--

नहीं, यह देवरिया से शुरू हुआ।

चिकित्सा मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

माननीय सर्वश्री एदल सिंह, शिव प्रसाद, मुलायम सिंह यादव तथा जंग बहादुर सदस्यगण, विधान सभा ने . . . .नियम 63 के अन्तर्गत सूचना दी है कि माननीय चिकित्स एवं स्वास्थ्य मन्त्री ने श्री गिरराज किशोर शर्मा, सेनेटरी इन्सपेक्टर, जेवर, जिला बुलन्दशहर का, जो 6 वर्ष से जेवर में ही तैनात हैं तथा 14 वर्ष जिला बुलन्दशहर में ही रह चुके हैं, वर्ष 1974 में 8 बार स्थानान्तरण निरस्त करके विशेषाधिकार की अवहेलना की है और सदन का अवमान किया है।

श्री मुलायम सिंह यादव (जिला इटावा)—

श्रीमन्, यह बड़ी गम्भीर बात है। यह बात भ्रष्टाचार और पक्षपात को दर्शाती है।

श्री अध्यक्ष—

यह विशेषाधिकार का प्रश्न कैसे है। आप अविश्वास का प्रस्ताव लायें, गलत काम हो ता आप उसकी आलोचना करें, लेकिन यह कैसे हो सकता है।

खाद्य मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक और है, माननीय पुरुषोत्तम कौशिक तथा श्री मधुकर दिघे ने सूचना दी है कि 30 सितम्बर, 1974 को श्री बाबू लाल वर्मा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए माननीया खाद्य मन्त्री ने अपने उत्तर में कहा कि प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में भुखमरी की स्थिति नहीं है। माननीय सूचना देने वाले सदस्यों का कहना है कि माननीय खाद्य मन्त्री का यह उत्तर ठीक नहीं है और उन्होंने इस उत्तर को देकर सदन को भ्रमित व गुमराह किया है। अत: माननीय सदस्यों ने माननीया खाद्य मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना दी है।

माननीय खाद्य मन्त्री ने श्री बाबू लाल वर्मा के तारांकित प्रश्न संख्या 1 (नत्थी "ख") का उत्तर देते हुए यह कहा था कि, "प्रदेश के ग्रामीण अंचलों से भुखमरी की स्थिति की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।" बाद में अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में उन्होंने यह, अवश्य कहा था कि, "बाकी तो ग्रामीण अंचल के लोगों को स्वयं किसान मोटा अनाज मजदूरी के रूप में देते हैं। इस तरह से आज उत्तर प्रदेश में कहीं भी यह स्थिति नहीं है।"

उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी करण के पैरा 207 के अनुसार सदन में जो सूचना शासन की ओर से दी जायेगी उसकी सत्यता का दायित्व शासन के ऊपर होगा। यदि किसी सरकारी अधिकारी से प्राप्त सूचना के आधार पर मंत्री द्वारा सदन में ऐसी सूचना दी जाय जो गलत सिद्ध हो तो मन्त्री सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही करेंगे और उसकी सूचना सदन को भी देंगे।

विशेषाधिकार की अवहेलना या सदन के अवमान का प्रश्न तभी उत्पन्न हो सकता है जब सदन को गुमराह करने का कोई षडयन्त्र हो। सरकारी अधिकारियों द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर किसी प्रश्न का गलत उत्तर देने से विशेषाधिकार की अवहेलना या सदन के अवमान का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। अत: मैं विशेषाधिकार की अहेलवना के प्रश्न की सूचना को अग्राह्य करता हूं।

*श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया) —

30 दिसम्बर, 1974 को श्री बाबूलाल वर्मा द्वारा पूछे गये प्रश्नों के उतर में माननीया खाद्य मन्त्री ने कहा कि ग्रामीण अंचलों में खाद्यान्नों का अभाव नहीं है, जबकि मैं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री पुरुषोत्तम कौशिक]

आपको बताता हूं वास्तविकता ठीक इसके विपरीत है। 21 दिसम्बर, को हमारे यहां मुसम्मात मोती रनिया, जाति गड़रिया, ग्राम सभा डाला, रुद्रपुर ब्लाक भूख के कारण तड़प-तड़प कर मर गई। इसके अलावा विन्ध्याचल कमकर, ग्राम सभा मठिया, ब्लाक रुद्रपुर भी 25 दिसम्बर को क्षुधा पीड़ित अवस्था में मर गया। इतना ही नहीं तमाम स्थानों पर जैसे गंगोली, पिपरासी, शिवपुर, बढ़वलिया, घटनीछापर, मखलिया, सेखवनिया, बतरौली, कल्याण छापर, खेरटिया, पिपराजरामपुर, बलडीहा, बेलही, टड़वा, नानीयायही आदि तमाम जगहों पर लोग अन्न न मिलने के कारण भूख से तड़प रहे हैं। वे लोग भूख के मारे केकड़े और मछली खाने को विवश हैं, जिसके कारण उनमें कालरा फैला और बहुतों की मृत्यु हुई। 160 आदमी सरकारी रिपोर्ट के अनुसार मर गये हैं और खाद्य मन्त्री जी कहती हैं कि खाद्यान्न का कोई अभाव नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

यह तथ्य हो सकता है, आप तथ्य के बारे में अपनी बात कह सकते हैं। लेकिन उन्होंने जो कुछ कहा है वह उन्होंने अपनी सूचना के आधार पर कहा है, जो उन्हें अधिकारियों से प्राप्त हुई हैं?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

जिन्होंने गलत सूचना दी है, आप उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष--

वह आप कह सकते हैं, वह पूछा जा सकता है। लेकिन यह विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं बनता।

उपाध्यक्ष के निर्वाचन कार्य-क्रम के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष--

मुझे एक और प्रश्न की सूचना देनी है --

सदन जानता है कि अभी तक उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ। कल बहुत से माननीय सदस्य नहीं थे जब चौधरी साहब की तरफ से बात आयी कि चुनाव हो जाना चाहिए जैसा कि नेताओं की बैठक में तय हुआ था। मैंने उचित समझा कि आज यहां पहले अपने को सदन के अधिकारों के अन्तर्गत यह घोषित करूं कि कल 12 बजे तक नामजदगी और 3 तारीख को चुनाव हो, अगर सहमत हो जायें।

मुख्य मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगणा)--

हमें कोई उज्र नहीं।

श्री अध्यक्ष--

तो कल 12 बजे प्रश्नों के समय तक नामजदगी का अन्तिम क्षण है। अब ऐलान हो गया। तो आप नामजदगी कर सकते हैं आज से लेकर कल 12 बजे तक।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)--

एक व्यवस्था का प्रश्न है।

मुख्य मन्त्री द्वारा सूचना विभाग के पुनर्गठन हेतु समिति के गठन पर आपत्ति

*चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, मैं जैसा आप से अर्ज कर रहा था, किसी भी विशेषाधिकार या एडजर्नमेंट मोशन आदि से अधिक महत्व की बात आपकी इजाजत से सदन के सामने रखना चाहता हूं। माननीय मुख्य मन्त्री के विचार के लिये। अभी उन्होंने सूचना विभाग का पुनर्गठन करने के लिये एक कमेटी बनायी है। उसमें पांच सदस्य हैं। उन सदस्यों के नाम ये हैं :—

श्री उपेन्द्र बाजपेई, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव, टाइम्स आफ इन्डिया, नयी दिल्ली, समिति के सभापति। सर्वश्री इशरत अली सिद्दीकी, एडीटर, कौमी आवाज, लखनऊ; चन्द्रकुमार, न्यूज एडीटर "आज", वाराणसी; भास्कर राव, प्रोफेसर इन्डियन इन्स्टीट्यूट आफ मास केम्युनिकेशन, नयी दिल्ली; के0 के0 नायर, डाइरेक्टर, मिनिस्टरी आफ इनफार्मेशन ऐन्ड ब्राडकास्टिंग, गवर्नमेंट आफ इंडिया।

ये इसके मेम्बर होंगे और डाइरेक्टर आफ इनफार्मेशन, यू0 पी0, उसके मेम्बर सेक्रेटरी होंगे।

अब मुझे अर्ज करना है, कि बात जरा इसमें व्यक्तिगत आ जाती है, लेकिन बिना इसके काम नहीं चलगा, व्यक्तिगत भी नहीं है, बल्कि व्यक्तियों की ओपीनियन का सवाल होता है। शुरू में जो तीन मेम्बर्स सुनाये हैं वह तीनों आई0 एफ0 डब्ल्यू0 जे0 (इन्डियन फेडरेशन आफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स) के मेम्बर हैं। फेडरेशन आफ जर्नलिस्ट्स कम्युनिस्ट कन्ट्रोल्ड हैं। यहां जो उसके सेक्रेटरी हैं, कार्ड होल्डर हैं और उनकी धर्मपत्नी एक रूस की ही महिला हैं और साथ मास्को भी रह चुके हैं। आई0 एफ0 डब्ल्यू0 जे0 के सेक्रेटरी वह सज्जन हैं। यह साम्यवादियों द्वारा प्रशासित और कन्ट्रोल्ड संस्था है। यह तीनों जो सदस्य माननीय मुख्य मन्त्री ने पुनर्गठन के लिये रखे हैं वह उसी फेडरेशन के मेम्बर हैं। इनमें से ये सज्जन सब यहां रह चुके हैं।

एक बार पहले भी कोशिश की गयी थी कि जब माननीय लाल बहादुर शास्त्री थे। उन्होंने उस कोशिश को बेकार कर दिया था कि इस तरह का एक कम्युनिस्ट कन्ट्रोल्ड संगठन हो जाय जो कम्युनिस्टों के हितों का सम्पादन करे। यह चेयरमैन जो हैं, मैं जानता हूं उनको, बहुत दिनों से यहां भी रह चुके हैं, श्री बाजपेई, कोई विशेषता नहीं, योग्य से योग्य हमारे यहां बड़े से बड़े अपने देश के अन्दर अखबारों के जर्नलिस्ट्स मौजूद हैं लेकिन यहां पर कोई विशेष योग्यता उस वक्त भी नहीं रखते थे और उन्होने उस वक्त भी कोशिश की थी। जैसा मैंने कहा कि माननीय लाल बहादुर शास्त्री के जमाने में नाकामयाब रहे। वह फौरन यहां से चले गये। एक तो वह हैं। दूसरे सम्पूर्णानन्द जी के जमाने में। बुरा न माने माननीय मुख्य मन्त्री जी, श्री बाजपेई जी का विशेष सम्पर्क हमारे बहुगुणा जी के साथ भी रहा है। दोस्त हैं। श्री इशरत अली, एडीटर कौमी आवाज, बाजपेई जी के पर्सनल फ्रेन्ड हैं, यह भी आई0 एफ0 डब्ल्यू0 जे0 के मेम्बर हैं। श्री चन्द्र कुमार, न्यूज एडीटर, वाराणसी के हैं और बाजपेयी जी के दोस्त हैं। इसके अलावा वह आई0 एफ0 जे0 डब्ल्यू0 के मेम्बर भी हैं। इनमें से किसी को प्रसाशन का कोई तजुर्बा नहीं है। इनमें कोई डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर वगैरह किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट पर नहीं रहा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चौधरी चरण सिंह]

लेकिन कम्युनिज्म का अच्छा प्रोपेगेन्डा कर सकते हैं। लेकिन किसी डिपार्टमेंट को आर्गनाइज करने के लिये ऐसे आदमी की जरूरत होती है जिसको प्रशासन का प्रीवियस एक्सपीरियन्स हो। उल्टे यह है कि डाक्टर पैना एक रिपोर्ट दे चुके हैं। अब वह गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया के इन्फारमेशन के बड़े आफिसर के पद से रिटायर हुये हैं। वह कुछ दिन पहले यहां आये और उन्होंने यह रिपोर्ट दी। लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हुआ। इसके बनाने का उद्देश्य यह है कि किसी तरह से गवर्नमेंट के इन्फारमेशन डिपार्टमेंट को कांग्रेस दल के लिये इस्तेमाल किया जाय श्री भास्कर राव इन्डियन इन्स्टीट्यूट आफ मास कम्युनिकेशन के हैं। उनका नाम ही कम्युनिस्ट होना बताता है। तीनों कारस्पोन्डेन्ट्स यहां रहे हैं। श्री गोविन्द सिंह नेगी सीधा-सादा नाम है। अगर इनके नाम के आगे मास कम्युनिकेशन का शब्द जुड़ जाय तो इसका लोग अलग से अर्थ लगा लेंगे कि यह कम्युनिस्ट हैं।

एक दफा कोशिश होती है, कि रशियन न्यूज एजेन्सी तास से रुपया लेकर यहां एक इन्स्टीट्यूट बनाया जाय। लेकिन वह कोशिश हमारे स्वर्गीय शास्त्री जी ने खत्म कर दी; एक सज्जन श्री आर0 बी0 ओझा ने जो न्यूज एडीटर नवजीवन में थे। स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी के जमाने में बाजपेयी जी ने कोशिश की थी कि यहां पर एक एजेन्सी हो जिसको रशियन तास एजेन्सी मदद करेगी। ये उससे सम्बन्ध जोड़ने जा रहे थे कि शास्त्री जी को मालूम हो गया तो उन्होंने इस कोशिश को खत्म कर दिया। पहली कोशिश नाकामयाब होने के बाद उसको फिर से पुनर्जीवित करने की कोशिश की गई है। वह कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक आइडियल पार्टी है और वह उसी रास्ते पर जा रहे हैं। वह कहते हैं कि हमारी प्रधान मन्त्री बयान दे चुकी हैं कि हमारी डोमेस्टिक और फारेन पालिसी कम्युनिस्ट पार्टी के सिमलर है। लेकिन उनको यह मालूम होना चाहिये कि अभी हमारा मुल्क कम्युनिस्ट नहीं हुआ है।

कल ही हमारे साथी मलिक साहब ने सवाल किया था कि हमारे मुख्य मन्त्री कांग्रेस पार्टी के किसी फंक्शन के उद्घाटन में गये। उनको जाने का अधिकार है। लेकिन उसका कवरेज इनफारमेशन डिपार्टमेंट के जरिये होता है। यह आपत्तिजनक है। इससे ज्यादा आपत्तिजनक यह है कि मुख्य मन्त्री के ऊपर एक पुस्तिका लिखी गई है। स्टेट और गवर्नमेंट के डिफरेंस को मिटाया जा रहा है। एक तरफ किफायतसारी की बात करते हैं। अस्पतालों में मरीजों को खुराक के लिये पैसा नहीं है, दवा की बात को छोड़ दीजिये। वह जो इन्डोर पेसेन्ट होते हैं, वह वार्ड पूरी भरी पड़ी हुई हैं, आज उनके लिये पैसा नहीं है। गवर्नमेंट के काम बहुत से रूके पड़े हैं। इनफारमेशन डिपार्टमेंट का रिआर्गेनाइजेशन करने की इस वक्त शख्त जरूरत है। मैं यह चाहिता हूं कि शाम को इस मामले पर विचार हो जाय। मैंने दफा 52 में आपके पास नोटिस भेजा है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

मान्यवर, किसी नियम से तो सदन चलेगा। कोई प्रस्ताव नेता विरोधी दल का हो आप पढ़ें। हम 3 घन्टे भाषण सुनेंगे। लेकिन वह प्रस्ताव पढ़े और आप मूक बैठ जाते हैं और भाषण होने लगता है .... (व्यवधान)।

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री काशीनाथ मिश्र अपना शब्द वापस लें..... (व्यवधान)।

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर श्री काशीनाथ मिश्र को अपने शब्द वापस लेने के लिये कहने लगे ।)

(व्यवधान)

श्री गंजी प्रसाद (जिला वाराणसी)—

माननीय काशीनाथ मिश्र, मान्यवर, इस प्रकार से अक्सर कहा करते हैं, वह अपना शब्द वासप लें ..... (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष—

माननीय काशीनाथ मिश्र जैसे स्वाभाव के बहुत से लोग हैं, जिनमें माननीय काशीनाथ मिश्र आगे हैं। (व्यवधान)।

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर कुछ कहने लगे जो कि साफ सुनाई नहीं पड़ रहा था।)

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, कभी-कभी ऐसी विशेष परिस्थितियां रहती हैं, जैसे अभी धन्यवाद देने के लिये हमारे माननीय मुख्य मन्त्री जी खड़े हो गये, नियम नहीं माना खड़े हो गये। हमने सबका स्वागत किया। तो कभी-कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं, तो मान लिया जाता है, चाहे जितना विचारवान व्यक्ति कोई क्यों न हो वह उनके अनकूल करेगा। टैसिट कंसेंट माना जायगा। तो मैं कहता हूं कि आज जान है। डिमाक्रेसी की। डिमाक्रेसी सांस ले रही है। और अब आखिर दम घुटने का यह इरादा न कीजिये। मैं मान्यवर, अपने को बिलकुल एसोसियेट करता हूं जो चौधरी साहब ने कहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इन्फारमेशन डिपार्टमेंट के रिआर्गेनाइजेशन के बारे में विस्तृत रिपोर्ट मंगाई गई और उस पर कार्यान्वियन आज तक भी नहीं हुआ, क्या कारण है कि दूसरी समिति गठित कर दी गई? यह दूसरी समिति क्यों गठित कर दिया और जब दूसरी समिति गठित भी किया तो उसमें दिल्ली के जितने एजेन्ट्स हैं, सब रख दिये गये। इनको क्या कोई वरिष्ठ व्यक्ति यहां पर नहीं मिल रहा था। आपने दिल्ली के लोगों को उस समिति में रखा। आप उनकी सांठ-गांठ से हत्या कर देना चाहते हैं, डेमोक्रेसी की। दिल्ली के लोगों का यहां आने जाने में कितना खर्च होगा। सारे देश का वह भ्रमण करेंगे। आप उसमें योग्य व्यक्तियों को रखते। इस डेमोक्रेसी के हित में आप ऐसा करें जिससे सबका विश्वास हो। कहीं ऐसा न हो कि सभी न्यूज एजेंसियां इनके कब्जे में चली जायें और दूसरी जो न्यूज एजेन्सियां हैं उनको समाचार ही न दें। इससे प्रजातंत्र पर कुठाराघात होगा। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस पर पुनर्विचार करें। आपने बहुत सी कमेटीज और कारपोरेशन्स बनायें, लेकिन अब आपसे मेरी प्रार्थना है इस पर हाथ न लगायें। एक आध चीज को तो स्वतन्त्र छोड़िये। इसीलिये मैं कहता हूं कि यह बहुत महत्व की बात है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

माननीय काशीनाथ मिश्र ऐसा समझ रहे हैं कि चौधरी साहब ने इसे अभी उठा दिया है। उन्होंने इसको नियम 52 के अन्तर्गत दिया था? मैं इसको पढ़े देता हूं, "हम लोग निम्नलिखित लोक महत्व के विषय पर अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सदन में चर्चा उठाना चाहते हैं—

शासन द्वारा सूचना निदेशालय का पुनर्गठन करने के लिए हाल ही में जो समिति गठित की गयी है वह शासक दल तथा मुख्य मन्त्री के दलीय लाभ तथा व्यक्तिगत प्रकार के दृष्टिकोण से की गयी है। इससे सूचना विभाग का दुरुपयोग तो होगा ही, प्रेस की स्वतन्त्रता को भी आघात पहुंचेगा?"

व्याख्यात्मक टिप्पणी

आज प्रदेश गम्भीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। ऐसे समय में इस कमेटी का गठन करके तथा पूरे देश में भ्रमण की सुविधा देकर सरकार ने घोर अपव्यय को बढ़ावा दिया है। अनावश्यक रूप से इस समिति का निर्माण इस बात का प्रमाण है कि मुख्य मन्त्री के कुछ निजी मित्रों को जो पत्रकारों की एक संस्था विशेष के सदस्य हैं लाभ पहुंचाने व प्रतिष्ठा देने का यह प्रयास है। इसकी भी आशंका है कि सूचना निदेशालय का जो कि सरकारी प्रचार का एक प्रमुख माध्यम है, गठन इस ढंग से किया जायगा जिससे अधिनायकवादी देशों की तरह प्रचार के साधनों पर एक दल विशेष का प्रभुत्व यहां भी बना रहे।

श्री शिव कुमार पान्डेय (जिला सुल्तानपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें। चौधरी साहब ने उपयुक्त समय पर इसको उठाया है। चौधरी साहब ने नम्बर 7 पर अविश्वास का प्रस्ताव रखा है। तो उसके बाद इसको नहीं उठा सकते हैं। यह उनका संसदीय चातुर्य है कि उसके पहले उन्होंने उठा लिया। इसीलिए मैंने उनको अनुमति दी।

श्री शिव कुमार पान्डेय—

मान्यवर, हमारे साथ भी तो ऐसा व्यवहार होना चाहिए। हमसे तो कह देते हैं कि अविश्वास के प्रस्ताव में चर्चा हो जायेगी। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो सम्मान नेता विरोधी दल को दें वही इस पक्ष को भी दें।

श्री अध्यक्ष—

अभी नियम 51 की सूचना दे दी गयी है। निर्णय तो हमारे पास है, लेकिन जो उनका या आपका हक है उसको हम कैसे रोक सकते हैं।

श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)—

अध्यक्ष जी, मुझे इस विषय पर बोलने की जरूरत न पड़ती अगर हमारी पार्टी का नाम इसमें न आता। चूंकि आपने माननीय चौधरी साहब को प्रश्न उठाने की इजाजत दे दी, उस पर मैं आपत्ति नहीं करता हूं, लेकिन अगर इस तरह से दल गत चीजों

को उठाने की कोशिश की जायगी तो कल चौधरी साहब एक प्रश्न यह भी कह सकेंगे कि आज केन्द्रीय मन्त्रिमन्डल में या इस सरकार के अन्दर या इस सरकार की पार्टी में कितने एक्स कम्युनिस्ट लोग बैठे हैं, उनको निकाला जाय।

जहां तक इस कमेटी का सम्बन्ध है, इसमें कौन कम्युनिस्ट हैं, कौन एक्स कम्युनिस्ट हैं, मैं नहीं जानता हूं किसी के सम्बन्ध में लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि जो कमेटी सूचना विभाग के रिआर्गेनाइजेशन के लिये सरकार ने बनाई है, वह मेरा अनुमान है ऐसी होगी कि जिसमें प्रेस से जितन सम्बन्धित लोग हैं, वे वही होंगे जिनका पत्रकारिता से सम्बन्ध है जो योग्य हैं, विद्वान् हैं, प्रगतिशील हैं। अगर आज पत्रकारिता में काम करन वाले विद्वान्, अनुभवी, प्रगतिशील लोग कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बनते हैं, जनसंघ और भारतीय लोक दल के सदस्य नहीं बनते तो यह सदन कोई सहायता नहीं कर सकता है।

*श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, माननीय नेता विरोधी दल के श्रीमुख से इस समिति के अध्यक्ष श्री उपेन्द्र बाजपेयी के सम्बन्ध में जो सूचना दी गई है, हो सकता है, कि वे पत्रकार हों, उन दिनों जब चौधरी साहब मन्त्री थे लेकिन मैं सदन को, आपके माध्यम से सूचित करना चाहता हूं कि 1942 की क्रान्ति में श्री उपेन्द्र बाजपेयी आगरा जेल में थे और मेरे साथ रहे हैं। वे आदर्श देश भक्त हैं। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सम्पादकाचार्य स्वर्गीय पंडित अम्बिका प्रसाद बाजपेयी जो हिन्दी के महानतम व्यक्ति थे, ये उनके सुपुत्र हैं। साथ ही साथ जहां तक उनकी योग्यता और क्षमता का सम्बन्ध है, हमसे ज्यादा वे लोग जानते हैं जिनका पत्रकारिता से नाता रहा होगा। एक आदमी जिसने अपना जीवन हिन्दी पत्रकारिता से आरम्भ किया और जिसकी हिन्दुस्तान टाइम्स जैसे अखबार, जो दिल्ली का अखबार है और पूंजीपतियों द्वारा संचालित अखबार है उसने उन्हें क्षपना विशेष संवाददाता नियुक्त किया हो। जहां तक चन्द्र कुमार जी का सम्बन्ध है वे "आज" जैसे राष्ट्रीय पत्र के संपादक हैं। "आज" अखबार ने देश की आजादी में कितना योगदान दिया है। आजादी की लड़ाई में जिनका रिश्ता इससे रहा है, वे जानत हैं। मेरे जैसा नौजवान तो मान्यवर चन्द्र कुमार राज वल्लभ के बारे में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि ये बलिया के हैं। कौमी आवाज अखबार को आप जानते हैं। आप जानते हैं इसरत साहब के बारे में जिसके बारे में कहा गया है। इस देश में जितने भी बड़े-बड़े अखबार निकलते हैं, अगर कोई ऐसे अखबार हैं कि जिन पर पूंजीपतियों का प्रभाव नहीं है तो वे हैं, नेश्नल हेराल्ड, कौमी आवाज और नवजीवन ये तीनों राष्ट्रीय अखबार हैं।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

इनका कहना तो बिल्कुल ऐसा हैं जैसे :

"उष्ट्राणाम च विवाहेषु
गीतं गायन्ति गर्दभा :
परस्परं प्रशंसन्ति,
अहो रूपं महो ध्वनि :।"

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रामायण राय--

आज आप स्वयं मान्यवर, वहां से बैठे बैठे अनुभव करते होंगें कि आज से पहले जनतांत्रिक मूल्यों पर आक्रमण कभी भी नहीं हुआ था। राज्य सरकार के इस निर्णय से जनतन्त्र को बल प्राप्त होगा। मैं जानता हूं उपेन्द्र बाजपेयी जिन दिनों पत्रकार यहां थे, डाक्टर सम्पूर्णानन्द का नाम चौधरी साहब ने लिया, कुछ ऐसे ही याद आ गया चौधरी साहब को, चौधरी साहब ने जब पहली बार इस्तीफा दिया था, यों तो उन्होंने कई बार इस्तीफा दिया था, तो उस समाचार को, उस पूरी चिट्ठी को जो चौधरी साहब ने अपने इस्तीफे के साथ भेजी थी, जब तक पूरी प्रकाशित नहीं कर दी तब तक वह रात भर काम करते रहे। उस जैसे योग्य आदमी की अध्यक्षता में यह समिति गठित हुई है इससे इस प्रदेश और देश का भला होगा। उत्तर प्रदेश सरकार के इस कार्य की विरोधी दल के नेता को सराहना करनी चाहिये।

श्री सत्यपाल मलिक (जिला मेरठ)--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। नेता विरोधी दल ने एक बात उठाई और विरोधी दल के नेताओं ने उस बात को सपोर्ट किया। इसके बाद कायदन मुख्य मन्त्री को बोलना चाहिये मन्त्री की स्टेपनी को नहीं बोलना चाहिये। (हंसी)।

श्री अध्यक्ष--

मेरी यह व्यवस्था है कि अगर नाम लिये जायेंगे और नाम के गुण में विरोधी दल जायेगा..... (व्यवधान)।

श्री रामायण राय--

उन्होंने हमारे व्यक्तित्व के विरुद्ध यह आरोप लगाया है, इसे वापस लें।

श्री सत्यपाल मलिक--

जो शब्द मैंने इस्तेमाल किया है उसका मतलब है "सहायक"।

(व्यवधान)

श्री रामायण राय--

मैंने अपने छोटे भाई को कभी भी चौधरी साहब का पिछलग्गू या ऐसा नहीं कहा। उन्होंने मेरे व्यक्तित्व पर जो इस तरह का आघात किया है मैं समझता हूं कि उनके लिये यह शोभा की बात नहीं है।

श्री सत्यपाल मलिक--

मैं माननीय रामायण राय जी का बहुत आदर करता हूं और उनसे अकेले में बहुत कुछ सीखने और पूछने की कोशिश करता हूं। 'स्टेपनी' शब्द का अर्थ सहायक या आपत्ति काल में मदद आने वाली चीज या व्यक्ति के लिये इस्तेमाल किया जाता है। मैंने किसी बुरी नीयत से यह नहीं कहा है। लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं तो मैं माफी चाहता हूं।

चौधरी चरण सिंह--

'स्टेपनी' शब्द माननीय रामायण राय जी को अच्छा नहीं लगा है। लेकिन किसी के अच्छा या बुरा लगने का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि क्या वह पार्लिया मेंटरी है या अनपार्लियामेन्टरी। अगर हाउस आफ कामन्स की प्रोसीडिंग्स को उठा कर देखें तो जिन लफ्जों को हम अनपार्लियामेटरी समझेंगे वह वहां पार्लियामेन्टरी करार दिये जाते हैं।

और इस स्टेपनी में तो कोई आइडिया खराब भी नहीं है। आप डिक्शनरी उठा कर देखिये, उसका अर्थ है आपत्ति काल में पूर्ति करने वाला।

श्री बालकृष्ण सनवाल (जिला नैनीताल)--

समाज में अलग-अलग शब्दों के अलग-अलग माने होते हैं। यहां स्टेपनी शब्द अच्छे मानों में नहीं लिया जाता। इसे वह आपस लें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

संसदीय परम्परा में बहुत कठोर शब्द प्रयोग में लाये जाते हैं.....

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ व्यवधान)

श्री ईश्वरी सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

मैं अपने बड़े भाई चौधरी चरण सिंह जी से एक निवेदन करना चाहता हूं... (व्यवधान) मैं उनकी इस बात से इत्तिफाक करता हूं कि शब्दों के ऊपर अधिक हमें नहीं जाना चाहिये, लेकिन मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि इन शब्दों के पीछे जो हुल्लड़बाजी मचाने तथा सदन की कार्यवाही रोकने की जो भावना है उसे वे स्वयं क्या अच्छा समझते हैं। मुझे उन पर पूरा भरोसा है, मैं उनकी नीयत को भी जानता हूं, सब के साथ मैं पिछले अधिवेशन में भी देखता आया हूं, आज भी देखता रहा और जब बेचैनी महसूस हुई तब बोलने के लिये खड़ा हुआ। मैं आशा करता हूं बड़े भाई चौधरी चरण सिंह साहब मुझे क्षमा करेंगे.... व्यवधान होने पर चौधरी साहब आपकी ही जेब की कठपुतली हैं यह मैं नहीं मानता, मेरा भी उनसे कुछ सम्बन्ध रहा है। (व्यवधान)।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़) --

अगर स्टेपनी शब्द पर एतराज है तो चमचा मान लीजिये।

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

बहुत खराब लगा हो तो गोमती में जाकर धो आइये..... (व्यवधान)।

श्री ईश्वरी सिंह--

क्या इस तरह की हुल्लडबाजी पर चौधरी साहब विचार करेंगे। क्या यह होना चाहिये? (व्यवधान)।

*चौधरी चरण सिंह--

मैं माननीय ईश्वरी सिंह जी को बहुत दिनों से जानता हूं, मेरा उनका साथ जेल में भी रहा है। मुझे वे माफ करेंगे अगर मैं यह कहूं कि मुझे उनसे यही शिकायत है कि जिस जगह वे बैठें हैं, वह जगह उनकी है नहीं। वह उनके लिये शोभा नहीं दे रही है। पर ऐसा है कि कुछ लोग केवल मोह के कारण उधर बैठे हैं। वैसे वे एक निहायत जिम्मेदार व्यक्ति हैं।

अब जहां तक हुल्लडबाजी की बात है, मैं स्वयं इसे रोकने की कोशिश करता हूं और चाहता भी हूं कि हुल्लडबाजी न हो। मैंने स्वयं कई दफा अपने साथियों की गलती

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चौधरी चरण सिंह]

को स्वीकार किया और उनकी तरफ से सदन में माफी भी मांगी। लेकिन उसके साथ एक शर्त है ..... (व्यवधान)

एक सदस्य--

चमचे इधर हैं। (कांग्रेस पक्ष में) तो कलछी उधर भी हैं।

चौधरी चरण सिंह--

मैं केवल यह कहना चाह रहा था कि सदन में केवल हमारे दल के ही मेम्बर नहीं हैं, दूसरे कई दल के मेम्बर हैं। सत्ता दल है और सत्ता दल की गलतियों को बतलाना हमारा कर्त्तव्य है, हमारा हक है। राइट भी है, ड्यूटी भी है और अगर हम यह बतलाते नहीं हैं तो जनता में अपने विश्वास को खोते हैं। यह शासक दल अपने कर्त्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है। जो मोटी बातें कई बार बतलायी गयी हैं उसको भी वह नहीं करता। यह चीज उसके नोटिस में लाना चाहते हैं तो उस समय कहने से कुछ हुल्लड़ हो जाय या कोई गलती हो जाय तो उसको मैं तसलीम करता हूं लेकिन उसके लिये केवल भारतीय लोक दल, जनसंघ या दूसरे विरोधी पक्ष के लोग ही दोषी नहीं हैं, उसके लिये शासक दल भी दोषी हैं। अगर आपका शासन अच्छा हो, नागरिकों की सेवा में बिलकुल रत रहें और आपकी कोई गलती न हो, कुशलता और ईमानदारी से प्रशासन चले तो हमें सवाल करने या रोष प्रकट करने की नौबत आयेगी ही नहीं। श्री रामायण राय जी ने एतराज किया कि उनके लिये स्टेपनी लफ्ज का इस्तेमाल किया गया, ठीक है, उनको इतराज करने का हक हासिल है लेकिन मैं समझता हूं कि यह शब्द पार्लियामेंटरी है, अनपार्लियामेन्टरी नहीं है। मसलन ऐसा मुझे कुछ याद पड़ता है कि एक बार हाउस आफ कामन्स में एक मेम्बर के लिये किसी ने कहा था कि "हि इज ब्रेइंग लाइक ए डंकी"। यानी वे गदहे की तरह चिल्ला रहे हैं। इस तरह का सख्त लब्ज कह दिया, उसे वहां की पार्लियामेन्ट में होल्ड किया गया कि वह बिलकुल पार्लियामेन्टरी है। तो उसकी बाबत यहां दो राय हो सकती हैं लेकिन माननीय सदस्य मलिक ने जो सवाल उठाया है वह केवल इतना है कि विरोधी पक्ष के नेता ने एक बात कही और माननीय त्रिपाठी जी ने उसका अनुमोदन किया, तो श्री मलिक का कहना केवल यह है कि उसके बाद माननीय बहुगणा जी को बोलना चाहिये, उनकी स्टेपनी को नहीं बोलना जाहिये। तो बतलाइये, इसमें हुल्लड़ क्या हो गया। मैं समझता हूं कि श्री मलिक ने जो कहा, जाहिर है कि वे राइट थे, उनकी कोई गलती नहीं थी।

श्री ईश्वरी सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, चौधरी साहब की बात से मैं सहमत हूं। मेरी इंगित करने की यही मंशा थी कि संजीदगी के साथ उनको इस पर विचार करना चाहिये कि कितनी जिम्मेदारी शासक दल की है उतनी ही जिम्मेदारी आपके दल की भी है जिससे इस सदन का संचालन अच्छी तरह से हो सके और हर एक को बोलने का मौका दिया जा सके। मैं फिर उनसे निवेदन करता हूं कि ताली दोनों हाथों से बजती है। मैं पुन: उनसे निवेदन करता हूं कि वे भी इस बात को मानेंगे कि इस सदन का संचालन अच्छी तरह से हो।

श्री जमुना प्रसाद बोस (जिला बांदा)--

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय चौधरी साहब ने जो यह कहा कि इन्डियन फेडरेशन आफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स पर कम्युनिस्टों का कन्ट्रोल है, उनका यह कहना बिलकुल गलत है। हिन्दुस्तान में पत्रकारिता के विकास के लिये एकमात्र आर्गनाइजेशन

इन्डियन फेडरेशन आफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स ही है जिसमें श्री बनारसी दास चतुर्वेदी जैसे हिन्दी के मूर्धन्य पत्रकार हैं, और उत्तर प्रदेश से श्री मुकर्जी हैं। इन लोगों का कम्युनिस्ट पार्टी से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस तरह से मेरा कहना यह है कि यह कहना इन्डियन फेडरेशन आफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स पर कम्युनिस्ट कन्ट्रोल है, यह सदन को गलत सूचना देना है। मेरा यही कहना है।

मुख्य मन्त्री (हेमवती नन्दन बहुगणा)—

अध्यक्ष जी, सरकार अपने कृत्यों और कर्त्तव्यों को करने के लिये उत्तरदायी है सदन के सामने, यह मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन अपने विवेक और बुद्धि के अनुसार जो कार्य करने हैं, उसके लिये अपना डिस्क्रिशन हो सकता है और वह डिस्क्रिशन हम एक्सरसाइज करते हैं। जाहिर है कि मेरे कंधे पर चौधरी साहब का सिर लग नहीं सकता। कन्धा मेरा हो और सर आपका तो यह नामुमिकन है। मेरे कन्धे पर अगर मेरा सिर है तो निर्णय मेरे विवेक और विचार से होगा जब तक मैं मुख्य मन्त्री हूं।

चौधरी चरण सिंह—

आप जिस ढंग से यह बात कह रहे हैं क्या उससे मेरा राइट क्वेश्चन्ड नहीं किया जा सकता है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगणा—

नहीं।

इसी प्रकार मेरा सिर चौधरी साहब के कन्धे पर नहीं रखा जा सकता और उनका सिर मेरे कन्धे पर नहीं आ सकता। इसीलिये हम दोनों की दो राय रही हैं। दो दिशायें रही हैं। दो दिशायें तो रही हैं पर दो व्यक्तित्व नहीं। व्यक्तित्व के नाते यह सारे प्रश्न होते तो मैं यह कुर्सी आपको समर्पण कर देता। लेकिन दो राहें हैं। हम दो अलग-अलग रास्तों पर चलने वाले मुसाफिर हैं और हमारे विचार अलग-अलग हैं।

जहां तक ताल्लुक उपेन्द्र का है और इस कमेटी के बनाने का है, मैं समझता हूं कि कमेटी बनाकर मैं पूरे उत्तर प्रदेश के लिये उत्तरदायी हूं, केवल इस सदन का ही नहीं बल्कि जो बाहर की 10 करोड़ जनता है मैं उसके लिये भी उत्तरदायी हूं। पर यहां पर शब्द कम्युनिकेशन को कम्युनिस्ट के साथ जोड़ा जा रहा है।

मैं आपको बता दूं कि सरकार अगर प्रक्रिया वादी सरकार होती तो कम्युनिकेशन से डरती और यह सोचती कि कम्युनिकेशन को सीमित रखना चाहिए। पर यह सरकार कम्युनिकेशन को आन रखना चाहती है। इसलिये हमने जो यह कमेटी बनायी है उसमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों तरफ के व्यक्ति रखे हैं। एक हमारी असेम्बली यह है और दूसरी असेम्बली हमारी यहां के बाहर जहां के लोग यहां मौजूद नहीं हैं बल्कि उनके प्रतिनिधि यहां पर हैं। तो इस प्रकार हम जितने इस असेम्बली के प्रति उत्तरदायी हैं उतने ही उन लोगों के प्रति उत्तरदायी हैं जो यहां पर नहीं हैं। हमको उनके साथ कम्युनिकेशन ठीक रखने की जरूरत पड़ी है और इसीलिये हमने यह कमेटी बनायी। एक प्रश्न यह उठा कि एक कमेटी की जांच मौजूद थी। माधव बाबू ने कहा कि प्रिंसिपल हो गये .....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

प्रिसिपल इन्फारमेंशन अफसर.....

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मान्यवर, किसी एक सरकारी व्यक्ति की दृष्टि में यह कमेटी जैसी है यह तो मैं नहीं जानता हूं। पर दोनों ओर के दृष्टिकोण हमको मिल जायं इसलिये हमने इस कमेटी में सरकारी और गैरसरकारी दो तरह के व्यक्ति रखे हैं, दोनो पक्ष रखे हैं। ऐसा करने से हमें यह जानने में आसानी होगी कि हम कितना काम कर सके।

दूसरी बात जो इंडियन फेडरेशन आफ वर्किंग जर्नलिस्ट की बात है तो हमने इसमें किसी वर्किंग जर्नलिस्ट युनियन को नहीं लिया है। उनकी उपयुक्तता की दिशा में मैं नहीं जाता। जहां तक उपेन्द्र जी का संबंध है उनकी योग्यता से सभी परिचित हैं इसलिये हमने उनको रखा। चौधरी साहब जब मुख्य मंत्री थे तो सबसे पहले वह जिसको साथ लेकर गये वह उपेन्द्र और उनके पिता श्री अम्बिका प्रसाद बाजपेयी थे। श्री उपेन्द्र जी 1942 में स्वाराज्य मे आये। उनमें जो देशप्रेम है उसका न तो चौधरी साहब को शक है और न मुझको ही। जहां तक वे मामूली करेस्पान्डेन्ट हैं तो चौधरी साहब वे मामूली नहीं हैं। कुल वेतन उनको 2400 रुपये महीने हिन्दुस्तान टाइम्स में मिलता है। दूसरे वह दिल्ली में कितना काम करते हैं यह पेपर से मालूम होता है कि मुख्य पृष्ठ पर हिदुस्तान टाइम्स के कितने कालम उनके आते हैं। इसलिये हर आदमी को नहीं रखा जा सकता है।

हेडक्वार्टरों और इन्टरनेशनल तथा दूसरे-दूसरे देशों में पत्रकारों की कीमत और मूल्य समझकर रखा जाता है इसलिये उनको रखा गया है। पहले वह हिन्दीं के जर्नलिस्ट हैं और अंग्रेजी के भी और वे उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। वे उत्तर प्रदेश की रग--रग से परिचित हैं। कमेटी में कौन रखा जायेगा कौन नहीं इसको तय करना सरकार का डिस्क्रिशन है। यदि डिस्क्रिशन गलत निकलता है तो यह सरकार की गलती होती है। श्री उपेन्द्र जी गलत नहीं हैं और उनको कोई देश को बेचना नहीं है। वह देश के अन्दर रिकगनाइज संस्था है। इस संस्था ने इस देश में इतना बड़ा काम किया है कि उससे अनेकों दलों ने लाभ लिया है और दूसरे विरोधी दलों का भी काम किया है। वह प्रोपेशनल संस्था है। इसलिये उनको रखा गया है कि जिससे कम्युनिकेशन और इफेक्टिव बनाये जा सके। वह कम्युनिकेशन जिसका माधव बाबू का बिल्कुल उल्टा रास्ता है, चौधरी साहब का भूलभुल्लैया वाला रास्ता है और यह हमारे कम्युनिकेशन में सीधा-साधा रास्ता है जिसको बता देंगे। रह गया कम्युनिस्टों से चौधरी साहब को डर है तो वह डरें। "इनरशिया" से चौधरी साहब 'सफर' नहीं करते हैं और कम्युनिस्ट पार्टी भी 'इनरशिया' से नहीं 'सफर' करती है और रास्ता बदलते रहते हैं। इसलिये बुनियादी प्रश्नों पर एक मात्र विपक्ष दल है।

चौधरी चरण सिंह--

मान्यवर, मैं थोड़ा आपका समय लूंगा। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा कि हम तो कम्युनिकेशन मासेस से चाहते हैं तो कौन इन्कार करता है। आपको हक है अपनी राय लोगों तक पहुंचाने का, सरकार को हक है प्रचार करने का तो सवाल यह नहीं है। हम तो चाहते हैं कि उसमें आजादी हो लेकिन जिस ढंग से करना चाहते हैं उसमें एक ही प्रकार के ख्याल रखने वाले लोगों का संगठन करना चाहते हैं। इसलिये उसमें आशंका

है कि वह कंट्रोल्ड कम्युनिकेशन होगा, फ्री नहीं होगा। माफ करें कम्युनिस्ट लोग लेकिन मेरी राय है कि कम्युनिस्ट कम्युनिकेशन के मीडिया हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी)—

मान्यवर, उधर भी कुछ लोग कम्युनिज्म की विचारधारा के बैठे हैं।

चौधरी चरण सिंह—

मान्यवर, कल भी आपने देखा था कि श्री भगौती प्रसाद और भीखा लालजी ने बिला वजह सवाल उठाया था कि हम लोग कैपिटेलिज्म और कम्युनिज्म लाये और हम खामोश रहे। तो मैं जानना चाहता हूं कि यदि इनको कम्युनिज्म का प्रचार करने का हक है तो हमको विरोध करने का हक है। मुझे पूरी बात कहने का कभी मौका नहीं मिलता है तो मैं और मेरे साथी जो अपोजीशन में हैं, वह सारे कम्युनिस्ट विरोधी हैं, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, हम कम्युनिस्टवाद को मुनासिब नहीं समझते हैं। कांग्रेस सरकार अपने को कम्युनिस्ट न कहते हुये भी कम्युनिस्टों के नकेल के साथ चल रही है। आप मास कम्युनिकेशन मीडिआ को अपने हाथ में लेना चाहते हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

यह तो टर्म्स आफ रिफरेन्स में भी नहीं है।

चौधरी चरण सिंह—

हम कहते हैं कि इसमें फ्रीडम होना चाहिये। वी आर रिसपान्सिबुल टु द पीपुल ऐसा कहा गया है तो बड़ी अच्छी बात है लेकिन आप 32 प्रतिशत लोगों की नुमाइन्दगी करते हैं और इधर वाले 68 प्रतिशत करते हैं। हम भी पीपुल्स रिप्रेन्जेन्टेटिव हैं। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, 32 से 37 प्रतिशत उधर कर दीजिये और 63 प्रतिशत हमारी तरफ कर दीजिये। जो वोट चुराये गये हैं वह 10 प्रतिशत से ऊपर हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

आई रिफ्यूट द एलीगेशन। दिस इज अनटू।

चौधरी चरण सिंह—

आप जिस तरह से सोच रहे हैं वह मैं जानता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप दूसरी तरफ चौधरी साहब जा रहे हैं।

चौधरी चरण सिंह—

32—प्रतिशत वोट मिले, वह भी रुपये के जोर से लिये गये हैं।

श्री भूप सिंह केन (जिला मेरठ)—

चौधरी साहब ने फरमाया कि रुपये के जोर से वोट लिये गये हैं, लेकिन छपरौली में तो डंडे के जोर से लिये जाते हैं।

चौधरी चरण सिंह—

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि मेरे क्षेत्र में हरिजनों को वोट नहीं डालने दिये जाते हैं। इस बात को बहुत रिपीट किया जाता है। मैं इस बारे में दो तीन बातें बतलाना चाहता हूं कहा गया है कि डंडे के जरिये हरिजनों के वोट लिये जाते हैं।

श्री शिव कुमार पांडेय—

सही बात मान लेना चाहिये ।

चौधरी चरण सिंह—

मैं यह कह सकता हूं कि आप सब रखिये। मेरे हलके में ही नहीं बागपत तहसील के बाकी दो तहसीलों में भी शेड्यूल्ड कास्ट के वोट 10.5 प्रतिशत ही हैं।

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

ऐसे इनसल्ट-प्रूफ दुनिया में नहीं मिलेंगे ।

चौधरी चरण सिंह—

मान्यवर, मैं फिर कोशिश करता हूं कहने की। हर आदमी को अपनी बात कहने का हक है लेकिन दूसरे की बात को भी शांति से सुनना जरूरी है। बहुत से इल्जाम लगाये हैं हमारे ऊपर। मैं उनके बारे में जवाब देना चाहता हूं। मान्यवर, बागपुर तहसील में तीन हल्के हैं। 10½ परसेंट वोट्स गवर्नमेन्ट फीगर्स के अनुसार हैं. शिड्यूल कास्ट के। इसमें कुछ मेरे मुआफिक और कुछ खिलाफ हुआ करते हैं। मेरे खिलाफ चार्ज है कि डण्डे के बल पर वोट उन हरिजनों का डलवाता हूं। मैं कहता हूं उनको निकाल दें और तब देखें कि मैंने जितने इलेक्शन लड़े हैं वहां से, बहुत मजार्टी से जीतकर आया हूं। तब फिर मैं यह बेईमानी क्यों करूंगा। सोचने की बात है। और अबकी बार तो सी० आर० पी० को बंदूक लेकर लगवा दिया हरिजनों के मकानों पर।

श्री अध्यक्ष—

जो बात कही गयी है, उसका ही कृपया जवाब दें।

चौधरी चरण सिंह—

दूसरी बात मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि और जो पहले भी कई बार कह चुका हूं, वह यह है कि जो अन्याय हरिजनों के साथ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में होता है, वह वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में आमतौर पर नहीं होता। जो सोशल डिसिक्रिमिनेशन जितने हद तक ईस्टर्न में है, उतना वेस्टर्न जिलों में नहीं। प्रतापगढ़, वाराणसी आदि से बराबर शिकायतें आती रहती हैं। त्रिपाठी जी के सामने भी बात आयी थी कि लोग घर छोड़ने को उतारू हो गये हैं। यह बात मैं पहले कह चुका हूं और फिर दुहराता हूं। मैं कहता हूं कि शासक दल के दो शेडयूल कास्ट के दोस्तों को और दो-एक अन्य शेडयूल कास्ट के लोगों की एक कमेटी बना दें जो इस बात को देखे, कम्पेयर करें कि हरिजनों के साथ ज्यादा अन्याय ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में होता है या वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में। लेकिन आज गलत प्रोपोगेण्डा किया जाता है। आपके पास बहुत से साधन हैं इसके लिये। रेडियो है आपके पास। और भी बहुत सी चीजें करते हैं. जो बेबुनियादी हैं।

जहां तक रिप्रेजेन्टेटिव आफ पीपुल्स की बात है, हम यह महसूस करते हैं और बहुत से लोग ऐसा अब महसूस कर रहे हैं कि क्योंकि विरोधी-पार्टी इतना बट जाती है कि हम मजार्टी में होते हुये भी माइनरटी में वोट पाते हैं।

तीसरी बात यह कहना चाहता हूं, मैं व्यक्तिगत बात नहीं कहूंगा, कि जो 3 आदमियों की कमेटी मुकर्रर कर रहे हैं, वे एक ही पोलिटिकल थिंकिंग के हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

नहीं हैं।

चौधरी चरण सिंह--

वे एक ही फेडरेशन के लोग हैं जिनका एक दृष्टिकोण है। उनका दृष्टिकोण सही होगा या गलत, इस पहलू में नहीं जाता, लेकिन मैं और मेरे साथी और आमतौर से जनता, उनके दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं। जो कम्युनिस्ट आइडियोलोजी है, उसके बारे में सभी जानते हैं। ये कम्युनिस्ट के दोस्त, जो पहले 4 आये थे, अब 16 आये हैं, आपके द्वारा चुनवाकर। मान्यवर, डेमोक्रेसी का एक प्योर तरीका होना चाहिये। त्रिपाठी जी ने भी कहा था कि प्रेस को फ्रीडम आवश्यक है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मान्यवर, एक प्वाइन्ट आफ इनफार्मेशन है। उसमें बात यह है कि सारा इनफार्मेशन डिपार्टमेंट कैसे काम करे, इनफार्मेशन एजेन्सी उसमें नहीं है और वह मास मीडिया नहीं है। न तो यही है कि अखबार कैसे चले।

चौधरी चरण सिंह--

इनफार्मेशन डिपार्टमेंट और प्रेस का बहुत बड़ा सम्बन्ध है और उसके बहुत तरीके हैं। मेरी राय यह है कि इनफार्मेशन डिपार्टमेन्ट का संगठन कैसे चले, क्या-क्या उसकी एजेंसीज हों, किस ख्याल के लोगों को वह सहूलियत दे उसका इन सब बातों पर बहुत असर होगा।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

आई रिफ्यूज।

(व्यवधान)

चौधरी चरण सिंह--

ऊदल को मैं अच्छे लोगों में समझता हूं लेकिन वह गलत लोगों में बैठे हुए हैं।

(व्यवधान)

अब आपने तीन सज्जनों के नाम लिये लेकिन मैं दावें के साथ कह सकता हूं कि आई एफ0 डब्लू0 जे0 के तीनों मेम्बर हैं। आपकी दृष्टि से बहुत अच्छे आदमी होंगे लेकिन हिन्दुस्तान भर की प्रेस लेविल पर वह नहीं उतरते।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

यह कांग्रेस का ही क्राईटेरिया हो सकता है कि जिस आदमी की बहुत ज्यादा तनख्वाह हो वह बहुत अच्छा तथा ऊंचा आदमी है।

(व्यवधान)

चौधरी चरण सिंह--

मैं यह कह रहा था जहां तक वाजपेयी जी का ताल्लुक है, जिनको मैं बहुत दिनों से जानता हूं जब कि वह मेरठ में थे, वह उस स्तर के आदमी आज नहीं हैं जैसा कि बहुगुणा जी कह रहे हैं। परिपूर्णानन्दन वर्मा, मेरे सगे भाई श्याम सिंह तथा बाजपेयी जी तीनों एक साथ गिरफ्तार हुए और उनको 5 साल की सजा हुई लेकिन क्या नतीजा निकला? क्योंकि जेल गये थे, क्योंकि सजा हुई थी, क्योंकि मेरे जानने वाले हैं लिहाजा उनके कम्युनिस्ट विचार नहीं

हैं। रोज विचार बदलते हैं। रामायण राय जी इस बात को नहीं मानेंगे कि जो आदमी जेल गया था वह नेसेसरिली आज भी नेशनलिस्ट है। पहले नेशनलिस्ट थे, आज नहीं हैं।

(व्यवधान)

यह आपकी राय हो सकती है मेरी राय नहीं है। कुछ उनके घर जाने की बात थी मैं उनके पिता जी का आदर करता था। यह कौन सी बात हुई ? यह असंगत बात है।

(व्यवधान)

यह ठीक है कि आपका बहुमत है और उस बल पर आप किसी को बोलने भी नहीं देंगे लेकिन हर चीज अपोजीशन की टाल देना मुनासिब नहीं है। इस तरह से डेमोक्रेसी चल नहीं सकती। यह सोचना कि हमारी मेजारिटी है जैसा चाहेंगे सूबे को चलायेंगे यह हर्गिज नहीं हो सकता। विरोधी दल की राय का भी खयाल करना होगा। यह तीन सज्जन रखलिये, और भी थे, उन्हें भी रखिये। दूसरा एसोसियेशन है जर्नलिस्ट्स का उसमें रखिये मैं उनकी शान के खिलाफ कुछ नहीं कह रहा हूं। उनको किन्हीं विशेष कारणों से रखा गया है यह मेरा अपना खयाल है। अपव्यय भी होगा। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री सत्यपाल मलिक (जिला मेरठ)--

क्या उपेन्द्रनाथ बाजपेयी पर गरीबन नाम की औरत के सम्बन्ध में मुकदमा चला था ?

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

आपके नेता बोल चुके और उनको जरूरत से ज्यादा मौका दिया गया।

श्री सत्यपाल मलिक--

मैं एक सवाल पूछ रहा हूं.....

श्री अध्यक्ष--

इस तरह से सवाल नहीं पूछे जाते। क्या आप यह समझते हैं कि आपके नेता ने जो कहा है उसमें कोई खामी है उसका आप बयान करना चाहते हैं।

श्री सत्यपाल मलिक--

उनका स्टेपनी बनने में मुझे फख्र है.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आपको भी नेता विरोधी दल की स्टेपनी नहीं बनना चाहिये। यह शब्द अनपार्लियामेंटरी नहीं है लेकिन अगर इस शब्द से इधर या उधर के माननीय सदस्यों को धक्का पहुंचे तो उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिये। (विरोधी दल के कई सदस्यों की एक आवाज दुख नहीं पहुंचा है--।)

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

इसलिये नहीं पहुंचा है कि उधर भी स्टेपनी मौजूद है, लगता है।

मुख्य मंत्री द्वारा सूचना विभाग के पुनर्गठन हेतु समिति के गठन पर आपत्ति

श्री सत्यपाल मलिक—

मान्यवर, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया ? हमें सवाल करने की इजाजत होनी चाहिये. . . . . .

श्री अध्यक्ष—

अब इजाजत नहीं है । कार्यसूची . . . . . .

(व्यवधान)

विरोधी दल के नेता का अन्तिम बयान हुआ है ।

सीतापुर जिले की बनस्पति फैक्टरी में तथा कथित गोलमाल के सम्बन्ध में वक्तव्य

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

माननीय सदस्यगण विधान सभा, सर्वश्री मधुकर दिघे तथा राम अधार राय द्वारा उठाया गया विषय निम्नलिखित है :

"पिछली 17 अक्टूबर, 1974 को सीतापुर जिले की बनस्पति फैक्टरी में 10 करोड़ रुपये का गोलमाल पकड़ा गया । देश में जितने भ्रष्टाचार के मामले पकड़ गये है, उनमें सबसे बड़ा यह मामला है । बिक्रीकर अधिकारियों ने लगातार 24 घंटे छानबीन करके इसका रहस्योद्घाटन किया। सरकारी विज्ञप्ति में यह कहा गया कि इस मामले में 20 हजार टिन बनस्पति स्टाक से अतिरिक्त मिला। इस फैक्ट्री से सम्बन्धित साबुन की फैक्ट्री में लाखों रुपये की चोरी मिली। साथ ही अन्तर्प्रदेशीय व्यापार के सेल्स टैक्स में भी उक्त फर्म ने झांसा दिया है। इतने बड़े-बड़े मामले में कोई आदमी न तो डी0 आई0 आर0 में पकड़ा गया और न मिसा में।

इस संबंध में विधान परिषद् के सदस्य, श्री गौरीशंकर राय ने लिखित तथा निश्चित आरोप लगाया है कि उक्त फैक्ट्री के व्यवस्थापक एक केन्द्रीय मंत्री के रिश्तेदार हैं। इसलिये कार्यवाही नहीं हुई।"

2—इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति यह है कि दिनांक 16 तथा 17 अक्टूबर, 1974 को सर्वश्री नारायण विजिटेबुल प्रोडक्ट्स, शाहजहांपुर रोड, सीतापुर की फैक्ट्री में बिक्रीकर विभाग की विशेष अनुसंधान शाखा द्वारा सर्वेक्षण किया गया था जिसमें संदिग्ध बही खाते आदि अभिग्रहीत किए गए हैं जिनकी जांच की जा रही है। नियमानुसार फर्म के मालिकों को स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया गया है। जांच पद्धति के अनुसार जांच पूरी होने के उपरान्त समस्त तथ्य कर निर्धारण अधिकारी को प्रेषित कर दिए जायेंगे कि विधि तथा नियमों के अनुसार कार्यवाही करके कर तथा अर्थदण्ड निर्धारण करेंगे। कर निर्धारण के उपरान्त ही फर्म के द्वारा किए गए करापवंचन की वास्तविक स्थिति प्रकाश में आ पायेगी।

3—उक्त सर्वेक्षण के संबंध में कोई सरकारी विज्ञप्ति या प्रेस नोट जारी नहीं किया गया था । जहां तक 10 करोड़ रुपये का गोलमाल पकड़े जाने की बात कही गई है यह सर्वेक्षण के तुरन्त बाद का कुछ अधिकारियों द्वारा लगाया गया प्रारम्भिक अनुमान था कि संभवतः 8–10 करोड़ रुपये का टर्नओवर अप्रकाशित हो ।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

4—20,000 टिन बनस्पति स्टाक से अतरिक्त मिलने के कथन के सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति इस प्रकार है कि लगभग 20,000 रु0 की लागत के साढ़े सोलह किलोग्राम के 112 टिन मार्जरिन के न कि बनस्पति के सर्वेक्षण के समय ऐसे मिले थे जिनका स्टाक रजिस्टर में कोई इन्दराज नहीं था।

5—इस फैक्ट्री द्वारा साबुन निर्माण के संबंध में भी बिक्रीकर संबंधी कुछ अनियमितताएं सर्वेक्षण के समय प्रकाश में आईं जिनके बारे में भी बिक्रीकर की विशेष अनुसंधान शाखा द्वारा आवश्यक जांच पड़ताल जारी है।

6—श्री गौरी शंकर राय, सदस्य, विधान परिषद् ने इस संबंध में लिखित रूप से जो आरोप लगाया है उसका उत्तर मुख्य मंत्री जी अपने पत्र दिनांक 11 दिसम्बर, 1974 द्वारा उन्हें दे चुके हैं जिनमें यह स्पष्ट किया जा चुका है कि इस आशंका का कोई औचित्य नहीं कि नियमानुसार कार्यवाही नहीं की जायगी। इस पत्र में यह भी विश्वास दिलाया गया है कि राज्य सरकार या किसी विभाग द्वारा इस संबंध में वैभागिक अधिकारियों को ऐसे कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं कि वे इस मामले को गुणावगुण व कानून के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके से देखें और न वस्तुतः दिल्ली से ही किन्ही के द्वारा इस मामले में किसी प्रकार का राजनैतिक दबाव डाला गया है।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, मैं इस सदन का ही नहीं अपितु पूरे प्रदेश का ध्यान इस इरादे से इस प्रश्न की ओर ले जा रहा हूं क्योंकि इसमें सरकार को उसके जायज हक से भी वंचित किया गया है और पूरे प्रदेश में इससे बड़ा गोलमाल का मामला अब तक नहीं पकड़ा गया है। यह हमारा ही कहना नहीं है बल्कि इस बयान से स्वीकार कर लिया गया है कि यह 10 करोड़ रुपये का गोलमाल का मामला है जिसको बी0 बी0 सी0, लन्दन ने भी स्वीकार किया है, देश के पत्रों ने स्वीकार किया है, सरकारी अधिकारियों ने स्वीकार किया है। मैं स्पष्ट तरीके से आरोप लगाना चहता हूं कि इसके पहले कि मैं पूरे तथ्यों को सामने रखूं, यह मेरा निश्चित आरोप है कि वित्त विभाग, माननीय मंत्री जी, मिल मालिक आदि लोगों ने मिल कर इस मामले को दबाने का प्रयत्न किया है और किया जा रहा है। मैं पुनः आरोप लगाता हूं दूसरा मेरा निश्चित आरोप है कि इसमें एक केन्द्र के मंत्री का हाथ जिनके बारे में श्री गौरीशंकर राय जी ने स्पष्ट उल्लेख किया है अपने पत्र में जो माननीय मुख्य मंत्री जी को लिखा है। मेरा तीसरा आरोप है कि वहां पर 20 हजार टिन बनस्पति के मिले थे जो दिखाये गये स्टाक के अतिरिक्त थे और उसका गोलमाल करने की कोशिश की गई और अब उसके बारे में यह बताया जा रहा है कि 20 हजार टिन पाये गये थे लेकिन वह दूसरी चीज के थे। मेरा आरोप है कि मान्यवर इस गोलमाल में जिसमें अंतर्प्रदेशीय वित्तीय मामले थे उसको बचाने की कोशिश हो रही है नहीं तो जिसके कारण अपने प्रदेश को धन मिलता, जो उसमें वित्तीय हक मिलता और अपने खजाने में उसके हिस्से से बड़ी रकम आ सकती थी उसको बचाने का क्या कारण है। जब अपने प्रदेश को सरकार दूसरों से भीख मांग कर चल रही है।

आज संकट को घड़ी से हम गुजर रहे हैं। अपनी वित्तीय आवश्यकता को पूरा करने के लिये सरकार चारों तरफ दौड़ रही है कि कहां से धन वसूल करें और उसके लिये

गरीबों की तरफ दौड़ रही है। सरकार को 4, 4 और 5, 5 करोड़ का सेल्स टैक्स का बकाया आना है जिसे सरकार ने सदन ने स्वीकार किया है। और उसके बाद यह 10 करोड़ का मामला पकड़ा गया जिसमें से एक करोड़ रुपया सरकार को प्राप्त होता जिसमें कर की बंचना की जा रही। तो यह 17 तारीख अक्तूबर के बाद आज तक उसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई तो इसमें मैं समझता हूं कि सरकार का इसमें पूरा हाथ है।

मान्यवर, हमारे पूर्वी जिलों में लोग भुखमरी की स्थिति में हैं और वहां पर कोई दस किलो चावल लेकर जाता है तो उसे पकड़ कर बंद कर दिया जाता है, लड़कों को पकड़ कर बंद किया जाता है। छोटे-छोटे मामलों में पुलिस परेशान करती है। लेकिन यह इतना बड़ा मामला हो गया,उसमें एक आदमी भी नहीं पकड़ा गया और पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं हुई और उनको पूंजीपतियों पूरी छूट दे दी गई। और पिछले 3, 4 महीने से वह घपला पड़ा हुआ है। सरकार के जांच करने वाले विभाग ने इसे स्वीकार किया है। वह कहते हैं सतर्कता आयोग के जो कमिश्नर हैं उनका बयान है कि 'अंतर्प्रदेशीय व्यापार के नाम पर बिक्री कर विभाग को झांसा दिया गया।' यह हमारा कहना नहीं है यह जो वित्त विभाग की जो जांच करता है उसने कहा है 'झांसा' दिया। तो इसमें कोई भी गिरफ्तारी नहीं की गई है इसका क्या कारण है ?

मान्यवर श्री गौरी शंकर राय जी ने जो पत्र लिखा उसको मैं सुना देना चाहता हूं जो उन्होंने बहुगणा जी को लिखा और केन्द्र के मंत्री का भी उसमें हाथ है यह लिखना। वह इस प्रकार है 'पिछली 17 अक्तूबर को सीतापुर जिले की बनस्पति फैक्ट्री में 10 करोड़ रुपये का गोलमाल पकड़ा गया। 18 अक्तूबर को सारे देश के समाचार पत्रों में यह खबर प्रसारित हुई कि यह देश भर में जितने भ्रष्टाचार के मामले पकड़े गये उनमें सबसे बड़ा मामला है। बिक्री कर अधिकारियों के एक विशेष दल ने छापा मार कर और लगातार 24 घंटे छानबीन करके पूरे रहस्य का उद्घाटन किया। उनके रहस्योद्घाटन के अनुसार साबुन बनाने की इकाई में लाखों रुपये को चोरी थी। इसके साथ ही यह मालूम हुआ कि उक्त फर्म का मुख्यालय दिल्ली में है। सतर्कता आयोग के डिप्टी कमिश्नर के बयान के मुताबिक उक्त फर्म ने अंतर्प्रदेशीय—व्यापार के नाम पर बिक्री कर विभाग को झांसा दिया है। उक्त फर्म के कागजात से कुछ सांकेतिक शब्दावाली भी मिली थी। मान्यवर, यह स्पष्ट मत आ चुका था सरकारी विभाग द्वारा यानी सरकार इस नतीजे पर पहुंची है कि सही है यह मामला इसके आगे लिखा है। उक्त समाचार में यह भी निकला कि उक्त फर्म के स्टाक के अतिरिक्त 20 हजार टिन बनस्पति भी मिला। जांच करनेवाले अधिकारियों का यह अनमान था कि उत्तर प्रदेश सरकार को सेल्स टैक्स तथा उसके ऊपर पैनाल्टी के रूप में अतिरिक्त एक करोड़ रुपये का लाभ होगा। अब मान्यवर, देखिए एक करोड़ रुपये का लाभ इस सरकार को होने वाला था। आज गरीबों की जेबों को रुपये के लिये टोया जा रहा है, किन्तु उनको चार महीने से बचाया जा रहा है, छिपाया जा रहा है। उसमें आगे लिखा है—स्वाभाविक है कि अगर प्रदेशीय सरकार को इतना लाभ होगा तो इन्कम—टैक्स तथा एक्साइज विभाग को भी लम्बी रकम का लाभ होगा। भारत वर्ष के ही प्रसार माध्यमों से नहीं बल्कि बी0 बी0 सी0, लंदन ने उस इस दिन रहस्योद्घाटन के सम्बन्ध में यह कहा कि यह भारत देश का सबसे बड़ा गोलमाल का मामला है। मुझे जानकारी हुई है कि इस फैक्ट्री के मालिकान के परिवार से सम्बन्धित

[श्री मधु कर दिघे]

एक लड़की, शीला, जो अब केन्द्रीय मंत्री, श्री उमा शंकर दीक्षित, की पुत्र–बधू है, उसके प्रयास से श्री उमा शंकर दीक्षित ने इस मामले को दबाने का प्रयास किया है।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

मेरा एक व्यवस्था का सवाल है। जो केवल वक्तव्य के लिये था, आप उस पर इतने बड़े भाषण का दिघे साहब को अवसर दे रहे हैं। वे केवल कुछ प्रश्न ही कर सकते हैं। यह बराबर एक न एक असमय में भाषण देकर एक अव्यवस्था पैदा किया करते हैं। इस सदन के लिये यह परम्परा ठीक नहीं होगी।

श्री मधुकर दिघे—

इसका नतीजा यह हुआ कि आज तक उक्त फर्म के मालिकान ने तो डी0 आई0 आर0 में चालान हुए और न मीसा में।

श्री धर्मवीर—

आप व्यवस्था दीजिए कि उनके वक्तव्य पर यह प्रश्न कर सकते हैं या भाषण।

श्री अध्यक्ष—

वह स्पष्टीकरण कर सकते हैं।

श्री धर्मवीर—

किन्तु यह स्पष्टीकरण कहां है, वह बराबर 5–6 मिनट से बोल रहे हैं। आप प्रोसीडिंग उठाकर देख लें। यह बड़ी गलत परम्परा होगी, यदि प्रत्येक वक्तव्य पर माननीय सदस्य भाषण देना शुरू कर देंगे।

(व्यवधान)

आप इनको एलाउ करते जा रहे हैं, यहां कार्यवाही नियमों के अन्तर्गत ही होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

आप (श्री दिघे) बजाए इसको पढ़ने के यह कह सकते थे कि क्या यह मंत्री जी को जानकारी है। आपको मंत्री जी से ही निकलवाना चाहिये था।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

हम भी यह जानकारी चाहते हैं कि उस बनस्पति मिल में क्या उनका भी कोई हिस्सा है ?

श्री अध्यक्ष—

उनको बता दिया और आपको भी बताता हूं कि यह कमी आपकी है, स्पष्टीकरण के लिए वह सवाल पूछ सकते हैं। मैंने उनको भी बता दिया। जो सूचना वह दे रहे हैं, वह उनके हित में अधिक अच्छा होता यदि वह उसे उधर से निकलवाते। वह तो खुद लचर दलील दे रहे हैं, जो अपनी ओर से सब दे रहे हैं। वह खुद अपना केस कमजोर कर रहे हैं हम कैसे उनकी मदद करें।

श्री मधुकर दिघे—

श्री दीक्षित ने श्री राय को उनके पत्र के उत्तर में लिखा है कि योर एलीगेशन दैट आई मेड एफर्ट्स टू हैव सप्रेस्ड दि मैटर रिगार्डिंग सेल्स टैक्स रेड आन ए सीतापुर बनस्पति फैक्ट्री

आन अक्टूबर सेवीन्टींन्थ इज फाल्स ऐण्ड बेसलेस। बाद में उन्होंने यह भी कहा है कि मैं कोर्ट में भी जाऊंगा। श्री गौरीशंकर राय ने जो जवाब दिया वह भी मैं बता दूं।

श्री अध्यक्ष—

आपके किसी सवाल करने का मतलब यह होता है कि आप सरकार से कोई जानकारी चाहते हैं। किन्तु आप यदि जानकारी खुद देना चाहते हैं, तो सवाल करने की क्या आवश्यकता है ?

श्री मधुकर दिघे—

सरकार ने जो बयान दिया है, उसमें तथ्यों को छिपाने का प्रयास किया गया है। मेरा कहना है और निश्चित आरोप है कि इस मामले को सरकार दबाने की कोशिश कर रही है। इस मामले में किसी केन्द्रीय मंत्री की रिश्तेदारी भी सरकार के मार्ग में आड़ आ रही है। सरकार के मंत्री खुद इस मामले में दिलचस्पी रखते हैं और उसे दबा रहे हैं। मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जब सारे प्रदेश की स्थिति, आर्थिक स्थिति खराब है, जब प्रदेश को पैसे की जरूरत है, अपने प्रदेश में बिजली को ठीक करने के लिये पैसे की जरूरत है, सरकार चारों तरफ टो रही है, गरीबों की जेबों पर हमला बोल रही है, ऐसी स्थिति में सरकार ने अपने विभाग द्वारा जब इस बात की जानकारी हासिल कर ली, इस बात का पता लग गया कि इसमें घपला है तो उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की, मिसा और डी0 आई0 आर0 का उपयोग करते। इसलिये मेरा आरोप है कि सरकार स्वयं इस मामले को दबा रही है और सरकार इस पर कोई कार्यवाही नहीं करना चाहती है। सरकार इसका जवाब दे।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मुझे अत्यन्त खेद है कि मेरे सम्मानित मित्र सदस्य गोरखपुर को इस सम्बन्ध में सचना जो प्राप्त हुई है निराधार है। मुझे तो यह आशा थी कि वह बिक्री विभाग को बधाई देते, न केवल सीतापुर फैक्टरी, बल्कि प्रदेश के अन्यान्य जिलों में पिछले वर्ष लगातार जो सेल्सटैक्स ऐक्ट के अन्तर्गत कार्यवाहीकी गयी है उसके लिये बिक्रीकर विभाग को बधाई देंगे, यह मैं उनसे अपेक्षा करता था क्योंकि तमाम सेल्स टैक्स आफिसर और हमारा जो विंग है और बिक्रीकर विभाग इस सम्बन्ध में सतर्क हो कर कार्यवाही कर रहा है। मैं यह स्पष्ट कर दूं कि इस सम्बन्ध में कोई भी दबाव किसी भी प्रकार का न किसी केन्द्रीय मंत्री ने न कोई दूसरे मंत्री पर, न मेरे ऊपर डाला है न मैंने कोई इस प्रकार का कोई आदेश, न सरकार ने कोई इस प्रकार का आदेश इस सम्बन्ध में दिया है, न दे सकते हैं। कृपया आश्वस्त रहें, हम ऐसा करने वाले नहीं हैं। जो सूचना छपी, उसको आपने सभी अखबारों में देखा होगा। उसमें लिखा था बीस हजार टिन नहीं, बीस हजार रुपये की मार्जरिन, पी0 टी0 आई0, हिन्दुस्तान टाइम्स, यू0 एन0 आई0 की खबर छपी है। मेरे पास कटिंग मौजूद है। 20 हजार टिन एक आध समाचारपत्रों में छप गया लेकिन वास्तव में 20 हजार रुपये की मार्जेरिन की खबर थी।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

मैं जानना चाहता हूं कि इन फैक्ट्री वालों के अफसरों के खिलाफ चूंकि उनकी जिम्मेदारी है कोई प्राइमाफेसी केस अब तक बना है या नहीं उनकी राय में ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जो सेल्स टैक्स ऐक्ट की धाराएं हैं, धारा 13 है।

चौधरी चरण सिंह—

इतना बड़ा कांड हो गया, फैक्ट्री के जिस अधिकारी के खिलाफ प्राइमाफेसी केस बना उसकी अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

माननीय नेता विरोधी दल यू0 पी0 सेल्स टैक्स ऐक्ट के बारे में जब से बना है तब से जानते हैं। सेल्स टैक्स असेसमेंट या सर्वे के लेविल पर गिरफ्तारी का प्राविधान नहीं है। 1947 से जो नियम बने हैं अन्डर असेसमेंट के लिये कोई गिरफ्तारी का प्राविधान नहीं है। टर्न ओवर पर सेल्स फिक्स टैक्स करते हैं और उनसे कहते हैं कि सेल्स टैक्स जमा करो। अगर नहीं जमा करते तो कहते हैं कि तीस दिन के अन्दर जमा करो। अगर फिर भी नहीं देते तो रिक्वरी सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। सेल्स टैक्स ऐक्ट में कोई गिरफ्तारी का प्राविधान असेसमेंट स्टेज पर नहीं है।

चौधरी चरण सिंह—

डी आई आर और मिसा मौजूद है। इन लोगों पर एप्लाई किया जा सकता है या नहीं, आपने कानूनी राय ली है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां। मैंने कानूनी राय ली है। सेल्स टैक्स के अंडर असेसमेन्ट में डी आई आर और मिसा एप्लाई नहीं करता।

चौधरी चरण सिंह—

अन्डर असेसमेंट के अलावा कोई आफेंस पाया या नहीं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

इसके लिये मैंने कहा, तीन महीने का समय होता है जांच का।

चौधरी चरण सिंह—

साथ ही साथ, वह तो होता रहेगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

माननीय नेता विरोधी दल ने ठीक प्रश्न पूछा है, मैंने यही विभाग को आदेश दिये हैं। वैसे सारी पत्रावलियां हैं, 76 बहीखाते हैं, मैंने कहा है कि वह गृह विभाग और न्याय विभाग के परामर्श से देख लें कि किसी और ऐक्ट के अन्तर्गत उनके ऊपर कोई आफेंस बनता है या नहीं।

चौधरी चरण सिंह—

ढाई महीने हो चुके हैं। अब भी क्या देर है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, सेल्स टैक्स और विजिलेंस विभाग के पास वैसे काफी काम है। 76 बहीखाते हैं और उनको देखने के लिये तीन महीने का समय कानून में लिखा हुआ है। अभी वह समय नहीं हुआ है। अभी इसको ढाई महीने हुये हैं। एक महीने का समय वे और बढ़ा सकते हैं। लेकिन मैंने उनसे कहा है कि प्राथमिकता देकर अपनी जांच रिपोर्ट सेल्स टैक्स कमिश्नर को दें और असेसमेंट करें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो बनस्पति बनाने वाली फर्म है उसका लाइसेंस कैंसिल किया है या उसको सस्पेंड करने के संबंध में कोई कार्यवाही की है ? दूसरी बात यह है कि क्या आपके यहां ऐसा कोई अधिकारी है जो नियम के अनुसार स्टाक रजिस्टर का चेकिंग करता हो ? यदि हां, तो क्या उसने समय-समय पर चेकिंग किया और यदि नहीं किया तो क्या वह इस गलती के लिये जिम्मेदार ठहराया गया ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, जहां तक उन्होंने कहा कि इसका लाइसेंस कैंसिल क्यों नहीं किया तो यह प्रश्न बिलकुल अलग है। बनस्पति का उत्पादन बहुत कम है और लाइसेंस किसी बनस्पति फैक्टरी को प्रदेशीय सरकार नहीं देती है, केन्द्रीय सरकार देती है। आपत्ति केवल यह है कि फैक्टरी ने सही टर्न ओवर दिया या नहीं और उस पर सही असेसमेंट हुआ या नहीं। लाइसेंस को कैंसिल करने का प्रश्न नहीं उठता है। दूसरा प्रश्न यह है कि गोलमाल के सम्बन्ध में जब सेल्स टैक्स अधिकारियों ने रेड किया ।

(व्यवधान)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, मैंने यह प्रश्न पूछा कि क्या कोई आपके यहां ऐसा अधिकारी है जो स्टाक रजिस्टर का चेकिंग करता हो ? यदि हां तो उसके जो नियम होंगे उसके मुताबिक उसने अपने कर्त्तव्य का पालन किया या नहीं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, हमारे यहां विजिलेंस सेल है उसके अन्तर्गत यह काम होता है। इसके बाद असेसमेंट का काम दूसरे लोग करते हैं ।

श्री सत्य पाल मलिक (जिला मेरठ)—

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा यह जानना चाहता हूं कि इस फर्म की कोई सर्वे रिपोर्ट है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, सर्वे रिपोर्ट की जो सूचना मेरे पास है, उसका कितना टर्न ओवर है, वह मैंने बता दिया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग (जिला सहारनपुर)—

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि यदि दस करोड़ के घोटाले में कोई कार्यवाही नहीं हो रही है और सैल्स टैक्स वसूल नहीं कर सकते हैं तो क्या आप मिसा बनाकर उसका इस्तेमाल करने के लिय तैयार हैं ? जब तस्करी में आपके 700 आदमी जेल में हैं तो सेल्स टैक्स वसूल करने के लिये आप मिसा क्यों नहीं बनाना चाहते हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैं अपने सम्मानित सदस्य, हरिद्वार से यह कहना चाहता हूं कि 10 करोड़ के घोटाले की जो बात उन्होंने कही, वह 10 करोड़ टर्न ओवर का है।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग —

मैं यह जनता हूं लेकिन कल जो मालूम हुआ था उसको मैं कह रहा हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

8 या 10 करोड़ का टर्न ओवर असेस्ड है, उस पर अन्दाजा यह है कि 80 लाख जो होगा वह पेनाल्टी और असेसमेन्ट का होगा। इसमें कोई घोटाला करने का नहीं है, मैं तो चाहता हूं कि अगर एक करोड़ का डेढ़ करोड़ मिल जाय, तो मैं उसको कर लूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग —

आप पूरा-पूरा क्यों नहीं कर लेते हैं ?

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, एक पैसा या एक करोड़ का मेरा प्रश्न नहीं है। मेरा प्रश्न यह है कि अगर यह बात आपकी मान भी ली जाय, जब कि आपने सतर्कता आयोग के द्वारा इस बात की जांच करके यह पता लगा लिया कि अन्तर्प्रदेशीय मामले में घपला किया गया और साबुन की फैक्टरी में लाखों रुपये का घोटाला है, तो इसमें मीसा और डी० आई० आर० लागू करने में क्या दिक्कत है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

माननीय दिघे जी हमारे साथी हैं। मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि इसमें जो अन्तर्राज्यीय व्यापार का उल्लेख है, जो सेन्ट्रल सेल्स टैक्स के अन्तर्गत गवर्न होता है यह भी सेल्स टैक्स से गवर्न होता है। मैंने स्वयं आदेश दिये हैं कि अगर सेल्स टैक्स के अलावा और कोई आरोप बनता है, उस पर भी हम जांच करायेंगे।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, शीला जो हैं, वह केन्द्रीय मन्त्री माननीय उमाशंकर दीक्षित के पुत्र की बधू हैं, जिसकी वजह से मुझे पूर्ण जानकारी है कि माननीय उमाशंकर जी के दबाव से सरकार झुकी हुई है और जहां 20 हजार टिन लिखा हुआ था वहां पर 20 हजार रुपया लिखा हुआ है। मान्यवर, जो रजिस्टर आपके अधिकारियों ने कब्जे में लिया है उसके अन्दर जो कोड वर्ड हैं.....

(व्यवधान)

श्री आगा जैदी (जिला जौनपुर)—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है, जो व्यक्ति इस हाउस में नहीं है उस व्यक्ति का नाम लेकर हाउस में कहा जाय, यह कहां तक मुनासिब है ? जो यहां पर मौजूद नहीं है और वह यहां पर आकर अपनी सफाई नहीं दे सकता है, यह कहां तक मुनासिब है ? मैं इस मामले पर नहीं जाता कि बेइमानी है या ईमानदारी है। मैं इस मामले पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष—

माननीय आगा जैदी ने जो बात कही ठीक ही कही है।

(व्यवधान के मध्य)

श्री राम अधार—

मान्यवर, आपने उस पत्र को सुनने के बाद इनकार नहीं किया, तब मैंने नाम लिया है कि माननीय उमाशंकर, मन्त्री के पुत्र की बधू की बात आई, तब नाम लिया है।

मान्यवर, दो तरह के रजिस्टर मिले हुये हैं, जिसमें कोड वर्ड हैं। मैं चाहूंगा कि वह कोड वर्ड क्या हैं ?

श्री राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया (जिला आगरा)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उमाशंकर जी के पुत्र बबू का क्या दबाव पड़ रहा है ? मान्यवर, दबाव की बात कहना गलत है।

श्री राम अवार—

अगर सत्ता पक्ष के लोग यह कहते हैं कि यह बातें असत्य हैं तो मैं सत्ता पक्ष को चुनौती देता हूं कि अगर यह सत्य नहीं है तो विरोधी दल के नेताओं को पूरी फाइल जांच करने के लिये दे दें ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मेरा निवेदन है कि बिरादरी और रिस्तेदारी पर नहीं जाना चाहिए। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसमें न किसी प्रकार का दबाव डाला गया है और न ही विभाग ने किसी तरह का दबाव डाला है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, मैंने जब कभी चर्चा की है तो कांग्रेस पार्टी कि की है किसी के सम्बन्धियों की नहीं की है। मैं एक सवाल पूंछना चाहता हूं कि जो घोटाला है उसका प्रसंग सामने आ चुका है और चर्चा हो चुकी है। इसमें सत्य अवश्य है कि सेल्स टैक्स नहीं दिया गया तो क्या माननीय मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि उसका सेल्स लाइसेंस क्यों नहीं कैंसिल किया गया।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जो लाइसेंस है वह मैन्यफैक्चरिंग लाइसेंस है। मैन्युफैकचरिंग लाइसेंस बनस्पति उत्पादन करने का है। इसेंशियल कमोडिटीज ऐक्ट के अन्तर्गत ये होल सेलर्स को सप्लाई करते हैं। जो होल सेलर्स होते हैं उनको 70 प्रतिशत दिया जाता है और 30 प्रतिशत रिटेलर्स को दिया जाता है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मेरी जानकारी है कि उत्पादन करने वाले को सैल्स टैक्स लाइसेंस दिया जाता है। अगर मेरी जानकारी गलत है तो माननीय मन्त्री कह दें मैं बैठ जाऊंगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

इस बात को मैं दिखलवा लूंगा।

श्री सत्य प्रकाश—

सेल्स टैक्स लाइसेंस को कैंसिल कर सकते थे, क्या उसको कैंसिल किया गया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि सेल्स टैक्स एक्ट के मुताबिक रजिस्टर्ड डीलर होता है अगर उसको हम कैंसिल कर दें तो हम सेल्स टैक्स वसूल ही नहीं कर सकते हैं।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह वही फैक्टरी है जिसकी बनस्पति से तमाम लोग बीमार हुए थे, उनको खुजली हो गई थी क्या सीतापुर की वही बनस्पति फैक्टरी है जिसके गोदाम से कुछ खाद्य सामग्रियां पाई गई थीं और जिसके बनस्पति के खाने से 3 करोड़ व्यक्तियों को चर्म रोग (खुजली) हो गयी थी ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री नारायण दत्त तिवारी—

सेल्स टैक्स ऐक्ट में 2 प्रकार के डीलर्स होते हैं। एक रजिस्टर्ड और दूसरे अनरजिस्टर्ड। जिनका टर्न ओवर 12,000 रुपये होता है वे अनरजिस्टर्ड होते हैं और जिनका टर्न ओवर इससे ऊपर होता है उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना लाजमी होता है और जो रजिस्टर्ड डीलर्स हैं, उनके लिये जो निर्धारित फार्म बना हुआ है, उसे भरना पड़ता है। तो रजिस्टर्ड डीलर्स का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है।

तथाकथित फर्जी नवभारत सहकारी समिति लि० द्वारा सरकार से लिये गये रुपये तथा उसके ब्याज न दिये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

लघु उद्योग मन्त्री (श्री इस्तफा हुसैन)—

इलाहाबाद में नवभारत उद्योग सहकारी समिति लि0 के नाम से एक सहकारी समिति दिनांक 18 मार्च, 1959 को रजिस्ट्रेशन संख्या 37 के अन्तर्गत तत्कालीन उप निबन्धक औद्योगिक सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश ने पंजीकृत की। पंजीकरण के लिये प्रथम प्रस्ताव जिला उद्योग अधिकारी, इलाहाबाद के माध्यम से दिनांक 26 दिसम्बर, 1958 को प्रेषित किया गया था और उस समय यह बतलाया गया था कि इस सहकारी समिति में 20 सदस्य हैं। पंजीकरण करने के पहले कुछ आपत्तियां उठाई गईं थीं और उन आपत्तियों को प्रार्थियों द्वारा दूर किया गया। पंजीकरण का प्रार्थना-पत्र श्री ललित बिहारी लाल ने समिति के मन्त्री की हैसियत से दिया था। समिति के तत्कालीन मन्त्री, श्री ललित बिहारी लाल, ने यह प्रमाणित किया कि उनके पास 310 रु0 समिति के सदस्यों की अंश पूंजी तथा प्रवेश शुल्क के रूप में मौजूद है। समिति के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार थे :

(1) टूल्स और डाईज बनाना,
(2) कीलें, पिन, क्लिप्स और पेंचों का बनाना,
(3) कान्डूट पाइप तथा बिजली का सामान बनाना, और
(4) लोहे, इस्पात तथा नान-फेरस धातु से अन्य वस्तुयें बनाना।

समिति का यह भी प्रस्ताव था कि नैनी में स्थित इन्डस्ट्रियल स्टेट की विभिन्न इकाइयों को उपरोक्त सामानों के संभरण तथा मरम्मत इत्यादि में सहायता देगी। यह स्कीम इलाहाबाद में स्माल इन्डस्ट्रीज सर्विस इन्स्टीट्यूट के परामर्श से तैयार की गई थी। कुछ मशीनें इत्यादि तो नेशनल स्माल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन से ली गई थीं परन्तु इकाई को सफलता से चलाने के लिये कुछ और मशीनों इत्यादि की आवश्यकता थी। अत: इस सहकारी समिति ने 15,000 रु0 के ऋण के लिये एक आवेदन पत्र दिया जिसे तत्कालीन जिला उद्योग अधिकारी, इलाहाबाद ने दिनांक 27 अक्तूबर, 1959 को अपनी

संस्तुतियों के साथ उद्योग निदेशक को अग्रसारित किया था। जिला उद्योग अधिकारी, इलाहाबाद ने यह लिखा था कि वेल्डिंग सेट्स, मेजरिंग इन्स्ट्रूमेन्ट्स, माइक्रो-क्रेटर, स्लिप गेज, हैंड टूल्स, स्प्रे गन इत्यादि के लिये इस समिति को 12,000 रु0 का ऋण स्वीकृत किया गया। प्रस्ताव की जांच तत्कालीन औद्योगिक निरीक्षक, इलाहाबाद ने की थी और यह आवेदन-पत्र उद्योग निदेशक को भेजा गया। उद्योग निदेशालय के लोन्स तथा ग्रान्ट्स कमेटी के समक्ष यह प्रस्ताव आया और इस समिति की दिनांक 4 फरवरी, 1960 को हुई बैठक में 12,000 रु0 का ऋण उपरोक्त समिति को स्वीकृत हुआ, जो ऋण इस सहकारी समिति को दिया गया।

अभिलेखों से यह ज्ञात होता है कि समिति का पंजीकरण दिनांक 18 मार्च, 1959 को हुआ था परन्तु श्रीमती कमला बहुगुणा ने इस समिति से अन्य 4 सदस्यों के साथ त्याग-पत्र दिनांक 4 मार्च, 1959 को दिया था जो त्याग-पत्र इस सहकारी समिति की दिनांक 8 मार्च, 1959 की बैठक में स्वीकार किया गया। अत: पंजीकरण के समय श्रीमती कमला बहुगुणा इस समिति की सदस्या नहीं थीं।

इस समिति ने दिनांक 25 मार्च, 1960 को ऋण का अनुबन्ध (डीड) भी भरा और उस समय की प्रथा के अनुसार औद्योगिक सहकारी समितियों की उच्चतम संख्या उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ, ने जमानतदार के रूप में इस अनुबन्ध पर हस्ताक्षर किये। ऋण 6 महीने की 10 किस्तों में वापस अदा किया जाना था।

किन्हीं कारणोंवश इस समिति का कार्य नहीं चला और ऋण वापस अदा नहीं हुआ। अत: दिनांक 31 जुलाई, 1963 को उद्योग निदेशक ने इस समिति को ऋण वापस करने के लिय नोटिस दिया। ऐसी ही नोटिस दुबारा दिनांक 9 दिसम्बर, 1963 को जारी हुई। इसके पश्चात् उद्योग निदेशक ने दिनांक 12 फरवरी, 1964 को जिला अधिकारी, इलाहाबाद से यह अनुरोध किया कि वह उपरोक्त सहकारी समिति से ऋण तथा देय ब्याज की वसूली करें। इसी विषय में जिलाधिकारी, इलाहाबाद को अनुस्मारक दिनांक 27 मार्च, 1965 तथा 15 फरवरी, 1968 को उद्योग निदेशक द्वारा भेजे गये। जिला अधिकारी, इलाहाबाद के कार्यालय द्वारा यह रिपोर्ट भेजी गई कि यह सहकारी समिति अपने दिये हुये पते पर उपलब्ध नहीं है और इनका कारखाना जो नैनी में था वह भी बन्द पड़ा हुआ है और समिति को नेशनल स्माल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन ने जो मशीनें इत्यादि दी थीं उनकी वसूली के सम्बन्ध में अदालत द्वारा कार्यवाही करके कारखाने के सामान की नीलामी करा दी थी।

चूंकि उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ ने ऋण के लिये जमानत दी थी अत: उनसे वसूली के लिये लिखा गया। दिनांक 8 जनवरी, 1969 को उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ के अवैतनिक सचिव ने उद्योग विभाग को लिखा कि भूमि का तो जमानतदार है परन्तु पहले समिति की सम्पत्ति से या उसके सदस्यों से वसूली होनी चाहिये।

जिला उद्योग अधिकारी, इलाहाबाद को उद्योग निदेशक ने यह आदेश दिया था कि इस मामले में वसूली के लिये पहले तो रिकवरी सर्टिफिकेट समिति की सम्पत्ति

[श्री इस्तफा हुसैन]

से वसूली के लिये जारी होना चाहिये। नियमों के अनुसार यदि समिति की सम्पत्ति से ऋण की वसूली नहीं होती है तो फिर सहकारिता अधिनियम की धारा 66 के अन्तर्गत जांच की जानी चाहिये थी। ताकि समिति के पदाधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित की जाय। इसके पश्चात् उप निबन्धक, औद्योगिक सहकारी समितियां द्वारा सहकारिता अधिनियम की धारा 63 के अन्तर्गत रिकवरी सर्टिफिकेट जारी हो सकता है।

यह जांच अधिनियम के अन्तर्गत अभी तक नहीं हुई है परन्तु दिनांक 5 नवम्बर, 1974 को वसूली के लिये रिकवरी सर्टिफिकेट जिला उद्योग अधिकारी, इलाहाबाद ने कलेक्टर इलाहाबाद को भेजा।

यहां यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि अभिलेखों से यह आभास मिलता है कि श्री उमाशंकर दीक्षित ने केवल 10 रु0 अंश पूंजी के जमा किये और श्री जगपत दुबे ने भी इतनी ही रकम जमा की थी। समिति के बाई-लाज के अनुसार सदस्यों की लायबिलिटी अंश पूंजी से केवल 8 गुना तक ही है।

नियमों के अनुसार इस विषय में वसूली के कदम उठाये जा रहे हैं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

श्री उमाशंकर दीक्षित जो केन्द्रीय सरकार में मन्त्री हैं, श्री जगपत दुबे, श्रीमती कमला बहुगुणा आदि जैसे कांग्रेस के लोगों का इससे सम्बन्ध था। जो अन्य लोग थे उनका भी सम्बन्ध अधिकतर कांग्रेस पार्टी से था। जो रिपोर्ट अभी पढ़ी गयी उससे भी स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह समिति फर्जी थी क्योंकि जिस जगह कार्यालय था उस जगह का पता ही नहीं है। तो मैं जानना चाहता हूं कि इस समिति में कौन-कौन लोग भागीदार थे? जो डाइरेक्टर्स है क्या उनसे वसूली के लिये उनको नोटिस दिया गया? नोटिस की तामील हुई या नहीं? मुख्य मन्त्री श्री बहुगुणा जी जो उस समय उद्योग के उप मन्त्री थे, क्या उनका भी उसमें हाथ था या नहीं?

श्री इस्तफा हुसैन—

मान्यवर, सदस्यों की सूची मेरे पास है, नाम बताये दे रहा हूं। सर्वश्री पूरनचन्द्र परवार, उमा शंकर दीक्षित, रामवल्लभ शर्मा, राजाराम अग्रवाल, देशराज अरोरा, विजय कुमार पुरवार, ललित बिहारी लाल, जगपत दुबे, गौर गोपाल बनर्जी, पदम कृष्ण मेहरोत्रा, दुर्गाचरण बनर्जी, सतीश चन्द्र जैन, श्री अमर नाथ कपूर, श्रीमती कमला बहुगुणा, श्रीरामसजीवन मिश्र, शिव शंकर, पन्नालाल, गोपाल जी भल्ला, विष्णुकांत मालवीय, गोपी कृष्ण माहेश्वरी। जब समिति का रजिस्ट्रेशन हुआ तो उसे पहले 5 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

भागीदार कौन कौन थे?

मुख्य मन्त्री (हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

जो मेम्बर नहीं थे वे भागीदार नहीं थे।

श्री इस्तफा हुसैन—

श्री अमरनाथ कपूर, श्रीमती कमला बहुगुणा, श्री राम सजीवन मिश्र, श्री पन्ना लाल तथा श्री विष्णकान्त मालवीय ने इस्तीफा समिति के रजिस्ट्रेशन से पहले ही दे दिया था।

पुरवार साहब अध्यक्ष की हैसियत से काम कर रहे थे। श्री ललित बिहारी लाल सेक्रेटरी की हैसियत से सारा काम देख रहे थे। श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा जो उस समय उद्योग विभाग के उप मन्त्री थे उनका कोई हाथ, जैसा कि कागजात देखने से पता चला, इसमें नहीं था।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

यह मैंने नहीं कहा है। मेरा प्रश्न केवल इतना है कि आज के मुख्य मन्त्री श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा, उस पीरियड में इन्डस्ट्रीज विभाग के डिप्टी मिनिस्टर यू0 पी0 थे या नहीं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

मान्यवर, माननीय सदस्य यह प्रश्न मुझसे ही पूंछ लेते। यह तो एक इतिहास की बात है कि मैं था और उस पीरियड में श्रम और उद्योग मन्त्रालय का मैं डिप्टी मिनिस्टर था और उस जमाने में श्रम और उद्योग से सम्बन्धित मन्त्री डाक्टर सम्पूर्णानंद जी थे, जो मेरे मुख्य मन्त्री थे।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

मान्यवर, इसमें लिखा हुआ है कि समिति के सदस्यों की अंश पूंजी 310 रु0 थी और ऋण कदाचित् 12,000 रु0 स्वीकृत हुआ तो मैं जानना चाहता हूं कि विभाग का क्या सिद्धान्त है जिसके आधार पर 310 रु0 की अंश पूंजी पर उस समिति ने 12,000 रु0 कर्ज लिया। अखबारों में भी पढ़ने को मिलता है कि बहुत सी समितियों में गोलमाल है इन्डस्ट्रीज विभाग द्वारा रुपयों के देने में। तो क्या सरकार बतलायेगी कि क्या नियम है और कम से कम कितनी अंश पूंजी होनी चाहिये जिसके आधार पर इतना कर्जा दिया जावे ? उसका ऐसा कोई नियम है कि नहीं है, यदि नहीं है तो कोई प्रतिबन्ध लगाने की कृपा करेंगे जिससे इस तरह की स्थिति न पैदा हो सके ?

श्री इस्तफा हुसैन---

नियम है कि अथराइज्ड कैपिटल का 5 गुणा कर्जा मिल सकता है।

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)---

इस सम्बन्ध में हम लोगों का जो प्रस्ताव था उसका कोई उत्तर माननीय मन्त्री जी ने अपने वक्तव्य में नहीं दिया। प्रस्ताव के अनुसार तथ्यों को काफी छिपाया गया है और वह इससे जाहिर है कि अखबारों में भी यह निकलता रहा है और हमने अपने प्रस्ताव में भी यह लिख कर दिया है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी की धर्मपत्नी श्रीमती कमला बहुगुणा के नाम भी वसूली के लिये नोटिस जारी हुआ, श्री उमाशंकर दीक्षित जो केन्द्र के निर्विभागीय मन्त्री हैं, उनके नाम भी वसूली का नोटिस जारी हुआ और मान्यवर, इसमें जवाब दिया गया है कि समिति के सदस्यों का कोई पता ही नहीं है। तो मान्यवर, इतने बड़े नेता श्री उमाशंकर दीक्षित जो केन्द्र में निर्विभागीय मन्त्री हैं, उनके नाम नोटिस जारी हुआ, जांच हुई और जिलाधीश ने जांच करके कह दिया कि समिति का कोई पता ही नहीं है। इसी से आप अनुमान लगा सकते थे कि कितना छिपाया गया है और कितना गोलमाल किया गया है और क्यों ? इलाहाबाद के अखबार ने लिखा है--"नवभारत सहकारी समिति नोटिस

[श्री मोती लाल देहलवी]

कांड", "नोटिस देने वालों के विरुद्ध जांच व कार्यवाही का आदेश"। मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण है—"नोटिस देने वालों के विरुद्ध जांच व कार्यवाही का आदेश।" (प्रयाग 26 दिसम्बर) विश्वस्त सूत्र से पता चला है कि जिलाधीश श्री रामदास सोनकर ने परगनाधीश, चाइल श्री आर0 एस0 यादव को आदेश दिया है कि हाल्ही में "नवभारत सहकारी समिति लिमिटेड" प्रयाग पर बकाये की वसूली के लिये लोगों पर जारी किये गये नोटिस के मामले में इस बात की जांच करें कि नोटिस देने में पहले उनसे स्वीकृति क्यों नहीं ली गयी। ज्ञातव्य है कि "'भारत" दैनिक ने गत 28 दिसम्बर, के अंक में इस सिलसिले में समाचार छापा था।

श्री अध्यक्ष—

इससे क्या मतलब है। जो कुछ भी पूंछना है आपको इस मसले पर वह पूछिये। सिर्फ अखबार का ही हवाला दे रहे हैं तो आपको जानकारी नही मालूम पड़ती है। अगर कुछ जानकारी हो तो पूछिये।

श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर, जो हमारा प्रस्ताव था और जो यहां पर वक्तव्य दिया गया उसमें हमारे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया गया।

श्री अध्यक्ष—

किस बात का उत्तर नहीं है, आप पूछिये।

श्री मोती लाल देहलवी—

मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि श्रीमती कमला बहुगुणा और केन्द्रीय मन्त्री श्री उमाशंकर दीक्षित के नाम से नोटिस जारी हुयी थी और दूसरी बात मान्यवर कुल कितने रुपये की नोटिस जारी हुयी थी।

श्री इस्तफा हुसैन—

मान्यवर, सहकारी समिति ने कर्ज लिया था इस वास्ते सहकारी समिति की खोज हुयी, उससे वसूली का प्रयास किया गया और इस उद्योग परियोजना ने अपने कर्जे के सिलसिले में यू0 पी0 इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन कानपुर को जमानतदार बनाया था। इस वास्ते उनसे वसूली का प्रयास किया गया। फिर उन्होंने जिलाधीश को लिखा कि हम तो जमानतदार थे हमसे न वसूल कीजिये। यही सब बाते थीं।

श्री तीरथ राम कोहली (जिला इलाहाबाद) —

मान्यवर, मैं भी कुछ जानकारी चाहता हूं। उन्होने कहा है कि 20 सदस्य थे और 4 इस्तीफा देकर चले गये तो बचे 16। नियमों के अनुसार इस समिति में कितने सदस्य होने चाहिये, यह जानकारी दें। दूसरी बात सन् 1959 से लेकर सन् 1970 तक कौन-कौन थे जिला इन्डस्ट्रियल अफसर वहां थे उनके नाम बताये जायं और जैसा कि बयान में कहा गया मशीनों के अलावा अन्य मशीनों के लिये 15 हजार रुपयों की जरूरत थी तो इसका मतलब हुआ कि वहां पर पहले भी कुछ मशीन थीं, वह मशीने कौन-कौन थीं, बताने का कष्ट करें। कौन-कौन से इन्स्पेक्टर और अधिकारी वहां थे इसकी सूचना दें।

श्री इस्तफा हुसैन—

कौन-कौन से जिला उद्योग अधिकारी थे उन सबके नाम मैं नहीं दे पाऊंगा। जो दूसरी बात आपने पूंछी है कि कौन-कौन सा सामान उनके पास था और कौन सा सामान उनको चाहिये था उसके बारे में बता सकता हूं।

(बातचीत)

उनको चाहिये था वेल्डिग सेट, प्रीसेशन इंस्ट्रूमेन्ट, स्प्रे मशीन।

श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर, मैंने जो प्रश्न किया था उसका जवाब तो आया ही नहीं है ?

श्री तीरथ राम कोहली—

मान्यवर, इसमें लिखा है मन्त्री जी बयान को पढ़े नीचे से पांचवीं लाइन है और जैसा अभी मन्त्री महोदय ने अपने बयान में कहा था कि इन मशीनों के अलावा और मशीनों की जरूरत थी, तो इसके माने वहां पर मशीनें कुछ थीं। उन मशीनों के बारे में पूंछना चाहता हूं। इनके नाम बतायें ?

श्री इस्तफा हुसैन—

उनके पास लेथ मशीन थी, ड्रिलिंग मशीन थी।

(हंसी)

एक सदस्य—

गाड़ी फंस गयी।

श्री तीरथ राम कोहली—

मान्यवर, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया।

(अनेक सदस्य आपस में बातचीत करते रहे हंसी तथा शोरगुल)

एक सदस्य—

अध्यक्ष महोदय, इसमें बहुत बड़ा घपला है।

चौधरी चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं अपना प्रस्ताव पेश करने से पहले....

श्री अध्यक्ष—

प्रस्ताव नहीं अनुज्ञा मांगने से पहले कहें तब मैं उस पर अनुज्ञा दूंगा।

*चौधरी चरण सिंह—

हां, अनुज्ञा मांगने से पहले मैं मुख्य मन्त्री जी को एक सुझाव देना चाहता हूं कि जो प्रश्न किये गये हैं उनमें सरकार की तरफ से बताया गया कि 8 जनवरी, 1969 को उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी समिति के सचिव ने उद्योग विभाग को लिखा था कि कोई जमानतदार नहीं है परन्तु पहले समिति की सम्पत्ति से और बाद में सदस्यों से वसूली होनी चाहिये थी। 6 वर्ष हो गये और वसूली सर्टिफिकेट 5 नवम्बर; 1974 को जारी किये गये हैं। इसलिये जिस अधिकारी ने नेगलीजेन्स किया है उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुख्य मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

अध्यक्ष जी, यही समिति नहीं उत्तर प्रदेश में बहुत बकायेदार इस तरह के पड़े हुये हैं और हमने यह निर्णय लिया है कि जिस तारीख से बकाया देख लेंगे उससे जिस अवधि से बकाया ले सकते हैं वह बकायेदारों से वापिस लेंगे।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि चौधरी साहब सर्वसम्मत से सन् 1960 से लेकर 1973-74 तक जिस वक्त इस पर नजर गयी तो उस काल के जितने मन्त्री और अधिकारी दोषी हैं, मन्त्री जो नहीं हैं उनका तो कह नहीं सकता हूं परन्तु अधिकारियों की जरूर जांच पड़ताल करेंगे।

चौधरी चरण सिंह—

मान्यवर, मन्त्रियों पर कोई फर्क नहीं पड़ा जैसे पहले थे वैसे अब भी हैं। मैं केवल यह कह सकता हूं कि हमारे कांग्रेसियों के जितने पाप हैं उनको इन्होंने तय कर लिया है इसलिये उनको तसल्ली हो जाती है कि जो लीडर हैं वह भी उसमें शामिल था।

मन्त्रि-परिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव

श्री धर्मवीर सिंह (जिला बिजनौर)—

मान्यवर, मैं एक व्यवस्था चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष—

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मैंने कह दिया कि माननीय नेता विरोधी दल को अविश्वास का प्रस्ताव की अनुज्ञा मांगने की अनुज्ञा दी है। इसलिये कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकते हैं। आप अव्यवस्थित हैं? आप संसदीय पद्धति के कायदे नहीं जानते हैं। इसलिये आप बैठ जायं। आपका कुछ नहीं लिखा जायगा। मैं आपको बोलने की इजाजत नहीं देता हूं।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद) —

[* * * *]

श्री अध्यक्ष—

अविश्वास के प्रस्ताव के बीच में आप न बोलें। अब अविश्वास के प्रस्ताव पर अनुज्ञा दी जावेगी।

श्री धर्म वीर— [* * * *]

[****] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

चौधरी चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव सदन की अनुज्ञा के लिये पेश करता हूं :

यह सदन वर्तमान मन्त्रि-परिषद् में अपना अविश्वास प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन वर्तमान मन्त्रि-परिषद् में अपना अविश्वास प्रकट करता है। जो प्रस्ताव के पक्ष में हैं अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जायं।

(कुछ देर बाद)

पक्ष में 135 सदस्य खड़े हैं अतएव अनुज्ञा दी गयी। अब नेता सदन और नेता विरोधी दल समय के बारे में तय कर लें। आज का जो कार्य है उसके उपरांत इसको ले लिया जाय।

चौधरी चरण सिंह—

कल ले लिया जाय और चार दिन तक बहस हो।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

कल ले लिया जाय, मैं इस से सहमत हूं लेकिन कल और परसों दो दिन सदन बैठे और जितना समय चाहे बहस हो जाय।

श्री धर्मवीर—

बोलने का समय भी निर्धारित हो जाय। (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष—

कल और परसों चर्चा करने की अनुज्ञा दी जाती है।

(श्री राम अधार को बुलाने पर)

श्री धर्मवीर—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

क्यों चाहते हैं ? कल सवाल उठा था, आपको पता नहीं ? एक गांव में एक बच्चे ने कहा। दादा फफीम खाऊंगा। बाप ने कहा पहले नाम तो सीख लो।

श्री धर्मवीर—

सुन तो लें। समय निर्धारण का सवाल है।

श्री अध्यक्ष—

समय-निर्धारण का सवाल कब उठेगा, आपको यही पता नहीं।

श्री धर्मवीर—

मान्यवर, मेरी पूरी बात तो सुन ल.....

श्री अध्यक्ष—

मैं कहता हूं कि सरकार का काम सामने है। कृपया समय न नष्ट करें। मैं आगे जा चुका हूं और रामाधार राय को बुला चुका हूं। अगर आप विघ्न डालेंगे तो सरकार का बिल पास नहीं होगा। आप इस तरह से बहस नहीं कर सकते।

श्री धर्मवीर--

मैं निवेदन करना चाहता हूं .....

श्री अध्यक्ष--

इस तरह से अव्यवस्था पैदा करना यह ठीक नहीं। आप बैठ जायं।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

मान्यवर, जिस दल में ऐसे-ऐसे धर्मवीर हों, वहां पापवीर क्योंकर होंगे ?

उत्तर प्रदेश भूमि विकास-कर तथा भू-राजस्व (संशोधन) अध्यादेश, 1974 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि संशोधन विधेयक, 1974 [क्रमागत] †

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मान्यवर, हमने निश्चय किया है कि हम इसमें भाग नहीं लेंगे। हमारे सामने यह बिल कार्यान्वित नहीं होगा, इसलिये मैं अपने दल के साथ सदन का त्याग करता हूं।

(श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये।)

चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)--

मान्यवर, जब प्रभुनारायण सिंह राजस्व मन्त्री थे, सन् 1970 में, तो यह बिल पास किया था कि अलाभकर किसानों का लगान माफ किया जाय। उसके 4 वर्ष हो गये। लगान माफ रहा। लेकिन अब किसानों पर लगान फिर लगा रहे हैं। मान्यवर, सवा-छः एकड़ के किसान भूख से मर रहे हैं। गरीब लोग परेशान हैं। और यह सरकार काला विधेयक पास कर रही है। अतः मान्यवर, मैं इस बिल की प्रतियों को सदन में फाड़ता हूं और सदन का त्याग करता हूं।

(चौधरी रामपाल सिंह यादव अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री अध्यक्ष--

इस तरह से बिल फाड़ना और प्रदर्शन करना अशोभन कृत्य है।

बाबा रामनाथ (जिला मैनपुरी)--

मान्यवर, सन् 1974 में राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी ने कहा था कि जितने गरीब भूमिहीन किसान हैं, उन पर जितने टैक्स की कमी की जा सकती है, उसके लिये हम तैयार हैं। मुख्य मन्त्री जीको शर्म आनी चाहिये कि नेशनल कांग्रेस ने यहीं लखनऊ के अन्दर प्रस्ताव पास किया था कि गरीब किसान लोग परेशान हैं और उनको लगान में सहूलियत मिलनी चाहिये। मैं उस प्रस्ताव को पढ़ रहा हूं : .....

श्री अध्यक्ष--

आप क्या पढ़ना चाहते हैं

बाबा राम नाथ--

1974 का प्रस्ताव, यह प्रस्ताव कांग्रेस का है।

---

† 31 दिसम्बर, 1974 की कार्यवाही से।

श्री अध्यक्ष—

नहीं यह नहीं कर सकते। जैसे कल किया था, वह कर सकते हैं। मैं उनका प्रस्ताव पढ़ने के लिये समय नहीं दे सकता। और भी संसदीय उपाय हैं और चाहे, तो उनका अवलम्ब ले सकते हैं।

बाबा राम नाथ—

किसी भी पार्टी के लिये यह शोभनीय नहीं है।

इसलिये मैं इन शब्दों के साथ इस सदन से वहिर्गमन करता हूं।

(बाबा राम नाथ अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये।)

*श्री राम अधार (जिला आजमगढ़) —

अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय पर अधिक नहीं कहूंगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस प्रदेश के सामने आज यह है कि सवा 6 एकड़ की जोत वाले गरीब किसानों की आज क्रय शक्ति कम हो रही है। गरीब किसान जो गांव के अन्दर रहता है उस पर मालगुजारी तथा विकास-कर बढ़ा कर यह सरकार डकैती कर रही है, अन्याय कर रही है। 7 नवम्बर, को मुख्य मन्त्री ने यह कहा था कि प्रदेश की 5वीं पंचवर्षीय योजना के लिये 550 करोड़ रुपये के नये टैक्स लगेंगे। इससे पहले 280 करोड़ रुपये थे। माननीय मन्त्री ने हमारे प्रदेश का मुकाबला पंजाब, हरियाना, महाराष्ट्र तथा तामिलनाडु से करते हुए कहा कि वहां पर टैक्सेज अधिक है। अब अगर हमारे प्रदेश का मुकाबला इस सम्बन्ध में इन प्रदेशों से किया जाता है तो यह भी देखना होगा कि पंजाब की पर कैपिटा इनकम 700 रुपये है, हरियाना की पर कैपिटा इनकम लगभग 700 रुपये है और महाराष्ट्र की पर कैपिटा इनकम 600 तथा 700 रुपये के बीच है जब कि उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम 26 सालों में पहली तथा दूसरी पंचवर्षीय योजना में जहां 450 रुपये थी वह घट कर 400 रुपये पश्चिमी जिलों में रह गयी है और पूर्वी जिलों में जैसे गाजीपुर, देवरिया, आजमगढ़ तथा बलिया में वह 250 रुपये है अथवा इससे भी कम है और इस प्रकार आप देखेंगे कि तामिलनाडु, पंजाब, हरियाना व महाराष्ट्र की आमदनी उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा आमदनी से दुगुनी है।

यहां के किसान की क्रय शक्ति घटती जा रही है। सदन की तरफ से एक कमेटी बिठा कर इस बात की जांच की जा सकती है किसी भी छोटे नगर जैसे गाजीपुर, आजमगढ़ अथवा बलिया में आप जाइये जो देहात से सम्बन्ध रखने वाले दूकानदार हैं वह बतलायेंगे कि देहात की जनता की आज क्रयशक्ति घट रही है उनका माल नहीं बिक पा रहा है। 80 फीसदी जनता उत्तर प्रदेश की देहात में रहती है, उसकी आमदनी आज घटी है जिससे क्रय-शक्ति पर असर पडा है और आप कर बढ़ा कर कृषि की प्रगति की बात करते हैं। मुख्य मन्त्री ने जब से इस प्रदेश का भार संभाला है वह यहां डायनमिक पर्सनालिटी बन कर आये थे और मालूम होता था कि उत्तर प्रदेश में सचमुच समाजवाद आ जायेगा लेकिन वह नहीं आया क्योंकि कथनी और करनी में फर्क है। 9 नवम्बर, 1974 को मुख्य मन्त्री

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम अवतार]

जी ने पंचायत के प्रधानों की सभा में कहा था कि उत्तर प्रदेश ने साल भर के अन्दर कृषि, सिंचाई और बिजली के अन्दर काफी तरक्की की है। मैं कहना चाहता हूं कि इस ओर कोई प्रगति नहीं हुई है। पिछले साल भी किसानों को एक-दो घन्टे बिजली मिलती थी और इस वर्ष भी केवल रात में ही उनको बिजली दी जाती है। जिसका असर यह हुआ कि पूरे प्रदेश में रबी की पैदावार घट गई जिसका आपने कारण यह बताया है कि वसूली का अभियान पूरा नहीं हुआ। आज जहां देखिये, सरकारी दुकानें बन्द हैं। आजमगढ़ के बारे में मैं जानता हूं कि आधा किलो से अधिक गेहूं भी देने के लिये सक्षम नहीं है। मुख्य मन्त्री जी कहते हैं कि कृषि में प्रगति हुई है। कहां पर हुई है? अब आप कहते हैं कि बिजली किसानों को मिल रही है तो उत्पादन भी बढ़ जाना चाहिये था, वह कहां बढ़ा? क्या इसीलिये आप विकास-कर लगा रहे हैं।

नवम्बर के महीने में पंडित जवाहर लाल नेहरू का जन्म हुआ,

(इस समय 2 बजकर 40 मिनट पर अधिष्ठाता श्री मोहम्मद असरार अहमद पीठासीन हुए।)

इसी नवम्बर के महीने में देश की प्रधान मन्त्री इन्दिरा गांधी का जन्म हुआ उसी महीने में आपने यह ऐतिहासिक कदम उठाया है कि सवा 6 एकड़ वाली जोतों पर गरीब किसानों पर फिर से नया भार लाद कर डकैती डालना चाहते हैं। इससे हमें बड़ी हैरानी है। आप कहते हैं कि तरक्की हो गई। आज भी किसानों को दिन में बिजली नहीं मिल रही है जब कि आप कहे थे कि हम किसानों को 19 घंटे बिजली देंगे। आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया और प्रतापगढ़ आदि जिलों के बारे में मैं जानता हूं कि उन्हें बिजली नहीं मिल रही है। जिसका असर यह हुआ कि पश्चिम की सारी नहरें बन्द रहीं और खेती सूख गई, फलस्वरूप पैदावार कम हो गई। आपकी सरकार मान चुकी है कि पैदावार घटी है तो फिर कर लगाने का औचित्य क्या है।

माननीय वित्त मन्त्री जी ने कहा था कि एक एकड़ के किसानों की आमदनी दो हजार है लेकिन आपने यह नहीं बताया कि उनका खर्चा क्या है। मेरे दिमाग में चौधरी साहब की एक बात गूंजती है कि जिस देश के प्रधान मन्त्री और मुख्य मन्त्री ने यह न देखा हो कि गांवों में शीत लहरी में कैसे किसान खेती करता है, जिन्होंने कभी उसकी जमीन में पैर न रखे हों, जाड़े की रात में गीली मिटटी में जिनके पैर न पड़े हों उस देश का प्रधान मन्त्री उसके दर्द की बात नहीं समझ सकता है। जब किसी गांव में मुख्य मन्त्री या प्रधान मन्त्री जाते होंगे तो वहां मीटिंग में सबसे आगे बैठे बच्चों की ओर उनका ध्यान जाता होगा कि कितने बच्चों के पैरों में जूता है। सैकडों बच्चे ऐसे हैं जिनके पैर में जूता नहीं है और उनके बदन में गर्म कपड़ा नहीं है। क्या उन्ही के ऊपर आप विकास कर लगाना चाहते हैं। हर साल गांवों में बाढ़ आती है। सरकार के दिमाग में कभी यह बात नहीं आती है कि जहां नदियों से कई गांव हर साल प्रभावित हो जाते हैं उनके ऊपर विकास टैक्स लगाने का क्या औचित्य है। मैं समझता हूं कि यह समाजवादी सरकार का सबसे बड़ा कलंक है और टैक्स लगाने का कोई औचित्य नहीं है। एक बार मुख्य मन्त्री जी ने बडी सफाई के साथ कह दिया कि उत्तर प्रदेश के साथ केन्द्रीय सरकार उपेक्षा कर रही है और बाद में फिर कहा कि हम दिल्ली की तरफ देख रहे हैं। लगातार प्रथम योजना से लेकर अब तक केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश की उपेक्षा की है।

मान्यवर, मैं 5 मिनट और लूंगा क्योंकि मैं भी प्रस्तावक था इसका कल ही फैसला हो गया था मैं कुछ देर और बोलूंगा। मान्यवर, केन्द्र सरकार लगातार उत्तर प्रदेश की उपेक्षा करती रही है। पहली योजना में जहां महाराष्ट्र को 42 रुपया, तामिलनाडु को 48 रुपया, पंजाब को 44 रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाब से दिया गया वहां उत्तर प्रदेश को 24 रुपया दिया गया इसी तरह से दूसरी योजना में महराष्ट्र को 62 रुपया, तामिलनाडु को 66 रुपया, पंजाब को 46 रुपया दिया गया वहां उत्तर प्रदेश को 34 रुपया प्रति व्यक्ति दिया गया। इसी प्रकार अन्य योजनाओं में भी उपेक्षा होती रही। इस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश की केन्द्र द्वारा उपेक्षा होती रही। यही नहीं जब उत्तर प्रदेश के अन्दर जो पिछले राज्य सभा के चुनाव हुए उस चुनाव में प्रधान मन्त्री और उसके चहेते यशपाल कपूर, बिरला आदि इनसे नाराज हो गये कि श्री राजनारायण क्यों चुन कर आ गये। उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को तबाह करने की सोच ली है क्यों राजनारायण चुने गये और आज वह चालें चल रहें हैं और हमारी पूरी उत्तर प्रदेश की विधान सभा को भंग करने की साजिस का प्रयत्न कर रहें हैं और पूरे उत्तर प्रदेश की योजनाओं को खटाई में डालने की कोशिश हो रही है।

आज जहां उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार व्याप्त है वहां नागरवाला केस दिल्ली में हो रहा है। आज हमारा प्रदेश और देश आर्थिक संकट में है। मैं एक बात कहता हूं माननीय मुख्य मन्त्री जी ने फरमाया कि जापान की जनता ने जब वहां संकट आया तो वहां की सरकार का समर्थन किया, हर तरह से सरकार का सहयोग किया। मैं जानना चाहूंगा जापान का उदाहरण माननीय मुख्य मन्त्री जी देते हैं लेकिन जापान की सरकार के ऊपर जापान की जनता का विश्वास है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सरकार पर प्रदेश और देश की जनता का विश्वास नहीं रह गया है। अगर जनता का विश्वास होता तो यहां पर भ्रष्टाचार सरकार नहीं करती और प्रदेश के किसान जाड़ों की रात में खेतों में सिंचाई के लिये जाते हैं और उनको पानी और बिजली नहीं मिल रहीं है और यहां पर हम विधान सभा के अन्दर एयर कन्डीशन में नहीं बैठते। जनता का विश्वास समाप्त हो गया है।

जापान की बात करना उचित नहीं है। अगर जापान की बात करनी होती तो हमारे देश और प्रदेश में यह बात नहीं होती दिल्ली में नागरवाला कांड न होता जिसमें 60 लाख रुपया का घोटाला हुआ और इसी तरह के लाइसेंस कांड नहीं होते। उत्तर प्रदेश में बाजरा कांड, धान कांड और चावल कांड जहां होंगे और उस पर भी सरकार के कान में 'जूं' तक नहीं रेंगता। में कहता हूं कि कल अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है उसमें इन सब की कलई खुलेगी और करोड़ों रुपया के भ्रष्टाचार के मामले विभागों में सामने आयेंगे।

आप आर्थिक संकट की बात करते हैं तो आपको सारे खर्च कम करने की जरूरत है। कोई जरूरत नहीं है कि गवर्नर हाउस पर इतने लाख खर्च किया जाय, कोई जरूरत नहीं है कि राष्ट्रपति बंगले में ढाई सौ माली काम करें और उस पर लाखों रुपया खर्च हो जाय। आर्थिक संकट में इन खर्चों को कम करें। आज भ्रष्टाचार को दबाकर

[श्री राम अधार]

अपकी योजनायें कैसे चालू होंगी। सीतापुर बनस्पति कांड हो गया जिसमें 10 करोड़ रुपये का मामला है और जिसमें एक मन्त्री को उसने चन्दा नहीं दिया तो यह कार्यवाही कराई गई। इसी तरीके के दो करोड़ रुपये का सेल्स टैक्स का बकाया है पूंजीपतियों पर करोडों रुपये बकाया है, प्रदेश में लाखों रुपये के ट्रान्सफारमरों की चोरी होती है। मशीनें गायब हो जाती हैं तो इस तरह से प्रदेश एक तरह से ऐसे लोगों के हाथ में आ गया है जहां पर भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है। आप पहले भ्रष्टाचार को मिटायें फिर जाकर जनता का विश्वास आपको मिलेगा।

उत्तर प्रदेश की जनता के साथ आज अन्याय हो रहा है किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा है। लोग नंगे पैर हैं दूस और आप सवा छः एकड तक लगान फिर से लगा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि चौधरी साहब के नेतृत्व में आने वाले चुनाव इस बात को बता देंगे और आपको जनता बता देगी आपको केन्द्र की सरकार को उलट देंगे। मुझे यह पूरा विश्वास है, पूरे प्रदेश की जनता हमारा साथ देगी। इन शब्दों के साथ मैं यह जो कांग्रेस पार्टी के भाई जो इस बात का विरोध करते हैं जोरदार विरोध करें ताकि प्रदेश के अन्दर इस प्रकार की जो डकैती हो रही है वह बन्द हो।

*श्री रामायण राय (जिला देवरिया)---

मान्यवर, कल मैं सदन में उपस्थित नहीं था, इसका मुझे खेद है और कल विपक्ष में बैठने वाले कई माननीय सदस्यों ने मेरे विचार जानने चाहे कि वह इस अवसर पर क्यों नहीं बोलते हैं, जो बराबर समाजवाद---समाजवाद चिल्लाया करते थे। मैं आपके माध्यम से उन जिज्ञासुओं की सेवा में निवेदन करना चाहता हूं कि किसे यह बात नहीं मालूम है कि किन परिस्थितियों में सरकार को विवश होकर समाज के हर हिस्से पर इस प्रदेश के उत्थान के लिए आज जोर देना पड़ रहा है।

एक सदस्य---

यह वर्तमान परिस्थितियां किसके कर्मों का फल हैं, यह तो आप बता दें।

श्री रामायण राय---

मुझे स्मरण है कि जहां तक इन परिस्थितियों का सम्बन्ध है, जिस समय भारत-बांगला देश का पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ और उसमें विजय प्राप्त हुई, उस समय केवल इधर के बैठने वालों ने नहीं, उधर के बैठने वालों ने भी इस देश की सरकार को बधाई दिया था और उसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की थी। औरों की बात क्या, इस समय जनसंघ के लोग यहा उपस्थित नहीं हैं, उनके नेता अटल बिहारी बाजपेयी ने एक पत्र लिखा था क्योंकि उस समय वह दिल्ली में उपस्थित नहीं रह सके थे, उसमें उन्होंने लिखा था कि भविष्य में जो इतिहास लिखा जायगा, बांगलादेश के अभ्युदय में प्रधान मन्त्री ने जो शानदार हिस्सा लिया है, वह इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायगा। वह सबको अच्छा लगता था। देश का बच्चा-बच्चा चाहता था कि बांगला देश में जो अनाचार और अत्याचार फैला हुआ था, उसके ऊपर काबू पाया जाए और वहां पर दानवता की पराजय होकर मानवता का साम्राज्य स्थापित हो। उस दिन भी बड़ा अच्छा लगा था, जिस दिन मेरे भारत देश का नाम उन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

देशों में गिना जाने लगा था जो एटामिक एनर्जी से सम्पन्न देश थे, उसमें सफल हो चुके थे। जब एटामिक विस्फोट सफल रहा, हर भारतीय का मन और मस्तिष्क ऊंचा हो गया था। इन चीजों के पीछे काफी धन लगता है और मुझे वह दिन भी याद है, जब चीन ने इस देश पर आक्रमण किया था। उस समय इस देश का बच्चा-बच्चा चाहता था कि उसका देश भी सैन्य बल में इतना आगे क्यों नहीं बढ़ता है, जिसके होते हमें यह पराजय न देखनी पड़ती। तो कुछ मुद्दे हैं, जिनके कारण देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ी है। यह आर्थिक स्थिति हमारे देश में ही नहीं बल्कि संसार के अन्य देशों में भी बिगड़ी है ---

श्री जंग बहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)---

जब यह स्थिति सब जगह है तो अन्य देश तो भीख नहीं मांगते, आप ही क्यों भीख मांगते फिरते हैं दुनियां के सामने।

श्री रामायण राय---

हमारा आदर्श तो यह है कि पूरे जनसमाज के लोग. जो लोग पिछड़े हुए हैं, उसको ऊपर उठाएं। समाजवाद का अर्थ लेवलिंग डाउन नहीं, लेवलिंग अप होता है। जो लोग समाज के सबसे नीचे के स्तर के हैं, उनको ऊपर उठाने का संकल्प हम लिये हुये हैं फिर उन्होंने इस तरह के समाज के उस वर्ग के ऊपर पुन: लगान लगाने की बात क्यों सोंची ?

मैं मान्यवर, आपके माध्यम से अर्ज करना चाहता हूं कि कुछ इसी बात के चर्चा करने से काम चलने वाला नहीं। हमारे प्रदेश की सरकार ने, वर्तमान सरकार ने पिछले दिनों अपनी अल्पावधि में उस समाज के उत्थान के लिये क्या-क्या काम किये हैं और करने का इरादा रखती है उन बातों से आपको समझना चाहिये था कि आखिर हम चाहते क्या है। क्या यह सही नहीं है कि पहली बार उत्तर प्रदेश में ऐसे लोगों की मदद के लिये जब खाद का मूल्य बढ़ा था तो पुराने मूल्य पर उनको खाद दी गयी, उसके लिये आप को बधाई देनी चाहिये। क्या यह सही नहीं है कि सम्पूर्ण देश में यह पहली सरकार है जिसने इस बात का निश्चय किया कि ऐसे लोग जो साहूकारों के जाल में पुश्त दर पुश्त फंसे हुए हैं उनको मुक्ति देने के लिये एक एकड़ तक लोगों का कर्जा माफ किया और उनकी जमीन जो बंधक हो गयी उसकी भी मुक्ति का आदेश दिया जब लगान की बात करते हैं तो भूल जाते हैं कि संसार में कोई भी देश (व्यवधान) मान्यवर जब मुझे समय दिया है . . .

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)---

क्या सरकार ने वह जो महाजन हैं, उनके चंगुल से छुड़ाने की बात इसलिये किया कि अपने चंगुल में फंसा कर उनका सरकारी ऋण भी माफ कर दें ?

श्री रामायण राय---

मैं आपकी तकलीफ को समझ सकता हूं क्योंकि मान्यवर.[***]

मैं चर्चा नहीं करना चाहता ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक---

यह फिकरेबाजी की बातें क्यों छेड़ रहे हैं ? [* * *]

[* * *] अधिष्ठाता कि अज्ञानुसार निकाल दिया गया।

श्री रामायण राय—

[* * *]

मुख्य मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

यह अशोभनीय बात है अगर एक-एक आदमी की जाति-पाति में जायं। उतनी बात कार्यवाही से निकालना चाहिये जो माननीय सदस्य ने कही है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

और जो उन्होंने कहा है। पक्षपात मत कीजिये।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा —

जाति के ऊपर कोई भी सदस्य कहे उसको निकाल दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

निकाल दिये जायेंगे।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

उन्होंने शुरू किया है।

श्री हेमवती नदन बहुगुणा—

वह भी निकलना चाहिये।

चौधरी चरण सिंह—

मेरे भाई आपने कहा, उन्होंने जो कुछ कहा है। उन्होंने मारवाड़ी का कोई जिक्र किया, तब उन्होंने कहा।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मारवा ी कोई जाति नहीं है। मारवाड़ तो इलाका है। भूमिहार, ब्राह्मण, ठाकुर, यह नहीं कहा जा सकता है।

श्री रामायण राय—

जिन बातों से कष्ट हुआ है माननीय सदस्य को उनको वापस लेता हूं। मेरा आग्रह है उनसे, असमय इस तरह से छेड़-छाड़ न किया करें।

मैंने देखा, माननीय भीखालाल जी ने अननुमोदन का प्रस्ताव उसके पूर्व रखा था मान्यवर, मैं कम्युनिस्ट दोस्तों की बात करना चाहता हूं। रशा ने जारशाही की मुक्ति के बाद जब इस बात का संकल्प किया कि इस देश को आगे बढ़ायेंगे तो मक्खन खाना छोड़ दिया। तब जा कर आज विश्व के दो बडे शक्तिशाली देशों में एक है। कोई भी देश जो आगे बढ़ना चाहता है उसके प्रत्येक हिस्से को कुछ न कुछ त्याग करना पड़ता है। मैं माननीय नेता विरोधी दल से आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं, मुझे स्मरण है कि उन्होंने इसी सदन में यह कहा था कि अगर किसान की आवश्यकता की अन्य वस्तुयें सस्ती हो जायं तो लगान लगाना गैर मुनासिब नहीं होगा। अगर मैं भूलता नहीं हूं तो उनके द्वारा यह जरूर व्यक्त किया गया था।

[* * *] श्री अधिष्ठाता की आज्ञानुसार निकाल दिया गया।

मान्यवर, इसके साथ ही साथ मैंने उनका एक विचार और पढ़ रखा है। उनका विचार यह है छोटी-छोटी होल्डिंग्स नहीं होनी चाहिये। अनइकोनामिक होल्डिंग्स नहीं होनी चाहिये। इनसे जितना उत्पादन बढ़ना चाहिये नहीं बढ़ सकता है। यह विचार उन्होंने सदन में व्यक्त नहीं किया बल्कि मैंने उनकी किताब में पढ़ा है। उनका यह भी विचार है कि सहकारिता के आधार पर उत्पादन आगे नहीं बढ़ाना चाहिये। उनके यह विचार हैं और ईमानदारी के साथ उनका यह प्रतिपादन करते हैं।

हम तो केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि हमारी सरकार जिसने यह संकल्प लिया है कि कोई भू-भाग पिछड़ा नहीं रहने दिया जायेगा। इसके लिये बड़ी व्यवस्था थी और इसको लेकर समाज के कमजोर लोगों पर भी बोझा डालना पड़ा है। आज किसको मालूम नहीं है कि सम्पूर्ण देश की सरकार सम्पत्ति के उन तमाम स्रोतों को जिनका उपयोग समाज के उत्थान में नहीं हो पाता है, उनका पता लगा रही है। मिसाल के द्वारा तस्करों की गिरफ्तारी इस बात का सबूत है कि इस देश की सरकार और प्रदेश की सरकार उन साधनों के स्रोतों को ढूंढना चाहती है और चाहती है कि हमारा उत्तर प्रदेश जो पिछड़ा हुआ प्रदेश है, वह पिछड़े हुये प्रदेशों की श्रेणी में न रहे। इसलिये यह काम हमें करना पड़ा है। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि भविष्य में जब पूरा समाज विकसित हो जाये समाज में गरीब लोग न रह जायें तब भी ऐसे लोगों पर यह भार बना रहे। इस सरकार का इरादा है कि इस प्रदेश के किसान सुख और सुसम्पन्न हों।

मान्वयर, इस सरकार ने अभी गन्ने के मूल्य को बढ़ाया है। मैं देवरिया के अपने एक साथी से कहना चाहता हूं कि 6 करोड़ मन गन्ना देवरिया जनपद में पैदा होता है। अगर 5 आने मन भी गन्ने के दाम बढ़े तो कितना रुपया उस जनपद के किसानों को मिला। टोटल लगान वहां के किसान कितना देते हैं, इसको माननीय सदस्य जानने की कोशिश करें। हमारे वित्त मन्त्री जी ने घोषणा की है कि आगे चलकर हम किसानों को थोड़ी और राहत देने का प्रयत्न करेंगे।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त।

श्री रामायण राय—

मैं एक मिनट में निवेदन करना चाहता हूं कि आज 12 रुपये किलो इंग्लैंड में चीनी के दाम हो गये हैं। इधर हम किसानों को उचित मूल्य उनके उत्पादन का दिलाने के प्रयत्न में हैं, खाद, बिजली और पानी के साथ देश में सरकार की चेष्टा है कि हम इतना अधिक उत्पादन कर जिससे किसानों को सही माने में राहत मिल सके। अंत में मैं कहना चाहता हूं कि स्वाधीनता मिलने के बाद में लेनिन के शब्दों को दुहराना चाहता हूं कि — "Electricity plus soviet is equal to Russian Socialism." मैं कहना चाहता हूं कि उत्पादन में जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में नहीं लगा हुआ है और केवल भाषण में लगा हुआ है, वह अपने को देशभक्त कहालाने का अधिकारी नहीं है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी मैंने माननीय तिवारी जी और रामायण राय जी के भाषणों को बड़ गौर से सुना। असल प्रश्न नीति का है और इसी के साथ-साथ दृष्टिकोण का भी है।

आज यह सवाल उठता है कि कांग्रेस ने सन् 36 से लेकर हमेशा अनइकोनामिक होल्डिंग के ऊपर लगान माफ करने का प्रस्ताव भी पास किया और आजादी मिलने के बाद भी सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ। तो सवाल है कि मान्यवर दृष्टिकोण का। एक दिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि यह प्रश्न सेन्टीमेंटल था। सेन्टीमेन्टल शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया, मैंने अपने कान से सुना। तो मान्यवर, यदि ऐसा दृष्टिकोण सोचने और समझने का हो गया है तो क्या कहा जाये अगर हम इस तरह से इन सवालों को सेन्टीमेंटल बना देंगे जो सन् 1936 या 1929 से लेकर सन् 1947 तक अंग्रेजी समाज वाद के खिलाफ बड़ी-बड़ी लड़ाइयां लड़ी गयीं और बड़ी से बड़ी कुरबानियां दी गईं। अगर हम इतने दिन के बाद सेंटीमेन्टल कह देते हैं तो मैं कहता हूं कि उन लड़ाइयों के प्रति तथा उन महात्माओं के प्रति हम अन्याय करेंगे। हमारे देश में नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी ने चलाया, बहुत बड़ा आन्दोलन हुआ और श्रीमन् उस वक्त मिलता था नमक 1 रु0 का एक मन से ज्यादा। शराबबन्दी का जो आन्दोलन चला, बिलायती कपड़े का जो बहिष्कार हुआ, तो उसको अगर आप सेन्टीमेन्टल कहते हैं, तो मेरा तो कहना यह है कि असल में दृष्टिकोण बदल गया सोचने और समझने का ढंग भी बदल गया है। और तौर तरीके भी बदल गये और हम उन महापुरुषों के साथ अन्याय कर रहे हैं जिन्होंने इतनी बड़ी-बड़ी लड़ाइयों को, इन सब प्रश्नों को लेकर के लड़े।

मान्यवर, प्रश्न यह है कि हमारे माननीय रामायण राय जी कह रहे थे कि सरकार किसानों को उचित दाम पर जरूरत की चीजें देने के लिये तत्पर है। सरकार अपना बीज जो बोने के लिये देती है, वह 300 रु0 कुन्टल देती है और किसानों का 105 रु0 क्वीन्टल लेती है। अगर यही प्रयत्नशील है, और इसी को प्रयत्नशीलता कहा जाता है, रामायण राय जी के शब्दों में तो जैसा मैंने कहा है कि सोचने-समझने का दृष्टिकोण बदल गया है। अब मैं एक प्रश्न और उठाना चाहता हूं। ठीक है अगर आप उनके ऊपर लगान बढ़ा कर लेते हैं उनके ऊपर लेवी लगाते हैं, तब भी तो ठीक है, क्या आप बता सकते हैं कि इतने दिनों में बिजली का रेट, पानी का रेट और जो कुछ आवश्यक वस्तुयें हैं उनका रेट अब चौगुना-पंचगुना दामों पर लोगों को मिल रहा है कि नहीं? आज मैंने मुख्य मन्त्री जी को एक पत्र लिखा। सरकार ने 1 नवम्बर को एक आदेश निकाला कि जिन किसानों को फुल डिपाजिट स्कीमों से बिजली कनेक्शन दिया जाता था, अब वह नहीं दिया जायगा। अगर वह लिखकर देंगे कि हम वह रुपया नहीं लेंगे जो पारेशन उन्हें वापस मिलता था तब उनको कनेक्शन दिया जायगा।

यह पहली नवम्बर का है और 18 दिसम्बर को विद्युत् परिषद् में गया। विद्युत् परिषद् ने पूरे प्रदेश में उस आदेश को भेज दिया। तो श्रीमन् आदेश निकला पहली नवम्बर को, विद्युत् परिषद् को गया 18 दिसम्बर को 30-31 दिसम्बर तक प्रदेश के जिलों में भेजा जा रहा है और लागू होगा, पहली नवम्बर से। मान्यवर, यह उसमें व्याख्या की गई है कि जिस दिन यह आदेश निकला उस दिन से लागू होगा। तो यह जो अन्याय हो रहा है,

इसके ऊपर सरकार को देखना चाहिये। और पहले के फुल डिपाजिट वालों पर नहीं लागू होना चाहिये।

(इस समय 3 बजकर 10 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुन: पीठासीन हुए।)

जो किसान बिजली लेने के लिये फुल डिपाजिट में रुपया जमा करता है, उसको लिखना होगा कि जो रुपया उसने जमा किया है उसको वह नहीं लेगा। यह है किसानों के प्रति सरकार का दृष्टिकोण।

अब मान्यवर, दूसरा प्रश्न आता है सवा छः एकड़ लगान का। मैं कहना चहता हूं और पूंछना चाहता हूं कि सवा छः एकड़ को जमीन अनइकोनामिक है या नहीं। डेवलपमेंट लेवी किसके ऊपर लगी है, जिनका विकास हुआ है। या सब पर आप तर्क करते हैं कि हम पानी देते हैं, नहर पहुंचा दिया, सिंचाई की सुविधायें दीं, सड़क बनवा दिया। मैं कहना चहता हूं कि जिनको यह सारी सुविधायें मिली हैं। उनके ऊपर तो आप लगायें। हमारे प्रदेश में 33 प्रतिशत भूमि सिंचित है। बुन्देलखन्ड, मध्य भाग और पूर्वी भाग के काफी इलाके असिंचित हैं जहां पर सिंचाई के कोई साधन नहीं हैं। मैं आपसे पूंछना चहता हूं कि डेवलपमेंट लेवी किसके ऊपर लगाना चाहिये। जिनका विकास हुआ है या जो तबाह हैं। और विकास नहीं हुआ है। अब मैं दूसरा प्रश्न करता हूं। श्री रामायण राय जी आप से ही करना चाहता हूं। जब जमींदारी उन्मूलन हुआ उस समय लगान का क्या रेट था। इस सम्बन्ध में लड़ाई हुई थी। आप पुराने रिकार्ड को उठाकर देखें, कांग्रेस के पुराने मेनीफेस्टो को देखें और उसको पढ़ें। 7 करोड़ जमींदार सरकार को देता था और उसकी जगह पर 25 करोड़ रुपया आपने वसूला।

अब मैं आपसे ही दूसरा प्रश्न करता हूं। भूमिधरी का कानून बनाकर किसानों से 80 करोड़ रुपया वसूल किया और भूमिधरी ऐक्ट में लिखा कि 40 साल तक कोई लगान नहीं पड़ेगा, फिर उसको 10 साला में तरमीम कर दिया और अब उसको 20 गुना कर दिया है। माननीय मुख्य मंत्री जी और वित्त मंत्री जी कहते हैं कि किसान इस यज्ञ में कोई आहुति नहीं देता है। मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी का प्रेस स्टेटमेंट पढ़ा। इन्होंने प्रेस कान्फ्रेन्स में कहा कि हमारे प्रदेश का किसान इस यज्ञ में आहुति नहीं देता। श्रीमन्, वह आपको बिजली का दे रहा है, सिंचाई का दे रहा है, सेल्स टैक्स का दे रहा है, कचेहरियों में स्टाम्प का दे रहा है जिसकी आपने रेट बढ़ा दी है। मैं आपसे पूंछना चाहता हूं कि वह क्या नहीं दे रहा है। यह मैं जानना चहता हूं। कैसे यह कह सकते हैं कि इस प्रदेश का किसान इस यज्ञ में आहुति नहीं दे रहा है। यह इनकी थोथी दलील है। हमारे प्रदेश में बड़े-बड़े जमींदारों की खुदकाश्त सीर तथा बगीचों आदि का लगान 2 आना, 4 आना एकड़ है और वही लिया जा रहा है। और गरीब किसानों से अधिक वसूल किया जाये। वह कहां का जस्टीफिकेशन है। इस एनामली को सरकार ने आज तक क्यों नहीं दूर किया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्यों नहीं अभी तक इसको दूर किया गया है।

श्रीमन्, दूसरा सवाल आता है इस विधेयक का। इस विधेयक से गरीब और मझोले किसानों के ऊपर मार पड़ेगा। क्यों कि यह दुगुना और ढाई गुना लगान के ऊपर लगाया

[श्री ऊदल]

गया है ये जो छोटे और मझौल किसान हैं, जिनका लैंड रेवेन्यू बहुत ज्यादा है, इस विधेयक के मातहत वे तबाह होते हैं। हमने तो संशोधन भी दिए हैं लेकिन सरकार का रवइया ठीक नहीं मालूम पड़ता है। जो अधिकारियों ने लिख कर दे दिया वही माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर सुना देते हैं। जिस प्रकार से हमारे वित्त मंत्री जी लैंड रेवेन्यू को दुगुना, ढाई गुना बढ़ा सकते हैं इसके लिये आर्डिनेन्स निकाल सकते हैं, मैं चाहता हूं कि सरकार को प्रदेश के डेवलपमेंट के लिये रुपया मिले लेकिन जनता और मझोले किसानों के प्रति न्याय हो लेकिन इस विधेयक से अन्याय होगा। यह तर्क देकर कि डेवलपमेन्ट कर रहे हैं, किसानों पर टैक्स लगाना उचित नहीं है। कल तिवारी जी कह रहे थे कि इस धनराशि में से जिला परिषदों और ब्लाकों को दिया जयागा। जब यह रुपया जिला परिषदों और ब्लाकों को दिया जायगा तो किसानों का कैसे डेवलपमेंट होगा। ब्लाकों और जिला परिषदों के बारे में सब को मालूम है कि वास्तव में उनकी क्या स्थिति है। मेरे विचार में मूल्यांकन समिति द्वारा इसकी जांच होनी चाहिये और बिना मूल्यांकन हुए हमारे वित्त मंत्री व मुख्य मंत्री को इस रुपये को क्षेत्र समितियों तथा ब्लाकों को नहीं देना चाहिये। विधियां तो बहुत बनी हुई हैं।

किसानों को खाद देने के लिये माननीय ओम प्रकाश जी ने कल कहा था कि 2 एकड़ व 3 एकड़ वाले छोटे किसानों को 33 प्रतिशत कम दाम पर खाद दिया जा रहा है। मुझे पूरे प्रदेश में अभी तक एक भी किसान ऐसा नहीं मिला जो यह कहता हो कि उसे 33 प्रतिशत कम दाम पर खाद दिया जा रहा है। माननीय शिन्दे साहब का जो स्टेटमेंट उन्होंने पार्लियामेंट में दिया था, अवश्य पढ़ने को मिला था जिसमें उन्होंने कहा था कि पूरे हिन्दुस्तान में 33 प्रतिशत की छूट गरीब किसानों को खाद में दी जा रही है, लेकिन देखने में आया है कि आज तक कहीं भी नहीं दी गई है। मैं चाहता हूं कि सरकार अपने दृष्टिकोण को, अपने सोचने और समझने और विचार करने के ढंग को बदले। यह कहना कि यह सेन्टीमेंटल था, उचित नहीं है।

1928–29 और सन् 1947 तक जितने भी आन्दोलन हुए, वे बुन्यादी सुधारों के लिये, अंग्रेजी साम्राज्य वाद को खत्म करने के लिये हुए थे और किसानों और मजदूरों की जिन्दगी को बेहतर बनाने के लिये, गुलामी से छुटकारा दिलाने के लिये हुए थे। तो मैं चाहता हूं कि हमारे वित्त मंत्री और मुख्य मंत्री इन बातों को न कहें कि ये सब सेन्टीमेंटल हैं।

श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)—

मान्यवर, हमारे विकास की गत इस समय किन्हीं कारणों से अवरुद्ध है। इसमें तीव्रता लाने के लिये यह आवश्यक है कि हम आत्म निर्भर हों। इसके लिये हमें कुछ त्याग की आवश्यकता पड़ेगी। यह जो विधेयक लेवी और किसानों पर टैक्स लगाने के लिये लाया गया है इसके औचित्य की तरफ आपके माध्यम से मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

सरकार के सिंचाई, खाद और विद्युत् के प्रयत्नों से खेती में वृद्धि हुई है। इस सम्बन्ध में मैं थोड़े से आंकड़े देना चहता हूं। सिचाई के क्षेत्र में 60–61 में जहां 55.28 लाख हैक्टेयर भूमि थी वहां 70–71 में उसका क्षेत्र 83 लाख हेक्टेयर हो गया। इसी तरह से रसायनिक खाद के 60–61 में 28 हजार मीट्रिक टन की खपत हुई लेकिन 70–71 में वह 3 लाख 38 हजार मीट्रिक टन हो गयी। इसी तरह से 65–66 में 30.95 करोड़ यूनिट बिजली खर्च हुई और 70–71 में 89.88 करोड़ यूनिट बिजली खर्च हुई। सरकार के

इन प्रयत्नों से खेती की पैदावार में बृद्धि हुई। 67 से 7 तक केवल सिंचाई और कृषि के क्षेत्र में 421.42 करोड़ रुपये सरकार के व्यय करने पड़े। इस प्रकार प्रति वर्ष 60 करोड़ रुपये सरकार ने खर्च किये। इसके परिणामस्वरूप खेती में वृद्धि हुई और अनाज का मूल्य भी कुछ ज्यादा हुआ। इसके भी आंकड़े मैं दे देना चाहता हूं। कृषि का उत्पादन मूल्य जहां 60–61 में 1158 करोड़ रुपये था वहां 70–71 में 2778 करोड़ रुपये हो गया और 73–74 में 4232 करोड़ रुपये मूल्य का कृषि उत्पादन हुआ। यद्यपि यह फसल का मूल्य था। लेकिन यह लाभ सभी किसानों को नहीं मिला। जिन किसानों ने खाद, पानी और बिजली का उपयोग किया उनको ज्यादा लाभ मिला। छोटे किसानों को यद्यपि लाभ नहीं मिला फिर भी यह लाभ ज्यादातर किसानों को मिला। जिस गति से कृषि उत्पादन का मूल्य बढ़ा है उस गति से कृषि के क्षेत्र में 'कर' नहीं बढ़े हैं बल्कि इस तरह 'कर' का क्षेत्र कम ही होता गया।

राज्य की आर्थिक स्थिति का विवरण पृष्ठ 14 पर तालिका 6 में दिया हुआ है। 60–61 में 1.99 प्रतिशत प्रति व्यक्ति कृषि के क्षेत्र में टैक्स था और 70–71 में 80 प्रतिशत हो गया और 73–74 में .60 प्रतिशत हुआ। इधर सरकार को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा इसलिये सरकार को इस तरह विवश हो कर बड़े दुखी हृदय से किसानों पर लेवी लगानी पड़ी और छोटे किसानों पर भी टैक्स लगाने की बात सोचनी पड़ी।

मान्यवर, सरकार ने 74–75 के लिये केन्द्रीय योजना आयोग के पास 388.60 करोड़ की योजना भेजी लेकिन उसने केवल 255.19 करोड़ की स्वीकृति दी। इस तरह से जो योजना राज्य सरकार ने बनायी थी उसमें कटौती हुई। कुल ऐसी योजनायें थीं जो राज्य सरकार को चलानी ही थीं, जैसे विद्युत् में 132 करोड़ रुपये, शारदा सहायक योजना के लिये 30 करोड़ रुपये, चकबन्दी के लिये 2.98 करोड़ रुपये वृहत् और मध्यम उद्योगों के लिये 6 करोड़ रुपये, सहारनपुर–शाहदरा रेलवे के लिये 3 करोड़ रुपये, अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति में वृद्धि हुई इसमें 2.25 करोड़ रुपये आवास एवं भवन निर्माण के लिये 4 करोड़ 75 लाख, इस तरह से कुल करीब 180 करोड़ रुपया ऐसा है जिसकी व्यवस्था स्वयं इस सरकार को करनी है, योजना आयोग या केन्द्रीय सरकार ने उसमें मदद नहीं की। इसी कारण से सरकार को यह विधेयक लाना पड़ा और यह कर लगाना पड़ा। कल माननीय भीखालाल जी ने जो एक बात सीरदार और भूमिदार के बारे में लगान के संबन्ध में कही मैं भी उससे सहमत हूं। भूमिधर के मुकाबले सीरदार को करीब 8 गुना अधिक लगान देना पड़ रहा है। एक जमीन का लगान सीरदार यदि 20 रुपये दे रहा है तो भूमिधर जो उसके बगल में है वह उतनी ही जमीन का लगान 4–5 रुपये देता है। इसलिये सरकार को यह प्रयास करना चाहिये कि लगान में एक रूपता लायी जाय और इस तरह की असमानता न रहे।

मान्यवर, एक एकड़ से छोटे किसान को सरकार ने ऋण से मुक्त कया है, यह सराहनीय काम है। मैं यह और निवेदन करूंगा कि कम से कम एक एकड़ से कम वाले जो किसान हैं उनकी लगान से माफ किया जाय। जिस समय सरकार लगान में एकरूपता लाने की बात करे, इस प्रश्न पर भी वह विचार करे और छोटे किसान को लगान से मुक्त करे।

[श्री माता प्रसाद]

मान्यवर, लगान फिर से लगाने का जो आर्डिनेन्स जारी हुआ, उस वक्त मैंने जब किसानों से पूंछा कि भाई, अब फिर से लगान लगने जा रहा है, तो उन्हें उस पर खुशी ही हुई। उनका कहना था कि जब तक "जमा नहीं तो जमीन नहीं", जमीन पर हमारा स्वामित्व कैसे रहेगा। उड़ीसा में भी पहले लगान माफ किया गया था, मगर फिर उनको भी लगाना पड़ा। बिहार में भी आदिवासियों ने बड़ा विरोध किया, मगर वह लगाया गया। तामिलनाड की सरकार ने भी उसे माफ नहीं किया। इसलिये हमारे यहां सरकार जो फिर से यह लगान लगा रही है कोई गलत काम नहीं कर रही है। यह ठीक है। आवश्यकता एकरूपता लाने की है, उसे सरकार कर रही है। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

*श्री जंगबहादुर सिंह पटेल (जिला इलाहाबाद)—

मैं इस विधेयक का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। देश या प्रदेश के अन्दर जब तक किसान को तरह-तरह की राहत प्रदान नहीं की जायेगी, तब तक किसान उत्पादन में रुचि नहीं लेगा। देश की पैदावार सन् 68 से बराबर गिर रही है। सवा 6 एकड़ के जो छोटे काश्तकार हैं वे अधिक हैं, उनसे देश की पैदावार पर बुरा असर पड़ेगा। एक ओर सरकार कागजों पर आश्वासन देती है कि हमने इतने ट्यूबवेल्स लगाये, इतनी नहरें बनवायीं लेकिन अगर प्रदेश के कोने-कोने में जाकर आज देखें तो पायेंगे कि सारा प्रदेश सूखे से पीड़ित है, उनको आवश्यकता के अनुसार बिजली नहीं मिलती, उनको खाद नहीं मिलती और सरकार विकास के नाम पर उन पर हजारों कर लगाती जा रही है जब कि सही माने में उनका कुछ भी विकास नहीं हो रहा है। आज यह हालत हो रही है कि उनके बैलों के दाम बढ़ गये हैं, बीज और खाद के दाम इतने बढ़ गये हैं कि उनकी हिम्मत नहीं पड़ती है कि आगे कोई काम कर सकें। 24 करोड़ रुपये केवल राजस्व का लाभ होगा जब कि 2 अरब रुपया बड़े-बड़े पूंजीपतियों पर बाकी है और हमारी समाजवादी सरकार जो अपने को यह दिखलाती है वह गरीबों की बड़ी हमदर्द है उस रुपये को उनसे वसूल कर पाने में अपने को असमर्थ पाती है। कारण वह खुद समझ सकती है। गरीब किसानों के लिये घड़ियाली आंसू बहाना और उनकी मदद से आंख मूंद लेना यह देश के लिये बड़ा ही घातक है।

मैं साफ कहता हूं कि उस बगल बैठे हुए एक भाई कम्युनिस्ट पार्टी की वह थ्योरी लागू करना चाहते हैं देशके अन्दर जो माओत्सेतुग ने एक बार कहा था कि अराजक तत्व ही साम्यवाद को फैलाने में सहायक होते हैं। देश में भावी क्रान्ति के लिये आवश्यक है कि देश भूखमरी का शिकार हो जाय, रोटी के लिये तड़पने वाले लोग ही क्रान्ति कर सकते हैं और इस तरह की क्रान्ति जब हो जायगी तो देश में जल्दी ही साम्यवाद आ जायेगा। वे देश में ऐसी ही स्थिति लाकर और कम्युनिस्टों को लीडर बना कर फिर यहां तानाशाही चलाना चाहते हैं। पहले अंग्रेजों के जमाने में ये उनसे मिल कर देश में गुलामी को बनाये रखना चाहते थे और आज फिर कांग्रेसी हुकूमत में अपनी अवसरवादिता से उसी स्थिति को लाकर, और अपनी विचारधारा को महात्मा गांधी की विचारधारा में मिला कर अन्दर ही अन्दर उस स्कीम को फेल करना चाहते हैं और बराबर क्रान्ति की भावना अन्दर से पैदा करके कांग्रेस मंच पर बैठ कर जो पहले कम्युनिस्ट थे, इस चीज को करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि इसका परिणाम बड़ा भयंकर होगा। इसलिय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहता हूं कि ऐसी स्थिति न उत्पन्न होने दें क्योंकि रोटी के बिना देश के अन्दर काम नहीं चलेगा। जैसा कि हमारे अपोजीशन पार्टी के कुछ भाइयों ने कहा और शासन पक्ष के द्वारा भी कहा गया है कि किसानों की आमदनी बढ़ी है लेकिन अगर आज गौर से देखा जाय तो किसान की हालत इतनी बदतर हो गयी कि 68 से बराबर पैदावार गिर रही है। देश के अन्दर पैदावार कम और प्राइस ऊंची हो तो यह सही है कि सामान कम होगा तो भाव बढ़ता है। इस तरह से बड़े-बड़े लोग जिन्दा रहेंगे लेकिन जो गरीब लोग हैं उनके अन्दर खरीदने की क्षमता नहीं रहेगी कि वे ऊंचे भाव पर सामान को खरीद सकें। इसलिये मेरा निवेदन है कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस मामले की गम्भीरता और आने वाले परिणामों की भयंकरता को सोचें और इस पर विचार करें तथा सवा 6 एकड़ वाले किसानों पर लगान न लगावें। साथ ही साथ किसानों को और भी सहायता देने की बात सोचें।

मेरी जानकारी है कि गूलों के लिये जो नालियां बनायी गयी थीं वे एक साल के अन्दर ही वह टूट गयीं। इसका कारण यह था कि सीमेंट में बालू की मात्रा अधिक लगायी गयी थी जिससे वे टूट गयीं और नहरों से पानी किसानों को नहीं मिल पाता। सिंचाई मंत्री जी से मेरा कहना है कि विकास के नाम पर कर तो लगाया जाता है लेकिन नहरों का पानी आप उनके खेतों तक नहीं पहुंचा सकते तो इस तरह के अपव्यय करने के लिये ही आप तरक्की का बहाना करते हैं। अगर मितव्ययिता के नाम पर ही आप यह कार्य करना चाहते हैं तो मैं निवेदन करता हूं कि जो ऐश और आराम के सामान पर खर्च किया जा रहा है जो इसी तरह की अन्य मदों पर खर्च किया जा रहा है उसको बचाने की कोशिश कीजिये और गरीब को दबाने की कृपा न करिये।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

अगर आप लोग 5-5 मिनट बोलना चाहें तो बोल लें इससे अन्य लोगों को बोलने का मौका मिल जायगा।

*श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी (जिला लखनऊ)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका शुक्रगुजार हूं, और आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं। आपने 5 मिनट का समय बोलने के लिये दिया है। आप अंदाजा लगाइये कि स्त्रियों के नाते हमारा कोटा होता है, इस बात का भी ध्यान . . . . .

श्री अध्यक्ष--

कोटा तो आपका बहुत ज्यादा है, मुख्य मंत्री जी से पूंछ लीजिये।

(हंसी)

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, उधर की स्त्रियां अगर न बोलना चाहें तो उनका कोटा भी देने की कृपा करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक सदस्य—

आप अपना टाइम मुझे दे दीजिये।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मैं अपना कोटा क्यों दे दूं। आप खुद ही मुझे अपना कोटा दे दीजिये।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी बड़ी शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझको जो मुख्य मंत्री जी ने, उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू–राजस्व विधेयक, 1974 पेश किया है उस पर बोलने का अवसर दिया है। मैं इसका समर्थन करते हुए 2–4 बातों को आपके सामने रखना चाहती हूं। यह बात सही है कि इस समय हमारे देश में, हमारे प्रदेश में एक भयानक आर्थिक संकट है। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि इसी आर्थिक संकट के कारण ही यह कर छोटे किसानों पर लगाया गया है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। यह आर्थिक संकट का प्रश्न नहीं है। यह एक बुनियादी प्रश्न है, यह एक नैतिकता का प्रश्न है। मैं आपसे पूंछना चाहती हूं कि इस देश के निर्माण में भी आप मोनोपोली रखना चाहते हैं। क्या आप पूंजीवादी व्यवस्था रखना चाहते हैं। क्या आप इस देश के निर्माण में थोड़े से लोगों का सहयोग लेना चाहते हैं। जो हमारा गरीब किसान है क्या आप इस निर्माण के कार्य से उसको अछूत की तरह अलग कर देना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि वह बेचारा इस देश के निर्माण में अपना सहयोग न दे।

(कुछ सदस्यों के हंसने तथा बीच में बोलने पर)

बड़ी मुश्किल से तो उस पर कृपा दृष्टि हुयी है और आप लोग मुझको बोलने नहीं देना चाहते हैं। आप लोग बाद में बोलियेगा।

क्या आप चाहते हैं कि इन्फीरियारिटी काम्प्लेक्स यानी हीन भावना उसमें घर कर ले और वह प्रगति के काम में अपना हिस्सा न दे। एक बुनियादी बात है, इस महान यज्ञ में, इस महान राष्ट्रीय कार्य में हमें उसका भी सहयोग लेना है। अगर हम उसका सहयोग नहीं लेते हैं तो उसमें समता का भाव उत्पन्न नहीं होगा। इस महान यज्ञ में अगर हम उसका योगदान लेंगे तो उसमें भी सुपीरियारिटी काम्प्लेक्स मतलब आत्म निर्भरता और आत्म संतोष पैदा होगा। उसमें भी गर्व की भावना जागृत होगी। इस बात को हमें साइकोलोजिकल यानी कि मनोवैज्ञानिक तरीके से देखनी पड़ेगी।

मैं पूंछना चाहती हूं कि, आपके इस देश के ऊपर इतनी बड़ी-बड़ी मुसीबतें आयीं, आपके देश के उपर चाइना ने हमला कर दिया, पाकिस्तान का हमला हुआ, देश को बांगला देश की लड़ाई की आग में घुसना पड़ा, तो मैं पूंछना चाहती हूं कि यह लड़ाई क्या केवल बड़े-बड़े मिनिस्टरों और जनरलों ने ही लड़ी या ऊंचे ऊंचे अफसरों ने ही और कप्तानों ने ही लड़ी। इसमें क्या गरीब सिपाही ने अपना योगदान नहीं किया। क्या उस गरीब सिपाही ने अपना रक्तदान नहीं किया। आज गरीब सिपाही जिसका बलिदान हो चुका है उसकी बेवा के बच्चे के मन में एक प्रकार का गर्व है कि हमारे बाप ने अपने देश के लिये बलिदान दिया। अपने बड़े–बड़े कामों में देखते हैं कि क्या गरीब और क्या अमीर सभी का सहयोग लेते हैं और तभी सफलता प्राप्त होती है।

स्वतंत्रता संग्राम में हमने देखा कि क्या गरीब और क्या राजा, महाराजा सभी एक साथ एक लाईन में खड़े होकर बलिदान और त्याग किया। एक स्त्री, पुरुष और गरीब किसान सभी

जबतक साथ नहीं होंगे तबतक सफलता नहीं मिल सकती है। हमको चीन के युद्ध में, बंगला देश में और गांधी जी के आन्दोलन में क्यों सफलता प्राप्त हुई। वह इसलिये कि देश के सभी लोगों का सहयोग प्राप्त था। हमने उस स्वराज्य को, जिसका कि कभी सूर्य अस्त नहीं होता था, बाहर निकाल सका। इतनी बड़ी जनशक्ति जो गरीब किसान के रूप में है अगर उसका इस निर्माण के कार्य में बिल्कुल अछूत की तरह अलग कर देते हैं तो आपको बताऊं कि आपका प्रदेश तरक्की नहीं कर पायेगा। इसलिये मान्यवर, मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं। और 2-4 बातें मैं आपसे कहना चाहती हूं कि कल कम्युनिस्ट भाई ने इस लगान का विरोध किया तो मैं बताना चाहती हूं कि कम्युनिस्ट देश में जो जमीन है वह सरकार की होती है। वह किसान की नहीं होती है। परन्तु यहां पर स्थिति फर्क है और जो जमीन है वह किसान की है। यहां पर समाजवाद लाना चाहती हूं लेकिन समाजवाद का मतलब यह नहीं है कि मोनोपली हो चाहे वह आर्थिक क्षेत्र हो या सार्वजनिक क्षेत्र। समाजवाद में समान भाव से रहने का हक है चाहे वह स्त्री हो, पुरुष हो या किसान हो। खुदकिश्मती से इन्दिरा गांधी जी के जमाने में राजा, महाराजाओं का जनाजा ही निकल गया लेकिन सभी का साथ होना आवश्यक है। हमारी मालगुजारी की व्यवस्था बहुत दिनों से चली आ रही है। मैं याद दिलाना चाहती हूं कि चाणक्य जो कि अर्थशास्त्र के महान ज्ञाता थे उन्होंने भी टैक्स लगाया है।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा करके दृष्टि हमारे ऊपर रखें। आपका समय समाप्त हो गया है। इसलिए बैठ जायं।

*श्री जंगबहादुर वर्मा—

अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि अलाभकर जोतों पर लगान लगाने का मतलब है कि जो मेहनतकश किसान हैं जो कि संसार को अन्न खिलाते हैं उन पर टैक्स लगाना है। इस तरह के टैक्स की संज्ञा इसको दी जा सकती है जैसा कि कंस ने मथुरा में जब लड़ाई चल रही थी तो उसने दूध तक वसूल किया था और इसी तरह का टैक्स रावण लगाता था कि जो मेहनत करके खून जला कर पैसा कमाता था उस पर टैक्स लेता था। तो खून और पसीने के अलावा सवा 6 एकड़ के किसान के पास पैसा नहीं है। वह मेहनत करता है और जो मेहनत नहीं करते हैं उनकी तिजोरिओं में पैसे हैं तो मैं इस सरकार को राक्षसी सरकार की संज्ञा देता हूं।

श्री रामायण राय ने कहा इस देश के बाहर भी संकट आया हुआ है लेकिन यह नहीं बतलाया कि 27 साल से दिल्ली से लेकर लखनऊ तक एक ही परिवार की हुकूमत चली आ रही है, ऐसा भी कहीं है। सिर्फ साल छः महीने के लिये इस प्रदेश में संविद की हुकूमत आई थी। यह सरकार 27 साल से बराबर सेठों से गठबंधन किये हुये हैं और मेहनतकस को लूटती रहती है, चाहे टैक्सों के द्वारा हो या अन्य कारणों से हो। आप 27 साल से बराबर दूसरे देशों से भीख मांगते रहे हैं और अमेरिका ने कई बार ठुकराया फिर भी झुकते रहे। मैं यह वादा करता हूं कि उत्तर प्रदेश के किसान को मौका दीजिये तो वह प्रदेश को ही नहीं सारे हिन्दुस्तान को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जंग बहादुर वर्मा]

खाना दे सकता है। लेकिन यहां तो जो खेती करता है वह लूटा जाता है और भीख मांगने वाले मोटर कार पर चढ़ रहे हैं, नौकर रख रहे हैं। आज खेती करने वाले की समाज में कोई इज्जत नहीं है। अगर वह अन्न नहीं पैदा करेगा तो क्या नतीजा होगा ? अगर बाहर का हमला हुआ तो आपको बाहर से अनाज नहीं मिलेगा और यहां भी नहीं मिलेगा। रावण का क्या हुआ, सारे साधन जले और लंका खतम हो गई। हिटलर लोगों को भोजन नहीं दे सका इसलिये खतम हो गया। आपको भीख मांगने में शर्म नहीं आती है।

देश में 27, 28 साल में 32 करोड़ एकड़ में खेती होती है लेकिन सिर्फ 7 करोड़ एकड़ में पानी मिलता है। तो क्यों नहीं मिलता है। यही हाल बिजली का भी है। बिरला को बिजली 2 पैसे से भी कम पर दी जाती है और किसान को किस भाव पर दे रहे हो। सवा 6 एकड़ का किसान तो ट्यूबवेल लगा भी नहीं सकता है। आप कहते हैं कि अनाज पैदा करेंगे लेकिन यह झूठा नाटक है। यह सरकार भ्रष्टाचार, कुनबापरस्ती और भाई भतीजाबाद में चल रही है और रावण की तरह भेष बदलती है और छलती है। आपने कहा कि रसीद दी जाती है जिससे मिल्किअत होगी। क्या उसको रसीद पर अदालत में डिग्री मिल जायेगी। किन्तु यह सरकार सरासर झूठ बोलती है। अगर रसीद पर मिल्किअत मिल जायगी तो ऐसा कानून बना दीजिये। तो आप जनता को गुमराह कर रहे हैं। मेरी तहसील हैदरगढ़ में एक शुगर फैक्ट्री पर 20,000 रुपये का बिजली का बिल था किन्तु 12,000 रु० का कर दिया गया। किसान को कोई भी रियायत नहीं करते हैं।

ट्रान्सफार्मर आपके चोरी होते हैं। सरकारी अधिकारी मिलकर चोरी करवाते हैं और उनके तार को निकलवाकर 3,300 का बेंच दिया जाता है। दूसरे लोग पकड़े जाते हैं, लेकिन आपके ये अधिकारी नहीं पकड़े जाते। सिंचाई की बात लें। अंग्रेजों के जमाने में नहरों में जो पानी था, पानी वही है लेकिन आपने गेहूं का क्षेत्रफल बढ़ा दिया। यही नहीं, आज जो गेहूं बोया जाता है, उसको 5 पानी की जरूरत होती है, जबकि पहले एक पानी में ही गेहूं हो जाता था। इस तरह से अंदाज लगा सकते हैं कितने पानी की जरूरत आज है। लेकिन ये यह भी नहीं कर पाये यही हालत सड़कों और उद्योग धंधों की है। अगर खेती को कमजोर कर देंगे, तो हिन्दुस्तान के 45 प्रतिशत कारखाने बंद हो जायेंगे। शकर, जूट, मैदा, तेल इन तमाम चीजों के कारखाने आज किसानों के बल पर चल रहे हैं। लेकिन आज आप किसानों को मारना चाहते हैं। उससे किसान तबाह हो जायेंगे। और आप कर क्या रहे हैं ? कहते हैं कि हमने कर्ज माफ कर दिया। लेकिन इसके पीछे राज क्या है ? आप लड़ाई छिड़वा देना चाहते हैं, हरिजनों और छोटे आदमियों को पिटवाना चाहते हैं। आप एक कानून बनाते। लेकिन ये दो जबानों से बात करते हैं। मान्यवर, दो जबान बिसखपड़ी के होती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि सांप तो लहर दे देता है लेकिन बिसखपड़ी लहर नहीं देती। तो इनके काटे की कोई लहर नहीं। औरों का कर्ज तो माफ कर दिया, लेकिन अपना कर्ज माफ नहीं किया। चाहते यह हैं कि ये गरीब लोग हमारे पास आयें, उन्हें हम कर्ज दें, कम सूद कर दें और जब वह अदा न कर पावे, तो धमकी दें कि बंद कर देंगे या तो हमको वोट दो और हमारे गुलाम बने रहो।

तिवारीजी, प्रभु नरायण जी, रामायण राय जी और उधर के तमाम साथी, कभी यही कहते थे कि खेती की पैदावार बढ़ायी जाय। राष्ट्रपिता गांधीजी ने भी यही कहा था।

जिनके हम और आप, सभी सन्तान हैं, कि अलाभकर जोत पर लगान माफ किया जाय। सन् 46 में इसी के लिये प्रस्ताव आया था, जिसके लिये हम लोग जेल गये थे, मारे गये थे। प्रभु नारायण जी, रामायण राय और नरायण दत्त तिवारी, यही अंदोलन पहले करते रहे। लेकिन आज कांग्रेस के 46 के अधिवेशन के प्रस्ताव का उल्लंघन किया जा रहा है। राष्ट्रपिता की बात का उल्लंघन किया जा रहा है, जब कि माना यही जाता है कि जो पिता की बात का उल्लंघन करता है, उसका कल्याण कभी नहीं हो सकता। मैं कहता हूं कि जब चीजों की कमी है, आर्थिक संकट है, तो ऐयाशी कम करों, खर्च कम करो, तनख्वाहें कम करो। किसानों की फसल की चीजों में अगली फसल तक 30 प्रतिशत से ज्यादा मुनाफा न होने दो और कारखाने की चीजों के दाम लगाता से डेढ़े गुना से ज्यादा न बढ़े। लिपिस्टिक, शराब, खुशबूदार तेल, रेशम, इन पर टैक्स लगा दें।

मान्यवर, अंग्रेज शराब बहुत पीते थे। आज हमारी इस सरकार के मंत्रीगण भी शायद शराब पीते हैं और उनके अफसर भी पीते हैं। चूंकि अंग्रेज पीते थे, इसलिये औलाद ये अंग्रेजों के ही हैं और इसलिये वही काम कर रहे हैं। स्वयं पीते हैं और दूसरों को भी पिलाते हैं। मैं कहता हूं कि क्यों नहीं शराब के कारखानों को नीलाम कर देते? मान्यवर, मेरी बहुगुणा जी से इस सम्बन्ध में बात हुयी, तो उन्होंने कहा कि कानूनी अड़चनें हैं। राजी नहीं हुये। अभी दिल्ली में जब मामला इन्दिरा गांधी पर आया तो कर्जे का मामले में अध्यादेश जारी हो गया और जब चुनाव के खर्चे का मामला पड़ा कि इन्दिरा गांधी जी फंस रही थी उस पर भी अध्यादेश जारी हो गया और सुप्रीम कोर्ट के जजों को बदल दिया गया।

सरकार को चाहिये तो यह था कि इस कमी को दूर करने के लिये शराब की दूकानों का आक्शन करती ताकि जो आमदनी 40 करोड़ से बढ़ कर अब 60 करोड़ हो गयी है वह और बढ़ती और उससे पैसा भी बड़े आदमियों की जेब से जायगा। लेकिन इस तरफ ध्यान सरकार का नहीं है। सरकार गरीबों पर टैक्स लगा रही है। सवा 6 एकड़ की अलाभकर जोतवाले गरीब किसान पर यह सरकार फिर मे लगान लगाने जा रही है जिसके लिये कि कमी अंग्रेजों के जमाने में कांग्रेस के लोगों ने धरना दिया था और उस आन्दोलन में अनेक माताओं के सिन्दूर उजड़ गये थे, लोगों के हाथ पैर टूट गये थे। लेकिन यह सरकार अंग्रेजी शराब की दूकान को नीलाम न करके सवा 6 एकड़ की अलाभकर जोत वाले किसान पर लगान लगाने जा रही है और अंग्रेजों के कदमों पर अग्रसर हो रही है। अगर आप जनप्रिय हैं तो ठाट-बाट की चीजों पर टैक्स लगाइये और छोटी जोतों पर से टैक्स हटाइये ताकि पैदावार देश की बढ़ सके।

*राजस्व मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, कल से उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधेयक, 1974 पर विचार हो रहा है। कराधान के जो साधन हैं उन पर विचार न करके भू-राजस्व तथा विकास पर ही माननीय सदस्यों ने अपने विचार कल से प्रकट किये हैं। जनसंघ तथा एस0 एस0 पी0 के माननीय सदस्यों के विचार सुनने से तो यह सदन वंचित रहा सिर्फ कम्युनिस्ट तथा लोक दल के सदस्यों के विचार से यह सदन अवगत हो सका। कम्युनिस्ट सदस्यों का सिर्फ यह कहना है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री स्वामी प्रसाद सिंह]

कि अलाभकर जोत पर लगान नहीं लगना चाहिये। आज कल के समय में अलाभकर की परिभाषा में मैं समझता हूं कि सवा 6 एकड़ की जोत नहीं आती। दो एकड़ के खेत में भी अगर बिजली, सिंचाई तथा खाद की सुव्यवस्था है तो उसमें ज्यादा पैदावार हो सकती है बनिसबत सवा 6 एकड़ की जोत के जिसमें यह व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था होने पर 2 एकड़ में पैदावार 6 एकड़ की जोत से बहुत ज्यादा होगी। आजकल अलाभकर जोत की एक लाइन खींचना कि सवा 6 एकड़ की जोत अलामकर जोत है गलत होगा क्योंकि जिसको जैसे साधन उपलब्ध हैं उसी हिसाब से वह जोत लाभकर अथवा अलाभकर हो सकती है।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

तिवारी जी ने जो कहा है उसकी आप मुखालिफत कर रहे हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

ज्यादातर विचार प्रकट करने वाले भालोद के माननीय सदस्य हैं और मैं समझता हूं कि पिछला जो हमारा बजट था उसमें भी इन्हीं माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये थे। विरोधी दल के जो नेता हैं उनके इस सम्बन्ध में क्या विचार थे कि यह सवा छः एकड़ की लगान माफी होनी चाहिये या लगान की छूट खतम होनी चाहिये। मैं समझता हूं कि अगर आपके नेता के यह विचार हों कि सवा छः एकड़ की लगान की छूट खतम होनी चाहिये तो आप अपने नेता के विचारों का उल्लंघन कर रहे हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

चरण सिंह कुलक के प्रतिनिधि हैं। चरण सिंह रिप्रिजेन्ट्स दि इन्टरेस्ट्स आफ दि कुलक। तो क्या यह सरकार कुलक के प्रतिनिधि के इशारों पर चलेगी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

इस सवा छः एकड़ की लगान के खतम होने की चर्चा यहां पर कल से हो रही है और आपके नेता विरोधी दल यहां पर मौजूद रहे किन्तु उन्होंने इसके बारे में 4 मिनट भी अपने विचार प्रकट नहीं किये। अपनी पार्टी के माननीय सदस्यों पर उन्होंने यह छोड़ दिया। उनका जो भाषण है वह दो-चार लाइनों में, मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। उनका कहना है "एक बात आती है मालगुजारी की। मैं हमेशा मालगुजारी इवोल्यूशन करने के खिलाफ रहा। इस बात को सुचेता जी ने मुझको पूछा था सन् 66 में कि आपकी क्या राय है। मैंने राय यों नहीं दी कि मै समझा कि कोई फायदा राय देने से नहीं है। मेरा अपना ख्याल है कि किसान को मालगुजारी देने में न पहले दिक्कत थी और न आज है।"

तो मेरी समझ में नहीं आता है कि हमारे बी0 एल0 डी0 वाले माननीय सदस्य जनता को अखबारों के द्वारा यह दिखाना चाहते हैं कि हम तो किसान से लगान न वसूल कराने के मुआफिक थे। लेकिन मै समझता हूं कि हमारे जितने विधायक बोले हैं लोकदल वाले, उन्होंने अपने क्षेत्रों में दौरा किया होगा और समझा होगा कि किसान आज क्या चाहते हैं। विरोध करना तो आज एक वसूल सा बन गया है। लेकिन उस विधेयक के सिलसिले में कम से कम 30-40 जिलों का मैंने दौरा किया है जहां किसानों की बराबर मुझे यह राय मिली है कि हमको अन्देशा है कि अगर हमसे लगान नहीं ली जाती है तो उस खेत का कब्जा हमारे नाम से कट जाय। मैं एक केस इसी का देना चाहता हूं। मैं एक दिन संडे को अमौसी चला गया।

वहां मैंने देखा कि एक–दो बीघे वाले गरीब किसानों के फर्जी कब्जे के इन्द्राज करके कुछ कर्मचारियों ने दूसरे के चेक बना दिये। उन गरीब किसानों को भी पता नहीं है कि हम उनके काश्तकार हैं या नहीं हैं.....

श्री मुलायम सिंह यादव (जिला इटावा)—

जो आपने कहा है कि कुछ लोगों के गलत इन्द्राज कर दिये हैं.....

श्री अध्यक्ष—

आपको बोलना है या नहीं। यदि बाद में बोलना है तो मैं अभी इजाजत नहीं देता।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

तो मैं यह कहना चहता हूं कि आजकल किसानों को चाहें वह छोटे हों या बड़े हों शासन का कर्त्तव्य है कि उसको कृषि से सम्बन्धित जितनी वस्तुएं हैं उनको उपलब्ध करायें। लेकिन हमारे माननीय विरोधी दल क नेता का पिछले दिनों यह विचार था जब संविद सरकार आई उसमें कुछ और विचार था फिर विचार आया कि सवा तीन एकड़ तक माफ होना चाहिये। क्योंकि उनको मुख्य मंत्री बनने की आवश्यकता थी और उस हिसाब से उनके विचार भी बदलते थे। संविद सरकार कहीं उलट न जाय और वह मुख्य मंत्री न रह सकें फिर टी० एन० सिंह सरकार आई तब भी माननीय विरोधी दल के साथियों ने विचार रखें लेकिन उनका विचार था कि सवा छः एकड़ तक नहीं होना चाहिये। उनके विचार बदलते रहे। लेकिन कांग्रेस वाले ऐसे नहीं है, वह ऐसी पार्टी वाले नहीं हैं कि चीफ मिनिस्ट्री के लोभ में अपने विचार बदल दें। ऐसी परिस्थितियां आई और किसान सवां छः एकड़ तक लगान माफी से खुश नहीं हैं तो उस हिसाब से उसको मालियत का सबूत देने क लिये यह आवश्यक हुआ। यह विचार किया कि कुछ साधन सरकार के होंगे और दूसरी तरफ किसान को मिलकियत क सबूत मिल सकेगा उसके लड़के, पोत अपने घर में इस बात का सबूत पा सकेंगे कि हमारे पास लगान की रसीद है।

अध्यक्ष जी, कभी अगर कोई गरीब किसान को जरूर होती थी किसी केस में उसको कागज दाखिल करने की जरूरत होती तो वह इसको पेश कर सकता है। इसके लिए सबसे पहले तहसील में एक एप्लीकेशन देता है उसमें सवा रुपये का या कुछ टिकट लगाता है उसको लगान के खर्च का एक कागज जो मिलता है जिसे वह सबूत के लिये लगा सकता है। जो कि उसकी लगान के बराबर हो। इसके बाद चाहे वह गरीब किसान हो या धनवान हो उसको किसी प्रकार जमानत देने की जरूरत नहीं पड़ती है। वह कोई जमानत नहीं दे सकता है जब तक उसके पास रसीद नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

यह कोई नई दलील नहीं है। जनसंघ वाले भी यही कहते थे।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

हमारे नेगी साहब शायद क्रिमिनल प्रैक्टिस करते हैं।

(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

जमानत के लिए जमीन होती है या लगान.....

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

शायद कल सुप्रीम कोर्ट खुल जायगा हमारे माननीय साथी भाग जायेंगे फिर किसानों की बात याद नहीं आयगी इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि गरीब आदमी को सुविधा के लिए यह विधेयक पेश हुआ है।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मन्त्री कितना बोलेंगे काफी टाइम ले लिया है.....

श्री अध्यक्ष--

जब मिस्टर बोलेंगे तो उनको समय मिलता ही है।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

अध्यक्ष जी, यह सवाल आ सकता है कि अगर सवा छः एकड़ तक का लगान या सवा तीन एकड़ तक का लगान माफ हुआ तो कुछ अपनी फेमिलीज में लोग सेटिलमेंट कर लेंगे। वरासत करें और जमीन छोट-छोटे हिस्से में बटती चली जायेगी तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो सवा छः एकड़ या सवा तीन एकड़ की लगान माफी का बहाना लेकर भू-राजस्व से अलग हो जायेंगे। और एक दिन भू-राजस्व जो है वह खत्म हो जायेगा और जो यह विकास के कार्य हैं इनमें बहुत दिक्कत होगी....

इस तरह से, माननीय सदस्यों के जो विचार हुए, उनका मैंने जवाब दिया। मैं ज्यादा समय न लेकर आप लोगों को अपनी बात कहने का और अधिक अवसर देना चाहता हूं।

(श्री मुलायम सिंह यादव के खड़े होने पर)

श्री काशीनाथ मिश्र--

श्रीमन्, मैंने भी संशोधन दिया है, मुझे भी बोलने का मोका दिया जाए।

श्री अध्यक्ष--

श्री काशीनाथ मिश्र, जैसे प्रखर बुद्धि के सदस्य ने अपना संशोधन अध्यादेश में दिया है, और फिर वह उस पर समय चाहते हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र--

बिल में दिया है, जो सूची है, उसमें दिया है।

श्री अध्यक्ष--

आप ने लिखा है, उत्तर प्रदेश भूमि विकास कर तथा भू-राजस्व (संशोधन) अध्यादेश, 1974 में संशोधन।

(हंसी)

श्री काशीनाथ मिश्र--

बालू और रेत वाली जो जमीन है, वह विकास-कर से मुक्त रखी जाए, यह मेरा संशोधन था।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

जिस जमीन में बालू और रेत पड़ जाएगी या जो पानी से दब गई होगी, उस जमीन पर न लगान लगेगा न विकास कर लगेगा। यह तो स्पष्ट है।

श्री मुलायम सिंह यादव--

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मन्त्री अभी बोल रहे थे, मुझे उनकी बात पर बड़ा आश्चर्य हुआ, जब उन्होंने कहा कि रसीद से जमानत हो जाती है।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

किसी क्रिमिनल मामले में हो जाती है, कहां हो जाती है? मैंने क्या कोई ऐसा जिक्र किया।

श्री मुलायम सिंह यादव

यह कब्जा रसीद से होता है या खसरा इन्द्राज से? 15-20 साल यदि किसी का किसी जमीन पर कब्जा हो जाए तो क्या वह रसीद काम आएगी या वह कब्जा काम में आएगा। इसलिये यह कहना कि लगान इसलिये लगा रहे हैं जिससे कि उसकी रसीद से उसकी जमीन बची रहे, बिलकुल गलत है। मुझे आगे यह कहना है कि श्री तिवारी जी ने यह कहा था कि प्रदेश बड़े आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है और प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये हम किसानों पर यह लगान लगाने जा रहे हैं। श्री बहुगुणा जी ने पिछले 13 अक्तूबर को कानपुर में कहा था --

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

अच्छा अब यहां से बाहर की बात भी यहां आ गई खैर किसी तरह से आप मेरा नाम लीजिए, चाहे गाली ही दीजिए।

श्री मुलायम सिंह यादव--

ऐसी बात नहीं है, गाली दूसरे लोग देते हैं। आपने वहां कहा था कि मैंने सरकारी कर्मचारियों से वायदा किया था, उस वायदे-समझौते को पूरा करने के लिये उनका महंगाई भत्ता हमने बढ़ा दिया है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

वायदा मैंने नहीं आपके पूर्वजों ने किया था।

श्री मुलायम सिंह यादव--

आपके जो बड़े नेता हैं, पुराने नेता हैं, उन्होंने 27 साल लगातार जनता से वायदा किया है, आप यदि उनको मान लेते, उनको पूरा कर देते तो मैं समझता कि वास्तव में सरकार अपने वचन और अश्वासनों के प्रति ईमानदार है। केवल साढ़े 10 लाख सरकारी कर्मचारियों को सन्तुष्ट करने से प्रदेश का भला नहीं होगा।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

आप सुझाव दें तो उसे बन्द कर दूं, उनका वेतन रोक दूं।

श्री मुलायम सिंह यादव--

500 रुपया महीना तक तनख्वाह पाने वालों पर कोई इन्कम टैक्स नहीं लगता है लेकिन आपने 12 सौ से लेकर 23 सौ रुपया तक तनख्वाह पाने वाले सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया है। इससे ज्यादा और क्या विडम्बना हो सकती है। एक तरफ सरकार पांच सौ रुपये से अधिक महीन पाने वाले से इन्कम टैक्स लेती है और दूसरी तरफ

[श्री मुलायम सिंह यादव]

उसका महंगाई भत्ता बढ़ाती है। मैं मानता हूं जब सरकार तानाशाह होना चाहती है तो वह कर्मचारियों की मदद लेती है। बिना उसकी मदद के यह तानाशाही नहीं आ सकती है। इसलिये इस देश में तानाशाही लाने के लिये कुछ नौकरों को खुश किया।

दूसरी बात, जहां आपने 23 या 22 करोड़ के लगभग गरीब किसानों पर लगान लगाया है वहां पर उत्तर प्रदेश में ही केवल सेल्स टैक्स का 80 करोड़ बकाया है। अगर वह वसूल कर लेते तब भी उन गरीब किसानों पर लगान लगाने की जरूरत न पड़ती। मेरे भाई ओम प्रकाश जी बोल रहे थे कि लगान माफी के लिये संसोपा ने आन्दोलन किया था, प्रदर्शन किया था, सारी लड़ाई लड़ी थी और आज चौधरी चरण सिंह का नेतृत्व स्वीकार कर लिया। यह सच है। मैंने और मेरे साथी सभी डाक्टर लोहिया के अनुयायी थे और चौधरी चरण सिंह का नेतृत्व स्वीकार किया है। मैं उनसे पूंछना चाहता हूं कि वह भी डाक्टर लोहिया के अनुयायी थे क्या उन्होंने बहुगुणा जी का पूरे दिल से नेतृत्व स्वीकार कर लिया है? पांडेय जी आप ही बता दीजिये ओम प्रकाश जी की तरफ से?

श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

चौधरी चरण सिंह ने समाजवाद स्वीकार किया है।

श्री मुलायम सिंह यादव—

(व्यवधान) हां, गांधीवादी बन गये। गांधी जी समाजवादी थे तो मैं भी समाजवादी हूं।

दूसरी चीज, मैंने कल माननीय भीखालाल और गर्ग साहब का उत्तर इस लिए नहीं दिया था कि हो सकता है, कुछ साथियों ने कह दिया सन् 1942 में आपने भी विश्वासघात किया है। 1969 म जब इस देश से इन्दिरा कांग्रेस समाप्त होने जा रही थी, जिस समय देश का सबसे बड़ा पद इन्दिरा गांधी पर था, इस देश की जनता के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया, जो दुनिया का कोई बड़ा से बड़ा राष्ट्रपति और प्रधान मन्त्री नहीं कर सकता है। वह वादाखिलाफी इन्दिरा गांधी ने की थी। उन्होंने संजीव रेड्डी का परचा फाइल किया, उस पर हस्ताक्षर किये, समर्थन किया और वोट किया वी0 वी0 गिरि को। मैं अपने भाई कम्युनिस्टों को बता देना चाहता हूं कि उस समय इन्दिरा गांधी ने जो वायदा किया था। (व्यवधान) उस समय इन्दिरा गांधी की सरकार टूटने वाली थी और संगठन कांग्रेस के लोग अलग हो गये थे। उस समय इन्दिरा सरकार को गिराने से कम्युनिस्ट भाइयों ने बचाया।

श्री अध्यक्ष—

विषय पर आप बोलें।

श्री मुलायम सिंह यादव—

अध्यक्ष महोदय, कल उन्होंने जिक्र किया था और कई लोगों ने बोला भी था। इसलिये जरूरी हो गया है जवाब देना। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से आज जहां जनतन्त्र की बातें कही जाती है, आज जो कांग्रेस प्रजातन्त्र को खत्म करने जा रही है वह आरोप लगाती है कि आज जो जय प्रकाश जी आन्दोलन चला रहे हैं उसमें आज भारतीय लोक दल और जन संघ प्रजातन्त्र को समाप्त करने के लिय साजिश कर रहे हैं। जहां तिवारी जी कहते थे कि हम पिछड़पन को दूर करने जा रहे हैं। लेकिन दूसरी बात माननीय

राजस्व मन्त्री जी ने बताई। ठीक है कि उस समय माननीय चौधरी साहब ने कहा था कि किसानों पर लगान लगा दिया जाय। वह नाराज नहीं होंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ चौधरी साहब ने यह भी कहा था कि जितनी किसानों की जरूरत की चीजें हैं जैसे खाद, बिजली वगैरह, वह सस्ते मूल्य पर उनको मिलनी चाहिये। एक तरफ तो आप लगान बढ़ाने जा रहे हैं और दूसरी तरफ किसानों को खेती के साधन मंहगे खरीदने पड़ रहे हैं। जब आप गरीबी की बात करते हैं तो फिर हिन्दुस्तान के सबसे गरीब तबका किसानों पर बोझा डालने क्यों जा रहे हैं ? इसलिये अध्यक्ष महोदय, आप वित्त मन्त्री जी को प्रेस कीजिये क्योंकि आप डाक्टर लोहिया के अनन्य भक्तों में से थे और आप इसके सम्बन्ध में कई बार जेल गये हैं, आप पिटे हैं, आप अपमानित हुये हैं और इन कांग्रेसियों ने किया था। इसलिये आप उनको मजबूर करें।

श्री अध्यक्ष—

हम क्या मजबूर करेंगे ?

श्री मधुकर दिघे—

अध्यक्ष महोदय, आपने कहा था कि 5-5 मिनट का समय देंगे। एक सवाल यह उठा था कि जब कराधान का प्रश्न हो तो पूरे डिटेल्स आने चाहिये। (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष—

आपके दल की ओर से चार नाम आये थे और मैंने सर्वश्री जंगबहादुर पटेल, जंगबहादुर वर्मा, मुलायम सिंह यादव और रामआधार राय को बोलने का मौका दिया है।

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम कौशिक —

मेरा नाम देखिये। (व्यवधान)।

(कई लोगों के खड़े होकर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग कृपया बैठिये। सवाल यह है कि आप सब लोग अनावश्यक क्यों बोल रहे हैं। आपके दल की ओर से जो सूचना मिली। (व्यवधान) अब समय नहीं है। पहले कहते तो मैं 3-3 मिनट का समय सबको दे देता। (व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

मेरा इसमें नाम है। (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष—

आप स्वयं जानते हैं कि जब आपके दल की ओर से अपेक्षा की गई कि चार को जरूर बुलवाइये (व्यवधान)।

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)—

यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष—

यह तो आप अपने दल से पूछिये। (व्यवधान)।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

मेरा नाम एजेंडे में है। (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष—

समय बढ़ाने की बात होगी। (व्यवधान)।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मान्यवर विवेक से सदन चलना चाहिये। (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष—

विवेक से ही सदन चलता है। आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिये। यह आपकी अनुचित मांग है फिर भी विचार किया जा सकता है। लेकिन यदि आप कहें कि आपका नाम क्यों नहीं लिया गया तो यह आप अपने दल से क्यों नहीं पूछते हैं। (व्यवधान)।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मैं कोई अविवेक का काम नहीं कर रहा हूं। (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष—

मै 2-2 मिनट का समय दे दूंगा।

*श्री गोविन्द सिंह मेहरा (जिला अल्मोड़ा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत विधेयक के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मान्यबर, मै सरकार को इस बात के लिये बधाई देता हूं कि सारे प्रदेश में जो एक असुरक्षा की भावना और एक अनिश्चितता की भावना फैली हुई थी, सवा 6 एकड़ से कम आराजी पर जो मालगुजारी समाप्त की गई, उससे काश्तकार के दिल में एक भय पैदा हो गया था कि हम इस आराजी के इस भूमि के मालिक हैं भी या नहीं या उत्तर प्रदेश सरकार इसकी मालिक है। इस विधेयक के आने से वह अनिश्चितता और वह भावना, वह असुरक्षा की जो भावना है वह समाप्त हो जायगी। मान्यवर, उत्तर प्रदेश शासन जो हरित क्रान्ति के लिए दृढ़ संकल्प है और भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है यहां पर 90 फीसदी काश्तकार सवा 6 एकड़ से कम आराजी के मालिक हैं और कुल 10 फीसदी ऐसे काश्तकार हैं जो सवा 6 एकड़ से अधिक के मालिक हैं। तो उत्तर प्रदेश की अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का इनका भू-राजस्व का योगदान होता हैं तो यह एक न्यायोचित बात होगी और यह आवश्यकीय भी है। प्रश्न यह आता है कि ऐसे प्रदेश में जैसा कि मेरे भाई माननीय सदस्य राम अधार राय जी ने कहा कि काश्तकार की जो क्रय-शक्ति कम हुई है। मैं उनसे सहमत नहीं हूं।

आजादी के पहले मान्यवर, जब कि यह कहा जाता था कि एक रुपये का दो मन गेहूं, एक रुपये का 2 मन धान उपलब्ध था, 1 रु0 की 2 मन दाल उपलब्ध थी, उस वक्त भी जो नाम-मात्र की मालगुजारी थी, उसको देने में उस वक्त का काश्तकार असमर्थ था, परन्तु जब आज पैदावार बढ़ी है, और काश्तकार के पैदावार की कीमत 10 गुना से भी कहीं अधिक हुई है, उसकी क्रय-शक्ति बढ़ी है। उसका एक ज्वलंत उदाहरण है। अभी 28 और 29 तारीख को काश्तकारों की तथा कथित पार्टी भालोद का जब सम्मेलन हुआ, उत्तर प्रदेश में, तो वहां पर उनके नुमाइन्दे और कई काश्तकार उपस्थित थे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उस समय पर जब भालोद के जो नेता हैं और सदन के विरोधी दल के नेता हैं चौधरी चरण सिंह उन्होंने अपील की समाजवादी हेलीकाप्टर खरीदने के लिये, तो मेरे इसी पक्ष के एक भाई लाखों की बात कर रहे थे, मेरे ही कमरे के पास त्रिलोकनाथ हाल पड़ता है, उसमें 500 रुपये से लेकर हजारों रुपये और इससे भी अधिक उसमें देने की बात सामने आई। तो इससे साबित होता है कि काश्तकारों की क्रय-शक्ति घटी नहीं है बल्कि कई गुना बढ़ी है और अगर कई गुना तक शक्ति बढ़ी है, तो जो मालगुजारी है उसको देने में, जहां इतने विकास कार्य चल रहे हैं, उसमें अगर काश्तकार का योगदान होता है तो यह अनुचित नहीं है।

एक बात जो अन्त में मुझे कहना है कि वह यह कहना है कि आज आकार के हिसाब से आप अलाभकर और लाभकर जोत को तय नहीं कर सकते। आज एक एकड़ भूमि में 6 कुन्टल जहां पैदावार होती थी आज 40 कुन्टल से लेकर 50 कुन्टल तक एक एकड़ में पैदावार होती है। इसमें अगर काश्तकारों से कुछ भू-राजस्व के हिसाब से लिया जाता है तो अनुचित नहीं है। यहां पर पर्वतीय अंचल की बात जरूर कहूंगा, जो असिंचिति भूमि है, जो 90 फीसदी से अधिक असिंचित भूमि है वहां अलाभकर है। वहां पर आज भी जोतें अलाभकर हैं। लेकिन अलाभकर होने पर भी उनको राजस्व देना चाहिये। उनसे भी राजस्व लेना चाहिए क्योंकि काश्तकार उससे अपने को सुरक्षित समझता है। मैं सारे सदन का आभारी हूं। इस बिल का मैं पुर जोर समर्थन करता हूं।

*श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो यह विधेयक है इसे प्रवर समिति को भेजा जाये; इसका समर्थन मैं करता हूं। संसार में सबका जीवन दर्शन है, लेकिन इस सरकार का एक ही दर्शन है। ब्रह्माण्ड का जीवन दर्शन सूर्य, सोम और अनिल हैं, पिन्ड का जीवन दर्शन वात, वित्त और कफ है, लेकिन इस सरकार का जीवन दर्शन कर्जा, कर और कुर्सी है। सरकार ने जो कर लगाये हैं उनको देखने से इस सरकार का वीभत्स रूप देखने में आता है। गरीबों के पास जो लंगोटी बची है उसको भी यह सरकार घसीट लेना चाहती है। इन्होंने टोडरमल का उदाहरण दिया, चन्द्रगुप्त का उदाहरण दिया, भारतीय इतिहास में ऐसे उदाहरण हैं कि कर लगाया गया है, लेकिन मान्यवर उनकी एक सीमा रही है, उनकी एक दर रही है। बिना कर के कोई राज काज नहीं चल सकता है।

प्रजानायेव भूत्यर्थं सूताभ्यो बलिमग्रहीत।
सहस्त्रगुण युत्स्रष्टुमा दत्ते हि रसं रवि:।

मान्यवर, कर लगाया जाता था, परन्तु उनकी नीति उदार थी। जनता के प्रति उनकी भावना उदार थी। वह कर प्रजा के कल्याण के लिये लेते थे।

श्री शिव कुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)—

माननीय सदस्य का प्रबचन हो जाये तो हम लोग भी जान जायें।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

इस प्रकार प्रजा के कल्य ण के लिये टैक्स लगाय जाता था।

मधु दोहं दुहेद्रास्टं ममुया इव पादयम्।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री पुरुषोत्तम कौशिक]

उनका यह उद्देश्य रहता था कि किसी प्रकार से जनता क कष्ट न पहुंचे। आपने विधायकों और गांव सभापतियों के नाम पत्र लिखा और लिखा है कि गांव के लोगों की क्रय-शक्ति बढ़ी है और शहरों की क्रय-शक्ति कम हुई। यह इनका आदर्श है। एक हमारे जिम्मेदार व्यक्ति इस तरह की बात करते हैं तो प्रदेश का क्या होगा, यह भगवान ही मालिक है। इनको इस तरह का पत्र वितरित नहीं करना चाहिये। आपने एक बात और कही कि गांव के लोग शहरों की ओर भाग दौड़ मचा रहे हैं। जब गांव की क्रय-शक्ति बढ़ रही है तो वे शहरों में क्यों आयेंगे। आप का यह कहना गलत है कि गांव के लोगों की क्रय-शक्ति बढ़ी है, उनका उत्पादन बढ़ा है, उनकी खुशहाली बढ़ी है। गांव के लोग शहरों की ओर इस लिए आ रहे हैं क्योंकि उनकी क्रय-शक्ति बढ़ी नहीं है, घटी है। इसी सम्बन्ध में मैं कहता हूं —

गांधी जी के ग्राम राज्य पर आज हुई हावी दिल्ली।
चुपचाप साधेंगे चूहों के बिल पर ज्यों भीगी बिल्ली ॥

मन्त्री जी करते हैं वायदे। मैं इनके वायदों पर विश्वास नहीं करता हूं।

कब तक जीयेगा वायदे फरदा पर आदमी,
इस वायदे तहलील का कोई इंतिहा भी है ॥
जालिम निकल के शीश महल से जरा बता।
हम मुफ्लिसों के दर्द की कोई दवा भी है ॥
गफलत के बहुसी की तसद्दुद की धूप में,
कब तक जलेगा आज का इन्सान दोस्तों ॥
सांसों की आग से न बचा सब्र का कफन,
निकलने लगी अमानतें इमान दोस्तों ॥
वह गांव का पनघट हो या शहर के मयखाने,
तूफाने हवादिश में गुम हैं सभी अफसाने ॥
आगास तो जाहिर है उतरे हुए चेहरों से।
इस दौरे तरक्की का अन्जाम खुदा जाने ॥

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजे जाने वाले प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

मैं अपने माननीय सम्मानित सदस्य, देवरिया, को बता देना चाहता हूं कि उनका ज्ञान, संस्कृत के श्लोक, मधुर, सुन्दर और औरों को स्पन्दित करने वाली और प्रेरणा देने वाली कविताओं का जब वे उल्लेख करते हैं तो कभी-कभी चुभती हुई शेर भी कह देते हैं। उनकी भावनाओं का मैं आदर करता हूं लेकिन आज वे जबरदस्ती विरोध कर रहे हैं। मुझे भी एक शेर याद आ रहा है :

आज के इस दौर में दीवाना हमें कहते हैं वे,
जिन्हें अपना होश संभाला नहीं जाता।

---

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो श्रीमन्, हर समय विरोध, हर रोज विरोध. यह कैसा विरोध है ?

एक सदस्य—

श्री मन्, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं कह रहा था कि हर हमय विरोध, हर जगह विरोध तो क्या प्रजातन्त्र में ऐसा विरोध होना चाहिये। मुझे भी 10 वर्ष तक उसी स्थल पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है जहां पर माननीय सदस्य देवरिया बैठे हैं। बाहर भी आन्दोलनों में भाग लेने का मुझे मौका मिला है लेकिन जो रचनात्मक सुझाव हैं, उनका विरोधी दलों की ओर से क्या दायित्व है ? यदि विरोधी दल वालों ने उनकी ओर दृष्टि न डाली तो जो उनका कर्त्तव्य और अधिकार है, उनका समन्वय न हो सकेगा।

श्री मोती लाल देहलवी—

आपने, श्रीमन्, हमें भी समय देने का वायदा किया था ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

कौमन मार्केट ओर इन्फ्लेशन आदि प्रश्नों को लेकर आखिर किस प्रकार से संसाधन जटाये जायं। यह ऐसा प्रश्न है जिस पर विरोधी दलों को भी विचार करना होगा। अभी हाल में देश के अर्थशास्त्रियों की एक बैठक हुई थी, कुछ महीनें पूर्व, जिसमें सभी विचारधाराओं के अर्थशास्त्री थे। इसे सेमी बांगला के नाम से पुकारा जाता है। हमारे प्रदेश के सारे विषयों के अर्थशास्त्री उसके सदस्य थे। उन्होंने सारे देश के राजनीतिक नेताओं को चेतावनी दी ..... (व्यवधान)।

श्री मधुकर दिघे—

यह कह दें कि हम बिल वापस ले रहे हैं तो हम विरोध नहीं करेंगे ?

*श्री मोती लाल देहलवी—

आपने दो-दो मिनट का समय देने के लिये कहा था। आप व्यवस्था दीजिये कि कौन बोलेगा।

श्री गंजी प्रसाद (जिला वाराणसी)—

जो लगान आपने बढ़ाया उसमें लूटपाट हुई पिछली गवर्नमेंटों में। जो सर्किल रेट है या जो जमीन की किस्म है उसके अनुसार लगान बढ़ा और घटा। आपने न सर्किल रेट का ख्याल किया, न जमीन की किस्म का ख्याल किया। आप छोटे और बड़े किसानों पर उनके अनुपात से लगान बढ़ा रहे हैं। यह नयी परम्परा आपने की। या तो लगान पा रहे हैं या टैक्स पा रहे हैं। टैक्स तो उनको देना होता है जिनकी हैसियत 6 हजार की है। आपने 1 एकड़ के काश्तकार को कह दिया कि इनकी वार्षिक आमदनी दो हजार रुपये हैं। ..... (व्यवधान) इसलिये आप इस बिल को वापस लें और मैं माननीय सदस्य के संशोधन का समर्थन करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मोती लाल देहलवी--

आपने हम लोगों को दो-दो मिनट का समय देने के लिये कहा था।

श्री अध्यक्ष—

अभी और प्रक्रम हैं, उनके क्रम में आपको बोलने का मौका मिल सकता है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—

हम पर यह इल्जाम लगाया गया कि नेताओं की बात विरोधी पक्ष नहीं मानता है। तो माननीय माल मन्त्री वह दूसरों के लिये ही सोचते हैं, अपने ही नेताओं की बात खुद नहीं सोचते कि मुजफ्फरनगर में उनके नेताओं ने क्या प्रस्ताव पास किया.....

श्री अध्यक्ष—

अभी जो प्रश्न है उसके अनुसार आपको मौका मिलेगा।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—

यह सही है कि आप टैक्स लगा सकते हैं लेकिन उसका सही इस्तेमाल भी तो होना चाहिये। आप रोज इसी सदन में देखते हैं कि कहीं 2 करोड़ का गबन, कहीं 50 लाख का गबन, कहीं 20 लाख का गबन। और मान्यवर शर्म की बात है कि अमीन जिनको इन्होंने नौकर रखा है उन्होंने ही रसीद दी है फूलपुर तहसील में और वह लाखों रुपया डूब गया। उस अमीन ने सरकारी रसीद पर लाखों रुपया वसूला और गायब हो गया। ये जिम्मेदारी नहीं लेते हैं कि उस रुपये को दें। इसलिये हम लोग हर्गिज राजी नहीं हैं कि किसानों का लगान बढ़ाया जाय जबकि नीचे स्तर पर अमीन और सरकारी पक्ष के मन्त्री विधायक इस तरह से लूट मचायें। लगान नहीं बढ़ना चाहिए।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

यह माननीय सदस्य बिल्कुल झूठ कह रहे हैं। कोई ऐसी बात सामने नहीं लायी गयी।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—

लाखों रुपये का घोटाला है.... (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष—

आप बोलने के लिये समय चाहते हैं तो आगे मिलेगा।

श्री मोती लाल देहलवी—

आपने आश्वासन दिया था कि हम लोगों को भी मौका मिलगा.....

श्री अध्यक्ष—

अभी तो खंडों पर विचार होना है, विधेयक पारित होना है, उस समय आपको मौका मिलेगा। चौधरी साहब की तरफ से 4 नाम आये, उनको मौका दिया गया, अब जब आगे खंडों पर विचार होगा तब और मौका मिलेगा..... (व्यवधान)।

श्री मोती लाल देहलवी—

सम्भव है कि हमारे सुझाव से मन्त्री जी को कुछ प्रेरणा मिले, इसलिये हम लोगों को भी मौका देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

अगर आपको अपनी विचार शक्ति और प्रेरणा दायक शक्ति पर इतना विश्वास था तो उसके लिये पहले से दूसरी प्रक्रिया अपनानी चाहिये थी। आप यदि समझते हैं कि उनको ऐसी संजीवनी दे सकेगें तो आप बोल लीजिये।

श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर, कृषि एक ऐसा पेशा है जिस पर उसका जीवन निर्भर है। यही उसका मुख्य पेशा है। प्रदेश के अन्दर अन्य पेशे भी हैं।

एक सदस्य—

व्यवस्था का प्रश्न है। आपने इनको बीच में बोलनें का मौका कैसे द दिया ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय वित्त मन्त्री बैठ गये। वे एक शेर का जवाब दे रहे थे। अन्तिम भाषण तो उनका बाद को होगा ही।

श्री मोती लाल देहलवी—

इनके आप समाजवाद का मुलाहिजा करें। (व्यवधान)। आप परेशान क्यों हो रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती। (व्यवधान) बेशर्म हो गये हैं, थूक कर चाटते हैं..... (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठें। सदन का समय बढ़ाने की आवश्यकता है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि जब तक सदन का सम्पूर्ण कार्य समाप्त न हो जाय, तब तक के लिये सदन का समय बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

जब तक सदन का सम्पूर्ण कार्य समाप्त न हो जाय, तब तक यह सदन की कार्यवाही चलती रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर, यह 1974-75 के आय-व्ययक पर विवाद के समय श्री प्यारे लाल, सदस्य, विधान सभा, मेरठ ने भाषण किया है। इसमें उन्होंने कहा है—"मैं समाजवादी लोगों को बतला देना चाहता हूं कि उनका खून जम गया है, सफेद हो गया है, क्यों डरते हैं ? बी0 के0 डी0 के लोगों को डर है कि यदि वे उसका विरोध करेंगे तो चौधरी साहब उनको टिकट नहीं देंगे, नाराज होकर। लेकिन मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर यह लगान पुन: लगाया गया तो वे चुप रहें, परन्तु मुझ जैसा समाजवादी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है, घोर विरोध करेगा और सवा 6 एकड़ पर पुन: लगान नहीं लगने देगा"।

[श्री मोती लाल देहलवी]

मान्यवर, इस तरह के लोग अन्य माननीय सदस्य भी हैं जो समाजवादी दल छोड़ कर, लालच में प्रलोभन में उधर चले गये हैं। आज ये कांग्रेस के लोग, जिन्होंने 27 साल से देखा जा रहा है, कि अपना पोलखाता खोल कर रखा है, अगर वे लगान लगाने की बात करें तो समझ में कुछ बात आ सकती है लेकिन मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जिन्होंने सवा 6 एकड़ तक के लगान को माफ करने का विधेयक पेश किया और जो लोग सवा 6 एकड़ तक का लगान माफ करने के हिमायती थे, जिन्होंने उसके लिये सत्याग्रह किया, जेल गये, वे अपने गरेवां में मुंह डाल कर देखें, क्या उनको यह शोभा देता है कि इस तरह से अलाभकर जोतों पर लगान बढ़ाने की बात को चुपचाप बर्दाश्त कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं ?

माननीय जायसवाल जी को इससे कुछ प्रेरणा मिली, लेकिन वह भी अधूरी प्रेरणा है। उनको चाहिये था कि इसी प्रश्न को लेकर वे कांग्रेस पार्टी से त्याग-पत्र दे देते लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। मान्यवर, जब किसी पेशे पर कर नहीं है तो यह खेती भी एक पेशा है। किसानों का आज सवा 6 एकड़ के किसानों पर फिर दोबारा लगान लगा कर उन गरीबों के साथ अन्याय व अत्याचार क्यों किया जा रहा है। जो मूक हैं, जो साधारण लोग हैं, जो हरिजन हैं उन्हीं लोगों पर, सवा छः एकड़ तक की खेती पर पुनः लगान लगा कर उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है और उनके साथ धोखा किया जा रहा है। मान्यवर, ऐसी हालत में जब कि हम जानते हैं कि चूंकि ये बहुमत में हैं और आज जो चाहें कर लें लेकिन मैं इनको कहना चाहता हूं कि इन ढोंगी समाजवादियों से कहना चाहता हूं कि "ताज्जुब क्या जो मजलूमों को जोश इन्तकाम आये, कि परवरिश पाती है बिजली तो पानी में।" जो साधारण लोग हैं, जो कमजोर हैं, इसलिये आप उन पर जबरदस्ती लगान लगाने जा रहे हैं। और उनकी कमजोरी का फायदा 27 साल से उठा रहे हैं। जब उनके अन्दर चेतना पैदा होगी तो आप....

(श्री अध्यक्ष द्वारा श्री बलदेव का नाम पुकारे जाने पर)

(कई सदस्यों के सम्मिलित स्वर में बोलने से व्यापक शोरगुल।)

श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर, मैंने कल भी इस विधेयक के बारे में आपसे निवेदन किया था और आपसे आग्रह किया था मान्यवर, आपने इस मामले में सत्याग्रह किया था और आप भी जेल गये हैं। मान्यवर, आज इस वक्त आप यहां पर बैठे हैं और यह विधेयक इस सदन में पास होने वाला है। मैं आपसे कहना चाहता हूं....

श्री बलदेव (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, मेरा एक व्यस्वथा का प्रश्न है। माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया है और यह बोलते चले जा रहे हैं। तो मान्यवर, क्या यह सब लिखा जायेगा ?

श्री अध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें।

श्री मोती लाल देहलवी—

अध्यक्ष महोदय, आपने हमारा माइक्रोफोन बन्द करवा दिया है, यह हमारे ऊपर अन्याय हुआ है। मैं इस विधेयक के विरोध में बहिर्गमन करता हूं।

(श्री मोती लाल देहलवी सदन त्याग कर चले गये।)

श्री मुहम्मद असरार अहमद——

अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को पेश किया जा रहा है और वापस नहीं लिया जा रहा है इसलिये मैं अपने दल के साथ सदन का त्याग करता हूं।

(श्री मुहम्मद असरार अहमद अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये।)

(सदन में व्यापक शोर)

श्री अब्दुल रऊफ लारी——

अध्यक्ष महोदय,यह वक्तव्य जो आज पेश किया जा रहा है, यह काश्तकारों का विरोधी है और जन-साधारण के हित में नहीं है। सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में जो वायदा किया गया था वह वायदा पूरा नहीं किया जा रहा है, और जो किया भी गया वह वापस लिया जा रहा है। यह किसान पर बड़ा जुल्म हो रहा है। अगर आप हमारी बात को नहीं मानते हैं तो मजबूर हो हम सदन का त्याग करते हैं।

(श्री अब्दुल रऊफ लारी सदन त्याग कर चले गये।)

श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद)——

इलाहाबाद जनपद में हंड़िया तहसील के सरकारी अमीन ने सरकारी रसीद द्वारा हरिजनों से पांच-पांच सौ रुपये वसूल किये हैं। यह अन्याय हरिजनों के साथ किया जा रहा है। (माननीय सदस्य ने एक रसीद को अपने हाथों में उठाकर सदन में अन्य माननीय सदस्यों को दिखाया।)

रुपया वसूल कर अन्याय किया जा रहा है (शोर)

श्री पुरुषोत्तम कौशिक——

राजस्व मन्त्री की गल्ती से इन्दराज कट गया यह, यह नहीं है बल्कि इंदिरा राज कट गया।

श्री अठई राम——

वहां पर तकावी निकाली जा रही है। कई हरिजन तो मर गये हैं पर उनके नाम से भी तकावी निकाल ली गयी है। मैंने उनके नाम राजस्व मंत्री को लिखे हैं। मरे हुये हरिजनों के नाम तकावी निकाली जा रही है। मैं इस सदन में कह रहा हूं और कोई सुनवायी नहीं हो रही है।

(श्री अठई राम सदन त्याग कर चले गये।)

श्री नारायण दत्त तिवारी——

मान्यवर, मैं इस विधेयक से संबंधित उत्तर पहले ही दे चुका हूं। मुझे केवल एक सूचना देनी है। हमारे व्यापारियों ने सुविधा देने के लिये मांग की है। जो सर्वे एसेसमेंट रिपोर्ट होती है जिसके उपर व्यापारी दस्तखत करते हैं उनकी मांग थी कि उसकी नकल हमको दी जानी चाहिये। तो यह निर्णय किया गया है कि इस संबंध में उनको सुविधा प्रदान की जाय और यह सुविधा उनको प्रदान की जा रही है। मान्यवर, विधेयक के संबंध में बहुत कुछ प्रस्तुत किया जा चुका है इसलिये मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि "यह सदन उत्तर प्रदेश भूमि विकास-कर तथा भू-राजस्व विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1974" का अननुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधेयक, 1974 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपनी रिपोर्ट एक माह के अंदर दे दे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि विधेयक, 1974 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2

प्रारम्भ 2—यह अध्याय ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा तदर्थ नियत करे।

श्री अध्यक्ष—

विरोध पक्ष के सदस्य चूंकि सदन त्याग कर चले गये हैं इसलिये मैं खंडों पर मत लेता हूं। प्रश्न यह है कि खंड 2 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 3

परिभाषाएं 3—इस अध्याय में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) 'होटल' के अन्तर्गत उपाहार गृह भी है यदि उसमें ग्राहकों को किराये पर कमरे दिये जाते हों;

(ख) 'सुख-साधन' का तात्पर्य ऐसी सुख-सुविधाओं से है जो किसी होटल में ऐसे कमरों या कमरों की कोष्ठावलि के जिनका किराया पचास रुपया प्रति दिन अथवा उससे अधिक हो, अधिभोगियों के लिये व्यवस्थित की जायं;

(ग) 'सुख-साधन कर' अथवा 'कर' का तात्पर्य धारा 4 के अधीन उद्गृहीत कर से है;

(घ) 'विहित' का तात्पर्य इस अध्याय के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित से है;

(ङ) किसी होटल के सम्बन्ध में, 'स्वामी' के अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो तत्समय उसके प्रबन्ध का प्रभारी हो;

(च) 'किराया' का तात्पर्य किसी होटल के कमरे के अधिभोगी से वसूल किए गए समस्त प्रभार, चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाय, के योग से है, तथा इसके अंतर्गत वास करने, भोजन

करने अथवा सेवा करने के प्रभार अथवा होटल के सेवकों को देय बख्शीश के मद्धे स्वामी द्वारा ली गई कोई धनराशि अथवा उसमें से सभी या कोई भी है ;

स्पष्टीकरण 1—जहां केवल कमरे के अधिभोग के लिये किराये की दर नियत हो और भोजन तथा सेवा करने के लिये प्रभार पृथक रूप से उद्गृहीत किए जाते हों, वहां प्रत्येक दिन के लिये वसूल की गई वास्तविक धनराशि, जिसके अंतर्गत भोजन, पेय, मनोरंजन तथा इसी प्रकार की अन्य मदों के लिए संदत्त कोई धनराशि भी है, का योग कर दिया जायगा और उस योग को किराया समझा जायगा ;

2—जहां प्रभार दैनिक या प्रति व्यक्ति के आधार से भिन्न आधार पर उद्गृहीत किए जायं, तो प्रभार की संगणना प्रतिदिन और प्रति व्यक्ति के लिये उस कमरे में जिसके लिए प्रभार लिया जाय, अधिभोग की अवधि के आधार पर और उन व्यक्तियों की संख्या के आधार पर जो वास्तव में अधिभोग कर रहे हों या जिन्हें अधिभोग करने की अनुज्ञा दी गई हो, की जायगी ;

(छ) 'कमरा' के अन्तर्गत कमरों को ऐसी कोष्ठावलि भी है जिसे एक इकाई के रूप में किराये पर उठाया जाता हो।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 3 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 4 से 13

कर का उद्ग्रहण

4—(1) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा जो किसी होटल में सुख-साधनों से व्यवस्थित कोई कमरा या कमरों की कोष्ठावलि किराये पर लेता है, निम्नलिखित दर पर सुख-साधन कर देय होगा, अर्थात्—

(क) यदि किराया एक सौ रुपये प्रतिदिन से अधिक न हो ..	किराये के 3 प्रतिशत की दर से
(ख) यदि किराया एक सौ रुपये प्रतिदिन से अधिक हो किन्तु एक सौ पचास रुपये प्रतिदिन से अधिक न हो ..	किराये के 5 प्रतिशत की दर से
(ग) यदि किराया एक सौ पचास रुपये प्रतिदिन से अधिक हो ..	किराये के 7 प्रतिशत की दर से :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे किसी व्यक्ति को जो किराये का संदाय विदेशी मुद्रा में करता है, उसके द्वारा देय कर में पच्चीस प्रतिशत का रिबेट दिया जायगा।

[श्री अध्यक्ष]

(2) सुख-साधन कर की संगणना करने में एक रुपये के ऐसे भाग को जो पांच पैसे का गुणक न हो पांच पैसे के अगले उच्चतर गुणक तक पूर्णांक कर दिया जायगा ।

सदाय की रीति

5—(1) होटल का स्वामी कमरे के किराये के साथ कर को उसके देनदार व्यक्ति से संग्रहीत करेगा और उसे राज्य सरकार को ऐसी रीति से जो विहित की जाय संदत्त करेगा ।

(2) यदि कोई स्वामी विहित अवधि में कर का भुगतान करने में असफल रहता है तो वह असंदत्त रही धनराशि पर अठारह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज देने का भागी होगा और ऐसा ब्याज कर की धनराशि में जोड़ दिया जायगा तथा सभी प्रयोजनों के लिये कर का भाग समझा जायगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि अपील पर दिए गए किसी आदेश के परिणाम-स्वरूप कर की धनराशि में फेरफार किया जाता है तो ब्याज की पुनः संगणना की जायेगी ।

कर-निर्धारण

6—(1) कर ऐसे प्राधिकारी द्वारा जो विहित किया जाय, निर्धारित किया जायगा ।

(2) कर-निर्धारण की तथा कर-निर्धारण के किसी आदेश के विरुद्ध किसी अपील की प्रक्रिया, और कर-निर्धारण तथा अपील प्राधिकारियों की शक्तियां ऐसी होंगी जो विहित की जाएं ।

कर के स्थान पर प्रशमन फीस का संदाय

7—इस अध्याय में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी कर-निर्धारण प्राधिकारी किसी होटल के स्वामी को अनुज्ञा दे सकता है कि वह ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो विहित की जाएं, इस अध्याय के अधीन देय कर के स्थान पर प्रशमन के रूप में एकमुश्त धनराशि का भुगतान कर दे ।

बहियों तथा लेखों का निरीक्षण

8—कर-निर्धारण प्राधिकारी अथवा उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी अपना यह समाधान करने की दृष्टि से कि इस अध्याय अथवा तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों का अनुपालन किया जा रहा है—

(क) किसी युक्तियुक्त समय पर किसी होटल में प्रवेश कर सकेगा ;

(ख) होटल के किसी भी स्वामी से किन्हीं भी बहियों, लेखों अथवा अन्य दस्तावेजों को अपने समक्ष प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा ;

(ग) किन्हीं भी बहियों, लेखों अथवा अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकेगा ; और

(घ) कमरों के अधिभोग को सुनिश्चित करने के लिये उनका निरीक्षण कर सकेगा ।

भू-राजस्व के बकाया के रूप में धनराशियों की वसूली

9—धारा 7 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना धारा 5 के अधीन देय कोई धनराशि कर-निर्धारण प्राधिकारी के प्रमाण-पत्र पर स्वामी से भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूलीय होगी ।

शास्ति

10—(1) यदि कोई व्यक्ति विहित कालावधि के भीतर धारा 5 अथवा धारा 7 के अधीन देय किसी धनराशि का भुगतान करने में असफल रहेगा तो धारा 5 की उपधारा (2) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वह सिद्ध-दोष होने पर पांच हजार से अनधिक जुर्माने से दण्डनीय होगा और जब अपराध चालू रहने वाला हो तो ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसके दौरान अपराध जारी रहे प्रतिदिन एक सौ रुपये से अनधिक अग्रेतर जुर्माने से दण्डनीय होगा ।

(2) कोई व्यक्ति जो ऐसी कोई सूचना जिसे देने के लिये वह इस अध्याय के अधीन बनाये गए किन्हीं नियमों के अधीन अपेक्षित हो, देने में असफल रहेगा अथवा जानबूझ कर मिथ्या सूचना देगा, जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

कम्पनियों द्वारा अपराध

11—(1) यदि इस अध्याय के अधीन किसी अपराध को करने वाला व्यक्ति कम्पनी हो तो प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिये उस कम्पनी का भार-साधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कम्पनी भी ऐसे अपराध के दोषी समझे जायेंगे तथा तदनुसार वे अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने के भागी होंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की कोई बात ऐसी किसी व्यक्ति को इस अध्याय में उपबन्धित दण्ड का भागी नहीं बनायेगी यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था, या उसने अपराध के किये जाने का निवारण करने के लिये सब सम्यक तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुये भी जहां इस अध्याय के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया हो तथा यह साबित हो कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सम्मति या मौनानुकूलता से किया गया है, या उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायगा तथा तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) 'कम्पनी' का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है, और इसके अन्तर्गत फर्म या व्यक्तियों का अन्य संगम भी है ; तथा

(ख) किसी फर्म के सम्बन्ध में 'निदेशक' का तात्पर्य उस फर्म के भागीदार से है ।

इस अध्याय के अधीन की गई कार्रवाई के लिये परित्राण

12—इस अध्याय या तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिये आशायित किसी बात के लिये कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध न होगी ।

[श्री शत्रुयक्ष]

नियमबनाने की शक्ति

13—(1) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा, इस अध्याय के उपबन्धों के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी और ऐसे नियमों में, अन्य बातों के साथ-साथ, धारा 6 में निर्दिष्ट कार्यवाहियों के सम्बन्ध में फीस के उद्ग्रहण की व्यवस्था की जा सकेगी।

(2) इस अध्याय के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य, विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब कि उसका सत्र हो रहा हो, कुल तीस दिन की कालावधि पर्यन्त जो एक सत्र या एक से अधिक आनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकेगा, रखे जायेंगे और जब तक कि कोई बाद का दिनांक नियत न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों अथवा संशोधनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे, जो विधान मण्डल के दोनों सदन, उक्त कालावधि में करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार अथवा संशोधन तद्धीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और खंड 13 इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 14 से 17

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 1, 1939 की धारा 2 का संशोधन

14—संयुक्त प्रान्त मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अलकोहल बिक्री कराधान अधिनियम, 1939, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में, खंड (क क क क) में, शब्द "शोधित स्प्रिट तथा एब्सोल्यूट अलकोहल" के स्थान पर शब्द "शोधित स्प्रिट, विकृत स्प्रिट तथा एब्सोल्यूट अलकोहल" रख दिये जायें और दिनांक 23 अप्रैल, 1974 से रखे गये समझे जायें।

धारा 3का संशोधन

15—मूल अधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (1) में,—

(1) प्रथम पैरा के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रख दिया जाय और दिनांक 23 अप्रैल, 1974 से रखा गया समझा जाय :—

"राज्य में, दिनांक 2 मई, 1974 से, मोटर स्प्रिट या डीजल आयल या अलकोहल की प्रथम बिक्री पर मोटर स्प्रिट की दशा में 25 पैसे प्रति लीटर, डीजल आयल की दशा में 10 पैसे प्रति लीटर और अलकोहल की दशा में 40 पैसे प्रति लीटर की दर से कर आरोपित किया जायेगा और ऐसे कर का भुगतान ऐसी बिक्री करने वाले व्यापारी द्वारा नियत रीति से किया जायेगा :";

(2) प्रतिबन्धात्मक खंड में शब्द तथा अंक "उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट तथा डीजल आयल बिक्री कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1974 के प्रारम्भ होने के पश्चात्" के स्थान पर अंक तथा शब्द "दिनांक 2 मई, 1974 को या उसके पश्चात्" रख दिये जायें और सदैव से रखे गये समझे जायें, और शब्द "ऐसे प्रारम्भ" के स्थान पर शब्द "उक्त दिनांक" रख दिये जायें और सदैव से रखे गये समझे जायं।

16--मूल अधिनियम की धारा 6 में, शब्द "फुटकर व्यापारी" के स्थान पर शब्द "व्यापारी" रख दिया जाय। **धारा 6 का संशोधन**

17--उत्तर प्रदेश बिक्री कर ऐक्ट, 1948 ई0, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में, खंड (झ) में, वर्तमान स्पष्टीकरण 2 के पूर्व, निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाये, अर्थात्:— **उत्तर प्रदेश ऐक्ट संख्या 15, 1948 ई० की धारा 2 का संशोधन**

"स्पष्टीकरण—माल के क्रय अथवा विक्रय के सम्बन्ध में देय अथवा देने के लिये अभिप्रेत बिक्री-कर अथवा क्रय-कर के रूप में व्यापारी द्वारा वसूल की गई धनराशियां विक्रय-धन में सम्मिलित समझी जायंगी।"

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 14, 15; 16 और 17 इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 18

18—मूल अधिनियम की धारा 3-क में, उप-धारा (2) में, शब्द "साढ़े तीन प्रतिशत", जहां कहीं भी आये हों, उनके स्थान पर शब्द "चार प्रतिशत" रख दिये जायें। **धारा 3-क का संशोधन**

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 18 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 19

19—मूल अधिनियम की धारा 3-घ में, उपधारा (1) में, खण्ड (क) में, शब्द "साढ़े तीन प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "चार प्रतिशत" रख दिये जायें। **धारा 3-घ का संशोधन**

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 19 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 20

20—मूल अधिनियम की धारा 3-च में, शब्द "आधा प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "एक प्रतिशत" रख दिये जायें। **धारा 3-च का संशोधन**

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 20 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

[श्री अध्यक्ष] खण्ड 21 से 25

धारा 4 का प्रतिस्थापन

21—(1) मूल अधिनियम की धारा 4 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय और दिनांक 31 मार्च, 1956 से रखी गई समझी जाय, अर्थात्—

कर से झूट

"4—इस अधिनियम के अधीन निम्नलिखित पर कोई कर नहीं लगेगा—

(क) पानी, दूध, नमक, समाचार-पत्र, मोटर स्प्रिट की या अन्य किसी ऐसे माल की जिसे राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा छूट दे, बिक्री पर; या,

(ख) किसी ऐसे माल की बिक्री या खरीद पर जो आल इण्डिया स्पिनर्स एसोसियेशन या गांधी आश्रम मेरठ या उनकी शाखाओं द्वारा की गई हो या ऐसे अन्य व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्गों द्वारा की गयी हो जिन्हें राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा छूट दे :

प्रतिबन्ध यह है कि खंड (क) या खंड (ख) के अधीन कोई छूट देते समय राज्य सरकार ऐसी शर्तें जिनके अन्तर्गत ऐसे शुल्क का, यदि कोई हो, जो प्रतिवर्ष आठ हजार रुपये से अधिक न हों, जिसे राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा निर्दिष्ट करे, भुगतान करने की शर्त भी है, आरोपित कर सकती है।

स्पष्टीकरण—इस धारा में, पद—

(क) "पानी" के अन्तर्गत मिनरल वाटर, एरेटेड वाटर, टानिक वाटर, डिस्टिल्ड वाटर या सुगन्धित जल नहीं है ;

(ख) "दूध" के अन्तर्गत कन्डेंस्ड मिल्क, मिल्क पाउडर या बेबी मिल्क नहीं है।"

(2) मूल अधिनियम की धारा 4 में जैसी कि उपधारा (1) द्वारा उपबन्धित रूप से प्रतिस्थापित है, शब्द "मोटर स्प्रिट" के स्थान पर शब्द तथा अंक "संयुक्त प्रांत मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अलकोहल बिक्री कराधान अधिनियम, 1979 में यथा परिभाषित मोटर स्प्रिट, डीजल आयल या अलकोहल" रख दिये जायं और दिनांक 2 मई, 1974 से रखे गये समझे जायं।

प्रथम-अनुसूची का संशोधन

22—मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची में, क्रम संख्या 89 के सामने स्तम्भ 2 में वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जाय और दिनांक 2 मई 1974 से रखी गयी समझी जाय—

"सभी प्रकार की स्प्रिट और स्प्रिटमय शराब जिसके अंतर्गत मैथाइल अलकोहल भी है किन्तु जिसके अन्तर्गत देशी शराब नहीं है और संयुक्त प्रान्त मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अलकोहल बिक्री कराधान, अधिनियम 1939 में यथा परिभाषित 'अलकोहल' भी नहीं है।"

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 5, 1935 की धारा 2 का संशोधन

23—संयुक्त प्रान्त मोटर-गाड़ी कराधान अधिनियम 1935, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में खंड (कक) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय अर्थात्—

"(कक) अपील प्राधिकारी का तात्पर्य परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश या राज्य सरकार द्वारा अपील प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किसी अन्य अधिकारी से है।"

धारा 3 के स्थान पर नई धारा का रखा जाना

24—मूल अधिनियम की धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्—

विमुक्तियां

"3—राज्य सरकार किसी मोटर-गाड़ी या मोटर गाड़ियों के किसी वर्ग को जिसे नियत किया जाय, नियत शर्तों के अधीन रहते हुए, या तो पूर्णतः या अंशतः इस अधिनियम के प्रवर्तन से विमुक्त कर सकती है।"

धारा 4 का संशोधन

25—मूल अधिनियम की धारा 4 में—

(क) स्पष्टीकरण में, खंड (सी) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिये जायं, अर्थात्—

"(सी) उत्तर प्रदेश कर विधि संशोधन अधिनियम, 1969 के अध्याय 5 के प्रारम्भ होने के दिनांक से तथा उसके पश्चात् किन्तु 1 जनवरी, 1972 के पूर्व किसी भी अवधि के सम्बन्ध में देय कर का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिये 1969 के उक्त अधिनियम द्वारा यथा प्रतिस्थापित प्रथम अनसूची से है,

(डी) 1 जनवरी, 1972 से तथा उसके पश्चात् किन्तु उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि अधिनियम, 1974 के अध्याय 5 के प्रारम्भ होने के पूर्व किसी भी अवधि के सम्बन्ध में देय कर का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिये उत्तर प्रदेश कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1972 अध्याय 4 द्वारा यथा संशोधित प्रथम अनसूची से है,

(ई) उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि अधिनियम, 1974 के अध्याय 5 के प्रारम्भ होने के दिनांक से तथा उसके पश्चात् किसी भी अवधि के सम्बन्ध में देय कर का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिये उक्त अधिनियम द्वारा यथाप्रतिस्थापित प्रथम अनुसूची से है।"

(ख) उपधारा (3) निकाल दी जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 21, 22, 23, 24, 25 इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 26

धारा 5 का संशोधन

26—मूल अधिनियम की धारा 5 में—

(क) उपधारा (1) के द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्—

"अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि धारा 4 के अधीन किसी अवधि के लिये देय कर और इस अधिनियम के जैसा कि वह उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि अधिनियम, 1974

[श्री अध्यक्ष]

के अध्याय 5 द्वारा संशोधित किये जाने के पूर्व था, उपबन्धों के अनुसार उस अवधि के लिये पहले ही भुगतान किये गये कर (जिसके अन्तर्गत अधिभार भी है) की धनराशि के अन्तर का भुगतान 1 जनवरी, 1975 को या उसके पूर्व किया जायगा।"

(ख) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

"(1—क) जब कोई व्यक्ति अपने नाम में रजिस्ट्रीकृत कोई मोटर-गाड़ी किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित करता है तब इस सम्बन्ध में अन्तरक के दायित्व के होते हुए भी, अन्तरिती इस प्रकार अन्तरित मोटर-गाड़ी के सम्बन्ध में कर के बकाये का, यदि कोई हो, जो उसके अन्तरण के दिनांक को या उसके पूर्व देय हो, भुगतान करने का भागी होगा मानो अन्तरिती उस अवधि के दौरान जिसके लिये कर देय है, उक्त मोटर गाड़ी का स्वामी था।"

श्री बनवारी राम यादव (जिला बलिया)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से खंड 26 के उप खंड (क) में शब्द तथा अंक "1 जनवरी, 1975" के स्थान पर शब्द तथा अंक "15 जनवरी, 1975" रखा दिये जायं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 26 के उप खंड (क) में शब्द तथा अंक "1 जनवरी, 1975" के स्थान पर शब्द अंक "15 जनवरी, 1975" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 26 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 27

धारा 14 का संशोधन

27—मूल अधिनियम की धारा 14 में, प्रतिबन्धात्मक खण्ड निकाल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 27 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 28

धारा 15 के स्थान पर नई धारा का रखा जाना

28—मूल अधिनियम की धारा 15 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्—

"15—(1) कर के निर्धारण, आरोपण या वसूली से सम्बन्धित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसा आदेश प्राप्त होने के दिनांक

से तीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी को नियत रीति से अपील कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन अपील प्राधिकारी द्वारा कोई अपील तब तक ग्रहण नहीं की जायेगी जब कि निर्धारित कर का पचास प्रतिशत जमा न कर दिया गया हो।

(2) इस धारा के अधीन अपील पर अपील प्राधिकारी द्वारा दिया गया कोई आदेश अन्तिम और निश्चायक होगा।"

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 28 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 29 व 30

29—मुल अधिनियम की प्रथम अनुसची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रख दी जाय, अर्थात्— प्रथम अनुसूची के स्थान पर नई अनुसूची का रखा जाना

प्रथम अनुसूची

(धारा 4 देखिये)

अनुच्छेद संख्या	गाड़ी का विवरण	कर की वार्षिक दर
1	2	3
	भाग 'क'	
	परिवहन गाड़ियों से भिन्न अन्य गाड़ियां	
1	भारविहीन 406 किलोग्राम से अनधिक वजन वाली मोटर साइकिलें (जिसमें स्कूटर तथा आटो-साइकिलें सम्मिलित हैं)—	रुपया
	(क) मोटर बाइसिकिलें—	
	(1) 91 किलोग्राम से अनधिक वजन वाली, भार-विहीन ..	35.00
	(2) 91 किलोग्राम से अधिक वजन वाली, भार विहीन ..	55.00
	(ख) तीन पहिये वाली मोटर-साइकिलें	55.00
	(ग) किसी ट्रेलर या पार्श्व गाड़ी (साइड कार) को खींचने के लिये प्रयोग की जाने वाली मोटर बाइसिकिलें या तीन पहिये वाली मोटर साइकिलें उपर्युक्त दरों के अतिरिक्त	7.00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अनुच्छेद संख्या	गाड़ी का विवरण	कर की वार्षिक दर
1	2	3
2	केवल यात्रियों और हल्का वैयक्तिक सामान ले जाने के लिये बनाई गयी और प्रयोग में लाई गयी गाड़ियां, जिनमें ड्राइवर को छोड़ कर छः व्यक्तियों से अनधिक व्यक्तियों के बैठने का स्थान हो (मोटर साइकिलों सहित) और जिनका भार-विहीन वजन 406 किलोग्राम से अधिक हो——	रु0
(1)	(क) 1,016 किलोग्राम से अनधिक वजन वाली, भार विहीन ..	125.00
	(ख) 1,016 किलोग्राम से अधिक किन्तु 1,270 किलोग्राम से अनधिक वजन वाली भार-विहीन	165.00
	(ग) 1,270 किलोग्राम से अधिक किन्तु 1,778 किलोग्राम से अनधिक वजन वाली भार-विहीन	207.00
	(घ) 1,778 किलोग्राम से अधिक वजन वाली, भार–विहीन ..	250.00
	(2) इस अनुच्छेद के अन्तर्गत आनेवाली गाड़ियों द्वारा खींचे जाने वाले ट्रेलर	28.00
3	ड्राइवर को छोड़ कर छः से अधिक व्यक्तियों को ले जाने के लिये बनाई गयी या योग के लिये अपनाई गयी 406 किलोग्राम से अधिक वजन वाली, भार विहीन गाड़ियां, जिनमें मोटर साइकिलें भी सम्मिलित हैं ——	
	(1) यदि उसमें पूर्ण रूप से वायवीय (न्यूमैटिक) टायर लगाये गये हों, और	
	(क) 1,016 किलोग्राम से अनधिक वजन वाली, भार–विहीन ..	183.00
	(ख) 1,016 किलोग्राम से अधिक किन्तु 1, 78 किलो ग्राम से अनधिक वजन वाली भार-विहीन	313.00
	(ग) 1,778 किलोग्राम से अधिक किन्तु 2,540 किलोग्राम से अनधिक वजन वाली, भार–विहीन	413.00
	(घ) 2,540 किलोग्राम से अधिक किन्तु 3,556 किलोग्राम से अनधिक वजन वाली, भार–विहीन	603.00
	(ङ) 3,556 किलोग्राम से अधिक किन्तु 5,080 किलोग्राम से अनधिक वजन वाली, भार–विहीन	776.00
	(च) 5,080 किलोग्राम वजन से अधिक वजन वाली भार–विहीन 5,080 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1,016 किलोग्राम या उसके किसी भाग के लिये	322.00
	(छ) इस अनुच्छेद के अन्तर्गत आने वाली गाड़ियों द्वारा खींचे जाने वाले ट्रेलर——	
	(क) 1,016 किलोग्राम से अनधिक भार ले जाने के लिये ..	215.00
	(ख) 1,016 किलोग्राम से अधिक भार लेजाने के लिये ..	413.00
	(2) यदि लचकीले टायर लगाये गये हों तो वायवीय टायर सहित उसी वजन (भार–विहीन) की गाड़ी के लिये देय समुपयुक्त कर तथा उस पर 33 1/3 प्रतिशत अतिरिक्त कर,	

अनुच्छेद संख्या	गाड़ी का विवरण	कर की वार्षिक दर
1	2	3
	(3) यदि लचकीले टायर न लगाये गये हों तो वायवीय टायर सहित उसी वजन (भार–विहीन) की गाड़ी के लिये देय समुपयुक्त कर तथा उस पर 66 2/3 प्रतिशत अतिरिक्त कर:	

प्रतिबन्ध यह है कि इस भाग के अनुच्छेद 1, 2 और 3 के सामने स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट कर की दर में निम्नलिखित स्वामियों के वर्गों के सिवाय मोटर गाड़ियों के सभी स्वामियों के संबंध में पचास प्रतिशत की वृद्धि होगी अर्थात्—

(क) एकल व्यक्ति ;

(ख) कोई म्यूनिसिपल बोर्ड, नगर महापालिका, जिला परिषद्, नोटिफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी या क्षेत्र समिति ;

(ग) किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई विश्वविद्यालय ;

(घ) मान्यता प्राप्त कोई शिक्षा संस्था ;

(ङ) कोई सार्वजनिक पूर्त न्यास ;

(च) राज्य सरकार द्वारा गजट में तदर्थ अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये मोटर गाड़ियों का प्रयोग करने वाले किसी अन्य वर्ग के व्यक्ति ।

भाग 'ख'

परिवहन गाड़ियां

4	यात्रियों तथा यात्रियों के हलके वैयक्तिक सामान को ले जाने केलिये किराये पर चलने वाली गाड़ियां —	रुपया
	(1) ड्राइवर को छोड़कर तीन से अनधिक व्यक्तियों के बैठने के स्थान वाली	275.00
	(2) ड्राइवर को छोड़कर चार व्यक्तियों के बैठने के स्थान वाली ..	550.00
	(3) ड्राइवर को छोड़कर चार से अधिक किन्तु छः से अनधिक व्यक्तियों के बैठने के स्थान वाली—	
	(क) तीन पहियों वाली	550.00
	(ख) अन्य	688.00
	(4) ड्राइवर को छोड़कर छः व्यक्तियों से अधिक किन्तु बीस से अनधिक व्यक्तियों के बैठने के स्थान वाली—	
	प्रथम छः स्थानों के लिये	565.00
	छः से अधिक प्रत्येक स्थान के लिये और बीस स्थानों तक इसके अतिरिक्त—	
	(क) यदि क–श्रेणी के मार्ग पर प्रयोग के लिये अभिप्रेत हो ..	45.00
	(ख) यदि ख–श्रेणी के मार्ग पर प्रयोग के लिये अभिप्रेत हो ..	30.00
	(ग) यदि ग–श्रेणी के मार्ग पर प्रयोग के लिये अभिप्रेत हो ..	25.00

अनुच्छेद संख्या	गाड़ी का विवरण	कर की वार्षिक दर
1	2	3
		रुपया
	(5) ड्राइवर को छोड़कर बीस से अधिक किन्तु बत्तीस से अनधिक व्यक्तियों के बैठने के स्थान वाली—	
	(क) यदि क–श्रेणी के मार्ग पर प्रयोग के लिये अभिप्रेत हो—	
	प्रथम बीस स्थानों के लिये	1,290.00
	प्रत्येक अतिरिक्त स्थान के लिये	55.00
	(ख) यदि ख–श्रेणी के मार्ग पर प्रयोग के लिये अभिप्रेत हो—	
	प्रथम बीस स्थानों के लिये	1,035.00
	प्रत्येक अतिरिक्त स्थान के लिये	45.00
	(ग) यदि ग–श्रेणी के मार्ग पर प्रयोग के लिये अभिप्रेत हो—	
	प्रथम बीस स्थानों के लिये	885.00
	प्रत्येक अतिरिक्त स्थान के लिये	0.00
	(6) ड्राइवर को छोड़कर बत्तीस से अधिक व्यक्तियों के बैठने के स्थान वाली अन्तिम पूर्वोक्त खंड के अधीन प्रथम बत्तीस स्थानों के लिये देय कर तथा बत्तीस से अधिक प्रत्येक स्थान के लिये, इसके अतिरिक्त—	
	(क) यदि क—श्रेणी के मार्ग पर प्रयोग के लिये अभिप्रेत हो ..	105.00
	(ख) यदि ख—श्रेणी के मार्ग पर प्रयोग के लिये अभिप्रेत हो ..	75.00
	(ग) यदि ग–श्रेणी के मार्ग पर प्रयोग के लिये अभिप्रेत हो ..	45.00
5	सीमित संख्या में यात्रियों को ले जाने तथा सीमित परिमाण में माल के परिवहन के लिए किराये पर चलने वाली गाड़ियां—	
	प्राधिकृत संख्या में यात्रियों के बैठने के स्थानों के सम्बन्ध में अनुच्छेद 4 के अधीन देय कर तथा माल के प्राधिकृत भार के प्रत्येक 51 किलो ग्राम के लिये अतिरिक्त कर—	
	(क) यदि क—श्रेणी के मार्ग पर प्रयोग के लिये अभिप्रेत हो..	15.00
	(ख) यदि ख—श्रेणी के मार्ग पर प्रयोग के लिये अभिप्रेत हो ..	10.00
	(ग) यदि ग—श्रणी के मार्ग पर प्रयोग के लिये अभिप्रेत हो ..	5.00
6	केवल माल के परिवहन के लिये चलने वाली गाड़ियां—	
	(1) यदि उसमें पूर्णरूप से वायवीय टायर लगाये गये हों और	
	(क) यदि क–श्रेणी के मार्ग पर प्रयोग के लिये अभिप्रेत हो—	
	(1) प्राधिकृत भार के प्रथम 762 किलो ग्राम के लिये ..	350.00
	(2) प्राधिकृत भार के प्रत्येक अतिरिक्त 51 किलोग्राम के लिये	13.00
	(ख) यदि ख–श्रेणी के मार्ग पर प्रयोग के लिये अभिप्रेत हो—	
	(1) प्राधिकृत भार के प्रथम 762 किलोग्राम के लिये ..	315.00
	(2) प्राधिकृत भार के प्रत्येक अतिरिक्त 51 किलो ग्राम के लिये	10.00
	(ग) यदि-ग–श्रेणी के मार्ग पर प्रयोग के लिये अभिप्रेत हो—	
	(1) प्राधिकृत भार के प्रथम 762 किलोग्राम के लिये ..	285.00
	(2) प्राधिकृत भार के प्रत्येक अतिरिक्त 51 किलोग्राम के लिये ..	8.00

विधान सभा

अनुच्छेद संख्या	गाड़ी का विवरण	कर की वार्षिक दर
1	2	3
	(2) यदि लचकीले टायर लगाये गये हों—इस अनुच्छेद के अधीन उसी प्रकार के प्राधिकृत भार क्षमता वाली वायवीय टायर लगी गाड़ी के लिये देय कर, और साथ ही उसपर 33 1/3 प्रतिशत अतिरिक्त कर,	रुपया
	(3) यदि लचकीले टायर न लगाये गये हों—इस अनुच्छेद के अधीन उसी प्रकार की प्राधिकृत भार क्षमता वाली वायवीय टायर लगी गाड़ी के लिये देय कर, और साथ ही उस पर 66 2/3 प्रतिशत अतिरिक्त कर।	
6-क	मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, 1939 के अध्याय 4 के अधीन चार या अधिक रीजनों में चलाई जाने के लिये अनुज्ञेय माल गाड़ियां—अनुच्छेद 6 तथा 7 के अधीन देय समुपयुक्त कर और उस पर 500 रुपये वार्षिक का अतिरिक्त कर।	
7	किसी विशेष मार्ग पर प्रयोग के लिये अभिप्रेत गाड़ियां—	
	क-श्रेणी के मार्ग के सम्बन्ध में अनुच्छेद 4, 5 या 6 के अधीन देय समुपयुक्त कर, और साथ ही ऐसे समुपयुक्त कर के 50 प्रतिशत से अनधिक का ऐसा अतिरिक्त कर जो नियत किया जाय।	
8	किराये पर चलने वाली गाड़ियां, जिनके संबंध में अनुच्छेद 4, 5, 6 तथा 7 में से किसी के अधीन कर का भुगतान किया जा चुका हो, जब विशेष या अस्थायी परिस्थितियों में और सीमित अवधि के लिये उन मार्गों, जिन पर ये अन्यथा चलती हैं, से भिन्न अन्य मार्ग या मार्गों पर प्रयोग के लिये अभिप्रेत हो पूर्वोक्त किसी भी अनुच्छेद के अधीन भुगतान किये गये किसी कर के अतिरिक्त प्रत्येक ऐसे दिन या उसके किसी भाग के लिये, जिसमें किसी ऐसी गाड़ी को ऐसी विशेष या अस्थायी परिस्थितियों में प्रयोग करने का अभिप्राय हो, 3 रुपये की दर से कर :	
	प्रतिबन्ध यह है कि इस अनुच्छेद में दी गई कोई बात किसी ऐसी मोटर गाड़ी पर लागू नहीं होगी जो किसी विशेष यात्रा के प्रयोजन के लिये अस्थायी रूप से किसी निजी किराया करार के अधीन हो ;	
	प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि कोई मोटर गाड़ी उस अवधि में जब उसे उन मार्गों के अतिरिक्त, जिनके सम्बन्ध में उसे स्थायी लाइसेन्स दिया गया है, अन्य मार्ग या मार्गों पर अस्थायी रूप से चलने की अनुमति दी गई हो, उन सड़कों का प्रयोग न करें जिसके लिये उसे स्थायी लाइसेन्स दिया गया है, तो अतिरिक्त कर देय न होगा।	
9	ट्रैक्टर—उसके द्वारा खींचे जाने वाले ट्रेलर या ट्रेलरों के सम्बन्ध में, भुगतान किये जाने वाले कर के अतिरिक्त	125.00

अनुच्छेद संख्या	गाड़ी का विवरण	कर की वार्षिक दर
1	2	3

भाग 'ग'

स्पष्टीकरण

(1) जब किसी मोटर गाड़ी का प्रयोग विभिन्न प्रयोजनों के लिये किया जाय या ऐसी रीति से प्रयोग किया जाय जिससे कि उस पर इस अनुसूची के एक से अधिक अनुच्छेद के अधीन कर लगाया जा सके, तो ऐसा कर उच्चतम समुपयुक्त दर पर देय होगा।

(2) 'भार-विहीन वजन' का तात्पर्य गाड़ी के उस समय के वजन से है जब वह भार-विहीन हो और इसमें ऐसे समस्त पुर्जे, सज्जा, सामान, ईंधन, जल और संचायक सम्मिलित हैं, जो गाड़ी के लिये जब वह चलती हो आवश्यक हो और साधारणतया गाड़ी के साथ प्रयोग में आते हों।

(3) 'प्राधिकृत भार' का तात्पर्य माल के उस अधिकतम भार से है जिसे गाड़ी में वहन करने की अनुमति हो और जिसे गाड़ी के रजिस्ट्रीकृत भारयुक्त वजन में से भार-विहीन वजन को घटा कर निकाला जा सके।

(4) 'वायवीय टायर' का तात्पर्य उस टायर से है जिसमें यांत्रिक दबाव से हवा भरी गयी हो।

(5) 'लचकीले टायर' का तात्पर्य उस टायर से है जो भारत निर्मित रबड़ से बना हो, किन्तु वायवीय टायर न हो और जिसकी मोटाई इतनी हो कि वह पहिये के रिम से उन्नीस मिलीमीटर से चक बाहर न निकली रहे।

(6) 'लचीलापन रहित टायर' का तात्पर्य उस टायर से है जो न तो वायवीय टायर हो और न लचकीला टायर हो।

(7) यदि कोई मोटर गाड़ी शायिका (स्लीपिंग बर्थ) से सज्जित हो तो प्रत्येक शायिका अनुच्छेद 4, 5 और 7 के प्रयोजनार्थ, दो यात्रियों के बैठने के स्थान के बराबर समझी जायगी।

(8) किसी ऐसी मोटर गाड़ी से, जिस पर अनुच्छेद 4 से 7 में से किसी के अधीन कर लगाया जा सकता हो सम्बद्ध या उसके द्वारा खींचे जाने वाले प्रत्येक ट्रेलर को ऐसी पृथक मोटर गाड़ी समझा जायगा जिस पर उक्त अनुच्छेदों द्वारा विहित समुपयुक्त कर लगाया जा सकता है।

30—उत्तर प्रदेश भूमि विकास कर अधिनियम, 1972 (जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में— उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35, 1972 की धारा 2 का संशोधन।

(1) खण्ड (क) के पूर्व, निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

"(कक) 'वार्षिक मूल्य' का तात्पर्य—

(1) किसी भूमिधर की दशा में, ऐसे भूमिधर द्वारा देय अथवा देय समझे गये भू-राजस्व के दुगुने के बराबर धनराशि;

(2) किसी सीरदार अथवा मध्यवर्ती की दशा में ऐसे सीरदार अथवा मध्यवर्ती द्वारा देय अथवा देय समझे जाने वाले भू-राजस्व के बराबर धनराशि; तथा

(3) किसी सरकारी पट्टेदार की दशा में, ऐसे पट्टेदार द्वारा देय लगान के बराबर धनराशि;

से है;"

(2) खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्—

"(ग) 'भूमि' का तात्पर्य ऐसी कृष्ट अथवा अकृष्ट भूमि से है जिसके सम्बन्ध में यथास्थिति, भू-राजस्व अथवा लगान निर्धारित हो अथवा निर्धारित किया जाना हो या उसका भुगतान किया जाना हो, और जो

(1) किसी भूमिधर, सीरदार अथवा सरकारी पट्टेदार द्वारा, या

(2) किसी मध्यवर्ती द्वारा यदि भूमि उसकी निजी जोत में हो, या उसकी सीर या खुदकास्त अथवा बाग के रूप में हो,

कृषि, औद्यानिकी या पशुपालन (जिसके अन्तर्गत मत्स्य संवर्द्धन तथा कुक्कुट पालन भी है) से सम्बन्धित प्रयोजनों के निमित्त धृत अथवा अध्यासित हो;";

(3) खण्ड (छ) में, शब्द "भूमिधर, सीरदार और स्वामी" के स्थान पर शब्द "भूमिधर, सीरदार, सरकारी पट्टेदार और स्वामी" रख दिये जायं।

श्री बनवारी राम यादव—

मैं इसे पेश नहीं करूंगा।

श्री नारायण सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 29 द्वारा प्रतिस्थापित प्रथम अनुसूची के भाग 'ख' की प्रविष्टि 9 के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

"9—ट्रैक्टर—ट्रैक्टर जिसके साथ ट्रेलर खींचा जाता हो और जो कृषि प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिये प्रयोग किया जाता हो जब तक कि उसकी संयुक्त इकाई से कोई सन्धिबद्ध (आर्टिकुलेटेड) गाड़ी न बने—उसके द्वारा खींचे जाने वाले ट्रेलर या ट्रेलरों के सम्बन्ध में भुगतान किये जाने वाले कर के अतिरिक्त 100 रु० प्रति वर्ष की समान दर से कर।"

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं इसे स्वीकार करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 29 द्वारा प्रस्थापित प्रथम अनुसची के भाग 'ख' की प्रविष्टि 9 के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"9—ट्रैक्टर—ट्रैक्टर जिसके साथ ट्रेलर खींचा जाता हो और जो कृषि प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जाता हो जब तक कि उसकी संयुक्त इकाई से कोई सन्धिबद्ध (आर्टिकुलेटेड) गाड़ी न बने उसके द्वारा खींचे जाने वाले ट्रेलर या ट्रेलरों के सम्बन्ध में भुगतान किये जाने वाले कर के अतिरिक्त 100 रुपया प्रति वर्ष की समान दर से कर।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 29 तथा खंड 30 इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 31

धारा 4 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 4 में, शब्द, अक्षर तथा अंक "धारा २४७-ख और" निकाल दिये जायं।

श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)—

यह खंड 31 भूमि विकास के मूल अधिनियम से सम्बन्धित है। उसमें मैंने संशोधन दिया है। चूंकि मैंने इस विधेयक के खंड 34 में संशोधन दिया है जिस पर इसका प्रभाव पड़ा है, अतएव यह निकाल दिया जाय। मैं इसलिये विरोध कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 31 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

खण्ड 32 व 33

धारा 5 का संशोधन

32—मूल अधिनियम की धारा 5 में—

(1) उपधारा (1) में, शब्द "साठ प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "चालीस प्रतिशत" रख दिये जायें।

(2) उपधारा (4) में शब्द "चालीस प्रतिशत", पन्द्रह प्रतिशत" और "पचीस प्रतिशत" के स्थान पर क्रमश: शब्द "पच्चीस प्रतिशत", "दस प्रतिशत" और "पंद्रह प्रतिशत" रख दिये जायें।

अनुसूची का प्रतिस्थापन

33—मूल अधिनियम की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रख दी जाय, अर्थात्—

"अनुसूची"

(धारा 3 देखिये)

भूमि विकास कर निम्नलिखित दर से देय होगा—

क—किसी भूमिधर, सीरदार अथवा सरकारी पट्टेदार की दशा में—

(1) जिसके द्वारा तथा जिसके परिवार के सदस्यों द्वारा मिलाकर—

उत्तर प्रदेश में धृत समस्त भूमि का क्षेत्रफल 1.2641 हेक्टर (3.125 एकड़) से अधिक न हो।	कुछ नहीं।

(2) जिसके द्वारा तथा जिसके परिवार के सदस्यों द्वारा मिलाकर उत्तर प्रदेश में धृत समस्त भूमि का क्षेत्रफल 1.2647 हेक्टर (3.125 एकड़) से अधिक किन्तु 2.529 हेक्टर (6.25 एकड़) अधिक न हो।"	उसके तथा उसके परिवार के सदस्यों द्वारा धृत भमि के वार्षिक मूल्य की आधी धनराशि।
(3) जिसके द्वारा तथा जिसके परिवार के सदस्यों द्वारा मिलाकर उत्तर प्रदेश में धृत समस्त भूमि का क्षेत्रफल 2.529 हेक्टर (6.25 एकड़) से अधिक किन्तु 5.0586 हेक्टर (12.50 एकड़) से अधिक न हो।	उसके तथा उसके परिवार के सदस्यों द्वारा धृत भूमि के वार्षिक मूल्य की डेढ़ गुनी धनराशि।
(4) जिसके द्वारा तथा जिसके परिवार के सदस्यों द्वारा मिलाकर उत्तर प्रदेश में धृत समस्त भूमि का क्षेत्रफल 5.05 .6 हेक्टर (12.50 एकड़) से अधिक हो।	उसके तथा उसके परिवार के सदस्यों द्वारा धृत भूमि के वार्षिक मूल्य की ढाई गुनी धनराशि।
ख—किसी मध्यवर्ती की दशा में	उसके द्वारा धृत भूमि के वार्षिक मूल्य की ढाई गुनी धनराशि।

स्पष्टीकरण—इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिये, 'परिवार' के अन्तर्गत कोई व्यक्ति, उसका पति या उसकी पत्नी तथा अवयस्क बच्चे, चाहे वे उस व्यक्ति के साथ संयुक्त हों या नहीं हैं।"

श्री अध्यक्ष—

इनमें संशोधनों पर रिकमेन्डेशन नहीं आई है। प्रश्न यह है कि खंड 32 और 33 इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मीखा लाल—

खंड 33 पर मेरा संशोधन है।

श्री अध्यक्ष—

स्वीकृति नहीं है गवर्नर की, उस में।

खंड 34

34—उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम 1950 ई० (जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 24 -ख निकाल दी जाय।	उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1951 ई० की धारा 24.-ख का निकाला जाना।

श्री मीखा लाल—

तब मैं 34 प्रस्तुत करता हू।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड 34 को निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

मूल अधिनियम की धारा 247-ख (1) की पंक्ति 3 व 4 में प्रयुक्त अंक व शब्द '2.52 हेक्टर (6.25 एकड़)' निकाल दिये जायं और उसके स्थान पर अंक व शब्द '1.2647 हेक्टर (3.125 एकड़)' रख दिये जायं तथा

[श्री भीखा लाल]

प्रतिबन्धात्मक वाक्य की प्रथम पंक्ति में प्रयुक्त अंक व शब्द '1 जुलाई, 1970' निकाल दिये जायें और उनके स्थान पर अंक व शब्द '1 जुलाई, 1974' रख दिये जायें।

मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं दो शब्द कहना चाहता हूं। जैसा कि मैंने अपने भाषण में शुरू में कहा था कि अगर सरकार समझती है कि सवा छै एकड़ अलाभकर जोत नहीं है, तो वह 3 1/2 को अलाभकर जोत मानकर मेरे संशोधन को स्वीकार करें।

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण और चाहता हूं। राजस्व मन्त्री जी ने और नारायण दत्त तिवारी जी ने कल अपने भाषण में स्वीकार किया कि हमारा सिद्धान्त है कि टैक्सों का बोझ बड़े किसानों पर पड़े। उसी के आधार पर यह विधेयक लाया गया है। तो इस सम्बन्ध में मैं जानना चाहता हूं कि इस विधेयक के पास हो जाने के बाद सवा छै एकड़ तक के किसानों पर 14 करोड़ लगान लग जायेगा और उनको उसका 50 प्रतिशत यानी 7 करोड़ विकास कर देना पड़ेगा। यह कुल मिलाकर 21 करोड़ हुआ। अब सवा छै एकड़ के ऊपर की जोत वालों पर लगान या मालगुजारी के रूप में 7 करोड़ देना पड़ेगा और विकास कर 16 1/2 करोड़ लगेगा। यह कुल मिलाकर 23 1/2 करोड़ हुआ।

इस प्रकार सवा छै एकड़ तक लगान और विकास-कर मिलाकर 21 करोड़ हुआ और सवा छै एकड़ से ऊपर जोत पर यानी बड़े किसानों पर, फार्म वालों पर, ट्रैक्टर वालों पर कुल लगान और विकास-कर का बोझ 23 1/2 करोड़ हुआ। तो क्या माननीय राजस्व मन्त्री और माननीय नारायण दत्त तिवारी जी के पास कोई तर्क है कि जिससे बता सकें कि इस टैक्स का बोझ बड़े किसानों पर पड़ने वाला है, छोटे किसानों पर नहीं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

छोटे किसानों की तादाद 90 प्रतिशत है और बड़े किसानों की तादाद 10 प्रतिशत है। इसलिये मेरा माननीय सदस्य से निवेदन है कि वह गिनती के तादाद पर न जायं। उसका हिसाब लगा कर देखें तादाद के हिसाब से तो पता चल जायेगा कि बोझ किस पर ज्यादा है।

श्री ऊदल—

मान्यवर, जमीन आधी-आधी है, तादाद के हिसाब से।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 34 को निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"मूल अधिनियम की धारा 247(ख)(1) की पंक्ति 3 व 4 में प्रयुक्त अंक व शब्द "2.52 हैक्टर (6.15 एकड़)" निकाल दिये जायें और उसके स्थान पर अंक व शब्द "1.2647 हैक्टर (3.125 एकड़)" रख दिये जायें तथा प्रतिबन्धात्मक वाक्य की प्रथम पंक्ति में प्रयुक्त अंक व शब्द "1 जुलाई, 1970" निकाल दिये जायं और उनके स्थान पर अंक व शब्द "1 जुलाई, 1974" रख दिये जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

*श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड 34 में उल्लिखित मूल अधिनियम की धारा 247(ख)(1) में निम्नलिखित परन्तुक और जोड़ दिया जाय:—

"परन्तु देहरादून और नैनीताल जिलों के तराई क्षेत्र को छोड़कर सभी पर्वतीय जिलों में 2.52 हैक्टर (6.25 एकड़) की जोतों पर मालगुजारी की छूट रहेगी।"

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, मैं जानता हूं कि न तो माननीय तिवारी जी मेरे इस संशोधन को स्वीकार करने जा रहे हैं और न माननीय मुख्य मन्त्री जी इसको स्वीकार करने जा रहे हैं। वे समझते हैं कि पहाड़ों को एक्जेम्प्ट कर देंगे तो चौधरी साहब कहेंगे कि पहाड़ी आदमी हैं इसलिये कर दिया। इसलिये मैं एक एनामली आपकी नोटिस में लाना चाहता हूं। टेहरी-गढ़वाल और उत्तर काशी एक समय में रियासतें थीं और जब देशी रियासत थी तो कुछ ऐसा था कि उसको एक निश्चित राशि अपनी आय में दिखानी पड़ती थी तब उसको एक विशेष दर्जा मिलता था। इसी को वह देते थे। हमारे टेहरी तथा उत्तर काशी में जो सर्किल रेट है वह अन्य जिलों से चौगुना है और जब सुचेता कृपलानी, मुख्य मन्त्री थीं तो सभी पार्टी के लोग उनके पास गये थे और माननीय बहुगुणा जी से भी मिले थे और सुचेता कृपालानी जी ने उस समय हमारी मांग को न्यायप्रिय माना था और फिलहाल के लिये वहां पर मालगुजारी स्थगित कर दी गयी थी जिसके फलस्वरूप आन्दोलन बन्द हो गया। इस प्रकार जो वहां का सर्किल रेट है उसके सम्बन्ध में भी जो मांग थी उसको तत्कालीन सरकार स्वीकार कर चुकी थी। इसलिये मेरा मुख्य मन्त्री तथा माल मन्त्री जी से निवेदन है कि मेरे इस संशोधन को तो मैं जानता हूं स्वीकार नहीं किया जायगा लेकिन पहाड़ी जिलों में जो पुरानी सामन्ती प्रथा चली आ रही है, जो एनामली चली आ रही है इसको खत्म करने का वह आश्वासन देंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मुझे स्वीकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 34 में उल्लिखत मूल अधिनियम की धारा 247 (ख) (1) में निम्नलिखित परन्तुक तक और जोड़ दिया जाय—

"परन्तु देहरादून और नैनीताल जिलों के तराई क्षेत्र को छोड़कर सभी पर्वतीय जिलों में 2.52 हैक्टर (6.25 एकड़) की जोतों पर मालगुजारी की छूट रहेगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 34 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खंड 35

35—मूल अधिनियम की धारा 294 में, उपधारा (2) में, खण्ड (ककक) निकाल दिया जाय। धारा 294 का संशोधन

श्री भीखा लाल—

मान्यवर, खंड 35 का इसलिये विरोध करता हूं कि 34 का वह कांसिक्वेंशनल है। चूंकि 34 में संशोधन गिर गया इसलिये इसको पेश करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 35 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खंड 36

36—यह अध्याय 12 अक्तूबर, 1974 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा। प्रारम्भ

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 36 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खंड 37 से 39

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 1952 की धारा 3 का संशोधन

37—उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) अधिनियम, 1952, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 की उपधारा (2) में वर्तमान प्रतिबन्धात्मक खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड रख दिया जाय:—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वन पार्ट टैरिफ की दशा में, जहां कि भारित दर उपभोग के यूनिट पर आधारित हो वहां एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी प्रति यूनिट एक पैसे से कम या प्रति यूनिट छः पैसे से अधिक न होगी।"

संक्रमणकालीन उपबन्ध

38—इस अध्याय द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम की धारा 3 के अधीन कोई विज्ञप्ति दिनांक 12 अक्तूबर, 1974 से भूतलक्षी प्रभाव देते हुये जारी की जा सकती है।

निरसन तथा अपवाद

39—(1) निम्नलिखित अध्यादेश एतदद्वारा निरसित किये जाते हैं—

(1) उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अलकोहल बिक्री कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1974,

(2) उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1974,

(3) उत्तर प्रदेश भूमि विकास कर तथा भू-राजस्व (संशोधन) अध्यादेश, 1974 तथा

(4) उत्तर प्रदेश बिक्री कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1974।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित नीचे स्तम्भ 1 में उल्लिखित अधिनियमों के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही इस प्रकार की गई समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के वे अध्याय या धारायें जो नीचे स्तम्भ 2 में उल्लिखित हैं, उनके सामने स्तम्भ 3 में उल्लिखित दिनांक से प्रवृत्त हो गये हों—

1	2	3
1—संयक्त प्रान्त मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अलकोहल बिक्री कराधान अधिनियम, 1939।	अध्याय 3	22 अप्रैल, 1974
2—संयुक्त प्रान्त मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1935।	अध्याय 5	30 सितम्बर, 1974
3—उत्तर प्रदेश भूमि विकास कर अधिनियम, 1972।	अध्याय 6	29 अक्तूबर, 1974
4—उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 ई०।	अध्याय 7	29 अक्तूबर, 1974

1	2	3
5—उत्तर प्रदेश बिक्री कर ऐक्ट, 1948 ई०।	अध्याय 4 में धारा 17 से 20	4 नवम्बर, 1974
	अध्याय 4 में धारा 21 की उपधारा (1)	31 मार्च, 1956
	अध्याय 4 में धारा 21 की उपधारा (2) और धारा 22।	2 मई, 1974

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खड 37, 38 तथा 39 इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू–राजस्व विधेयक, 1974

होटलों में सुख-साधनों पर कर अधिरोपित करने और कतिपय कराधान तथा भू-राजस्व विधियों का संशोधन करने की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा विस्तार

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि अधिनियम, 1974 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि विधेयक, 1974, जैसा कि सदन द्वारा संशोधित हुआ, पारित किया जाय।

श्री मीखा लाल—

अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। वह इसलिये कि हमने इस सरकार के सामने बहुत अच्छे सुझाव रखे लेकिन सरकार ने उन पर जरा भी ध्यान नहीं दिया बल्कि सरकार अपनी हठधर्मी पर अड़ी रही कि एक एकड़, दो एकड़ अथवा तीन एकड़ के किसान जिनको वह स्वयं निर्बल समझती है उन पर भी वह लगान लगाने पर उतारू है। हमने संशोधन दिया था कि अगर सवा छः एकड़ की अलाभकर जोतों पर लगान नहीं छोड़ते

[श्री भीखा लाल]

है तो 3 1/3 एकड़ पर तो लगान छोड़ें। इससे सरकार को केवल 5 करोड़ का घाटा होता है । वह भी आप मानने के लिये तैयार नहीं हैं। सरकार की यह कर लगाने की नीति किसान के हितों के अनुकूल नहीं है। हम इसी वजह से इसका विरोध करते हैं। मैंने मुख्य मन्त्री जी से पहले भी कहा था और पुन: कहता हूं कि इसे आप वापस लें और फिर से एक नया बिल लावें। तभी हम सरकार की मदद कर सकते थे। लेकिन सरकार के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। लिहाजा सरकार की इस किसान विरोधी नीति के रवैये से मैं अपने दल के साथ सदन का वहिष्कार करता हूं।

(श्री भीखालाल अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि विधेयक, 19 /4, जैसा कि सदन द्वारा संशोधित हुआ, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

नियम 51 में आज 7 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। जिन्होंने यह सूचनायें दी हैं वे हैं—श्री दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री हिम्मत सिंह, श्री राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री मुलायम सिंह, यादव, श्री शिवप्रसाद, श्री एदल सिंह, श्री शिवप्रसाद, श्री जंगबहादुर, श्री मुलायम सिंह यादव, श्री एदल सिंह, श्री राम लखन, श्री अठईराम, श्री मुलायम सिंह यादव, श्री जंगबहादुर वर्मा, श्री दयाराम भास्कर, श्री शिव प्रसाद, श्री जंगबहादुर, श्री सत्यप्रकाश मालवीय, श्रीराम अधार राय तथा श्री काशी नाथ मिश्र।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया) —

मान्यवर, नियम 51 में मैंने भी एक प्रश्न दिया है। यह आपके ही जिले का मामला है। मैं 3 दिन से इसे आपकी सेवा में भेज रहा हूं। इस पर एक बयान दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष—

अब बयानों का समय नहीं है।

श्री काशीनाथ मिश्र —

वहां पर तस्कर व्यापार विरोधी दलों के नेताओं से हो रहा है। इस पर सरकार से बयान दिला दें।

श्री अध्यक्ष—

आपने दिया है श्री मुस्तफा खां सुर्ती बाला, जिला प्रतापगढ़ के यहां छापा मारा जाना। शासन के पास भेज सकता हूं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

आप इसे माननीय मुख्य मन्त्री जी के पास भेज दें। न मालूम आपको क्यों सन्देह हो रहा है कि बलिया का एक स्वतन्त्रता संग्राम का सेनानी, जो कि तीन बार जेल गया है, ने तस्कर व्यापार की कहानी छापी तो उस पर पुलिस का हमला होता है..... (व्यवधान)। इसलिये मान्यवर, इस पर आप चर्चा करा लें।

श्री अध्यक्ष—

चर्चा का समय नहीं है। मैं इसे आवश्यक कार्यवाही के लिये माननीय मुख्य मन्त्री के पास भेज रहा हूं।

28 दिसम्बर, 1974 को लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनावमें, पी० ए० सी० एवं पुलिस के तथा कथित अत्याचार के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

कार्य सूची 13—2 . दिसम्बर, 1974 को लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में पी० ए० सी० एवं पुलिस के तथाकथित अमानुषिक अत्याचार से छात्रों तथा अध्यापकों में व्याप्त तीव्र असन्तोष के सम्बन्ध में सर्वश्री शतरुद्ध प्रकाश, मोहम्मद असरार अहमद, एदल सिंह, काशीनाथ मिश्र, ओम प्रकाश सिंह, सत्य वीर सिंह तथा दया किशन पांडेय द्वारा दी गई सूचनाओं पर नियम 51 के अन्तर्गत मुख्य मन्त्री का वक्तव्य होगा .....

श्री काशीनाथ मिश्र—

इस पर मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत जो मेरा प्रश्न था वह मेरा अलग से था और मेरा नाम विरोधी दलों के लोगों के साथ जोड़ दिया गया है। ऐसा करके आपने मेरे साथ अन्याय किया है। इसको एजेन्डे में सफाई के साथ रखना चाहिए था.....

श्री अध्यक्ष—.

दो मैंने स्वीकार किये थे ..... (व्यवधान)।

आप बोल सकते हैं। (व्यवधान) अगर कोई बधाई का प्रस्ताव लायें तो उसको कैसे स्वीकार करें? लेकिन आप बोलना चाहते हैं तो अपने पक्ष में बोल सकते हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

लखनऊ विश्वविद्यालय पर एक कमीशन बैठा था उसकी रिपोर्ट आ गई है।

श्री अध्यक्ष—

पहले आप इसको लेने दें।

श्री काशीनाथ मिश्र—

उस कमीशन ने कहा है कि अगर चुनाव के अवसर पर कभी दंगा हो तो उसमें मेम्बरशिप एच्छिक हो या फिर 6 साल के लिए चुनाव न कराये जायं अगर कोई चुनाव में झगड़ा करे।

श्री अध्यक्ष—

जब विचार होगा तो उसमें आप अपने विचार रख सकते हैं पहले वक्तव्य होने दें। आप समझते हैं और किसी चीज पर बहस हो रही है और उसमें आप समझते हैं अत्याचारी पहलू है या समझते हैं अत्याचारी पहलू हैं तो उस पर आपको बोलने का मौका मिलेगा।

श्री मोहम्मद शकील अहमद (जिला लखनऊ)—

उसमें जनसंघ का भी नाम है.....

(श्री सत्य प्रकाश मालवीय के खड़े होकर कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष—

पहले बयान हो जाय तब सवाल आयेंगे। आपही की इच्छा पर यह हुआ है पहले वक्तव्य होने दें उसके बाद जो कहना चाहेंगे वह कहें।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

मैं लखनऊ विश्वविद्यालय की बात नहीं कह रहा हूं मेरा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बारे में था।

श्री अध्यक्ष—

अविश्वास का प्रस्ताव आ रहा है उसमें आप कह दीजिये।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मेरे प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लें। क्योंकि कल यूनिवर्सिटी खुलने वाली है और इस पर सरकार की ओर से आश्वासन आ जाय ताकि वहां पर शान्तिपूर्ण वातावरण स्थापित हो सके। सरकार की ओर से आश्वासन हो जाये। हमारे पास छात्र आये थे उन लोगों को मैंने मुख्य मन्त्री जी के पास भेजा था। वहां के ब्रजेश और अभिनाश शुक्ला हैं। एक की उसके घर सुलतानपुर में जाकर कुर्की की। नियम 51 के अन्तर्गत वह दिया था उसे आप स्वीकार कर लें क्योंकि पुलिस ने जबरदस्ती उनके घरों में घुस कर ज्यादती की, सुलतानपुर में जाकर कुर्की किया और ब्रजेश को मनफोर्डगंज में घर पर कुर्की किया। कल उसमें वक्तव्य हो जाय। पचासों अन्य छात्रों को गिरफ्तार किया अथवा निकाल दिया।

श्री अध्यक्ष—

कल अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होगी उसमें बोल लें।

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)—

मैंने भी एक प्रस्ताव दिया था क्योंकि बाजार से छोटी कक्षाओं की पुस्तकें गायब हैं।

श्री अध्यक्ष—

आपकी ही मांग पर क्योंकि नेता विरोधी दल के कहने पर यह स्वीकार हुआ था। आपके पास सबसे बड़ा हथियार जो है वह आपको मिल रहा है। अविश्वास प्रस्ताव जनतन्त्र में सबसे बड़ा हथियार होता है। इसीलिये मैंने टोका भी था जब सबसे बड़ा हथियार आप ले रहे हैं तो उसमें शासन को जो सुनाना चाहें वह सुना सकते हैं। क्योंकि इससे बड़ा लोक-तन्त्र में विराधी पक्ष के पास काई दूसरा हथियार नहीं है, सरकार को मजबूर करने का इससे बड़ा औजार अभी तक कोई नहीं निकला तो जब वह आयेगा तो उसमें आप बोल लें।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

अध्यक्ष महोदय, यह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मामला है इसे स्वीकार कर लें और वक्तव्य कल-परसों हो जाय।

श्री अध्यक्ष—

आप मिल लीजिये उनसे क्योंकि आप भी इलाहाबाद के है। उसे आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज देंगे।

श्री मुलायमसिंह यादव (जिला इटावा)—

मेरा भी भेज दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है जितने भी बचे-खुचे हैं उन्हें शासन को उचित कार्यवाही के लिए भेज दिया जाय।

श्री रामअधार (जिला आजमगढ़)—

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र यहां इधर-उधर घूम रहे हैं, वे सारे आतंकित हैं। आप उनके बारे में एक स्टेटमेन्ट देने की कृपा कीजिये।

एक सदस्य—

आजमगढ़ जिले में रात्रि को बिजली मिलने के कारण, दो किसानों की मौत हो गई है, उस पर भी वक्तव्य दिला दें।

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

दिनांक 18 सितम्बर, 1974 को लखनऊ विश्वविद्यालय के खुलने के पश्चात् से ही कुछ लोगों ने विश्वविद्यालय के कार्य में बाधा उत्पन्न करना आरम्भ कर दिया। डीनों का घिराव किया गया तथा विश्वविद्यालय के अधिकारियों को डराया धमकाया गया। बाद में विश्वविद्यालय के छात्र श्री सी० पी० अवस्थी पर गोली चलाई गई। कुलपति का दो बार घिराव किया गया।

2—कुलपति ने दिनांक 21 दिसम्बर, 1974 को विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव की तिथि निश्चित की लेकिन विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की हड़ताल के कारण चुनाव की तिथि बदल कर 2 दिसम्बर, 1974 कर दी गयी। कुलपति ने छात्रों से चुनाव अभियान के दौरान अनुशासित रहने तथा विश्वविद्यालय के कार्य में बाधा न डालने के लिये सहयोग करने की अपील की थी। तीन-चार दिन तक छात्रों ने नियंत्रण बनाये रखा तत्पश्चात् सूचनानुसार कुछ लोग चुनाव प्रचार के लिये विश्वविद्यालय के बाहर से आ गये। दिनांक 27 दिसम्बर. को कतिपय छात्रों के विभिन्न दलों में दो बार मारपीट भी हुई।

3—विश्वविद्यालय के अध्यापकों को डराने व धमकाने की घटनाओं तथा इस भय से कि चुनाव के दौरान छात्रों के विभिन्न दलों में कहीं कोई गम्भीर वारदात न हो जाय, उपकुलपति ने जिलाधिकारी से विश्वविद्यालय में चुनाव के समय दिनांक 28 दिसम्बर, 1974 को पुलिस तैनात करने के लिये अनुरोध किया था। अतएव जिला प्रशासन की ओर से विश्वविद्यालय के भीतर पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था की गई थी तथा चुनाव कार्य में लगे अध्यापकों, छात्र मतदाताओं तथा विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु कड़ा प्रबन्ध किया गया था।

4—विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव दिनांक 28 दिसम्बर, 1974 को प्रातः 10 बजे आरम्भ हुआ। चुनाव में काफी सरगरमी रही और विभिन्न समर्थकों में झगड़े की दो घटनायें भी हुई। ढाई बजे के लगभग सूचनानुसार एक अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के समर्थक आर्ट्स कालेज के पूर्वी प्रभाग के ऊपर वोट देने वालों के साथ ही बड़े और एकाएक बैलेट बाक्स को कब्जे में लेकर क्षति पहुंचाने का प्रयास किया। इस पर अन्य प्रत्याशियों के समर्थकों के साथ उनका संघर्ष होने लगा। मौके पर तैनात पुलिस ने तुरन्त ही उनको रोका और बैलेट बाक्स सुरक्षित पीठासीन अधिकारी को दे दिया व ऊपर चढ़े व्यक्तियों से नीचे जाने को कहा। पर वे नहीं माने और उन्होंने मजमा बना कर चुनाव कार्य में बाधा डालने का प्रयास किया। जैसे ही उन्हें सीढ़ी से नीचे किया गया उन्होंने नीचे से पुलिस पर पथराव आरम्भ कर दिया, जिसके फलस्वरूप 6 पुलिस कर्मचारियों को चोटें आईं और 7-8 अन्य लोगों को भी चोटें आईं। मौके पर उपस्थित अतिरिक्त जिलाधिकारी (नगर) नगर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्रीय अधिकारी, हजरतगंज तथा अन्य अधिकारियों को चोटें आयीं। पुलिस द्वारा न्यूनतम बल प्रयोग करके गड़बड़ी करने वालों को हटाया गया और चुनाव कार्य चलता रहा। इसके पूर्व इसी ग्रुप ने आर्ट्स कालेज के पश्चिमी विंग पर भी ऐसा ही प्रयास किया था जो असफल कर दिया गया।

5—लगभग सवा 4 बजे एक प्रत्याशी के कुछ समर्थकों ने आर्ट्स कालेज के पश्चिमी विंग पर सीढ़ी से ऊपर चढ़ कर एक कक्ष में रखे बैलेट बाक्स को पुनः लेकर भागना चाहा। इस पर उनमें तथा अन्य प्रत्याशियों के समर्थकों में गुत्थमगुत्था होने लगी।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से रोका। गुत्थमगुत्था के बीच बैलेट बाक्स नीचे फेंक दिया गया। पुलिस ने बाक्स को पुन: पीठासीन अधिकारी को वापस दे दिया तथा मौके पर सर्वश्री नागेन्द्र प्रताप, वी० के० सरीन, ब्रजेन्द्र अग्निहोत्री तथा कुछ अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार किया।

6—भीड़ को विश्वविद्यालय के प्रांगण से बाहर हटा दिया गया। भीड़ प्रांगण के चारों तरफ सड़कों पर जमा हो गयी व प्रांगण में उपस्थित वोटरों तथा पुलिस पर पथराव करना आरम्भ कर दिया। चेतावनी देने पर भी भीड़ नहीं हटी और चुनाव कार्य को अस्तव्यस्त करने की चेष्टा की गयी। तब भीड़ को तितर-बितर करने के लिये अश्रु गैस का प्रयोग किया गया।

—उक्त घटना में सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर 15 व्यक्तियों को मामूली चोटें आयीं जिनमें से 11 व्यक्तियों का प्रारम्भिक उपचार मेडिकल कालेज में हुआ, 2 व्यक्तियों का प्रारम्भिक उपचार बलरामपुर अस्पताल में हुआ तथा दो व्यक्तियों को मेडिकल कालेज में भर्ती किया गया। घटना के सम्बन्ध में अभी तक 15 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं। स्थिति पूर्णतया नियन्त्रण में है।

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं कुछ प्रश्न करूं, उससे पहले मैं उनके सम्पूर्ण वक्तव्य में लिखित कथन को इस सदन में चैलेंज करना चाहता हूं। जिस प्रकार से उनको यह सूचना दी गई है, वह असत्य है। पहली बात उन्होंने कहा कि पुलिस का समुचित प्रबन्ध था, तो जब पुलिस का समुचित प्रबन्ध था, तो फिर कुछ लोग बैलेट-पेपर्स लेकर कैसे निकल गये? ड्यूटी पर तैनात पुलिस लोग उस समय क्या करते रहे? नम्बर दो, इसी वक्तव्य में स्वयं कुछ चीजें उभड़ कर सामने आई हैं। जो कि बताते हैं कि यह पूर्व सुनियोजित ढंग से किया गया है। वास्तविकता यह है कि जब शासन दल का प्रत्याशी बुरी तरह से हारने लगा उसमें सुनियोजित ढंग से गड़बड़ी कराने के लिये वहां कुछ बाहरी गुन्डे लाये गये.....

श्री मुहम्मद शकील अहमद (जिला लखनऊ)—

आपके माध्यम से एक जानकारी चाहता हूं। आप वहां मौजूद थे जो सब बता रहे हैं?

श्री बालकृष्ण सनवाल (जिला नैनीताल)—

यह वक्तव्य लिखवाया है माननीय मुख्य मन्त्री ने, क्या वह वहां मौजूद थे? (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता कि घटना गम्भीर है। मैं जानता हूं कि आप केवल प्रश्न के लिए अनुमति दे रहे हैं लेकिन प्रश्न के साथ कुछ चीजें उभर कर आ रही हैं। इस में उन छात्रों की गिरफ्तारी का कोई जिक्र नहीं है, कुछ छात्र जेल में मिलने गये उन्हें जेल के फाटक पर केवल मिलने के कारण गिरफ्तार करके बन्द कर दिया और अध्यक्ष जी, सबसे बड़ी जानकारी यह देना चाहता हूं कि वहां छात्रों को कोठरियों में तनहाई में बन्द किया गया। जब कि तस्करों को आरामगाह जेलों में बन्द किया है और उनको पूरी सुविधायें हैं छात्रों को जेल में कुछ घंटों के लिए खोला जाता है। उनसे कोई मिलने जाता है तो उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। कुछ छात्र बाहर मिलने गये थे उनको पकड़ लिया गया। मैं प्रश्न यह करना चाहता हूं कि जब पुलिस वहां पर तैनात थी वह क्या करती थी जब कि बैलेट के बक्से उठाये गये? दूसरे, छात्रों को गिरफ्तार करने का आधार क्या था? क्या कोई एफ० आई० आर० दर्ज कराया गया वायस चांसलर, रिटर्निंग आफिसर या किसी की ओर से? नम्बर तीन, छात्रों के कमरों की जो तलाशी ली, उनकी कोई सूची है? अनापशनाप छात्रावास के कमरों में ताला तोड़ कर सामान निकाल लिया गया। जो गिरफ्तारियां हुईं क्या कोई एफ० आई० आर० दर्ज करायी गयी जिसके आधार पर वारन्ट बनाये गये? यह तथ्य मैं जानना चाहता हूं।

श्री मुहम्मद शकील अहमद—

में बताना चाहता हूं, जो मन्त्री जी ने बयान दिया है, जितनी बातें कहीं गयीं हैं, उसके सम्बन्ध में यह बात साफ है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में कुछ राजनीतिक दलों ने बहुत दिनों से गड़बड़ कराने की योजना बनायी थी। पहले उन्होंने एलेक्शन का बाईकाट कराने को कोशिश की। विद्यार्थियों ने उस रास्ते को रिजेक्ट कर दिया। तब विश्वविद्यालय के अन्दर एक दूसरे समाजवादी दल के लीडर पर हमला किया। उसके बाद लखनऊ भर में जो उनके कायकर्ता थे, वे विश्वविद्यालय के अन्दर घुसे और घुसने के बाद ऐसी स्थिति पैदा की जिसके कारण उपकुलपति महोदय को बार-बार अन्दर जाना पड़ा क्योंकि इनका मकसद राजनीतिक था। छात्रों ने गड़बड़ नहीं की। छात्र शान्तिपूर्वक थे। उन्होंने इनके बाईकाट को रिजेक्ट कर दिया। जब उन्होंने देखा कि जनसंघ का नेता हारा जा रहा है और उसकी जमानत जब्त हो रही है तो वहां पर ऐसी कोशिश की जिससे गड़बड़ हो उसके बाद फायरिंग हो और हम सदन के अन्दर चिल्लायें कि सरकार ने बड़ा अत्याचार कर दिया। ये फैक्ट्स हैं जो लखनऊ विश्वविद्यालय में हुए हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

में आग्रह करूंगा कि यहां पर ऐसी कोई बात न कही जाय जिससे स्थिति के सुधारने में बाधा पैदा हो। जो भी वहां कार्यवाही हुई, उपकुलपति के कहने पर वहां पुलिस गयी, जो भी पुलिस ने कार्यवाही की वह इसलिये कि चुनाव कार्य शान्तिपूर्वक हो सके। उसमें हमने, सरकार ने, या दल ने कोई आदेश नहीं दिया। स्थानीय अधिकारियों ने जो निर्णय लिया उसके अनुसार कार्यवाही हुई।

श्री अध्यक्ष—

माननीय काशी नाथ।

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी—

बाद में गिरफ्तारियां होती चली जा रही हैं। जो छात्र जेल में मिलने गये वह भी गिरफ्तार कर लिये गये। उसका क्या आधार था?

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

माननीय सदस्य जनसंघ ने बार-बार कहा इस आदरणीय सदन में कि कौन से आधार थे, पुलिस ने गिरफ्तारी किया। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि मैं स्वयं वहां मौजूद था और जनसंघ के कई विधायक भी मौजूद थे और जन संघ की तरफ से बलिया का लड़का अध्यक्ष पद के लिये चुनाव लड़ रहा था। अगर छात्रों के दो गुट छुरा निकालने लगें, बैलेट बाक्स छीनने लगें तो अशान्ति की अव्यवस्था हो जायेगी। उस समय क्या पुलिस तमाशा देखती रहेगी। वे लड़के राजनीतिक दलों में दिलचस्पी रखते थे। उन्हीं लोगों ने गड़बड़ी की। उसी के आधार पर गिरफ्तारियां की गईं पुलिस ने जो कुछ विश्वविद्यालय में किया शान्ति बनाये रखने के लिये किया। जो स्थिति पैदा हो गई है उसका हवाला देते हुये एक जांच आयोग बिठाया गया था। उस आयोग ने सिफारिश की है कि यदि इस तरह की स्थिति पैदा हो जाये तो चुनावों को 5-6 साल के लिये रोक दिया जाय। (व्यवधान) यह जो सिफारिश हुई है उसके बारे में क्या हुआ उसको मैं जानना चाहता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मान्यवर, यूनिवर्सिटी को जांच रिपोर्ट दे दी गई है? उस पर यूनिवर्सिटी ही कार्यवाही करेगी।

*श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, लखनऊ विश्वविद्यालय के बारे में कार्य-स्थगन प्रस्ताव लाया गया था। लेकिन सदन ने तय किया कि इसको नियम 51 में लिया जायेगा। यह काफी गम्भीर विषय है। इस पर हम लोगों को केवल प्रश्न पूछने का ही अधिकार है।

मैं इस सदन में माननीय सदस्यों से यह कहना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय के चुनावों में जमानत की गुंजाइश नहीं होती है। वहां ऐसी परिस्थिति नहीं थी। जो रिपोर्ट सामने आई। मुझे नहीं मालूम कि वह किसने दी। उसमें कहा गया है कि कुछ लोगों ने बैलेट बक्से छीने और कुछ लोग मत पेटिकायें लेकर भागने लगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि वे ऐसे कौन से कारण थे जिनकी वजह से लोग मत पेटिकायें छीनने लगे। (व्यवधान)

इसी के साथ साथ यह आरोप भी लगाया जा रहा है कि कुछ राजनीतिक पार्टी के लोगों ने बाहर से वहां जाकर चुनाव न करा देने का प्रयत्न किया। माननीय मन्त्री जी कृपया इसकी जांच करा लें कि विद्यार्थी परिषद् का उम्मीदवार, कांग्रेस पार्टी द्वारा समर्थित उम्मीदवार, कांग्रेस संगठन द्वारा समर्थित उम्मीदवार, इनमें से कौन उम्मीदवार हार रहा था और कौन उम्मीदवार जीत रहा था। जीतने वाला उम्मीदवार कभी गड़बड़ी नहीं करेगा। चुनाव में जिस उम्मीदवार की हालत खराब होगी वही गड़बड़ी करेगा। मेरा पहला सवाल यह है कि क्या सरकार इसकी जांच कराने जा रही है कि इन उम्मीदवारों में से कौन जीत रहा था और कौन हार रहा था।

दूसरा सवाल यह है कि यह कहा गया है कि बाहर के लोग चुनाव को प्रभावित करने के लिये विश्वविद्यालय में आ गये थे और विरोधी दलों पर यह आरोप लगाया गया है तो इसके बारे में माननीय मन्त्री जी जानकारी करा लें। मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि जब राजनीतिक पार्टियों की तरफ से उम्मीदवारों को समर्थन मिलेगा तो राजनीतिक धारायें फैलाई जायेंगी। इस लिये इस बात की जांच होनी चाहिये कि क्या केवल विरोधी पार्टी के लोग ही विश्वविद्यालय में चुनाव को प्रभावित करने के लिये गये थे या कांग्रेस के लोग भी गये थे। इसकी भी जांच करा ली जाय कि जिन लोगों को गुन्डा ऐक्ट में पकड़ा गया या जिनके जेल से बाहर भेजे जाने के आदेश होने वाले थे क्या उन्होंने भी इसमें भाग लिया और उनको मजिस्ट्रेट के बराबर कुर्सी दी गई। मेरा आखिरी सवाल अन्त में यह है कि लखनऊ विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में पिछले कई दिनों से गड़बड़ी चल रही है और आज जो स्थिति सामने पैदा हो गई है, उसमें कई तरह की बातें हैं? कुछ लोगों का कहना है कि उप कुलपति ठीक नहीं हैं, कुछ लोगों का कहना है कि वहां अपराध मनोवृत्ति से प्रेरित होकर काम हो रहा है। आज लखनऊ विश्वविद्यालय की हालत देखकर कोई ऐसी जांच करायेंगे कि जो कि पुलिस के द्वारा न होगी या जो प्रशासकीय अधिकारी हैं उनके द्वारा न होगी बल्कि न्यायिक जांच होगी, जो न तो विश्वविद्यालय के चुनाव में उपस्थित था और न वह ला एन्ड आर्डर को प्रभावित करने के लिये वहां गया था। क्या लखनऊ विश्वविद्यालय को खोलवाने के लिये विश्वविद्यालय के छात्रों और उपकुलपति से बात करवायेंगे?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं कोई ऐसी बात यहां पर नहीं कहना चाहता। मैं यहां पर किसी भी ऐसे छात्र नेता के साथ कि जिनकी कि मुझ व्यक्तिगत जानकारी नहीं हैं, उनके किसी के बारे में नहीं कहना चाहता। श्रीमन् माननीय शतरुद्ध प्रकाश यहां पर हैं। मान्यवर, लखनऊ विश्वविद्यालय में वहां पर लगभग 15 उम्मीदवार थे। 9 थे वाइस प्रेसीडेन्ट के लिये, 10 सेक्रेटरीशिप के लिये थे और जूनियर लाइब्रेरियन के लिये अलग-अलग उम्मीदवार थ। अखिल भारतीय फेडरेशन, समाजवादी एस० वाई० जे० एस० भी थे। तो अलग-अलग विभिन्न उम्मीदवार जूनियर लाइब्रेरियन के लिये भी थे। मेरे पास जो सूचना आई है कि जो उम्मीदवार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसके लिये थे उनको बोलने के समय ही चोट लगी। मेरा कहना यह है कि यह कहना मुश्किल है कि कौन जीत रहा था। सब लोग अपना-अपना नारा लगा रहे थे कि हम जीत रहे हैं। कहीं बीच में झगड़ा हुआ। मैं इसमें कोई विरोध नहीं पैदा करना चाहता। यह मुश्किल है पता लगाना कि किसने किससे झगड़ा कब किया। इस समय कुलपति जी जो हैं उनका भी चिन्तित पत्र मैंने देखा है कि मामला नियन्त्रण में आये। इस सारे प्रश्न पर वह कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मान्यवर, मेरा यह सवाल था कि इस सब की जांच करवायेंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, उप कुलपति जी से अवश्य कहा जायगा।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मान्यवर, यह जो एस० डी० सिंह कमीशन की रिपोर्ट है वह सरकार ने जांच बैठाया था, क्या यह जो घटना हुई है इसके संबंध में आप जांच बैठाने जा रहे हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, मैंने तो कहा कि उप कुलपति जी से अवश्य कहा जायगा।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मान्यवर, जो यह लखनऊ विश्वविद्यालय में घटनाएं घटी हैं, आज जो वाइस चांसलर और विद्यार्थियों के बीच गड़बड़ी हो रही है, इस पर सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

(व्यवधान)

श्री दीप नारायण पाण्डेय (जिला गोंडा)—

अध्यक्ष महोदय, लखनऊ विश्वविद्यालय में जो गड़बड़ी हुई है, वह विरोधी पक्ष के लोगों ने ही करवाई है।

(व्यवधान)

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मान्यवर, मैं जितनी सदन की भावनाएं हैं, यह सब उपकुलपति तक पहुंचा दूंगा और उनसे कहूंगा कि वह आवश्यक कार्यवाही करें।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि कुछ बाहरी आदमी आ गये तो वह कौन थे क्या उनके विरुद्ध एफ० आई० आर० लिखायी गयी ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, बाहर के आदमियों की सूचना मैं क्या दूं ?

श्री सत्यपाल मलिक (जिला मेरठ)—

एक चीज स्पष्ट होती है कि वहां पर बाहरी विद्यार्थी एवं बाहरी व्यक्ति मौजूद थे और विधायक भी मौजूद थे तो उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया। माननीय मंत्री जी इस बात को जानते होंगे कि केन्द्रीय खुफिया विभाग का आदमी कैम्पस में रहता है। उसने अपनी रिपोर्ट लिखी होगी। उस रिपोर्ट को माननीय मंत्री जी मंगा सकते हैं। जहां तक मेरी जानकारी है वहां पर कांग्रेसी विधायक मौजूद थे।

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी (जिला प्रतापगढ़)—

क्या माननीय सदस्य खुफिया विभाग से सम्बन्ध रखते हैं क्या ?

(व्यवधान)

श्री सत्यपाल मलिक—

जो कांग्रेस के विधायक वहां पर मौजूद थे उन्होंने इर्रीटेशन पैदा किया है। गोरखपुर का प्रेसीडेन्ट वहां पर मौजूद था, उसको गिरफ्तार किया गया तो इन लोगों को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? वहां पर काशी नाथ मिश्र और श्याम मिश्रा मौजूद थे। इनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया।

श्री काशी नाथ मिश्र—

मान्यवर, जो यह बता रहे हैं उसका सोर्स आफ इंफारमेशन क्या है? यह बात भी सामने आ जानी चाहिये। जिसको मलिक साहेब ने कहा है।

(व्यवधान)

श्री श्याम मिश्रा (जिला कानपुर)—

चूंकि मेरा नाम लिया गया है इसलिये मैं कहना चाहता हूं इन लोगों ने बाहरी व्यक्तियों को बुलाया जिसके कारण वहां पर गड़बड़ी हुई और इर्रीटेशन हुआ है। इर्रीटेशन का कारण यह था.....

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 52 मिनट पर अगले दिन 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
1 जनवरी, 1975।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

[देखिये नियम 38(2) के अन्तर्गत प्रश्न संख्या 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ. 685 पर ।]

तालिका

लिपिक वर्ग	वेतनमान	शिक्षणेतर कर्मचारी	वेतनमान
1	2	3	4
नगर महापालिका	रु०		रु०
1—प्रधान लिपिक ग्रेड–1	240–424	1—शिक्षा अधीक्षक/अधीक्षिका–ग्रेड –1	400–775
2—लिपिक ग्रेड–1	195–315	2—सहायक उपस्थिति अधिकारी (पुरुष/महिला) ग्रेड–1	220–400
3—लिपिक ग्रेड–3	185–280	3—सहायक लेखाकार ग्रेड–1	220–400
		4—लेखाकार ग्रेड–3	200–340
		5—खेल अधीक्षक (नगर महापालिका, लखनऊ)	220–400
नगरपालिकायें श्रेणी—1			
1—प्रधान लिपिक ग्रेड –1	240–424	1—शिक्षा अधीक्षक/अधीक्षिका (पुरुष/महिला)	320–620
2—लिपिक ग्रेड –2	195–300	2—सहायक उपस्थिति अधिकारी (पुरुष/महिला)	195–300
3—लिपिक ग्रेड–3	185–280	3—लेखाकार ग्रेड –2	220–[illegible]0
नगरपालिकायें श्रेणी–2			
1—लिपिक ग्रेड–3	185–280	1—शिक्षा अधीक्षक/अधीक्षिका ग्रेड –3	300–510
2—लिपिक ग्रेड–4	176–250	2—सहायक उपस्थिति अधिकारी (पुरुष/महिला)	195–300
नगरपालिका श्रेणी–3			
1—लिपिक ग्रेड–4	176–250	1—शिक्षा अधीक्षक/अधीक्षिका ग्रेड–4	230–464
		2—सहायक उपस्थिति अधिकारी (पुरुष/महिला) ग्रेड–2	195–300
नगरपालिका श्रेणी–4			
1—लिपिक ग्रेड–4	176–250	——	——

1	2	3	4
जिला परिषद्—			
1—प्रधान लिपिक ग्रेड–1	240–424	1—सहायक उपस्थिति अधिकारी (पुरुष/महिला) ग्रेड–2	195–300
2—लिपिक ग्रेड–2	195–300	2—लेखाकार ग्रेड –2	220–380
3—लिपिक ग्रेड–3	185–280	,, ,,	,,
4—लिपिक ग्रेड–4	176–250	विभिन्न श्रेणी की स्थानीय निकायों तथा जिला परिषदों के कार्यालयों में कार्यरत पूर्ण कालिक दफतरी ..	168–218
		विभिन्न श्रेणी की स्थानीय निकायों तथा जिला परिषदों के कार्यालयों में कार्यरत पूर्णकालिक चपरासी, पूर्णकालिक कार्यरत स्कूलों के चपरासी, चौकीदार तथा स्कूल दाइयां	165–215

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नस्थी 'ख'

[देखिये विषय 38 (2) के अंतर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 17 का उत्तर पीछे पृष्ठ ..... 702 पर।]

ललितपुर जनपद में जिन 68 ग्राम सभाओं में प्राइमरी पाठशालायें नहीं है उनकी सूची

(1) किसरया, (2) जंगारा, (3) दिगवार, (4) लिधौरा, (5) तिसनारी, (6) गौराकछिया, (7) बछरावनी, (8) रघवारा, (9) खैरपुरा, (10) बड़वार, (11) टोरी, (12) बम्हरी खुर्द, (13) नीमखेरा, (14) ललितपुर, (15) दिगवार, (16) डोगरा कला, (17) दीनपुरा, (18) प्योवन खेरी, (19) हसारा, (20) टोला, (21) मोटा, (22) तलैया, (23) नीमखेरा, (24) ककोरिया, (25) सेमरा, (26) परा, (27) डावर, (28) पिपरइया जागीर, (29) अमडुखेरा (30) संगोरिया, (31) उदगुवा, (32) मऊ, (33) मदौना, (34) बरमा बिहार, (35) सरखरी (36). बरी खुर्द, (37) राजपुर, (38) मावलेन, (39) हिगोरा, (40) सारजेड़, (41) बदरोनी, (42) उमरी, (43) मूरी खुर्द, (44) खमरोन, (45) बुधौली, (46) बागरोन, (47) गौरा, (48) सोरई, (49) बदपुरा, (50) मडारा, (51) विधामहरा, (52) बख्तर, (53) सिजनी खुर्द, (54) ककरुआ, (55) सिवनी कला, (56) बरौवा, (57) पटौरा खुर्द, (58) बकलबारा, (59) मेदौरा, (60) सुरवारा, (61) मिनौरा, (62) काला पहाड़, (63) सीरोने खुर्द, (64) लोहार खुर्द, (65) मैलारा, (66) इकलगधां, (67) बजना, (68) घटवार।

संसद पुस्तकालय

नत्थी 'ग'

[देखिये नियम 38 (2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 25 का उत्तर पीछे पृष्ठ 705 पर]

भवनहीन बालक /प्रा०/क० प्रा०/बा० जू० हा०/बालिका कन्या जू० हा० स्कूलों की सूची (जनपद मिरजापुर) तहसील मिरजापुर।

क्रम-सं०	ब्लाक का नाम	शिक्षा क्षेत्र का नाम	भवन रहित पाठशालाओं का नाम	अर्द्धनिर्मित पाठशालाओं का नाम	निर्माण हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है
1	2	3	4	5	6
1	नगर	नगर	1—नौहा (प्रा० पा०)	1—प्रा० पा०, पिपराकुंड	.....
				2— ,, ,, वैसुखिया	
			2—प्रा० पा०, कतरन	3— ,, ,, सिनहरदीक्षित	
			3—प्रा० पा०, अरगजापाण्डेय	4— ,, ,, मटैया	
			4—प्रा० पा०, मगरदहां	5— ,, ,, मसारी	
			5—प्रा० पा०, रेलवे कालोनी	6— ,, ,, सिरसीबघेल	
			6—प्रा० पा०, अहमलपुर	7— ,, ,, सिरसीगहरवार	
			7—प्रा० पा०, मदरदा	8— ,, ,, जू० हा०, अमोई	
			8—जू० हा०, राजपुर	9—जू० हा०, नैवटियाघाट	
			९—क० प्रा० पा०, नौहां	10—क० जू० हा०, नेवटियाघाट	
			10—क० प्रा० पा०, हुरुआ	11— ,, ,, सण्डवा	
			11—क० प्रा० पा०, मेंवरकरमनपुर		
			12—क० प्रा० पा०, राजपुर		
			13—क० जू० हा०, राजपुर।		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

2	हलिया	..	हलिया	..	14—प्रा० पा०,	कोटीकला ..	12—वैधा	
					15—प्रा०पा०,	थोथा ..	13—प्रा०	पा०, अहुगीकलां
					16—प्रा० पा०,	पिपरा ..	14— ,,	,, अहुगीखुर्द
					17—प्रा० पा०,	पिड़तरिया	15— ,,	,, हलिया
					18—प्रा० पा०,	औरा बरुआ	16— ,,	,, भैंसोड़बलाय पहाड़
					19—प्रा० पा०,	करौंदिया ..	17— ,,	,, पवारीकलां
					20—प्रा० पा०,	नदौलीपुरवा	1 — ,,	,, मनिकठा
					21—प्रा० पा०,	नौगवां ..	19— ,,	,, तीता
					22—हर्रा	..	20— ,,	,, सिगठा
					23—प्रा० पा०,	कुशियरा ..	21— ,,	,, सोनगढ़ा
					24— ,, ,,	मटिहरा	22— ,,	,, इन्द्रबार
					25— ,, ,,	मतवार	23— ,,	,, बंजारीकलां
					26— ,, ,,	सगरा	24— ,,	,, डाड़बड़ा
					27— ,, ,,	बिमोरी	25— ,,	,, वेदउर
					2 — ,, ,,	खरिहटखुर्द	26— ,,	,, परसिया मुड़पेली
					29— ,, ,,	निवाबल	27—जू० हा०, वरौधा	
					30— ,, ,,	बसकोप	28—जू० हा०, बड़ौहां	
					31—क० प्रा० पा०,	हलिया		
					32—क० प्रा० ,,	मड़वाधनावल		
					33— ,, ,,	पटेहरा		
					34— ,, ,,	बबुराकलां		
					35— ,, ,,	पवारीकला		
					36—जू० हा०,	ड्रमण्डगंज		
					37— ,, ,,	हलिया		
3	मड़िहान	..	मड़िहान	..	3 —प्रा० पा०,	किरहा ..	29—प्रा० पा०, लालजीपिडरिया	
					39— ,, ,,	परमापुर		
					40— ,, ,,	ग वा		

उत्तर प्रदेश सभा

क्रम-सं०	ब्लाक का नाम	शिक्षा क्षेत्र का नाम	भवन रहित पाठशालाओं का नाम	अर्द्धनिर्मित पाठशालाओं का नाम	निर्माण हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है
1	2	3	4	5	6
			41— प्रा० पा० ककरद		
			42— ,, ,, सिरसीबांध		
			43— ,, ,, सिरसीगांव		
			44— ,, ,, बनक		
			45—क० प्रा० पा० जमुई		
			46— ,, ,, ,, बोदा		
			47— प्रा० पा० देवरी		
			48— ,, ,, कन्हईपुर		
			49— ,, ,, गोपलपुर		
			50— ,, ,, शोभी		
			51— ,, ,, लालापुर		
			52— ,, ,, रैकरा		
			53— ,, ,, पुरबाअमोई		
			54— ,, ,, खचहां		
			55— ,, ,, अमोई		
4	लालगंज ..	लालगंज ..	56— ,, ,, मथुरापुर ..	30—प्रा० पा० लालपुर	
			57— ,, ,, मेढ़रा ..	31— ,, ,, कठवार	
			58— ,, ,, बेलहा ..	32— ,, ,, वारीपुर पंजरा	
			59— ,, ,, मटियारी	33— ,, ,, खरिहट	
			60— ,, ,, गड़बड़ा ..	34— ,, ,, नरैना	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

				61—	,,	,,	आराजीदेबघटा	35—प्रा० पा०, लहंगपुर	
				62—	,,	,,	पचोखर	36—जू० हा०, लहंगपुर	
				63—	,,	,,	महुलरिया	36—अ—प्रा० पा०, थितोग	
				64—	,,	,,	जमकर		
				65—	,,	,,	दुबारकलां		
				66—	जू०	हा०	स्कूल तिलांव		
5	छानबे	..	छानबे ..	67—	प्रा०	पा०	डरेवा ..	37— प्रा० पा०	बघरा
				68—	,,	,,	सुबन्धा	38— ,, ,,	कामापुर
				69—	,,	,,	नवगांव	39— ,, ,,	अकोढ़ी
				70—	जू०	हा०	नगवासी ..	40— ,, ,,	देवरी
				71—	जू०	बे०	वधेड़ा ..	41— ,, ,,	मड़गुड़ा
				72—	प्रा०	पा०	बघौरा ..	42— क० प्रा० पा०	अकोढ़ी
				73—	,,	,,	आदमपुर	43— प्रा० पा०	विजयपुर
				74—	,,	,,	बजटा ..	44— जू० हा०	बबुरा
				75—	,,	,,	मोहनपुर	45— प्रा० पा०	बबुरा
								46— ,, ,,	तिलई
								47— ,, ,,	परवां
								48— ,, ,,	निफरा
								49— ,, ,,	चडैंचा
								50— ,, ,,	खम्हरिया
								51— ,, ,,	रयपुरी
								52— ,, ,,	नगवासी
								53— ,, ,,	रघईपुर
								54— ,, ,,	बरूआं
								55— जू० हा०	विजयपुर
								56— प्रा० पा०	डड़बा पकसेड़ा

उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद

क्रम-सं0	ब्लाक का नम	शिक्षा क्षेत्र का नाम	भवन रहित पाठशालाओं का नाम	अर्द्धनिर्मित पाठशालाओं का नाम	निर्माण हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है
1	2	3	4	5	6
6	कोन	कोन	76— प्रा० पा० मुगलपट्टी ..	57— प्र0 पा0 चन्देलडड़िया	
			77— ,, ,, लखनपुर	5 .— ,, ,, सारीपट्टी	
			78— ,, ,, पचैवरा	50— ,, ,, मझलीपट्टी	
			79— ,, ,, मजगवां	60— ,, ,, करेरुआ	
			80— ,, ,, अनिरुद्धपुर	61— जू० हा० स्कूल कमासिन	
			81— जू० हा० स्कूल चील्ह	62— ,, ,, चेतगंज	
			82— ,, ,, मुजेहरा	63— प्रा० पा० पचोखराकलां	
7	पहाड़ी	पहाड़ी	83— प्रा० पा० बेलवन ..	64— ,, ,, दाढ़ीराम	
			84— ,, ,, रजरहा	65— ,, ,, सिकरी	
			85— ,, ,, नान्हूपुर	66— ,, ,, रानीचौकिया	
			86— ,, ,, तोसवां	67— जू० हा० दाढ़ीराम	
			87— ,, ,, यशवन्तसिंह कापुरा	68— जू० हा० कठिनई	
			88— ,, ,, नेवढिया	60— प्रा० पा० कोहड़िया	
			89— ,, ,, वेदौलीकलां	0— ,, ,, लछिरामपुर	
			90— ,, ,, सरैया ..	71— ,, ,, मटियारी	
			91— ,, ,, सरावां	72— ,, ,, भौटी	
8	मझवां	मझवां	———	73— ,, ,, कल्याणपुर	
			91	74— ,, ,, हरदरा	
			———	75— ,, ,, ग्राहीं	
				76— ,, ,, गोधना	
				77— ,, ,, मोतई	
				78— ,, ,, भवरखडी ।	

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
मिरजापुर ।

विद्यालय उप निरीक्षक,
मिरजापुर ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "घ"

[देखिये 38(2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 26 का उत्तर पीछे पृष्ठ 705 पर।]

(1) ग्राम चांदपुर के सामने इस वर्ष की बाढ़ में कुछ कटान हुआ है।

(2) ग्राम कथौड़ा के सामने बोल्डर बार बनाने पर पिछले वर्ष कुछ सिलटिंग हुई थी, जो इस वर्ष बाढ़ के दौरान कुछ कट गई।

(3) ग्राम लिलकर और डुहा बिहरा के सामने इस वर्ष कटान नहीं हुआ।

इस वर्ष बाढ़ से पहले कटान को रोकने के लिये चांदपुर कार्यस्थल पर 9 बल्ली बार बनाये गये हैं। इसके अलावा इस ग्राम के नीचे पिछले वर्ष बनाया गया बोल्डर बार संख्या 21 पांच मीटर नदी के अन्दर और बढ़ाया गया। कथौड़ा कार्यस्थल पर (जंगली बाबा की कुटी के उपर की तरफ) एक बल्ली बार बनाया गया। धन के अभाव में इस वर्ष और कोई कार्य करना सम्भव नहीं है।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ङ'

[देखिये नियम 38(2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या . 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 707 पर]

संलग्नक

वाराणसी जिले में बाढ़ नियंत्रण तथा जलोत्सारण कार्यों हेतु सिंचाई विभाग द्वारा किये गये कार्यों का विवरण

	रु0
1—तृतीय पंचवर्षीय योजना	6,73,347
2—चतुर्थ पंचवर्षीय योजना	7,91,000

द्वितीय योजना में इस विभाग को रुपया 15,54,050 की प्रदिष्टि प्राप्त हुई थी जिसके विरुद्ध रुपया 15,55,737 व्यय किया गया था।

इसी प्रकार तृतीय योजना में इस विभाग को 6,7 ,347 रुपया की प्राप्ति हुई थी जिसके विरुद्ध रु० 6,26,228 का व्यय किया गया था तथा रुपया 47,119 धन अवशेष रह गया था, जो नगण्य है।

द्वितीय एवं तृतीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत इस विभाग द्वारा गांवों को ऊंचा करने का कार्य वरुणा रेगुलेटर का निर्माण ड्रेनों के सुधार आदि की योजनायें क्रियान्वित की गई तथा सभी कार्य पूर्ण किये गये। कोई कार्य अपूर्ण नहीं रहा।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'च'

[देखिये नियम 38(2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 4 का उत्तर पीछे पृष्ठ 711 पर ।]

प्रश्न संख्या 48 के उत्तर में उल्लिखित तालिका 'क'

अनुदान सूची पर रखने के लिये हाई स्कूलों के चयन के अर्हताओं के आधार

(1) स्थानीय निकायों के विद्यालयों को छोड़कर अन्य विद्यालयों की प्रशासन योजना अनुमोदित हो ।

(2) यदि विद्यालय पूर्व माध्यमिक स्तर की अनुदान सूची में सम्मिलित हो तो उसका अनुरक्षण अनुदान निलम्बित न हो ।

(3) विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित पूर्वगामी परीक्षा में सामूहिक नकल का दोषी न रहा हो ।

(4) विद्यालय की प्रबंध समिति में कोई विवाद न हो। जिन संस्थाओं में साधिकार नियंत्रक रिसीवर नियुक्त हैं वे इस अनुदान के पात्र नहीं हैं ।

(5) विद्यालय का अनुशासन संतोषजनक हो तथा उसके विरुद्ध कोई शिकायत न हो ।

(6) अधीनस्थ अधिकारियों की संस्तुति हो ।

(7) विद्यालयों का चयन छात्र संख्या तथा हाई स्कूल की पूर्वगामी परीक्षा के परिणाम के आधार पर किया जायगा। तथापि पूर्व वर्षों में मान्यता प्राप्त तथा सभी शर्तों को पूरा करने वाले विद्यालयों को प्राथमिकता दी जायेगी ।

(8) 1974–75 में जिन विद्यालयों को अनुदान सूची में सम्मिलित किया गया है उनके संबंध में न्यूनतम छात्र संख्या 100 तथा न्यूनतम परीक्षाफल 33 प्रतिशत रखा गया था।

प्रश्न संख्या 43 के उत्तर में उल्लिखित तालिका 'ख'

अनुदान सूची पर रखने के लिये जूनियर हाई स्कूलों के चयन के अर्हताओं के आधार

(1) विद्यालयों की न्यूनतम छात्र संख्या मैदान क्षेत्र में 100 तथा पर्वतीय क्षेत्र में 50 हो ।

(2) मान्यता के वर्ष की ज्येष्ठता को वरीयता दी गयी ।

(3) विद्यालयों में कम से कम 50 प्रतिशत प्रशिक्षित अध्यापक हों। इस शर्त की छूट उन विद्यालयों को दी गयी जिनका परीक्षा फल 90 प्रतिशत से अधिक था।

(4) परीक्षाफल के आधार को वरीयता दी गयी। अर्थात —

(क) 54 प्रतिशत से ऊपर परीक्षाफल वाले वे विद्यालय चुने गये जो 10 वर्ष से अधिक पहले के स्थायी मान्यता प्राप्त थे ।

(ख) अन्य पुराने विद्यालय 80 प्रतिशत से ऊपर परीक्षाफल के चुने गये।

(ग) पर्वतीय क्षेत्र के पुराने विद्यालय 40 प्रतिशत तक परीक्षाफल के चुने गये।

(घ) 1969–70 से 1970–71 के 92 प्रतिशत तक परीक्षाफल वाले चुने गये।

(5) विद्यालय का अपना भवन हो और सुव्यवस्थित हो ।

(6) विद्यालय का अनुशासन सुव्यवस्थित हो और विद्यार्थियों या अध्यापकों के विरुद्ध असंतोषजनकता की किसी प्रकार की शिकायत न हो।

(7) विद्यालय की प्रबंध समिति सुचारूरूप से संचालित हो और किसी प्रकार का झगड़ा न हो।

(8) अधीनस्थ अधिकारियों की संस्तुति हो।

नत्थी 'छ'

[देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 7 का उत्तर पीछे पृष्ठ 716 पर]

जिला जौनपुर स्थित निरीक्षण गृह

क्रम-संख्या	डाक बंगले का नाम	कहां-कहां पर स्थित है	उसका निर्माण कब हुआ	विगत तीन वर्षों में हुए व्यय का विवरण: साज-सज्जा पर	शीतल करने की व्यवस्था पर	रख रखाव पर	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
				रु0	रु0	रु0	
1	बदलापुर ..	जौनपुर-सुल्तानपुर मार्ग के कि० मी० 29 में।	बहुत प्राचीन है। निर्माण काल के वर्ष की सूचना उपलब्ध नहीं है	9,797.00	1,950.00	8,356.00	स्तम्भ 4 में अंकित सूचना जिला परिषद् जौनपुर से प्राप्त हुई।
2	जौनपुर ..	लखनऊ-वाराणसी मार्ग के कि० मी० 25 में।	तदैव	8,485.00	1,950.00	11,166.00	
3	बादशाहपुर	लखनऊ-वाराणसी मार्ग के० कि० मी० 20 में।	वर्ष 1883 के लगभग	..	..	3,425.00	
4	केराकत	जौनपुर-केराकत चंदवक-आजिहार मार्ग के कि० मी० 28 में।	वर्ष 1895 के लगभग	..	..	5,432.00	
5	मडियाहू ..	लुम्बिनी-दुगधी मार्ग के कि० मी० 224 में।	वर्ष 1906 के लगभग	..	..	4,445.00	
6	शाहगंज ..	लखनऊ-बलिया मार्ग के कि० मी० 214 में।	वर्ष 196 -69	7,4 1.00	1,950.00	7,329.00	

पी० एस० यू० पी०—एल० 87 वि० सभा—(49)—1975—845।

उत्तर प्रदेश विधान सभा